



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939

No. 552]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 710 (अ).— केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुसूचियां कहा गया है) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत संघ राज्यक्षेत्र कर की दर अधिसूचित करती है, जो ऐसे माल की राज्य के भीतर पूर्ति पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका वर्णन उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्ट में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अधीन आने वाले उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट हैं -

- (i) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 2.5 प्रतिशत ;
- (ii) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 6 प्रतिशत ;
- (iii) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 9 प्रतिशत ;
- (iv) अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 14 प्रतिशत ;
- (v) अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 1.5 प्रतिशत ; और
- (vi) अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 0.125 प्रतिशत ।

अनुसूची I - 2.5%

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण
1.	0303	मछली, हिमशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष सं0 0304 के मछली कतले और मछली मांस नहीं है
2.	0304	मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे कीमाकृत है या नहीं), ताजे, द्रुतशीतित या हिमशीतित
3.	0305	मछली, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी ; धूमित मछली, चाहे वह धूमन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाई गई या नहीं ; मछली का आटा, अवचूर्ण और गुटका जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है
4.	0306	क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, हिमशीतित, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी, कवचयुक्त क्रेस्टेशिया जो भापन द्वारा या जल में उबालकर पकाई गई है, चाहे द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी है या नहीं, क्रेस्टेशिया का आटा, अवचूर्ण और गुटिका, जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है
5.	0307	मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं, हिमशीतित, शुष्कित या लवण जल में रखे ; धूमित मोलस्क, चाहे कवच में हो या नहीं, चाहे धूमन प्रक्रिया से पूर्व या उसके दौरान पकाई गई है या नहीं ; मोलस्क का आटा, अवचूर्ण और गुटिका, जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं
6.	0308	क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरुकी, हिमशीतित, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी ; क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न धूमित, जलीय अकशेरुकी, चाहे धूमन प्रक्रिया से पूर्व या दौरान पकाई गई है या नहीं ; क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरुकी का आटा, अवचूर्ण और गुटिका, जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है
7.	0401	अत्यंत उच्च ताप (यू.एच.टी.) दूध
8.	0402	दूध और क्रीम, जो सांद्रित है या जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य हैं, जिसके अंतर्गत मक्खनीय दूध चूर्ण, शिशुओं के लिए दूध खाद्य [संपीडित दूध से भिन्न]
9.	0403	क्रीम, योगार्ट, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लित दूध और क्रीम, चाहे सांद्रित है या नहीं या उसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य है या नहीं, वह सुरुचित है या नहीं, या उसमें मिलाया गया फल, गिरी या कोको है
10.	0404	छेने का पानी, चाहे सांद्रित है या नहीं या उसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य है या नहीं ; ऐसे उत्पाद, जो प्राकृतिक दुध संघटक से मिलकर बने हैं, चाहे उनमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य हैं या नहीं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
11.	0406	छेना या पनीर, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत नाम है
12.	0408	पक्षियों के अंडे, कवच रहित, और अंडे के पीतक, ताजे, शुष्कित, भापन द्वारा या पानी में उबाल कर पकाए गए संचित, हिमशीतित या अन्यथा परिरक्षित, चाहे उनमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य हैं या नहीं
13.	0409	प्राकृतिक मधु, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत नाम है
14.	0410	प्राणीजन्य खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है
15.	0502	सुअर के, शूकर के या वराह के शूक या रोम ; बेजर रोम और बुश बनाने के अन्य रोम ; ऐसे शूक या रोम के अपशिष्ट
16.	0504	प्राणियों के आंत्र, ब्लेडर और अमाशय (फिश से भिन्न), संपूर्ण या उनके टुकड़े, ताजा, द्रुतशीतित, हिमशीतित, लवणित, लवण जल में रखा शुष्कित या धूमित
17.	0505	पक्षियों के, उनके पिच्छ या कोमल-पिच्छों सहित, चर्म और अन्य भाग, पिच्छ और पिच्छों के

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण
		भाग, (चाहे उनके किनारों का कर्तन किया गया है) और कोमल-पिच्छ ; जो परिरक्षण के लिए सफाई, विसंक्रमण या उपचार के अतिरिक्त और कर्मित नहीं है ; पिच्छ या पिच्छों के भाग के चूर्ण और अपशिष्ट
18.	0507 [050790 के सिवाय]	हाथी दांत, कच्छप कवच, तिमि अस्थि और तिमि अस्थि रोम, सींग, जो अकर्मित और केवल निर्मित है, किंतु आकार में कर्मित नहीं है, उन उत्पादों के चूर्ण और अवशिष्ट
19.	0508	प्रवाल और वैसी ही सामग्री, जो अकर्मित और केवल निर्मित है, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है, मोलस्क, क्रस्टेशिया या शूलचर्मी और सुफेन के कवच, जो अकर्मित और केवल निर्मित है, किंतु आकार से कर्तित नहीं है, उनके अवशिष्ट और चूर्ण
20.	0510	एम्बरग्रिस, कैस्टोरियम, गंधमाजीर और कस्तूरी ; कैन्थेरीडीज ; पित्त, चाहे शुष्कित है या नहीं ; ग्रंथियां और अन्य प्राणी उत्पाद, जो भेषजिक उत्पादों की निर्मित में उपयोग किए जाते हैं, ताजे, द्रुतशीतित, हिमशीतित या अन्यथा अनन्तिम रूप से परिरक्षित
21.	0511	प्राणी उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है ; अध्याय 1 या अध्याय 3 के मृत प्राणी, जो मानव उपभोग के लिए अयोग्य है
22.	7	जड़ी बूटी, द्यूल, शुष्कित पादप, शुष्कित जड़, जो सामान्य रूप से जड़ीबूटी के रूप में जाने जाते हैं और शुष्कित पुष्प
23.	0710	वनस्पतियां (बिना पकाई गई या भापन या पानी में उबाल कर पकाई गई), हिमशीतित
24.	0711	वनस्पतियां, जो अनन्तिम रूप से (उदाहरणार्थ, सल्फर डाई आक्साइड गैस में, या लवण जल में, गंधक जल में या अन्य परिरक्षण घोल में) परिरक्षित है, किंतु उस स्थिति में तुरंत उपभोग के लिए अनुपयुक्त है
25.	0713	शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवचयुक्त, चाहे त्वचारहित या विपाटित हैं या नहीं [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत नाम है]
26.	0714	मेनिओक, अरारूट, संलेप, जेरुसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद, जिनमें स्टार्च और इन्लिन की मात्रा अधिक है, हिमशीतित या शुष्कित, चाहे स्लाइस किए गए हैं या नहीं या गुटिका रूप में हैं
27.	0801	काजू, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं
28.	0802	शुष्कित दूढ़ फल, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं
29.	0802	शुष्कित सिंघाड़ा, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं
30.	08	शुष्कित मखाना, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं
31.	0806	अंगूर, शुष्कित, और किशमिस
32.	0811	फल और दूढ़फल, बिना पकाए गए या भापन द्वारा या जल में उबालकर पकाए गए, हिमशीतित, चाहे उसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य है या नहीं
33.	0812	फल और दूढ़फल, जो अनन्तिम रूप से (उदाहरणार्थ, सल्फर डाई आक्साइड गैस में, या लवण जल में, गंधक जल में या अन्य परिरक्षण घोल में) परिरक्षित है, किंतु उस स्थिति में तुरंत उपभोग के लिए अनुपयुक्त है
34.	0814	निम्बुकुल फल और खरबूजे के छिलके (जिसके अंतर्गत तरबूज हैं), हिमशीतित, शुष्कित या लवण जल में, गंधक जल में या अन्य परिरक्षण घोल में अनन्तिम रूप से परिरक्षित
35.	0901	काफी, चाहे भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं, काफी की भूसी और छिलका ; काफी के अनुकल्प, जिनमें किसी भी अनुपात में काफी है [काफी बीज, जो भर्जित नहीं है, से भिन्न]
36.	0902	चाय, चाहे सुरूचि हो या नहीं [चाय के अप्रसंस्कृत हरे पत्तों से भिन्न]

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
37.	0903	मेट
38.	0904	पेपर वंश की काली मिर्च ; कैपसिकम वंश या पाइमेंटा वंश के शुष्कित या संदलित अथवा दलित फल
39.	0905	वेनिला
40.	0906	दालचीनी और दालचीनी-वृक्ष पुष्प
41.	0907	लौंग (पूर्ण फल, लौंग और डंडी)
42.	0908	जायफल, जावीत्रि और बड़ी इलायची
43.	0909	सौंफ, बेडियन, बड़ी सौंफ, धनिया, सफेद जीरा या काला जीरा के बीज ; जूनिपर बेरी [बीज क्वालिटी से भिन्न]
44.	0910 [0910 11 10, 0910 30 10 से भिन्न]	ताजी अदरक से भिन्न अदरक, केसर, ताजी हल्दी से भिन्न हल्दी (करकुआ), अजवाइन, बेपास, करी और अन्य मसाले
45.	10	सभी माल, उदाहरणार्थ, धान्य, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
46.	1001	गेहूं और मेसलिन, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
47.	1002	राई, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
48.	1003	जौ, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
49.	1004	जई, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
50.	1005	मक्का (कान), जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
51.	1006	चावल, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
52.	1007	ज्वारादि का दाना, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
53.	1008	कुट्ट, मिलेट और कैनेरी बीज ; अन्य धान्य, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
54.	1101	गेहूं या मेसलिन आटा, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
55.	1102	गेहूं या मेसलिन आटा से भिन्न धान्य आटा, उदाहरणार्थ मक्का (कान) आटा, राई आटा, आदि, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
56.	1103	धान्य दलिया, अवचूर्ण और गुटिका, जिसके अंतर्गत सूजी और दलिया है, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
57.	1104	धान्य दाना अन्यथा कर्मित (उदाहरणार्थ, तुष निकाले गए, बेल्लित, पत्रकित, मोती जैसा बनाए गए, स्लाइस किए गए या कुचले गए), शीर्ष 1006 के चावल को छोड़कर ; धान्य, अंकुर, साबुत, बेल्लित, पत्रकित का दलित बेल्लित या पत्रकित दाना [तृष निकाले गए धान्य गेहूं से भिन्न]
58.	1105	आलू का आटा, अवचूर्ण, चूर्ण पत्र या दलित, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
59.	1106	शीर्ष संख्या 713 के शुष्कित फलीदार वनस्पतियों (दालों) का [1106 10 10 के ग्वार आटे और 1106 10 90 के ग्वार गम परिष्कृत स्पलिट से भिन्न] और शीर्ष 0714 के साबुदाने का या जड़ों या कंदों का अथवा अध्याय 8 के उत्पादों का आटा, जिसे इकाई आधानों में रखा गया है, जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
60.	1106 10 10	ग्वार आटा
61.	1106 10 90	ग्वार गोंद परिष्कृत विखंडन

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण
62.	1109 00 00	गेंहु ग्लुटोन, चाहे शुष्कित है या नहीं
63.	12	बीज क्वालिटी से भिन्न सभी माल
64.	1201	बीज क्वालिटी से भिन्न सोयाबीन, चाहे टूटी हुई है या नहीं
65.	1202	मूंगफली, जो भर्जित या अन्यथा पकाई गई है चाहे कवचरहित या टूटी हुई या नहीं
66.	1203	बीज क्वालिटी से भिन्न खोपरा
67.	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई है या नहीं, बीज क्वालिटी से भिन्न
68.	1205	तोरिया या कोलजा बीज, चाहे टूटे हुए है या नहीं, बीज क्वालिटी से भिन्न
69.	1206	बीज क्वालिटी से भिन्न, सूर्यमुखी के बीज, चाहे टूटे हुए हैं या नहीं
70.	1207	बीज क्वालिटी से भिन्न, अन्य तिलहन और तेलोत्पादक फल (उदाहरणार्थ ताड़फल और गिरी, बिनोले, एरंड तेल बीज, तिल बीज, सरसों के बीज, कुसंभम (कार्थामस टिंकटोरियस) बीज, खरबूजे के बीज, खसखस बीज, एजामस बीस, आम गुठली, नाइजेर बीज, कोकम), चाहे टूटे हुए हैं या नहीं
71.	1208	तिलहन और तेलोत्पादक फलों का आटा और अवचूर्ण, उससे भिन्न जो सरसों का है
72.	1210	हाप कोन, शुष्कित, चाहे दलित, चूर्णित या गुटिका के रूप में है या नहीं ; ल्युपुलिन
73.	1211	इस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग (जिसके अंतर्गत बीज और फल हैं), जिनका उपयोग प्रथमतः सुगंध सामग्री में, या फार्मेसी में या कीटनाशी, फफूंदी नाशी या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, हिमशीतित या शुष्कित, चाहे काटे, दलित या चूर्णित हैं या नहीं
74.	1212	लोकस्ट फलियां, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकन्दर और गन्ना, हिमशीतित या शुष्कित, चाहे दले हुए हैं या नहीं ; फल की गुठलियां और गिरियां और अन्य वनस्पति (जिसके अंतर्गत साइकोरियम इंटाइब्स सेटिवम प्रकार की अभर्जित कासनी की जड़ें भी हैं), जो इस प्रकार की हैं जिनका उपयोग प्रथमतः मानव उपभोग के लिए किया जाता है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है
75.	1301	प्राकृतिक गोंद, रेजिन गोंद-रेजिन और ओलिओरेजिन (उदाहरणार्थ, बालसम [लाख और शल्क लाख से भिन्न])
76.	1301	सामान्यता हींग के रूप में ज्ञात यौगिक असाफोइडिडा
77.	1401	इस प्रकार की वनस्पति सामग्री, जिसका प्रथमतः उपयोग संग्रथन के लिए किया जाता है (उदाहरणार्थ, बांस, रेटेन, नरकूल, सरपत, ओसिर, रैफिएक, साफ किया गया, विरंजित या रंगा गया धान्य पुआल और नींबू छाल)
78.	1404 [1404 90 10, 1404 90 40, 1404 90 50 से भिन्न]	वनस्पति उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, जैसे कपास लिंटर, रीठा, कठोर बीज, पिप, हल और नट्स, जिनका प्रथमतः उपयोग नारियल कवच, अकर्मित, रुद्राक्ष बीज [बीड़ी आवेष्टक पत्तियां (तेंदू), पान के पत्ते, भारतीय कत्था से भिन्न] को तरासने के लिए किया जाता है
79.	1507	सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है
80.	1508	मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है.
81.	1509	जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है.
82.	1510	अन्य तेल और उनके प्रभाज, जो केवल जैतून से अभिप्राप्त हैं, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण
		रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है, जिनके अंतर्गत शीर्ष सं0 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं
83.	1511	ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है.
84.	1512	सूर्यमुखी, कुसुंभ या बिनौले का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है.
85.	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है.
86.	1514	तोरिया, कोल्जा या सरसों का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है.
87.	1515	अन्य अवाष्पशील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है.
88.	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, भागतः या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतःएस्टीकृत, पुनःएस्टीकृत, इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं है
89.	1517	शीर्ष सं0 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निर्मितियां
90.	1518	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, क्वथित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको छोड़कर जो शीर्ष सं0 1516 की के अंतर्गत आते हैं
91.	1701	चुकंदर चीनी, गन्ना चीनी, खाण्डसारी चीनी
92.	1702	पामीरा चीनी
93.	1801	कोको बीन, साबुत या टूटे हुए, कच्चे या भर्जित
94.	1802	कोको कवच, भूसी, छिलके और अन्य कोको अपशिष्ट
95.	1803	कोको पेस्ट, चाहे निर्वसीकृत है या नहीं
96.	1901 20 00	डबलरोटी, पैस्ट्री और अन्य बेकरी उत्पादों के विनिर्मितियों के लिए मिश्रण और डो
97.	1902	सेवियां (वेरमिसेली)
98.	1903	टेपिओका और स्टार्च से निर्मित उसके अनुकल्प, पत्रक, कणिका, मुक्ता, छांटन के रूप में या वैसे ही रूपों में (साबूदाना)
99.	1905	पिज्जा ब्रेड
100.	1905 40 00	रस्क, टोस्ट ब्रेड और इसी तरह के टोस्ट उत्पाद
101.	2106 90	हलवा
102.	2201 90 10	बर्फ और हिम
103.	2301	मांस, मांसावशिष्ट, मछली या क्रस्टेशिया, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी का आटा, चूर्ण और गुटिका, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है ; निःसाद
104.	2303	स्टार्च विनिर्माण के अवशिष्ट और वैसे ही अवशिष्ट, चुकंदर की लुगदी, खोई, चीनी विनिर्माण के अन्य अपशिष्ट, निसवन और आसवन तलछट और अपशिष्ट, चाहे वे गुटिका के रूप में हैं या नहीं
105.	2304	सोयाबीन तेल के निष्कर्षण से प्राप्त खली और अन्य ठोस अवशिष्ट, चाहे वह दलित या गुटिका के रूप में हैं या नहीं [जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
		का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न]
106.	2305	मूंगफली तेल के निष्कर्षण से प्राप्त खली और अन्य ठोस अवशिष्ट, चाहे वह दलित या गुटिका के रूप में हैं या नहीं [जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न]
107.	2306	वनस्पति वसा या तेल, शीर्ष सं0 2304 या शीर्ष सं0 2305 के अंतर्गत आने वालों से भिन्न, के निष्कर्षण से प्राप्त खली और अन्य ठोस अवशिष्ट, चाहे वह दलित या गुटिका के रूप में हैं या नहीं [जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न]
108.	2307	वाइन लीस ; आरगोल
109.	2401	तंबाकू पत्ता
110.	2502	अपजित लोह पाइराइट
111.	2503[2503 00 10 के सिवाय]	सभी प्रकार का गंधक, जो उद्धृपातित गंधक, अवक्षेपित गंधक और कोलाइडी गंधक से भिन्न है [उस गंधक से भिन्न, जो परिष्कृत तेल के परिशोधन में उपोत्पाद के रूप में पुनःआच्छादित हुआ है]
112.	2504	प्राकृतिक ग्रैफाइट
113.	2505	सभी प्रकार की प्राकृतिक बालू, चाहे रंगी है या नहीं, अध्याय 26 के धातुयुक्त बालू से भिन्न
114.	2506	क्वार्टज (प्राकृतिक बालू से भिन्न); क्वार्टजाइट, चाहे स्थूल रूप से समाकर्तित या आरी द्वारा चीरकर या अन्यथा आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) आकार में क्लार्कों या सिल्लियों में मात्र कर्तित है या नहीं
115.	2507	केओलिन और अन्य केओलिन युक्त मृत्तिका, चाहे निष्ठापित है या नहीं
116.	2508	अन्य मृत्तिका, (जिनके अंतर्गत शीर्ष सं0 6806 की प्रसारित मृत्तिका नहीं है), एन्डालूसाइट, कायनाइट और सिलिमैनाइट, चाहे निष्ठापित है या नहीं ; म्यूलाइट ; शमाटया डिनास मिट्टी
117.	2509	चाक
118.	2510	प्राकृतिक कैल्शियम फास्फेट, प्राकृतिक एलुमिनम, कैल्शियम फास्फेट और फास्फेटयुक्त चाक
119.	2511	प्राकृतिक बैरियम सल्फेट (बैराइट्स); प्राकृतिक बैरियम कार्बोनेट (विदेराइट), चाहे निष्ठापित है या नहीं, शीर्ष सं0 2816 के बैरियम आक्साइड से भिन्न
120.	2512	सिलिकामय फासिक अवचूर्ण (उदाहरणार्थ, कीजेलगूर, ट्रिपोलाइट और डायटोमाइट) और 1 या उससे कम से आभासी विशिष्ट गुरुत्व की, वैसी ही सिलिकामय मिट्टी, चाहे निष्ठापित है या नहीं
121.	2513	झांवा प्रस्तर ; रेगमार ; प्राकृतिक कोरडम, प्राकृतिक गार्नेट और अन्य प्राकृतिक अपघर्ष, चाहे ऊष्मा उपचारित है या नहीं
122.	2514	स्लेट, चाहे स्थूल रूप से समाकर्तित या आरी द्वारा चीरकर या अन्यथा आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) आकार के ब्लॉकों या स्लैब में मात्र कर्तित है या नहीं
123.	2515 [2515 12 10, 2515 12 20, 2515 12 90 के सिवाय]	एकाउसिन और अन्य कैल्शियम संस्मारकीय या निर्माणी प्रस्तर ; एलवास्टर [अन्य संगमरमर और ट्रेवर्टाइन से भिन्न]
124.	2516	पोर्फायरी, बेसाल्ट, बलुकाश्म और अन्य संस्मारकीय या भवन प्रस्तर, चाहे स्थूल रूप से

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण
	[2516 11 00, 2516 12 00 के सिवाय]	समाकर्तित या आरी द्वारा चीरकर या अन्यथा आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) आकार के ब्लाकों या स्लैब में मात्र कर्तित है या नहीं
125.	2516 11 00	अपरिष्कृत या स्थूल रूप से समाकर्तित ग्रेनाइट
126.	2517	इस प्रकार की रोड़ी, बजरी, टूटा या संदलित प्रस्तर, जिसका प्रयोग सामान्यतया कंकरीट के मिलावे के लिए, सड़क पक्की करने के लिए या रेल के लिए किया जाता है या अन्य गिट्टी या शिगिल और फ्लित, चाहे ऊष्मा उपचारित हैं या नहीं ; धातुमल का मैकेडम ड्रास या वैसे ही औद्योगिक अपशिष्ट, चाहे उनमें शीर्ष के प्रथम भाग में उल्लिखित सामग्री समाविष्ट है या नहीं ; टारयुक्त मैकेडम शीर्ष सं0 2515 या 2516 के प्रस्तरों की कणिकाएं, चिपिंग या चूर्ण, चाहे ऊष्मा उपचारित हैं या नहीं
127.	2518	डोलोमाइट, चाहे निष्तापित या निस्सादित है या नहीं ; इसके अंतर्गत स्थूल रूप से कर्तित या आरी द्वारा चीरकर या अन्यथा आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) आकार के ब्लाकों या स्लैब में मात्र कर्तित डोलोमाइट है या नहीं ; डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण 2518 10 डोलोमाइट, जो निष्तापित या निस्सादित नहीं है
128.	2519	प्राकृतिक मैग्नीशियम कार्बोनेट (मैग्नेसाइट) ; संगलित मैग्नीशिया ; पूर्णतः दग्ध (सिंटरित) मैग्नीशिया, चाहे उनमें सिंटरन से पूर्व अन्य आक्साइड की अल्प मात्रा मिलाई गई है या नहीं ; अन्य मैग्नीशियम आक्साइड, चाहे शुद्ध है या नहीं
129.	2520	जिप्सम ; ऐनहाइड्राइट ; प्लास्टर (जिसमें निष्पातित जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट अंतर्विष्ट है) चाहे रंगे गए है या नहीं और चाहे उनमें त्वरक या मंदक की अल्प मात्रा है या नहीं
130.	2521	चूना पत्थर गालक ; चूना पत्थर और इस प्रकार का, अन्य कैल्शियम युक्त प्रस्तर, जिनका उपयोग चूना या सीमेंट के विनिर्माण के लिए किया जाता है
131.	2522	बिना बूझा चूना, बूझाचूना और हाइड्राइलिक चूना, शीर्ष सं0 2825 के कैल्शियम आक्साइड और हाइड्रोक्साइड से भिन्न
132.	2524	एस्बेटास
133.	2525	अभ्रक, जिनके अंतर्गत अभ्रक विपाट है ; अभ्रक अपशिष्ट.
134.	2526	प्राकृतिक स्टिएटाइट, चाहे आरी द्वारा चीरकर या अन्यथा आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) आकृति के ब्लाक या सिलिलियों में समाकर्तित या मात्र कर्तित है या नहीं ; टेलक
135.	2528	प्राकृतिक बोरेट और उसके सांद्र (चाहे निष्पातित हैं या नहीं), किंतु इसके अंतर्गत प्राकृतिक लवणजल से पृथक् किए गए बोरेट नहीं हैं ; प्राकृतिक बोरिक अम्ल, जिसमें संगणित 85 प्रतिशत से अधिक H ₃ BO ₃ नहीं है
136.	2529	फेल्सपार ; ल्यूसाइट, नेफलिन और नेफलिन साइनाइट ; फुलुओरस्पार
137.	2530	खनिज पदार्थ, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है
138.	26 [2619, 2620, 2621 के सिवाय]	सभी अयस्क और सांद्र [लोहे या इस्पात के विनिर्माण से धातुमल, ड्रास (कणकित धातुमल से भिन्न), शल्कन और अन्य अपशिष्ट ; धातुमल, भस्म और अवशिष्ट (लोहे या इस्पात के विनिर्माण से भिन्न), जिनमें आर्सेनिक, धातु या उसके मिश्रण हैं ; अन्य धातुमल और भस्म, जिसके अंतर्गत समुद्री खरपतवार भस्म (केल्प) और नगरपालिका अपशिष्ट के भस्मीकरण की भस्म और अपशिष्ट हैं, से भिन्न]
139.	2601	लौहे अयस्क और सांद्र, जिनके अंतर्गत भर्जित लौह पाइराइट है
140.	2602	मैग्नीज अयस्क और सांद्र, जिनके अंतर्गत फेरजिनस मैग्नीज अयस्क और सांद्र हैं, जिनमें मैग्नीज अंतर्वस्तु शुष्क भार के आधार पर संगणित 20% या उससे अधिक है

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण
141.	2603	ताम्र अयस्क और सांद्र
142.	2604	निकिल अयस्क और सांद्र
143.	2605	कोबाल्ट अयस्क और सांद्र
144.	2606	एल्यूमिनम अयस्क और सांद्र
145.	2607	सीसा अयस्क और सांद्र
146.	2608	जस्ता अयस्क और सांद्र
147.	2609	टिन अयस्क और सांद्र
148.	2610	क्रोमियम अयस्क और सांद्र
149.	2611	टंगस्टन अयस्क और सांद्र
150.	2612	यूरेनियम या थोरियम अयस्क और सांद्र
151.	2613	मालिब्डेनम अयस्क और सांद्र
152.	2614	टिटैनीयम अयस्क और सांद्र
153.	2615	नायोब्रियम, टेन्टालियम, बेनेडियम या जर्कोनियम अयस्क और सांद्र
154.	2616	बहुमूल्य धातु अयस्क और सांद्र
155.	2617	अन्य अयस्क और सांद्र
156.	2618	लोहे या इस्पात के विनिर्माण से कणकित धातुमल (धातुमल बालू)
157.	27	जैविक गैस
158.	2701	कोयला ; कोयले से विनिर्मित इष्टिका, अण्डाभ और इसी प्रकार के ठोस ईंधन
159.	2702	लिग्नाइट, चाहे संपीडित है या नहीं, जैट को छोड़कर
160.	2703	पीट (जिनके अंतर्गत पीट लिटर भी है), चाहे संपीडित है या नहीं
161.	2704	कोयले का, लिग्नाइट का या पीट का, कोक और अर्द्ध कोक, चाहे संपीडित है या नहीं ; रिटार्ट कार्बन
162.	2705	कोयले गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस और वैसी ही गैसों, जो पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन से भिन्न हैं
163.	2706	कोयले से, लिग्नाइट से या पीट से, आसवित टार
164.	2710	केरोसीन तेल पी.डी.एस.
165.	2711 12 00, 2711 13 00, 2710 19 00	इंडियन आयल कारपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा गृहस्थ घरेलू उपभोक्ताओं या गैर-घरेलू ब्रूट प्राप्त (एन.डी.ई.सी.) श्रेणी के उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.)
166.	28	थोरियम आक्सलेट
167.	28	समृद्ध के.बी.एफ.4 (समृद्ध पोटेशियम फ्लूरोबोरेट)
168.	28	समृद्ध तत्वीय बोरोन
169.	28	आणविक ईंधन
170.	2805 11	आणविक ग्रेड सोडियम
171.	2845	भारी जल और अन्य आणविक ईंधन
172.	2853	संपीडित वायु
173.	30	इन्सुलिन
174.	3002, 3006	प्राणी या मानव रक्त वैक्सीन

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण
175.	30	सभी प्रकार के हैपेटाइटिस का पता लगाने के लिए नैदानिक किटें
176.	30	डेस्फेरियोक्सेमाइन टीका या डेफरीप्रोन
177.	30	साइक्लोस्पोरिन
178.	30	औषधिद्रव्य (जिनके अंतर्गत पशु चिकित्सा औषधिद्रव्य हैं) जिनका उपयोग जैव रसायन प्रणालियों में है और जिनका ब्रांड नाम नहीं है
179.	30	मौखिक पुनःनिर्जलीकरण लवण
180.	30	औषध या औषधियां, जिसमें उनके लवण और ईस्टर हैं, और नैदानिक परीक्षण किट, इस अनुसूची से उपाबद्ध सूची 1 में विनिर्दिष्ट
181.	30	इस अनुसूची से उपाबद्ध सूची 2 में विनिर्दिष्ट थोक औषधों से विनिर्मित विनिर्मितयां
182.	3101	सभी माल, उदाहरणार्थ प्राणी या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक, जिन्हें इकाई आघातों में रखा गया है और जिनका ब्रांड नाम है
183.	32	वाटल निष्कर्ष, क्यबरेचो निष्कर्ष, चेस्टनट निष्कर्ष
184.	3202	पूर्व चर्मसंस्करण के लिए एंजाइमीकृत चर्मसंस्करण
185.	3307 41 00	अगरबती
186.	3402	सल्फोनेटित एरंड का तेल, मछली का तेल या स्पर्म तेल
187.	3605 00 10	हस्तनिर्मित दियासलाइयां स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, हस्तनिर्मित दियासलाइयों से, दियासलाई के या दियासलाइयों के संबंध में, जिनके विनिर्माण में, विद्युत की सहायता से साधारणतः निम्नलिखित की सहायता से कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात् :— (i) फ्रेम भराई ; (ii) दियासलाइयों के सिरों के लिए मिश्रण में खपचियों को डूबोना ; (iii) डिब्बियों को तिलियों से भरना ; (iv) दियासलाइयों, पृष्ठावरण या गत्ते के डिब्बों पर लेबल चिपकाना ; (v) पैकिंग करना ।
188.	4001	प्राकृतिक रबड़, वैलाटा, गटा-पार्चा, ग्वायली, चिकल और वैसी ही प्राकृतिक गोंद, प्राथमिक रूप में या प्लेटों, चादरों या पट्टियों में
189.	4016	प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स से बने हुए खिलौना गुब्बारे
190.	4011, 4013	वातिल टायर या आंतरिक ट्यूबें, रबड़ के, उस किस्म के, जिनका उपयोग साइकिलों, साइकिल-रिक्शा और तिपहिया शक्तिचालित साइकिल रिक्शा पर/में किया जाता है
191.	4016	ईरेजर
192.	4101	गोकुलीय (जिसके अंतर्गत भैंस भी है) या अश्वकुलीय प्राणियों की कच्ची खालें और चर्म (जो ताजे या लवणित, शुष्कित, चूनोपचारित, अम्लोपचारित या अन्यथा परिरक्षित हैं, किंतु चर्म संस्कारित, पार्चमेंट प्रसाधित्र या निर्मित नहीं है), चाहे विरोमित या विपाटित हैं या नहीं
193.	4102	भेड़ या मेमने के कच्चे चर्म (जो ताजे या लवणित, शुष्कित, चूनोपचारित, अम्लोपचारित या अन्यथा परिरक्षित हैं, किंतु चर्म संस्कारित, पार्चमेंट प्रसाधित्र या निर्मित नहीं है), चाहे उन सहित या विपाटित हैं या नहीं
194.	4103	अन्य कच्चे चर्म और खालें (जो ताजे या लवणित, शुष्कित, चूनोपचारित, अम्लोपचारित या अन्यथा परिरक्षित हैं, किंतु चर्म संस्कारित, पार्चमेंट प्रसाधित्र या निर्मित नहीं है), चाहे विरोमित या विपाटित हैं या नहीं
195.	4104	गोकुलीय (जिसके अंतर्गत भैंस भी है) या अश्वकुलीय प्राणियों का चर्म संस्कारित या अपघर्षित

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
		चर्म, जिन पर रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं है
196.	4105	भेड़ या मेमने का चर्म संस्कारित या अपघर्षित चर्म, जिस पर ऊन नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं है
197.	4106	अन्य प्राणियों का चर्म संस्कारित या अपघर्षित चर्म, जिस पर ऊन नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं है
198.	4401	चिप या कण रूप काष्ठ ; बुरादा और काष्ठ अपशिष्ट और स्क्रेप, चाहे वह लठ्ठों, इष्टिकाओं, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में संपीडित है या नहीं
199.	4801	अखबारी कागज, रोलों या शीटों में
200.	4823	पंतग
201.	4901	विवरणिकाएं, पर्चे और वैसे ही मुद्रित सामग्री, चाहे एकल शीट में है या नहीं
202.	5004 से 5006	रेशम सूत
203.	5007	रेशम या रेशम अपशिष्ट के व्युत्पन्न फैब्रिक
204.	5104	ऊन का या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम का धूनित स्टॉक
205.	5105	धूनित या कंकतकृत ऊन और सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, धूनित या कंकतकृत
206.	5106 से 5110	ऊन या प्राणी रोम का सूत
207.	5111 से 5113	ऊन या प्राणी रोम की व्युत्पन्न फैब्रिक
208.	5201 से 5203	कपास और कपास अपशिष्ट
209.	5204	कपास सिलाई धागा, चाहे फुटकर विक्रय के लिए है या नहीं
210.	5205 से 5207	कपास सूत [खादी सूत से भिन्न]
211.	5208 से 5212	कपास की व्युत्पन्न फैब्रिक
212.	5301	सभी माल, उदाहरणार्थ सन, जो अपरिष्कृत या संसाधित है, किंतु कटा हुआ नहीं है ; सन के टो और अपशिष्ट (जिनके अंतर्गत सूत के अपशिष्ट और गार्नेटित स्टाक हैं)
213.	5302	असली हैंप (कैनेबिस सटिव एल), जो अपरिष्कृत या संसाधित है, किंतु कटा हुआ नहीं है ; असली हैंप के टो और अपशिष्ट (जिनके अंतर्गत सूत के अपशिष्ट और गार्नेटित स्टाक हैं)
214.	5303	सभी माल, उदाहरणार्थ टैक्सटाइल वास्ट फाइबर, [जूट फाइबर, जो अपरिष्कृत या संसाधित है, किंतु कटा हुआ नहीं है, से भिन्न] इन फाइबरों के टो और अपशिष्ट (जिनके अंतर्गत सूत के अपशिष्ट और गार्नेटित स्टाक हैं)
215.	5305 से 5308	सभी माल [नारियल कयर फाइबर से भिन्न] जिनके अंतर्गत सन, जूट, अन्य टैक्सटाइल वास्ट फाइबर, अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर का सूत है ; कागज सूत
216.	5309 से 5311	अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर, कागज सूत का व्युत्पन्न फैब्रिक
217.	5407, 5408	मानवनिर्मित टैक्सटाइल सामग्रियों का व्युत्पन्न फैब्रिक
218.	5512 से 5516	मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर का व्युत्पन्न फैब्रिक
219.	5705	कयर पायदान, चटाइयां और फर्श की बिछायतें
220.	5809, 5810	कढ़ाई या जरी की वस्तुएं, जैसे, इमी, जरी, कसाब, सैमा, दबका, छुमकी, गोटासितारा, नकाशी, कोरा, शीशे के मनके, बदला, गलजल
221.	60	बुने हुए या क्रोशियाकृत फैब्रिक [सभी माल]
222.	61	परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, जो बुने हुए या क्रोशियाकृत हैं, जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक नहीं है
223.	62	परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, जो बुने हुए या क्रोशियाकृत नहीं हैं, जिनका विक्रय

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण
		मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक नहीं है
224.	63	अन्य निर्मित टेक्सटाइल वस्तुएं, सेट, उतरण और जीर्ण टेक्सटाइल वस्तुएं और चिथड़े, जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक नहीं है
225.	64	जूतादि, जिनका फुटकर विक्रय मूल्य 500 रुपए प्रति जोड़े से अधिक नहीं है, यदि ऐसा फुटकर विक्रय मूल्य स्वयं जूतादि पर ही अमिट रूप से अंकित या उत्कीर्णित है
226.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटें
227.	6904 10 00	निर्माणी ईंटें
228.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइलें
229.	7018	कांच के मनके
230.	84	पवन चक्की, जैसे वायु आधारित आटा चक्की
231.	8413, 8413 91	हैंड पंप और उसके पुर्जे
232.	8419 19	सौर जल हीटर और प्रणाली
233.	8437	बीज, अन्न या शुष्क फलीदार वनस्पतियों की सफाई, छंटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें, कुटाई उद्योग के लिए या धान्य या शुष्क फलीदार वनस्पति के कर्मण के लिए उपयोग की जाने वाले मशीनरी, फार्म प्रकार की मशीनरी से भिन्न, और उनके पुर्जे
234.	84 या 85	निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियां और उनके विनिर्माण के लिए पुर्जे (क) बायो-गैस संयंत्र (ख) सौर विद्युत आधारित युक्तियां (ग) सौर विद्युत जनित्र प्रणाली (घ) पवन चक्की और पवन प्रचालित विद्युत जनित्र (डब्ल्यू.ओ.ई.जी.) (ङ) अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र/युक्तियां (च) सौर लैंटर्न/सौर लैंप (छ) समुद्री लहर/ज्वारीय लहर ऊर्जा युक्तियां/संयंत्र
235.	8601	रेल लोकोमोटिव, जो विद्युत के बाह्य स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा शक्ति हैं
236.	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव ; लोकोमोटिव टेंडर ; जैसे, डीजल-विद्युत लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर
237.	8603	स्वतः नोदितरेल या ट्राम कोच, वैन और ट्रक, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 8604 के हैं
238.	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतः नोदित है या नहीं (उदाहरणार्थ, कर्मशालाएं, क्रेनें, बेलास्ट टेंपर, ट्रकलाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षण यान)
239.	8605	रेल या ट्राम यात्री, जो स्वतः नोदित नहीं है ; सामान वैन, डाकघर कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेल या ट्राम कोच, जो स्वतः नोदित नहीं है (उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 8604 के हैं)
240.	8606	रेल या ट्राम माल वैन और वैगन, जो स्वतः नोदित नहीं है
241.	8607	रेल या ट्राम लोकोमोटिव या चल स्टाक के पुर्जे ; जैसे, बोगियां, बिसल-बोगियां, धूरी और पहिए, और उनके पुर्जे
242.	8608	रेल या ट्राम पथ फिक्सचर और फिटिंग ; रेलों, ट्रामों, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्गों, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन संस्थापनों या विमान-क्षेत्रों के यांत्रिक (जिनके अंतर्गत विद्युत यांत्रिक भी हैं) संकेतन सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर, पूर्वगामियों के पुर्जे
243.	8713	दिव्यांगजनों के लिए गाड़ियां, चाहे उनमें मोटरें लगी हैं या नहीं, या अन्यथा यंत्रनोदित हैं या नहीं
244.	8802	अन्य वायुयान (उदाहरणार्थ, हेलीकाप्टर, विमान), उनसे भिन्न जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए है.
245.	8803	शीर्ष सं0 8802 के माल के पुर्जे
246.	8901	समुद्री पर्यटन पोत, अभियान नौका, फैरी नौका, स्थौरा पोत, बजरा और वैसे ही जलयान, जो

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
		व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए हैं
247.	8902	मत्स्यन जलयान ; मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण और परिरक्षण के लिए कारखाना पोत और अन्य जलयान
248.	8904	कर्णनावें और अपकर्षक यान
249.	8905	हल्का जलयान, फायर फ्लोट, ड्रेजर, प्लवी, क्रेन और अन्य जलयान, जिनकी नौगम्यता उनके मुख्य कार्य की समनुषंगी है ; प्लवी डॉक ; प्लवी या निमज्जनीय प्रवेधन या उत्पादन प्लेटफार्म
250.	8906	अन्य जलयान, जिनके अंतर्गत युद्धपोत और रक्षा नौकाएं हैं, जो नौ दौड़ नौकाओं से भिन्न हैं
251.	8907	अन्य प्लवी संरचनाएं (उदाहरणार्थ, रेफ्ट, टैंक, काफर बांध, अवतरण स्टेज, बोया और बीकन)
252.	अन्य अध्याय	शीर्ष सं0 8901, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907 की वस्तुओं के पुर्जे
253.	90	हृदय नाल-शलाका के साथ उपयोग हेतु हृदयमनी स्टेंट और हृदयमनी स्टेंट प्रणाली
254.	90 या कोई अन्य अध्याय	कृत्रिम गुर्दा
255.	90 या 84	कृत्रिम गुर्दे का व्ययनीय विसंक्रमित डाइलाइजर या माइक्रो बैरियर
256.	90 या अन्य अध्याय	निम्नलिखित वस्तुओं के पुर्जे, अर्थात् :- (i) बैशाखी ; (ii) व्हील चेरर ; (iii) वाकिंग फ्रेम ; (iv) ट्राई साइकिल ; (v) ब्रेलर ; और (vi) कृत्रिम अंग
257.	90 या कोई अन्य अध्याय	साहाय्य युक्तियां, पुनर्वास सहायता और इस अनुसूची में संलग्न सूची 3 में विनिर्दिष्ट असमर्थता के लिए अन्य माल
258.	9405 50 31	केरोसीन दबाव लैन्टर्न
259.	9405 91 00, 9405 92 00 or 9405 99 00	गैस धातु सहित कैरोसीन दबाव लैन्टर्न के भाग
260.	9603 10 00	ब्रूमस्टिक्स
261.	9704	पोस्टेज या राजस्व, स्टॉक-डाक चिह्न, फर्स्ट डे लिफाफे, डाक लेखन सामग्री (स्टॉपित कागज) और उसी तरह शीर्षक 4907 से भिन्न बिना उपयोग या उपयोग के बिना
262.	9705	मुद्रा सिक्के
263.	9804	उपर्युक्त क्रम संख्या 180 में विनिर्दिष्ट, औषध या ओषधियां, जिनके अंतर्गत उनके लवण, ऐस्टर और नैदानिक परीक्षण किटे भी हैं, और उपर्युक्त क्रम सं. 181 में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियां, वैयक्तिक उपयोग के लिए आशयित

सूची 1 [अनुसूची क्रम संख्या 180 देखिए]

- (1) अमिसीन
- (2) एम्फोटेरसिन-बी
- (3) एमरिनोन
- (4) एप्रोटिनिन

- (5) बैक्लोफेन
- (6) ब्लीकामिसिन
- (7) बसुल्फेन
- (8) बी सी जी टीका, आयोप्रोमाइड, आयोट्रोएलन
- (9) क्लोरोम्बुसिल
- (10) कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन
- (11) क्लिंडामाइसिन
- (12) साइक्लोफोस्फामाइड
- (13) डैक्टिनोमाइसिन
- (14) डौनरुबिकिन
- (15) डिसफैरियोक्सामाइन
- (16) डिमरकाप्रोल
- (17) डिसोपिरामाइड फास्फेट
- (18) डोमामाइन
- (19) एप्टिफिबाटाइड
- (20) ग्लूकागान
- (21) हाइड्रोक्सीयूरिया
- (22) आइसोप्रेनालाइन
- (23) आइसोफ्लूरैन
- (24) लैक्टुलोज
- (25) लोमुस्टाइन
- (26) लैटनोप्रोस्ट
- (27) मेलफालेन
- (28) मेसना
- (29) मेथोट्रेक्सेट
- (30) एमएमआर (मीसल्स, मम्प्स और रुबेला) टीका
- (31) स्टिन हाइड्रोक्लोराइड
- (32) पैंकुरोनियम ब्रोमाइड
- (33) प्राजिक्वैटल
- (34) प्रोटामाइन
- (35) क्विनिडाइन
- (36) सोडियम क्रोमोग्लाइकेट स्पिनकैप्स और कार्ट्रिज
- (37) सोडियम ह्यालैरोनैटेस्ट्राइल 1% और 1.4% घोल
- (38) सैमोटोस्टेटिन
- (39) स्ट्रोनसियम क्लोराइड (85 सिर.)
- (40) थियोग्वनाइन
- (41) टोब्रामाइसिन
- (42) टेटेनसइम्यूनोग्लोबिन
- (43) टायफाइड टीके:
 (क) 6-एंटीजेनोफसलमोनेल्ला टाइफी, और
 (ख) टीवाई2लासेलसेंडएडेन्यूएटेडनन-पैथोजैनिकस्ट्रेन्स आफएस.टाइफी
- (44) ट्रेटिनोइन
- (45) ट्रिबाविरिन/रिब्राविरिन
- (46) यूरोकनीज
- (47) अर्सओक्सोडिक्सोक्लोरिक अम्ल
- (48) वैनकोमिसिन

- (49) वैसओपरिसिन
- (50) वैकुरोनियमब्रोमाइड
- (51) जिडोवुडिन
- (52) 5-फ्लूरोयूरेसिल
- (53) पेगुलेटेड लिपोसोमल डाक्सरक्यूलिन, हाइड्रोक्लोरिक इन्जेक्शन
- (54) आवश्यक एमिनो अम्ल केटानालाग विनिर्मिति
- (55) पेरागोलाइड
- (56) ट्रोपोनिन-टी ऐसे बेड साइड के लिए किट
- (57) ट्रांसप्लांट मिटिफोसीन ट्रांसप्लांट के लिए भंडारण, परिवहन, क्लशिंग के लिए घोल
- (58) मिल्टीफोसीन
- (59) मिल्लीनन लैक्टेट
- (60) मेथोक्सीइसोब्यूटाइलआसोनिट्रिल (एमआईबीआई)
- (61) हेमोफिलसइल्ल्यूएंजा टाइप बी टीका
- (62) माइकोफनोलेटसोडियम
- (63) वरटेपोर्फिन
- (64) डेक्लीजुमेब
- (65) गंसिक्लोविर
- (66) ड्रोटेकोगिन अल्फा (उत्प्रेरित)
- (67) रिकांबिनेट कोगुलेशन कारक 8ए उत्प्रेरित एप्टाकाग अल्फा
- (68) म्यूरोनाब सीडी 3
- (69) जापानी एंकोफिलेंटस टीका
- (70) वल्लौंसिक्लोविर
- (71) निम्न मोलोक्यूलियर भार हैपरिन
- (72) ईफेविरेंज
- (73) एमिट्रीसिटारबिन;
- (74) एजाथिओप्रिन;
- (75) एंटीनोमाइसिन डी ;
- (76) साइटोसिन अराबिनोसाइड (सिटाराबिन);
- (77) विनब्लास्टिन सल्फेट
- (78) विनक्रिस्टिन ;
- (79) यूरोकोलिस घोल ;
- (80) ऐवरोलिमस टैबलेट/डिस्पर्सिबिल टैबलेट ;
- (81) पोरेक्टांटाल्फा
- (82) ट्रोपोनिन-आई संपूर्ण ब्लड परीक्षण किट ;
- (83) बीटिंग हार्ट सर्जरी के लिए ब्लोअर/मिस्ट किट
- (84) फ्लूरा एंजाइम इम्यूनो ऐसे डायग्नास्टिक किट्स
- (85) टेब्लेट टेल्बवुडाइन
- (86) इंजेक्शन एक्सनाटाइड
- (87) डीटीएपी-आईपीवी- हिबोर पीआरपी-टी समुच्चय टीका
- (88) न्यूमोकोक्कल-7 वेलेंट कंजुगेट टीका (डिप्थीरिया सीआरएम 197 प्रोटीन)
- (89) इंजेक्शन थाइरोट्रोपिन अल्फा
- (90) इंजेक्शन ओमलिजुमैब
- (91) अबेटासेप्ट
- (92) डेप्टोमाइसिन
- (93) ऐंटेसेविर

- (94) फोंडापेरिनक्स सोडियम
- (95) एन्फ्यूऐजा टीका
- (96) इक्साबेपिलोन
- (97) लेपाटेनिब
- (98) पेगाप्टेनिब सोडियम इंजेक्शन
- (99) संटिनिब माल्टे
- (100) टोसिलीजुबांब
- (101) एगलसिडनेस बेटा
- (102) एिनडुलाफंगिन
- (103) कैप्सोफंगीनेसेटेट
- (104) डेस्प्लुरेन यूएसपी
- (105) गैलेटिन और मानवीय थ्रोबिन के साथ हेमोस्टेटिक मैट्रिक्स
- (106) इमिगजूकेरेज
- (107) मरविरोक
- (108) रेडियोग्राफी कांटेस्ट मीडिया (सोडियम और मेगाल्यूमिन इक्सोटाैलिमेट, इओविदरिडाल और सोडियम तथा मेगलूमाइन इओक्सागिलेट
- (109) सोराफेनिबटोसिलेट
- (110) वरेनसिलिन टारट्रेट
- (111) 90 वाईट्रियम
- (112) निलोटिनिब
- (113) इंजेक्शन के लिए सस्पेंशन 13 वेलवेट एब्साबर्ड न्यूमोकोक्लाइसिरिड टीका
- (114) इंजेक्शन के लिए माइकाफंगिन सोडियम
- (115) बिवेजिउमेब
- (116) रेलटेग्राविल पोटेशियम
- (117) रोटवायरस टीका (लिव ओरल पेंटावैलेंट)
- (118) न्यूमोकोक्ल पोलिसैकरिड टीका
- (119) इंजेक्शन के लिए इंफ्यूजन हेतु संकेंद्रण टेमसिरोलिमस
- (120) नेटलीजुमब
- (121) ओस्ट्रिओटिड
- (122) सोमाट्रोपिन
- (123) ओरोथिओमलेट सोडियम
- (124) एस्पेराग्निज
- (125) एगुलेटिन सेरा
- (126) एंटी-डिप्थीरिया सामान्य मानव इम्यूनो ग्लोबुलिन
- (127) एंटी-ह्यूमेन लिंफोसिट इम्यून ग्लोबुलिन 4
- (128) एंटी-ह्यूमेन थाइमोसिट इम्यूनो ग्लोबुलिन 4
- (129) एंटी-परटुसिस सामान्य मानव इम्यूनो ग्लोबुलिन
- (130) एंटी-प्लेग्युसिरम
- (131) एंटी-स्यूडोमोनस सामान्य मानव इम्यूनो ग्लोबुलिन
- (132) बासिलिक्समब
- (133) बेरेक्टेंट इंटरा-ट्रेकहिल सस्पेंशन
- (134) ब्लडग्रुपसेरा
- (135) बोटुलिनम टाक्सिन टाइप ए
- (136) बर्न थेरेपी ड्रसिंग सोकड इन जैल
- (137) बोविन थ्रोम्बिन फोन इनविट्रो टेस्ट फार डायग्नोसिस इन हैम्रेजिक डिआर्डर्स
- (138) बोविन अल्लुमिन

- (139) ब्रेथिलियम टोसिलेट
(140) कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेड
(141) करमस्टिन
(142) सेसियम ट्यूब्स
(143) कैल्शियम फोलिनेट
(144) कोलेस्ट्रामिन
(145) क्रिसमस फैक्टर कंसन्ट्रेट (कोगुलेशन फैक्टर 9 प्रोथ्रोबिन कांप्लेक्स कंसन्ट्रेट)
(146) कोबाल्ट -60
(147) कोर्ट्रकोट्रोफिन
(148) सायनामाइड
(149) हेपेटाइटिस बी एंटीजन की पहचान के लिए डायग्नोस्टिक एजेंट
(150) एचआईवी एंटीबाडीज की पहचान के लिए डायग्नोस्टिक किट्स
(151) डिप्थीरिया एंटीटाक्सिनसेरा
(152) डायजआक्साइड
(153) एंड्रोफोनियम
(154) एंजाइम लिंकड इम्यूनो एब्जाबेंट एससे किट (एलिसा किट)
(155) एपिरुबिसिन
(156) फायब्रिनोजेन
(157) फ्लोक्सुरिडिन
(158) फ्लुसिटोसिन
(159) फ्लिकेनाइड
(160) फ्यूडरेबिन फास्फेट
(161) फोएटल बोवाइन सीरम (एफबीएस)
(162) गेडोलिनियम डीटीपीएडी इमेग्लूमिन
(163) गेलियम सिट्रेट
(164) गैसगैंग्रीन एंटी-टाक्सिन सीरम
(165) गोसर्लिन एसिटेट
(166) हेपेटाइटिस बी इम्यूनो ग्लोबुलिन
(167) हेक्सामिथाइलमेलामाइन
(168) हाइड्रालेजिन
(169) इडारुबिसिन
(170) इडाक्सुरिडिन
(171) डीआईसी में नैदानिक परीक्षण के लिए प्रत्यक्ष प्राक्कलन हेतु रक्त फाइब्रिनोजेन अवक्रमण उत्पाद के लिए प्रतिरक्षा जांच किट
(172) निष्क्रिय रेबीज टीका (मानवीय डिप्लोएडसेल)
(173) निष्क्रिय रेबीज टीका (वेरो सेल)
(174) अंतःशिरा एमिनो एसिड
(175) अंतःसिास वसा इमल्शन
(176) आईओपामीडोल
(177) आईओहेक्सोल
(क) इंडियम (3) इन्वेल्योमाइसिन
(ख) इंडियम 113 रोगाणुहीन जनित्र और घावपृथक्कन उपकरण
(ग) इंडियम 113 मस्तिष्क स्केनिंग किट युक्त
(घ) इंडियम 113 लिवर स्केनिंग किट
(178) आइस्केडार, सीएलआईए नैदानिक किट
(179) बेंजेरेजिन युक्त लेवापोडा
(180) लेनोग्रास्टिम

- (181) मेनिनगोकोक्कोल ए और सी संयुक्त वैक्सीन तनु कारक विलायक युक्त
- (182) मेथिसिलिन
- (183) तनू कारक युक्त मैट्रिजामाई इंजेक्शन
- (184) मोनोकोम्पोनेंट इन्सुलिन
- (185) माइको फेनोलेट मोफेटिल
- (186) सामान्य मानव प्लाजमा
- (187) सामान्य मानव प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन
- (188) आणविक मैग्नेटिक प्रतिध्वनि विषमकर्मक
- (189) सामान्य मानव सिरम एल्बुमिन
- (190) पेंसिललामाइन
- (191) पेंटामिडाइन
- (192) पेनिसिल्लिनेसे
- (193) पोलियोमिएलिटिस वैक्सीन (निष्क्रिय और जीवन्त)
- (194) पोटैशियम मिनोबेंज़ोएटे
- (195) पोरसाइन इन्सुलिन जिंक सस्पेंशन
- (196) प्रिनिमुस्टाइन
- (197) पोरसाइन और बुवाइन इन्सुलिन
- (198) शुद्ध चूजा भ्रूण कोशिका रेबीज वैक्सीन
- (199) पाइराइडोस्टिगमाइन
- (200) न्युमोसिस्टिस्केरिनि आईएफ किट्स
- (201) प्रोस्टाग्लैंडाइन ई 1) पीजीई 1)
- (202) हार्मोन्स के लिए रेडियो इम्युनो जांच किट) -टी 3, टी 4, टीएसएच, इन्सुलिन, ग्लूकोजेन, ग्रोथ हॉर्मोन ,कोर्टिसोल ,एल.एच., एफएसएच और डाइगोक्सीन(
- (203) रेडियोआइसोटोप टी 1 201
- (क) पीटी परीक्षण के लिए रैबिट ब्रेन थ्रोम्बोप्लास्टिन
- (ख) पीटी परीक्षण के लिए अभिकर्मक
- (ग) टीटी परीक्षण के लिए मानवीय थ्रोम्बाइन
- (204) अश्व वंश के रेबीज प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन
- (205) सेवोफ्लूरेन
- (206) रेकुरोनियम ब्रोमाइड
- (207) सेप्टोपल मनके और शृंखलाएं
- (208) सोडियम आर्सीनेट
- (209) मानवीय फोलिकल उत्तेजक और पीतकारी हार्मोन्स के हिमशीतित शुष्क रूप

- (210) न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के घोल
- (211) विनिर्दिष्ट असंवेदीकारी वैक्सीन
- (212) शल्य वाहिका रक्तस्राव के नियंत्रण के लिए निर्जीवाणुक अवशोषीय हेमोस्टट
- (213) स्ट्रोन्टियम एसआर- 89 क्लोराइड
- (214) शुष्कामेंथोनियम क्लोराइड
- (215) सेलेनियम -75
- (216) टीकोप्लेनिन
- (217) टेट्रोफास्मिन
- (218) टाइकर्सॉइलिन
- (219) ट्रेनेक्सामिक अम्ल
- (220) टोकैनाइड
- (221) ट्राई-आइडोथाइरोनाइन
- (222) ट्राई- थाईलिन टेट्रामाइन
- (223) थ्रोम्बोकाइनेस
- (224) टेनिओसाइड
- (225) ट्रांस -1- डाईअमीनो साइक्लोहेसेन आक्सालेटो प्लेटिनम
- (226) टिकार्सिलीन डिसोडियम और पोटैशियम क्लोवुलानेट संमिश्रण
- (227) विंडसीन सल्फेट
- (228) एक्सरे नैदानिक कर्मक निम्नलिखित :--
- (a) प्रोपिलाइडोन
- (b) एथाइलियोडोफिनाइलुन्डिकाइलेट
- (c) आयोडीपेमिडेमीथाइल्युकेमाइन
- (d) लिपिडोलूट्राफ्युइड
- (e) पेंटेटब्लू
- (f) जेलसाइटेबाइन
- (229) ज़ोलेड्रॉनिक अम्ल
- (230) हीमोफिलिक रोधी घटक सांद्र (VIII और IX)

सूची 2 (अनुसूची का क्र.सं. 181 देखें)

- (1) स्ट्रेप्टोमाइसिन
- (2) आइसोनियाजिड
- (3) थायासेटोजोन
- (4) इथिमबोटोल

- (5) सोडियम पीएस
- (6) पाइराजाइनामाइड
- (7) डैपसोने
- (8) क्लो-फेजोमिन
- (9) टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड
- (10) पाइलोकार्पिन
- (11) हाइड्रोकोर्टिसोने
- (12) आइडोएग्जुअवरीडाइन
- (13) एसिटोजोलोमाइड
- (14) एड्रोपिन
- (15) होमेट्रोपान
- (16) क्लोरोक्विन
- (17) एमोडायाक्विन
- (18) कुनीन
- (19) पायरीमिथेमिन
- (20) सल्फेमैथोपाइरीजिन
- (21) डाइथाइल कार्बामेजीन
- (22) आर्टीथर या आर्टेमिसिनिन

सूची 3 (अनुसूची का क्र. सं. 257 देखें)

- (क) (1) ब्रेल राइटर और ब्रेल लेखन यंत्र
- (2) हस्तलिपि उपकरण ब्रेल फ्रेम, स्लेट, राइटिंग गाइड, आलेखक गाइड, स्टाइली, ब्रेल अपमार्जक
- (3) बेंत, ध्वनिक गाइड
- (4) दृष्टि, पर्यावरणीय संवेदक जैसे इलेक्ट्रानिक साहाय्य
- (5) टेलर फ्रेम (अंकगणित और बीजगणित किस्म) जैसे अंकगणित सहायक, कुबेरिथम, व्याख्यान या ब्रेल संगणक
- (6) संयुक्त ग्राफ और गणितीय प्रदर्शन बोर्ड जैसे ज्यामितीय साहाय्य ब्रेल चांदा, स्केल, कंपास और स्पार व्हील
- (7) इलेक्ट्रानिक मापन उपस्कर जैसे कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, कंफैरेटर्स, गेज ब्लाक लेवल, रेखाएं, रेखक और यार्डस्टिक्स
- (8) ड्राफ्टिंग, रेखाचित्र सहायक, स्पर्श प्रदर्श
- (9) विशेष रूप से अनुकूलित बड़ी घड़ियां और घड़ियां
- (ख) (1) पहली अनुसूची की शीर्ष सं. 90.21 के अंतर्गत आने वाले हड्डी रोग साधित्र
- (2) पहली अनुसूची की शीर्ष सं. 87.13 के अंतर्गत आने वाली व्हील चेयर

- (ग) कृत्रिम इलेक्ट्रानिक स्वर यंत्र और उनके पुर्जे
- (घ) कृत्रिम इलेक्ट्रानिक कान (कोचलियर इम्प्लान्ट)
- (ड.) (1) सवाक् पुस्तकें (कैसेटों, डिस्कों या अन्य ध्वनि प्रतिकृतियों के रूप में) तथा बृहत् प्रिंट पुस्तकें, ब्रेल उत्कीर्णक, सवाक् संगणक, सवाक् थर्मामीटर
- (2) ब्रेल और अभिलिखित सामग्री की यांत्रिकी या कम्प्यूटरीकृत उत्पादन संबंधी उपस्कर जैसे ब्रेल कम्प्यूटर टर्मिनल और डिस्प्ले, इलेक्ट्रानिक ब्रेल, अंतरण और दाब मशीनें तथा मुद्रण फलक मशीनें
- (3) ब्रेल कागज
- (4) सभी मूर्त साधित्र के अंतर्गत नेत्रहीन व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित वस्तुएं, यंत्र और उपकरण
- (5) नेत्रहीन व्यक्ति की गतिशीलता सुधारने के लिए साहाय्य जैसे इलेक्ट्रानिक अभिसंस्करण और बाधाखोजी साधित्र तथा श्वेत केन
- (6) नेत्रहीन व्यक्ति की शिक्षा, पुनर्वास, व्यवसायिक प्रशिक्षण और नियोजन के लिए तकनीकी साहाय्य जैसे ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल घड़ियां, शिक्षण और विद्या साहाय्य, खेल और नेत्रहीन व्यक्ति के उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुकूलित अन्य यंत्र और व्यवसायी साहाय्य
- (7) सहायक श्रवण युक्तियां, आडियो मीटर
- (8) बाह्य कैथेटर्स, बेड सोर्स को रोकने वाले विशेष जेली वाले गद्दे, स्टेयर लिफ्ट, मूत्र संग्रहण थैलियां
- (9) अत्यंत रूप से शारीरिकतः दिव्यांग रोगियों के लिए यंत्र और रोपन तथा जोड़ों का प्रतिस्थापन, मेरुदंड यंत्र और रोपन, जिनके अंतर्गत बोन सीमेंट भी है।

अनुसूची II – 6%

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/टेरिफ मद	माल का वर्णन
1.	01012100 010129	जीवित अश्व
2.	0202	गोकुलीय प्राणियों का मांस, हिमशीतित और यूनिट आधानों में रखा हुआ
3.	0203	सुअर का मांस, हिमशीतित और यूनिट आधानों में रखा हुआ
4.	0204	भेड़ या बकरे का मांस, हिमशीतित और यूनिट आधानों में रखा हुआ
5.	0205	अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का मांस, हिमशीतित और यूनिट आधानों में रखा हुआ
6.	0206	गोकुलीय प्राणियों, सुअर, भेड़, बकरे, अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का खाद्य अवशिष्ट, हिमशीतित और यूनिट आधानों में रखा हुआ
7.	0207	शीर्ष सं. 0105 के कुक्कुट का मांस और खाद्य अवशिष्ट, हिमशीतित और यूनिट आधानों में रखा हुआ
8.	0208	अन्य मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, हिमशीतित और यूनिट आधानों में रखा हुआ
9.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा अपरिष्कृत या अन्यथा निष्कर्षित, हिमशीतित और यूनिट आधानों में रखा हुआ
10.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या अन्यथा निष्कर्षित, लवणित, लवण जल में रखा हुआ, शुष्कित या धूमित यूनिट आधानों में रखा हुआ
11.	0210	मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, लवणित, लवण जल में रखा, शुष्कित या धूमित यूनिट आधानों में रखा हुआ, मांस या मांस अवशिष्ट का खाद्य आटा और अवचूर्ण
12.	0405	दूध से प्राप्त मक्खन और अन्य वसा (अर्थात् घी, मक्खनीय तेल आदि) और तेल, डेयरी स्प्रेड

13.	0406	पनीर
14.	0801	ब्राजील नट, शुष्कित चाहे कवच युक्त या छिलका रहित हो या नहीं
15.	0802	अन्य दृढ़ फल, शुष्कित, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हैं या नहीं, जैसे बादाम, पिंघल का फल या फिलबर्ट (कारिलस सभी जातियां), अखरोट, चैस्टनट (कैसटेनिया सभी जातियां), पिस्ता, माकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला सभी जातियां) (शुष्कित अरेका अखरोट से भिन्न)
16.	0804	छुआरा, अंजीर, अनन्नास, एवोकेडोस, अमरूद, आम और मंगुष्ठ, शुष्कित
17.	0813	फल, शुष्कित, उससे भिन्न जो शीर्ष 0801 से 0806 तक में है; अध्याय 8 के दृढ़ फलों या शुष्कित फलों के मिश्रण
18.	1108	स्टार्च; इनुलिन
19.	1501	सुअर वसा (जिसके अन्तर्गत सुअर की चरबी भी है) और कुक्कुट वसा, शीर्ष 0209 या शीर्ष 1503 से भिन्न
20.	1502	गोकुलीय प्राणी, भेड़ो या बकरियों की वसा, शीर्ष 1503 में वर्णित से भिन्न
21.	1503	शूकर वसा स्टिअरिन, शूकर वसा तेल, ओलिओस्टिअरिन, ओलियों तेल और चरबी तेल जो पायसीकृत या मिश्रित या अन्यथा निर्मित नहीं है
22.	1504	मत्स्य या समुद्री स्तनपायियों की वसा और तेल तथा उनके प्रभाज चाहे परिष्कृत है या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है
23.	1505	ऊन ग्रीज और उससे व्युत्पन्न वसा पदार्थ (जिसे अन्तर्गत लेनोलिन है)
24.	1506	अन्य प्राणी वसा और तेल तथा उनके प्रभाज चाहे परिष्कृत हैं या नहीं किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है
25.	1516	प्राणी वसा तेल और उनके प्रभाज, भागतः या पूर्णतः हाईड्रोजनीकृत, अंतरएस्टरीकृत, पुनः एस्टरीकृत या इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत है या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं है
26.	1517	खाद्य तेलों के मिश्रण या प्राणी वसाओं या प्राणी तेलों की निर्मितियों या शीर्ष सं. 1516 की खाद्य वसा या तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न इस अध्याय के विभिन्न प्राणी वसाओं या प्राणी तेलों या उनके प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निर्मितियां
27.	1518	प्राणी वसा और प्राणी तेल और उनके प्रभाज, कथित, आक्सीकृत निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, भ्रमित, निर्वात या अक्रिया गैस में उष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको छोड़कर जो शीर्ष सं. 1516 के अन्तर्गत आते हैं, इस अध्याय के प्राणी या वनस्पति वसा या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के अखाद्य मिश्रण या निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है।
28.	1601	मांस, मांसावशिष्ट या रक्त के सासेज और वैसे ही उत्पाद, इन उत्पादों पर आधारित खाद्य निर्मितियां
29.	1602	अन्य निर्मित या परिरक्षित मांस, मांसावशिष्ट या रक्त
30.	1603	मांस, मछली या क्रस्टेशिया, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी के निष्कर्ष और रस
31.	1604	निर्मित या परिरक्षित मछली, मछली के अंडे से निर्मित केवियर और उसके केवियर के अनुकल्प
32.	1605	निर्मित या परिरक्षित क्रस्टेशिया, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकी
33.	2001	वनस्पतियां, फल, दृढ़ फल और पौधों के अन्य खाद्य भाग जो सिरका या ऐसेटिक अम्ल द्वारा निर्मित या परिरक्षित हैं
34.	2002	टमाटर, जो सिरका या ऐसेटिक अम्ल से अन्यथा निर्मित या परिरक्षित है
35.	2003	खुम्बी और ट्रफल जो सिरका या ऐसेटिक अम्ल से अन्यथा निर्मित या परिरक्षित है
36.	2004	शीर्ष सं. 2006 के उत्पादों के अलावा अन्य वनस्पतियां, जो सिरका या ऐसेटिक अम्ल से अन्यथा निर्मित या परिरक्षित हैं हिमशीतित

37.	2005	शीर्ष सं. 2006 के उत्पादों के अलावा अन्य वनस्पतियां, जो सिरका या ऐसेटिक अम्ल से अन्यथा निर्मित या परिरक्षित हैं हिमशीतित नहीं
38.	2006	चीनी में परिरक्षित सब्जियां, फल, दूढ़ फल, फल का छिलका और पौधों के अन्य भाग (अपवाहित प्रलेपित या क्रिस्टलित)
39.	2007	जैम, जैली फल, मार्मलेड, फल या दूढ़फल पुरी और फल या दूढ़फल पेस्ट, जो पकायी गई निर्मितियां हैं, चाहे उनमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण पदार्थ हैं या नहीं
40.	2008	फल, दूढ़फल और पौधों के अन्य खाद्य भाग, जो अन्यथा निर्मित या परिरक्षित हैं, चाहे उनमें चाहे उनमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण पदार्थ या स्पिरिट हैं या नहीं जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, जैसे मूंगफली, भुना हुआ या नमक मिलाया हुआ या तला हुआ या लवणित काजू, अन्य भुने हुए दूढ़ फल और बीज, आम, नींबू, संतरा, अनन्नास या अन्य फलों के शरबत
41.	2009	फलों के रस (जिनके अन्तर्गत अंगूर की कच्ची शराब भी है) और वनस्पतियों के रस जो अकिण्वित हैं और जिसमें स्पिरिट नहीं मिलाई गई है, चाहे उसमें चीनी या मधुरण द्रव्य मिलाए गए हैं या नहीं
42.	2101 30	भर्जित कासनी और अन्य भर्जित काफी के अन्य अनुकल्प और उनके निष्कर्ष, सत्व और सांद्र
43.	2102	यीस्ट और निर्मित बैकिंग पाउडर
44.	2103 (2103 90 10, 2103 90 30, 2103 90 40 से भिन्न)	सासेज और उसके लिए निर्मितियां (करीपेस्ट, मेओनाइस और सलाद प्रतिसारण, मिश्रित मसाला और मिश्रित स्वादवर्धक से भिन्न)
45.	2106	संव्यूतित वनस्पति प्रोटीन (सोयाबड़ी) और दालों से बनी बड़ी, जिसके अन्तर्गत मूंगोड़ी भी है
46.	2016 90	नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबैना और उपभोग के लिए तैयार वैसी ही खाद्य निर्मितियां
47.	2202 90 10	सोया दुग्ध पेय
48.	2202 90 20	पेय आधारित फल लुगदी या फल रस
49.	2202 90 90	यूनिट आधान में रखा गया कच्चा नारियल जल और जिस पर रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो
50.	2202 90 30	दूध से युक्त सुपेय
51.	2515 12 10	संगमरमर, ट्रेवर्टाईन ब्लाक
52.	2516	ग्रेनाइट ब्लाक
53.	28	निश्चेतनविज्ञान
54.	28	पोटेशियम आयोडेट
55.	28	भाप
56.	28	सूक्ष्म पोषक तत्व, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की अनुसूची 1, भाग (क) की क्रम संख्यांक 1(च) के अन्तर्गत आते हैं और ऐसे विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं
57.	2801 20	आयोडीन
58.	2847	ओषधीय ग्रेड हाइड्रोजन परआक्साइड
59.	29	गिब्वरेलिक अम्ल
60.	3001	अंग-चिकित्सीय उपयोगों के लिए ग्रंथियां और अन्य अंग, शुष्कित, चाहे चूर्ण है या नहीं, अंग चिकित्सीय उपयोगों के लिए ग्रंथियों या अन्य अंगों के या उनके स्राव से निष्कर्ष, हैप्रिन और उसके लवण, चिकित्सीय या रोग निरोधी उपयोगों के लिए तैयार किए गए अन्य मानव या प्राणी पदार्थ जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं।

61.	3002	चिकित्सीय रोग निरोधी या नैदानिक उपयोगों के लिए तैयार किया गया प्राणी रक्त, प्रतिसीरम और अन्य रक्त प्रभाज और उपांतरित प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, चाहे वे जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से रुपान्तरित या प्राप्त किए गए हों या नहीं, आविष, सूक्ष्मजीवी (यीस्ट को छोड़कर के संवर्ध और वैसे ही उत्पाद)
62.	3003	औषधीय द्रव्य (जिनमें शीर्ष सं. 30.02, 30.05 या 30.06 के माल नहीं हैं) जिनमें दो या अधिक संघटक हैं जो चिकित्सीय या रोग निरोधी उपयोगों के लिए एक दूसरे के साथ मिश्रित किए गए हैं किंतु जो मापित मात्राओं में या रूपों में पैकिंगों में फुटकर विक्रय के लिए नहीं रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या बायोकेमिकपद्धति औषधियां भी हैं।
63.	3004	औषधीय द्रव्य(जिनमें शीर्ष सं. 30.02 , 30. 05 या 30.06 के माल नहीं हैं) जिनमें चिकित्सीय या रोग निरोधी उपयोगों के लिए संमिश्रित या मिश्रित उत्पाद हैं जो मापित मात्राओं में (जिसमें वे भी हैं, जो ट्रांसडर्मल उपयोग प्रणाली के रूप में है) या फुटकर विक्रय के लिए रूपों में या पैकिंगों में, जिनके अंतर्गत आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या बायोकेमिक पद्धति औषधियां हैं, फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं।
64.	3005	वेंडिंग, गाज, पट्टियां और वैसी ही वस्तुएं (उदाहरणार्थ, मरहम पट्टी, आसंजक प्लास्टर, पुल्टिस) जो भैषजिक पदार्थों से संसेचित या विलेपित हैं या जो चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंतकी या पशु चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय के लिए रूपों में या पैकिंगों में रखे गए हैं।
65.	3006	इस अध्याय के टिप्पण 4 में विनिर्दिष्ट भैषजिक माल [अर्थात् निर्जीवाणु शल्य चिकित्सीय बिडाल दंत वैसी ही निर्जीवाणु शल्य सीवन सामग्री (जिसके अंतर्गत निर्जीवाणु अवशोष्य शल्य चिकित्सीय या दंत सूत भी हैं) और निर्जीवाणु उत्तक आसंजक चिकित्सीय घाव बंद करने के लिए, निर्जीवाणु लेमिनेरिया और निर्जीवाणु लेमिनेरिया टेंट, निर्जीवाणु अवशोष्य शल्य चिकित्सीय या दंत रक्त स्तंभक ; निर्जीवाणु शल्य चिकित्सीय या दंत आसंजन रोक, चाहे अवशोष्य हो या नहीं ; अपशिष्ट भैषजी][गर्भनिरोधक से भिन्न]
66.	3102	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाट्रोजनी, उनसे भिन्न जिनका उर्वरकों के रूप में स्पष्टतया उपयोग नहीं किया जाना है।
67.	3103	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फास्फेटिक, उनसे भिन्न जिनका उर्वरकों के रूप में स्पष्टतया उपयोग नहीं किया जाना है।
68.	3104	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटाशिक, उनसे भिन्न जिनका उर्वरकों के रूप में स्पष्टतया उपयोग नहीं किया जाना है।
69.	3105	खनिज या रासायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम में से दो या तीन उर्वरक तत्व अंतर्विष्ट हैं ;अन्य उर्वरक ; इस अध्याय के माल, टिकियों या वैसे ही रूपों में या पैकेजों में जिनका कुल भार 10 किलोग्राम से अधिक नहीं है, उनसे भिन्न जिनका उर्वरकों के रूप में स्पष्टतया उपयोग नहीं किया जाना है।
70.	3215	फाउंटेन पेन की स्याही
71.	3215	बाल पेन की स्याही
72.	3306 10 10	दूध पाउडर
73.	3307 41 00	गन्धयुक्तनिर्मितियां,[अगरवत्तियों से भिन्न] जिनका जलाकर उपयोग किया जाता है।
74.	29,30, 3302	निम्नलिखित माल अर्थात् :— (क) मेंथाल और मेंथाल क्रिस्टल,

		(ख) पिपरमिन्ट (मेंथा आयल), (ग) प्रभाजित/तारपीन तेल के बिना मेंथा तेल (डीटीएमओ) (घ) अमेंथलकृत तेल (डीएमओ), (ङ) स्पियरमिन्ट तेल, (च) मेंथा पाइपेरिटा तेल
75.	3406	मोमबती, टैपर और वैसी ही वस्तुएं
76.	3701	चिकित्सा उपयोग के लिए एक्सरे हेतु फोटो चित्र प्लेटे और फिल्म
77.	3705	फोटो चित्र प्लेटे और फिल्में, उद्भाषित और डेवेलप की गई, चलचित्रिय फिल्म से भिन्न
78.	3706	फोटो चित्र प्लेटे और फिल्में, उदभाषित और डेवेलप की गई, चाहे उनमें ध्वनि पट्टी है या नहीं या केवल ध्वनि पट्टी है, फीचर फिल्मों से भिन्न
79.	3818	सिलिकान वैफर
80.	3822	सभी नैदानिक कीटें और अभिक्रमक
81.	3926	पोषण बोतल
82.	3926	प्लास्टिक मनके
83.	4007	लेटेक्स रबड़ धागा
84.	4014	पोषण बोतल निपल
85.	4015	शल्य चिकित्सीय रबड़ दस्ताने या चिकित्सीय जांच रबड़ दस्ताने
86.	4107	गोकुलीय, जिसके अंतर्गत भैंस भी है या अश्व कुलीय प्राणियों का चर्मशोधन या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पार्चमेंट प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या है नहीं, उस चमड़े से भिन्न जो शीर्ष 4114 में है।
87.	4112	भेड या मेमने का चर्म शोधन या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत भेड या मेमने का पार्चमेंट-प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊन नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं उस चमड़े से भिन्न, जो शीर्ष संख्या 4114 में है।
88.	4113	अन्य प्राणियों का चर्म शोधन या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पार्चमेंट - प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊन या रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं उस चमड़े से भिन्न, जो शीर्ष संख्या 4114 में है।
89.	4114	सांभर (जिसके अंतर्गत संयोजन सांभर है) चमड़ा, पेटेंट चमड़ा और पेटेंट पट्टिलित चमड़ा; धात्वीकृत चमड़ा।
90.	4115	चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार वाली संरचना, चमड़ा, सिल्लियों, चादरों या पट्टी में, चाहे रोल में है या नहीं; चमड़े या संरचना चमड़े की कतरने और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है; चमड़ा धूल, चूर्ण और आटा।
91.	4203	दस्ताने जो विशेष रूप से खेलों में प्रयोग के लिए अभिकल्पित है।
92.	44 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित माल अर्थात् :— (क) सीमेंट बंधित कणिका बोर्ड,

		(ख) जूट पार्टिकल बोर्ड, (ग) चावल भूसी बोर्ड, (घ) ग्लास फाइबर प्रवर्तित जिप्सम बोर्ड (जीआरजी), (ङ) सीसल फाइबर बोर्ड, (च) बैगासी बोर्ड, और (छ) कपास तना कणिका बोर्ड, (ज) कृषि फसल अवशिष्ट से विनिर्मित कणिका/फाइबर बोर्ड
93.	4404	हुपकाष्ठ, विपलित पोल, काष्ठ का स्पूणा, पिकेट और खुंटा, जो नौकदार है किंतु लंबाई में चीरे गए नहीं हैं, काष्ठ की यष्टिकाएं, रुक्ष कर्तित, किंतु खरीदी गई, बंकिंत या अन्यथा कर्मित नहीं हैं, जो टहलने की छड़ियां, छाते, औजारों के हथ्थे या वैसी ही वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयुक्त हैं
94.	4405	काष्ठऊर्ण; काष्ठ विचूर्ण
95.	4406	रेल या ट्राम मार्ग के काष्ठ स्लीपर (क्रास-टाई)
96.	4408	वेनियर के लिए चादरें (जिसके अंतर्गत पटलित काष्ठ को तराश कर प्राप्त की गई चादरें भी हैं), प्लाईवुड या अन्यसमान प्रकार की पटलित काष्ठ और अन्य काष्ठ की चादरें जो लंबाई में चीरे गए, तराशे गए या छाल रहित हैं, चाहे समतलित, रेगमार्जित, जोड़े गए या सिरा-संधित हों या नहीं, जिनकी मोटाई 6 मिलीमीटर से अधिक नहीं है (माचिस की तिल्लियों के लिए)
97.	4415	काष्ठ के पैक के केस, बक्से, क्रेट, ड्रम और वैसी पैकिंगे, काष्ठ के केवल ड्रम ; काष्ठ के प्रपट्टिका, बाक्स प्रपट्टिका और अन्य भार बोर्ड ; काष्ठ के प्रपट्टिका कॉलर
98.	4416	काष्ठ के पीपा, बैरल, वैट, टब और अन्य कूपर के उत्पाद और उनके भाग, जिनके अंतर्गत स्टेव भी हैं ।
99.	4417	काष्ठ के औजार, औजार बाडी, औजारों के हथ्थे, झाडु या ब्रुश की बाडी और हथ्था ; काष्ठ के बूट या जूतो के कालिब और कलबूत ।
100.	4420	काष्ठ पच्चीकारी और जडाऊ काष्ठ, आभूषण या कटलरी के लिए काष्ठ की पेटी और केस और वैसी ही वस्तुएं, काष्ठ की लघु प्रतिमाएं और अन्य अलंकरण ; फर्नीचर की काष्ठ वस्तुएं, जो अध्याय 94 के अंतर्गत नहीं आती हैं
101.	4421	विभिन्न टैक्सटाइल मशीनरी के लिए काष्ठ की अन्य वस्तुएं ; जैसे कपड़े के हैंगर, घुमावदार काष्ठ की चरखी, कुकडी, फिरकी, सिलाई के धागे की रील और वैसे ही, माचिस की तिल्लियां, पेंसिल स्लेट, काष्ठ के भाग अर्थात् पोत, नाव और अन्य ऐसी ही तैरने वाली संरचना के लिए डांड, पैडल और पतवार, खाने बनाने के बर्तन और रसोई के बर्तन के रूप में प्रयुक्त घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग [ब्लॉक तैयार करने वाले काष्ठ संघनित काष्ठ की वस्तुओं, जो अन्यत्र सम्मिलित या विनिर्दिष्ट नहीं हैं, खाने बनाने के बर्तन और रसोई के बर्तन के रूप में प्रयुक्त घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग] ।
102.	4501	प्राकृतिक कार्क अपरिष्कृत या मात्र निर्मित
103.	4601	संग्रथ और संग्रथन सामग्री के वैसे ही उत्पाद, चाहे पट्टियों में समंजित हैं या नहीं संग्रथन सामग्री, संग्रथ और संग्रथन सामग्री के वैसे ही उत्पाद, जो सामांतर गुम्फों में इट्टेबद्ध या व्युपित, चादर के रूप में हैं, चाहे वे परिसज्जित वस्तुएं हैं या नहीं, अन्य वनस्पति सामग्री जैसे बांस के, रैटन के, अन्य वनस्पति सामग्रियों के (उदाहरणार्थ पायदान, चटाई, परदें)
104.	4602	टोकरी कार्य, खपची कार्य और अन्य वस्तुएं, जो संग्रथन सामग्री से प्रत्यक्षतः आकार में बनी हुई हैं या शीर्ष संख्या 4601 के माल से बनी हुई हैं ; लूफा की वस्तुएं ।

105.	4701	यांत्रिक काष्ठ लुग्दी
106.	4702	रासायनिक काष्ठ लुग्दी, घुलनशील लुग्दियां
107.	4703	रासायनिक काष्ठ लुग्दी, सोडा या सल्फेट घुलनशील श्रेणियों से भिन्न
108.	4704	रासायनिक काष्ठ लुग्दी, सल्फाइड घुलनशील श्रेणियों से भिन्न
109.	4705	यांत्रिकी और रासायनिक लुग्दी निकालने की प्रक्रियाओं के संयोजन से अभिप्राप्त काष्ठ लुग्दी
110.	4706	प्राप्त (अपशिष्ट और स्क्रेप) कागज या पेपर बोर्ड से व्युत्पन्न फाइबर की लुग्दियां या अन्य रेसेदार सेलुलोसी सामग्री की लुग्दियां
111.	4707	प्राप्त (अपशिष्ट और स्क्रेप) पेपर या पेपर बोर्ड
112.	4802	इस प्रकार का अविलेपित कागज और पेपर बोर्ड, जिसका उपयोग लेखन, मुद्रण या अन्य आलेखी प्रयोजनों के लिए किया जाता है और अछिद्रित पंच कार्ड तथा पंच टेप कागज, जो रोलों में या आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी हैं) सीटों में किसी भी साइज में हैं, शीर्ष सं. 4801 या 4803 के कागज से भिन्न, हस्त निर्मित कागज और पेपर बोर्ड
113.	4804	अविलेपित क्राफ्ट कागज और पेपर बोर्ड, रोलों या सीटों में, उनसे भिन्न, जो शीर्ष सं. 4802 या 4803 के अंतर्गत आते हैं।
114.	4805	अन्य विलेपित कागज और पेपर बोर्ड, रोलो या सीटों में, जिन पर और कोई काम नहीं किया गया है या जिन्हें और प्रसंस्कृत नहीं किया गया है, इस अध्याय के टिप्पण 3 में विनिर्दिष्ट से भिन्न है
115.	4806 20 00	चिकनाई रोधी कागज
116.	4806 40 10	ग्लेसिंग कागज
117.	4807	संयुक्त कागज और पेपर बोर्ड, (जो कागज या पेपर बोर्ड की चपटी परतों को आपस में किसी आसंजक से चिपकाकर तैयार किया गया है) जो पृष्ठ विलेपित या संसेचित नहीं है, चाहे आंतरिक रूप से प्रवर्तित है या नहीं, रोलों या सीटों में
118.	4808	शीर्ष सं. 4803 में वर्णित प्रकार के कागज से भिन्न कागज और पेपर बोर्ड, जो नालीदार (सरेसित चपटी पृष्ठ सीटों सहित या उसके बिना) क्रेपित, व्यांकुचित, समुदभृत या छिद्रित है, रोलों या सीटों में
119.	4810	कागज और पेपर बोर्ड, जिसका एक या दो पार्श्व काओलिंग (चीनी मिट्टी या अन्य या किसी अन्य अकार्बनिक पदार्थ से किसी बंधक सहित या बंधक रहित और किसी अन्य विलेपन रहित विलेपित है, चाहे पृष्ठ रंजित या पृष्ठ सज्जित या मुद्रित है या नहीं, रोलों या आयाताकार, जिसके अंतर्गत वर्ग भी है, सीटों में, किसी भी आकार का
120.	4811	असेप्टिक पैकेजिंग कागज
121.	4817 30	कागज या पेपर बोर्ड के बाक्स, कोष्ठ, थैली और लेखन संक्षिप्त संग्रह, जिसमें कागज लेखन सामग्री का संकलन अंतर्विष्ट है
122.	4819	नालीदार कागज या पेपर बोर्ड के कार्टन, बक्से और केस
123.	4820	अभ्यास पुस्तिकाएं, ग्राफ पुस्तिका और प्रयोगशाला नोटबुक तथा नोटबुक
124.	4823	कागज लुग्दी की संचित ट्रे
125.	48	माचिसों के लिए कागज की सलाई, चाहे मोम लगी है या नहीं, चाहे चादरों पर अस्फाल्टिक रुफिंग है या नहीं

126.	4904 00 00	संगीत मुद्रित या पांडुलिपि में चाहे जिल्द बंद या निर्देश चित्रित है या नहीं
127.	4906 00 00	स्थापत्य, इंजीनियरी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थालाकृति या वैसे ही प्रयोजनों के लिए रेखांक और ड्राइंग, जो हाथ से तैयार की गई मूल प्रतियों में है ; हस्तलिखित पाठ, सुक्ष्मग्राहिकृत कागज पर फोटो चित्र प्रति कृति और पूर्ववर्ती सामग्री की कार्बन प्रतिलिपियां ।
128.	4907	बिना उपयोग किए गए महसूल स्टाप, राजस्व स्टाप या वैसे ही स्टाप, जो उस देश में, जिसमें उनका कोई मान्यताप्राप्त अंकित मूल्य है या होगा, चालू हैं या नए जारी किए गए हैं, स्टांप छपे कागज, बैंक नोट, चैक फार्म, स्टॉक शेयर या बंधपत्र, प्रमाणपत्र और वैसे ही हक के दस्तावेज ।
129.	4908	अनुचित्र (डीकेल्केमेनिया)
130.	4909	मुद्रित या चित्र निरूपित पोस्ट कार्ड ; मुद्रित कार्ड, जिनमें वैयक्तिक शुभकामना संदेश या आख्यान है, चाहे चित्र निरूपित है या नहीं लिफाफा या समंजन सहित या उसके बिना ।
131.	4910	किसी प्रकार के कलेंडर मुद्रित, जिनके अंतर्गत कलेंडर ब्लॉक हैं ।
132.	4911	अन्य मुद्रित सामग्री, जिसके अंतर्गत मुद्रित चित्र और फोटो चित्र हैं ; जैसे व्यापारिक विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक सूची और वैसे ही अन्य वस्तुएं, पोस्टर मुद्रित, वाणिज्यिक सूची पत्र, मुद्रित जटित कार्ड, चित्र, डिजाइन और फोटो चित्र, स्थापत्य, इंजीनियरी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या वैसे ही प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य युक्तियों की सहायता से पुनरोत्पादित रेखांक और ड्राइंग ।
133.	5601	टैक्सटाइल सामग्री की वेडिंग और उसकी वस्तुएं, जैसे अवशोषक सूती ऊन ।
134.	5602	नमदा, चाहे संसेचित, विलेपित, आच्छादित या पटलित हैं या नहीं
135.	5603	अव्यूतित, चाहे संसेचित, विलेपित, आच्छादित या पटलित हैं या नहीं
136.	5604	रबड़ धागा और रज्जु, टैक्सटाइल से आच्छादित ; टैक्सटाइल सूत और शीर्ष सं. 5404 और शीर्ष सं. 5405 की पट्टियां और वैसे ही वस्तुएं, जो रबड़ या प्लास्टिक से संसेचित, विलेपित, आच्छादित या आवर्त हैं
137.	5605	धातवीकृत सूत, चाहे जिम्प है या नहीं, जो टैक्सटाइल सूत है या शीर्ष सं. 5404 और शीर्ष सं. 5405 की पट्टी और वैसे ही वस्तुएं, जो धागे, पट्टी या चूर्ण के रूप में धातु से संयुक्त है या धातु आच्छादित हैं; जैसे टैक्सटाइल धागा का समिश्रण वाला जरी धागा (स्वर्ण) और रजत धागा, नकली जरी धागा
138.	5606	जिम्प सूत और शीर्ष सं. 5404 और शीर्ष सं. 5405 की पट्टी और वैसे ही वस्तुएं, जो जिम्प हैं (उनसे भिन्न, जो शीर्ष सं. 5405 के अंतर्गत आती हैं और जिम्प अश्वरोम सूत है) सनील सूत (जिसमें फ्लाक, सनील सूत भी है) ; लूप वेल-सूत
139.	5607	डोरी, रज्जु, रस्सियां और केबल, चाहे संग्रथित या गुमफित हैं या नहीं और चाहे रबड़ और प्लास्टिक से संसेचित है, विलेपित, आच्छादित या आवर्त हैं
140.	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
141.	5609	शीर्ष सं. 5404 या शीर्ष सं. 5405 के सूत, पट्टी या वैसे ही चीजों वस्तुएं, डोरी, रज्जु या रस्सा या केबल, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है
142.	5701	कालीन या टैक्सटाइल की अन्य फर्श की बिछायतें ग्रंथित चाहे निर्मित है या नहीं

143.	5702	कालीन और अन्य टैक्सटाइल की फर्श की विछायतें व्यूतित, जो मुर्धित या फलांकित नहीं है, या चाहे निर्मित है या नहीं, जिसके अंतर्गत "केलेम" "सुक्यु मैक्स", "करमनी" और वैसे ही हस्त व्यूतित
144.	5703	कालीन और अन्य टैक्सटाइल की फर्श की विछायतें मुर्धित, चाहे निर्मित है या नहीं
145.	5704	कालीन और अन्य टैक्सटाइल की फर्श की विछायतें नमदा, जो मुर्धित या फलांकित नहीं है, चाहे निर्मित है या नहीं
146.	5705	अन्य कालीन और अन्य टैक्सटाइल की फर्श की विछायतें, चाहे निर्मित है या नहीं ; जैसे पायदान और चटाईयां जिसमें स्नानागृह की पायदान भी हैं, जहां कपास भार द्वारा कपास का प्रधानता है, हस्तकरधा, हस्तकरधा के कपास
147.	5801	व्यूतित रुआ, फेब्रिक और शनील फेब्रिक, शीर्ष सं. 5802 या शीर्ष सं. 5806 से भिन्न
148.	5802	रुआदार तौलिया और वैसे ही व्यूतित रुआदार फेब्रिक शीर्ष सं. 5806 के संकीर्ण फेब्रिक से भिन्न ; मुर्धित टैक्सटाइल शीर्ष सं. 5703 के उत्पादों से भिन्न
149.	5803	गाज ; शीर्ष सं. 5806 के संकीर्ण फेब्रिक से भिन्न
150.	5804	शीर्ष सं. 6002 से शीर्ष सं. 6006 तक के फेब्रिक से भिन्न टूल और अन्य जाली फेब्रिक, जिसके अंतर्गत व्युतीत, बुने हुए या क्रोशियाकृत फेब्रिक नहीं है, लेस नग में, पट्टियों या मोटिफ में भी सम्मिलित हैं।
151.	5805	ग्वेलीन, फ्लेंडर, आवूसान, व्युवेस और उसी प्रकार की सुई कर्मित टेपेस्ट्री (उदारहणार्थ पेटिट प्वाइंट, क्रासटांका) चाहे निर्मित है या नहीं
152.	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष सं. 5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना (बोल्डक्स) है
153.	5807	टैक्सटाइल सामग्री के लेबल, वैज और वैसी ही वस्तुएं, नग में, पट्टियों या आमामप या आकार में कर्तित, जो कशिदाकृत नहीं है
154.	5808	ब्रेड नग में, अंलीकृत झालरें, बिना कशिदाकारी की, बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न, झब्बा, फून्दना और वैसी ही वस्तुएं
155.	5809	धातु धागों के व्यूतीत फेब्रिक और शीर्ष सं. 5605 के धातुकृत सूत के व्यूतीत फेब्रिक, जो इस प्रकार है, जिनका उपयोग परिधानों में, साजसज्जा के फेब्रिक या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है और जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, जैसे जरी किनारा (अन्य कशीदारी से भिन्न, या जरी की वस्तुएं जैसे इमी, जरी, कसाब, साइमा, डाबका, चुम्की, गोटा सितारा, नक्सी, कोरा, ग्लास बिट्स, बाडला, ग्लेजल)
156.	5810	कशीदाकारी नग में पट्टियों में या मोफिटों में कशीदाकारी युक्त वेजेस वेज और उन जैसे (कशीदाकारी या जरी वस्तुओं से भिन्न, जिन्हें इमी, जरी, कसाब, साइमा, डाबका, चुम्की, गोटा सितारा, नक्सी, कोरा, ग्लास बिट्स, बाडला, ग्लेजल)
157.	5811	गद्देदार टैक्सटाइल उत्पाद नग में, जो सिलाई द्वारा या अन्यथा पेडो के साथ समंजित टैक्सटाइल सामग्रियों की एक या अधिक परतों से मिलकर बना है तथा जो शीर्ष सं. 5810 की कशीदाकारी से भिन्न है।
158.	5901	गौंद या मंडित पदार्थों से विलेपित इस प्रकार के टैक्सटाइल फेब्रिक, जिनका उपयोग पुस्तकों या वैसी ही वस्तुओं के बाहरी आवरण के लिए किया जाता है, अनुरेखन कपडा, तैयार चित्र कैनवास, इस प्रकार के बुकरम और वैसे दृढीकृत टैक्सटाइल फेब्रिक, जिनका उपयोग हेट के आधार बनाने में किया जाता है।

159.	5902	नाइलॉन या अन्य पोलीएमाइड, पालिस्टर या विस्कोस रेयन के उच्च लक्ष्णुता सूत के टायर रज्जु फेब्रिक
160.	5903	टैक्सटाइल फेब्रिक प्लास्टिक के साथ संसेचित, विलेपित, आच्छादित या प्लास्टिक के साथ पटलित शीर्ष सं. 5902 से भिन्न
161.	5904	लिनोलियम, चाहे आकार में कर्तित है या नहीं फर्श की बिछायतें, जिनके टैक्सटाइल पृष्ठक को विलेपित या आच्छादित किया गया है चाहे आकार में कर्तित है या नहीं
162.	5905	टैक्सटाइल वित्तीय आच्छादन
163.	5906	रबड़ीकृत टैक्सटाइल फेब्रिक शीर्ष सं. 5902 से भिन्न
164.	5907	अन्यथा संसेचित, विलेपित या आच्छादित टैक्सटाइल फेब्रिक, रंगमंच के दृश्य वाले चित्रित कैनवास, स्टूडियों पिछवाई और वैसे ही वस्तुएं
165.	5908	लेपों, स्टोवो, लाइटरों, मोमबत्तियों या वैसी ही वस्तुओं के लिए व्यूतित, संग्रथित या बुनी टैक्सटाइल पत्तियां, ताप दीप्त मेंटल और उनके लिए नली का आकार बुने गैस मेंटल, फेब्रिक चाहे संसेचित है या नहीं
166.	5909	टैक्सटाइल हास पाइप और वैसी ही टैक्सटाइल नलिका, चाहे अन्य सामग्री के अस्तर, कवच या उप साधन सहित है या उनके बिना है
167.	5910	टैक्सटाइल सामग्री के संचारण या संवाहक पट्टा या पट्टा कपड़ा, चाहे प्लास्टिक से संसेचित, विलेपित, आच्छादित या पटलित या धातु या अन्य सामग्री से प्रवलित है या नहीं।
168.	5911	तकनीकी उपयोग के लिए टैक्सटाइल उत्पाद और वस्तुएं, जो इस अध्याय के टिप्पण 7 में विनिर्दिष्ट हैं, ऐसे टैक्सटाइल फेब्रिक नमदा और नमदा अस्तरित, व्यूतित फेब्रिक, जो रबड़, चमड़ा या ऐसे ही अन्य सामग्री से, जिसका उपयोग अर्धवस्त्र के लिए किया जाता है, विलेपित, आच्छादित या पटलित है और वैसे ही फेब्रिक, जिनका उपयोग अन्य तकनीकी प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिनके अंतर्गत व्यूतिन तकुओ (व्यूतित दंडों) को ढकने के लिए रबड़ से संसेचित मखमल के बने संकीर्ण फेब्रिक हैं ; बोल्टिंग कपड़ा चाहे निर्मित है या नहीं, सूत टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नमदा, व्यूतित, व्यूतित टैक्सटाइल नमदा, चाहे जिनका प्रयोग सामान्यतः अन्य मशीनों में संसेचित या विलेपित रूप में है या नहीं, मशीनरी या संयंत्रों में प्रयुक्त सूती फेब्रिक और वस्तुएं, मशीनरी या संयंत्रों में प्रयुक्त जूट फेब्रिक और वस्तुएं, कागज बनाने वाली या अन्य मशीनरी में सामान्यतः प्रयुक्त धात्विक सूत के टैक्सटाइल फेब्रिक, इस प्रकार के छानने का कपड़ा, जिसका उपयोग तेल कोहलुओं और वैसी ही वस्तुओं में किया जाता है, जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो केश से बनते हैं, कागज बनाने वाली नमदा व्यूतित, गैस कीट वासर, पालिश करने वाली डिस्क और टैक्सटाइल वस्तुओं को मशीनरी के अन्य पूर्ण।
169.	61	परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, बुने या क्रोशियाकृत, जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक हो
170.	62	परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, जो बुने या क्रोशियाकृत नहीं है, जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक हो
171.	63	अन्य निर्मित टैक्सटाइल वस्तुएं, सेट, उतरन और जीर्ण टैक्सटाइल वस्तुएं, चिथड़े, जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक हो
172.	6601	छाते और धूप के छाते (जिनके अंतर्गत टहलने की छड़ियां, छाते, उद्यान छाते और वैसे ही छाते भी हैं)
173.	6602	टहलने की छड़ियां, आसन छड़ियां, चाबुक, घोड़े के चाबुक और वैसी ही वस्तुएं

174.	6603	शीर्ष सं. 6601 या शीर्ष सं. 6602 की वस्तुओं के भाग, झालर और उपसाधन
175.	6701	पक्षियों के चर्म और अन्य भाग, जिनके साथ उनके पिच्छ या कोमल पिच्छ, पिच्छ, पिच्छ के भाग, पिच्छ और उनकी वस्तुएं (शीर्ष सं. 0505 के माल और कर्मित पंख लेखनी तथा स्क्रैपों से भिन्न)
176.	68	बलुआ प्रस्तर ईंट
177.	6815	फलाईऐश ईंटें और फलाईऐश ब्लॉक
178.	7015 10	सही किए जा सकने वाले चश्मों के कांच
179.	7020	लैंपो या लालटेनों के लिए चिमनी, कैरोसीन बत्ती लैंपों के लिए फाउंट, लैंप और लालटेन के लिए कांच की चिमनी
180.	7310 या 7326	गणितीय बाक्स, ज्यामितिए बाक्स और रंगों के बाक्स, पेंसिल शापनर
181.	7317	पशु पादनाल
182.	7319	सिलने वाली सुईयां
183.	7321	कैरोसीन बर्नर, कैरोसीन स्टोव और लोहे या स्टील के लकड़ी से जलने वाले स्टोव
184.	7323	लोहे या स्टील की मेज, रसोई या अन्य घरेलू वस्तुएं, बर्तन
185.	7418	तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू वस्तुएं, बर्तन
186.	7615	एलमुनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू वस्तुएं, बर्तन
187.	8211	कर्तन ब्लेड सहित छुरियां, चाहे कृकचित है या नहीं (जिसमें छटाई छुरी भी है) शीर्ष सं. 8208 की छुरियों से भिन्न और उनके लिए ब्लेड
188.	8214	कागज छूरी, पेंसिल शापनर तथा उनके लिए लेड
189.	8215	चम्मच, कांटे, करछी, मथानी, केक - चिमटा, मत्स्य छुरी, मक्खन छुरी, शर्करा चिमटा और वैसे ही रसोई या खाने पीने के सामान
190.	8401	नाभकीय रिक्टर के लिए ईंधन अवयव (कार्टेजिस), अकर्णित
191.	8408	15 एचपी से अनधिक शक्ति के नियत स्पीड डीजल ईजन
192.	8413	शक्तिचालक पंप प्राथमिक रूप से वाटर हैंडलिंग के लिए डिजाइनकृत अर्थात् अपकेन्द्रिय पंप (उर्ध्व और क्षितिज) गहरे ट्यूबल के टर्बाइन पंप, समरसीबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह के उर्ध्व पंप
193.	8414 20 10	साईकिल पंप
194.	8414 20 20	अन्य हैंड पंप
195.	8414 90 12	साईकिल पंपों के वायु या निर्वात पंपों के भाग और कम्प्रेसर
196.	8432	मृदा की तैयार या खेती के लिए कृषि, उद्यान कृषि या वाणिकी मशीनरी, लॉन या क्रीडा मैदान रोलर
197.	8433	फसल कटाई या गहाई मशीनर, जिसके अंतर्गत पुलाव या चारा ग्रंथित भी है, घास या सुखी घास कटित्र, अंडा फल या अन्य कृषि उपज की सफाई या छटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 8437 की है
198.	8434	दुग्ध दोहन मशीनरी और डेयरी मशीनरी
199.	8436	अन्य कृषि, उद्यान कृषि, वाणिकी, कुक्कुट पालन या मधुमक्खी पालन मशीनरी, जिनके अंतर्गत

		यात्रिकी या तापीय उपस्कर के साथ फिट किए गए अकुरण संयंत्र भी है, कुक्कुट पालन उष्मायित्र और शावकित्र
200.	8452	सिलाई मशीनें
201.	8479	कम्पोस्टिंग मशीन
202.	8517	सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्कों के लिए टेलीफोन और उनके विनिर्माण के लिए पुर्जे
203.	85	सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्कों के लिए टेलीफोनों के विनिर्माण के लिए पुर्जे
204.	8525 60	सेना, पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों इत्यादि द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दो-तरफा रेडियो (वाकी-टाकी)
205.	8539	एलईडी लैंप
206.	87	विद्युत प्रचालित यान, जिसमें दो और तीन पहियों वाले विद्युत मोटर यान भी हैं
207.	8701	ट्रैक्टर (1800 से अधिक क्षमता के ईंजन के अर्ध-अनुयान के लिए सड़क ट्रैक्टर को छोड़कर)
208.	8712	साइकिल और अन्य साइकिलें (डिलीवरी तिपहिया सहित) बिना मोटर के
209.	8714	8712 के साइकिल और अन्य साइकिल (डिलीवरी तिपहिया सहित) बिना मोटर के पूर्जे और उपसाधन
210.	8716 20 00	कृषि प्रयोजनों के लिए स्व:लदाई या स्व:उतराई अनुयान
211.	8716 80	हस्त नोदित यान (जैसे हस्त ठेला, रिक्शा और वैसे ही) ; पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले यान
212.	90 या अन्य कोई अध्याय	ब्लड ग्लुकोज मानीटर सिस्टम (ग्लुको मीटर) और टेस्ट स्ट्रिप
213.	90 या अन्य कोई अध्याय	पेटेंट, डकटस, आर्टियोरिसस/आर्टियल स्पेटल डिफेक्ट आक्लुजन युक्ति
214.	9001	कांटेक्ट लेन्स, चश्में के लेंस
215.	9002	इंट्रा आकुलर लेंस
216.	9004	चश्में, संशोधक
217.	9017 20	रेखन चिह्नाकन यंत्र, पेंटोग्राफ, अन्य रेखन और चिह्नाकन यंत्र
218.	9018	यंत्र और साधित्र, जिनका उपयोग चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, जिसमें सेंटीग्राफीय उपकरण, अन्य विद्युत चिकित्सा उपकरण और दृष्टि परीक्षण यंत्र भी हैं
219.	9019	यांत्रिक चिकित्सा साधित्र, मर्दन उपकरण, मनौवैज्ञानिक अभिरुचि, परीक्षण उपकरण, ओजोन चिकित्सा, आक्सीजन चिकित्सा, एरोसोल चिकित्सा, कृत्रिम श्वसन या अन्य चिकित्सीय श्वसन उपकरण
220.	9020	अन्य श्वास साधित्र और गैस मास्क, जिसके अंतर्गत ऐसे संरक्षात्मक मास्क नहीं हैं, जिनमें ना तो यात्रिक पूर्जे और न बदलने योग्य फिल्टर हैं
221.	9021	विकलांग साधित्र, जिनके अंतर्गत वैशाखी शल्य चिकित्सीय पेटी और हर्निया पेटी हैं, स्पलंट और अन्य अस्थिविभंग साधित्र शरीर के कत्रिम भाग, श्रवण सहायक और अन्य साधित्र, जो शरीर में किसी त्रुटि या निःशकतता की प्रतिपूर्ति के लिए पहने या वहन आरोपित किए जाते हैं
222.	9022	एक्सरे उपकरण, जो एक्स किरण के या एल्फा,बीटा या गामा विकरणों के उपयोग पर आधारित है,

		चाहे चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंत चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय उपयोगों के लिए है या नहीं, जिसके अंतर्गत रेडियोग्राफी या रेडियो चिकित्सा उपकरण, एक्स किरण ट्यूब और अन्य एक्स किरण जनित्र, उच्च विद्युतगामी जनित्र, नियंत्रण पैनल और डेस्क स्क्रीन परीक्षा या उपचार मेजें, कुर्सियां और वैसी ही अन्य वस्तुएं
223.	9404	कायर उत्पाद, कायर चटाई को छोड़कर
224.	9404	गद्दे के टैक्सटाइल सामग्री से बने हुए उत्पाद
225.	9405, 9405 50 31	हेरीकेन लालटेन, कैरोसीन लैम्प/प्रेसर लालटेन, पेट्रोमैक्स, कागज की चिमनी
226.	9405	लैंड लाइटें और फिक्चर, जिसमें एलईडी लैंप भी हैं
227.	9405	एलईडी (लाइट इमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीडी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)
228.	9503	खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पेडल कार इत्यादि (जिसमें हिस्से और सहायिकी भी है) (इलेक्ट्रानिक खिलौनों से भिन्न)
229.	9504	ताश, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड खेल जैसे लूडो इत्यादि (वीडियो गेम और कंसोल्स और मशीनों से भिन्न)
230.	9506	खेल का सामान, सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए अन्य वस्तुओं और उपस्करों से भिन्न
231.	9507	बंसी, मत्स्य कांटा और अन्य डोरी मत्स्यन कांटा, मत्स्य स्थलन जाल, तितली जाल और उससे मिलते-जुलते जाल और वैसे ही जाल, प्रलोभक "पक्षी" (शीर्ष सं. 9208 से भिन्न) और वैसे ही आखेटन या निशानेबाजी के सामान
232.	9608	पेन (फाउंटेन पेन, स्टाइलोग्राफ पेन से भिन्न)
233.	9608, 9609	पेंसिल (नोदक या स्लाइडिंग पेंसिल सहित) क्रेयन्स, पेस्टल्स, ड्राइंग चारकोल और टेलर चॉक
234.	9615	कंधें, केश स्लाइडे और वैसी ही वस्तुएं; हेयर पिन, कर्लिंग पिन, कर्लिंग ग्रिप, केश बलित्र और ऐसी ही वस्तुएं, शीर्ष सं. 8516 से भिन्न अन्य, और उनके भाग
235.	9619	सेनेटरी तौलियां (पेड) और टैम्पन, नेपकिन और बच्चों के लिए नैपकिन लाइनर और किसी भी सामग्री के इसी प्रकार की वस्तुएं
236.	9701	पेंटिंग, ड्राइंग और पास्टेल्स, हाथ से बनाए हुए, शीर्ष सं. 4906 की ड्राइंग से भिन्न और हस्त पेंट से भिन्न या हस्त सज्जित विनिर्मित वस्तुएं, कोलाज और वैसे ही सजावट के प्लाक्स
237.	9702	मूल नक्काशी, प्रिंट और लिथोग्राफ
238.	9703	मूल मूर्तिकला और प्रतिमा, किसी भी सामग्री में
239.	9705	जीव विज्ञानिक, वनस्पति विज्ञानिक, खनिज विज्ञानिक, शरीर विज्ञानिक, ऐतिहासिक, पुरातत्ववीय, पेनेलोटॉजिकल, एथनोग्राफिक या न्यूमिस मेटिक हित (न्यूमोमेटिक्स सिक्कों से भिन्न)
240.	9706	100 वर्षों से अधिक आयु के पुराकालीन वस्तुएं
241.	9804	अन्य ओषधि और चिकित्सीय वस्तुएं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए
242.	-	राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही लाटरी स्पष्टीकरण 1 —इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15 की उपधारा (5) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21

	<p>के अधीन लाटरी की पूर्ति का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित कीमत का, इनमें से जो भी उच्चतर हो, 100/112 समझा जाएगा।</p> <p>स्पष्टीकरण 2--</p> <p>(1) "राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लाटरी" से ऐसी कोई लाटरी अभिप्रेत है, जो आयोजक राज्य से भिन्न किसी राज्य में विक्रय किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं है ;</p> <p>(2) आयोजक राज्य का वही अर्थ है, जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में उसका है।</p>
--	---

अनुसूची III - 9%

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	04029110, 04029920	संगणित दुग्ध
2.	1107	माल्ट, चाहे भर्जित है या नहीं
3.	1302	वनस्पति रस और निष्कर्ष, पैकिटक पदार्थ, पैकिटमेट और पैकेट, एगार-एगार और अन्य संश्लेषणक तथा गाढा करने वाले पदार्थ, चाहे वे उपांतरित है या नहीं, जो वनस्पति उत्पादों से व्युत्पन्न है
4.	1404 90 10	बीड़ी आवेष्टक पत्तियां (तेंदु)
5.	14049050	भारतीय कथा
6.	1517 10	सभी माल जैसे मारगिन, लीनोक्सीन
7.	1520 00 00	ग्लिसरोल, कच्चा ; ग्लिसरोल जल और ग्लिसरोल लाई
8.	1521	वनस्पति मोम (ट्राइक्लेसाइड से भिन्न) मधु मोम, अन्य कीट मोम और स्पर्मसेटी, चाहे परिष्कृत या रंगीन है या नहीं
9.	1522	डेग्रास, वसा पदार्थ या प्राणी या वनस्पति मोंमों के उपचार से उत्पन्न अवशिष्ट
10.	1701 91, 1701 99	सभी माल, जिसमें परिष्कृत चीनी जिसमें मिलाए गए सुरुचिकारक या रंजक पदार्थ हैं, शुगर क्यूब
11.	1702	ठोस रूप में अन्य चीनी, जिसके अंतर्गत रासायनिक रूप से शुद्ध लैक्टोस, माल्टोस, ग्लुकोस और फ्रक्टोस भी हैं ; चीनी का शर्बत, जिसमें मिलाए गए सुरुचिकारी या रंजक पदार्थ नहीं हैं ; कृत्रिम मधु, उसमें प्राकृतिक मधु मिश्रित है या नहीं ; केरेमल; (पलमायरा चीनी और पलमायरा गुड से भिन्न)
12.	1704	चीनी की कन्फेक्शनरी (सफेद चाकलेट और बबल/च्युंगम को छोड़कर) ; (बुरा और बताशा से भिन्न)
13.	1901	शिशु या बड़े बालकों के लिए उपयुक्त विनिर्मितियां, जो फुटकर विक्रय के लिए रखी गई हैं
14.	1902	पैस्टा (चाहे मांस या अन्य पदार्थ के साथ) पकाया गया या भरा गया या अन्यथा निर्मित है या नहीं, जैसे की स्पैगेटी, मैक्रोनी, नूडल, लेसग्ने, ग्नूच, रेवियोली केनेलोनी ; कासकस, चाहे निर्मित है या नहीं हैं
15.	1904 [1904 10 20 से भिन्न]	सभी माल, जैसे कार्न फ्लैक्स, बुलगर गेंहू, जो सेरियल फ्लैक्स से प्राप्त खाद्य (पफड राइस से भिन्न जिसे मुरी के रूप में सामान्यतः जाना जाता है, पावा और पीटा हुआ चावल जिसे चिवडे

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		के रूप में जाना जाता है, भूना हुआ चावल, जिसे खोई के रूप में जाना जाता है, भूना हुआ धान या चीनी या गुड़ से विलेपित चावल, जिसे सामान्यतः मुरकी के रूप में जाना जाता है)
16.	1905 [1905 32 11, 1905 90 40 से भिन्न]	सभी माल, जैसे बफेल्स और वैफरस, चाकलेट या चाकलेट लेपित या चाकलेट सहित से भिन्न बिस्किट्स; पेस्ट्री या केक (पीज्जा ब्रेड, बफेल्स चाकलेट लेपित वैफरस या चाकलेट पापड़ ब्रेड से भिन्न सहित)
17.	2101 20	सभी माल, जैसे चाय या मेट के निष्कर्ष, सत और सांद्र और इस निष्कर्ष, सतों या सांद्रों के आधार वाली या चाय या मेट के आधार वाली निर्मितियां
18.	2103 90 10	करी पेस्ट
19.	2103 90 30	मेजोनाइस और सलाद प्रतिसारण
20.	2103 90 40	मिश्रित मसाला और मिश्रित नमक मिर्च
21.	2104	सूप या ब्रोथ तथा उनके लिए निर्मितियां, समांगीकृत सम्मिश्र खाद्य निर्मितियां
22.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोको अंतर्विष्ट है या नहीं
23.	2106	खाद्य मिश्रितियों के सभी प्रकार, जिसमें तुरंत खाद्य मिश्रण, साफ्ट के सांद्रण, शर्बत, सुपारी के रूप में जाने जाने वाला बिटल नट उत्पाद, निर्जीवाणुकृत या पास्चरीकृत मिलस्टोन, खाने के लिए तैयार पैक खाद्य और दुग्ध, जिसमें खाद्य नट चीनी के साथ या अन्य घटकों के साथ हैं, मधुमेय खाद्य (नमकीन भुजिया, मिक्चर, चबेना और समरूप खाद्य निर्मितियां, जो उपभोग के लिए तैयार प्रारूप में हैं, से भिन्न।
24.	2201	जल, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक या कृत्रिम खनिज जल और वातित जल है, जिनमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरक पदार्थ नहीं हैं, और न ही सुरुचित है
25.	2207	इथाइल एल्कोहल और अन्य स्पिरिट, विकृतिकृत, किसी भी प्रबलता की
26.	2209	ऐसीटिक अम्ल से अभिप्राप्त सिरका और सिरके के अनुकल्प
27.	2503 00 10	परिष्कृत तेल के परिशोधन में उपोत्पाद के रूप में पुनः आच्छादित सल्फर
28.	2619	लोहे या इस्पात के विनिर्माण से धातुमल ड्रास (कणकित धातुमल से भिन्न) शल्कन और अन्य अपशिष्ट
29.	2620	धातुमल, भस्म और अपशिष्ट (लोहे और इस्पात के विनिर्माण से भिन्न) जिनमें आर्सेनिक, धातु या उनके मिश्रण हैं
30.	2621	अन्य धातुमल और भस्म, जिसके अंतर्गत समुद्री खरपतवार भस्म (केल्प) और नगरपालिका अपशिष्ट के भस्मीकरण की भस्म और अवशिष्ट है
31.	2707	उच्च ताप कोलतार के आसवन के तेल और अन्य उत्पाद; वैसे ही उत्पाद, जिनमें ऐरोमैटिक संघटकों का भार गैर-ऐरोमैटिक संघटकों से अधिक है, जैसे बेनजाल (बेंजीन), टोलुओल (टोलुलीन), जाइलाल (जाइलीन), नैफथलीन
32.	2708	कोलतार और अन्य खनिज पदार्थ से अभिप्राप्त पिच और पिच कोक
33.	2710	पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजो से अभिप्राप्त तेल, पेट्रोलियम कच्चे तेल से भिन्न, ऐसी निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, भार के आधार पर 70 प्रतिशत या उससे अधिक है, जब यह तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक हैं; अवशिष्ट तेल (अवगैस और केरोसीन पीडीएस और पेट्रोल, डीजल और एटीएफ से भिन्न, जीएसटी में नहीं)

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
34.	2711	पेट्रोलियम गैस और अन्य गैसीय हाइड्रो कार्बन, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, एथलीन, प्रोपिलीन, बुटीलीन और बुटाडीन (तरलीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, तरकीकृत प्रोपेन, तरलीकृत ब्यूटेन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, घरेलू उपभोक्ताओं के घरेलू उपयोग के लिए या इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग उपभोक्ता से भिन्न)
35.	2712	पेट्रोलियम जैली, पैराफिन मोम माइक्रोक्रीस्टलीय पेट्रोलियम मोम, कच्चा मोम, औजोकेराइट, लिग्नाइट मोम, पीट मोम, अन्य खनिज मोम ; और वैसे ही उत्पाद जो संश्लेषण या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा अभिप्राप्त किए जाते हैं चाहे रंगे गए हैं या नहीं
36.	2713	पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम बिटुमेन और पेट्रोलियम तेलों के या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेलों के अन्य अपशिष्ट
37.	2714	बिटुमेन और एस्फाल्ट, प्राकृतिक बिटुमनी या तेल शैल और टार बालू, एस्फ़ल्टाइट और एस्फ़ाल्टी शैल
38.	2715	प्राकृतिक एस्फ़ाल्ट, प्राकृतिक बिटुमेन पेट्रोलियम बिटुमेन, खनिज टार या खनिज टार पिच पर आधारित बिटुमिनस मिश्रण (उदाहरणार्थ, बिटुमिनस मेस्टिक, कट-बैंक)
39.	28	अन्य अकार्बनिक रसायन (छूट प्राप्त माल या अन्य माल के लिए अन्य दर अनुसूची में विनिर्दिष्ट उनसे भिन्न)
40.	29	सभी कार्बनिक रसायन, गिबरेलिक अम्ल से भिन्न
41.	30	निकोटीन पोलाक्रलिक्स गम
42.	3102	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न जो उर्वरक के रूप में स्पष्टतया प्रयोग नहीं किए जाते हैं
43.	3103	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न जो उर्वरक के रूप में स्पष्टतया प्रयोग नहीं किए जाते हैं
44.	3104	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न जो उर्वरक के रूप में स्पष्टतया प्रयोग नहीं किए जाते हैं
45.	3105	खनिज या रासायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में से दो या तीन उर्वरक तत्व अंतर्विष्ट हैं ; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के माल, टिकियों या वैसे ही रूपों में या पैकेजों में, जिनका कुल भार 10 किलोग्राम से अधिक नहीं है, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरकों में उपयोग नहीं किया जाना है
46.	3201	वनस्पति अन्य चर्म संस्करण निष्कर्ष, टैनिन और उनके लवण, ईथर, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न (वाटल निष्कर्ष, क्यूबरेचो निष्कर्ष, चेस्टनट निष्कर्ष से भिन्न)
47.	3202	संश्लिष्ट कार्बनिक चर्मसंस्करण पदार्थ ; अकार्बनिक चर्मसंस्करण पदार्थ ; चर्मसंस्करण निर्मितियां चाहे उनमें प्राकृतिक चर्मसंस्करण पदार्थ हैं या नहीं ; (चर्मसंस्करण पूर्व की एंजाइमी निर्मितियों से भिन्न)
48.	3203	वनस्पति या प्राणी जन्य रंगकारी द्रव्य (जिसके अंतर्गत रंजक-निष्कर्ष हैं किंतु प्राणी कज्जल नहीं हैं) जो वे रासायनिक रूप से परिभाषित हैं या नहीं ; इस अध्याय के टिप्पण 3 में विनिर्दिष्ट निर्मितियां जो वनस्पति या प्राणी जन्य रंगकारी द्रव्य पर आधारित हैं
49.	3204	संश्लिष्ट कार्बनिक रंगकारी द्रव्य, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हैं या नहीं ; इस अध्याय के टिप्पण 3 में यथा विनिर्दिष्ट निर्मितियां जो संश्लिष्ट कार्बनिक रंगकारी द्रव्यों पर आधारित हैं ; इस प्रकार के संश्लिष्ट कार्बनिक उत्पाद जिनका उपयोग प्रतिदीप्तशील प्रभासनकर्मक या

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		संदीपक के रूप में किया जाता है, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित है या नहीं
50.	3205	वर्णलाक्षक, इस अध्याय के टिप्पण 3 में यथा विनिर्दिष्ट निर्मितियां, जो वर्णलाक्षक पर आधारित है
51.	3206	अन्य रंगकारी द्रव्य ; इस अध्याय के टिप्पण 3 में यथा विनिर्दिष्ट निर्मितियां, उनसे भिन्न जो शीर्ष 3203, शीर्ष 3204 या शीर्ष 3205 के अंतर्गत आती हैं ; इस प्रकार के अकार्बनिक उत्पाद जिनका उपयोग संदीपक के रूप में किया जाता है, चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित हैं या नहीं
52.	3207	निर्मित वर्णक, निर्मित अपारदर्शकारी, निर्मित रंग, कांचावनीय इनेमल, चमरकारक, ऐंगोब (स्लिप), द्रव द्वितिकारक और वैसी ही निर्मितियां, जो इस प्रकार की है जिनका उपयोग चीनी मिट्टी इनेमल या कांच उद्योग में किया जाता है ;
53.	3211 00 00	निर्मित शुष्कक
54.	3212	द्रव्य या पेस्ट के रूप में, अजलीय माध्यम में परिक्षेपित इस प्रकार के वर्णक (जिसके अंतर्गत धात्विक चूर्ण और पत्रक हैं) जिनका उपयोग पेंट (जिसके अंतर्गत इनेमल हैं) के विनिर्माण में किया जाता है ; स्टॉप पर्णिकाएं ; रंजक और अन्य रंगकारी द्रव्य, जो फुटकर विक्रय के लिए प्ररूपों या पैकिंगों में रखे गए हैं
55.	3215	मुद्रण स्याही, लेखन या ड्राइंगस्याही और अन्य स्याही, चाहे सांद्रित या ठोस है या नहीं (फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही)
56.	3301	वाष्पशील तेल (तारपीनरहित हैं या नहीं) जिसके अंतर्गत कंक्रीट और एक्सोल्यूट हैं ; रेजिनायड ; निष्कर्षित ओलियोरेजिन ; इनफ्लूरेज या मस्रण द्वारा अभिप्राप्त किए गए वसा में अवाष्पशील तेलों, मोम में या वैसे ही किसीपदार्थ में वाष्पशील तेलों के सांद्र हैं ; वाष्पशील तेलों के विटर्पिनीकरण के टैर्पिनी-उपोत्पाद ; वाष्पशील तेलों के जलीय आसुत और जलीय घोल
57.	3302	गंधयुक्त पदार्थों का मिश्रण और इन पदार्थों में से किसी एक या अधिक पदार्थों के आधारों वाले इस प्रकार के मिश्रण (जिनके अंतर्गत एल्कोहल घोल हैं) जिनका उपयोग उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है ; गंधयुक्त पदार्थों पर आधारित इस प्रकार की अन्य निर्मितियां जिनका उपयोग सुपैयों के विनिर्माण के लिए किया जाता है, जैसे संश्लिष्ट सुगन्धशाला योगिक (मेनथोल और मेनथोल क्रिस्टल और पीपरमिंट (मेनथा तेल), फ्रक्शनंड/डी-टेरपेनेटड मेनथोल तेल, (टीटीएमओ), डी-मेनथोलाइजड तेल (डीएमओ), स्प्रिमिंट तेल, मेनथा पीप्रेटा तेल)
58.	3304 20 00	काजल पेंसिल स्टिक
59.	3305 9011, 3305 90 19	केश तेल
60.	3306 10 20	मुखी या टूथपेस्ट
61.	3401 [सिवाय 340130]	साबून;साबुन के रूप में उपयोग के लिए कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जो बार, टिक्रियों, संचित खंडों या आकारों के रूप में हैं चाहे उनमें साबुन है या नहीं ;
62.	3404	कृत्रिम मोम और निर्मित मोम
63.	3407	“दंतमोम” या “दंत छाप यौगिकों” के रूप में ज्ञात निर्मितियां, जो फुटकर विक्रय के लिए सेटों में, पैकिंगों में या प्लेटों में, अश्व नाल के आकार में डंडियों या वैसे ही रूप में रखी गई है, दंत

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		चिकित्सा के उपयोग के लिए (निष्ठापित जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट के) प्लास्ट के आधार वाली अन्य निर्मितियां
64.	3501	केसीन, केसिनेट और अन्य केसीन व्युत्पन्न, केसीन सरेस
65.	3502	एल्बूमिन (जिनके अंतर्गत दो या अधिक छेना पानी प्रोटीन के सांद्र हैं जिनमें भार के आधार पर 80% से अधिक छेना पानी प्रोटीन हैं, जो शुष्क पदार्थ पर परिकल्पित किए गए हैं, एल्बुमिनेट और अन्य ऐल्बूमिन व्युत्पन्न
66.	3503	जिलेटिन[जिसके अंतर्गत आयताकार (वर्गाकार सम्मिलित है) जिलेटिन शीटें भी हैं चाहे वे पृष्ठ कर्मित या रंगीन हैं या नहीं] और जिलेटिन व्युत्पन्न, इजिनग्लास ; प्राणी जन्य अन्य सरेस, जिसके अंतर्गत शीर्ष 3501 के केसीन सरेस नहीं है
67.	3504	पेपटोन और उनके व्युत्पन्न ; अन्य प्रोटीन पदार्थ और उनके व्युत्पन्न, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; खाल चूर्ण, चाहे क्रोमकृत हैं या नहीं; जिसके अंतर्गत पृथक् सोया प्रोटीन है
68.	3505	डेकस्ट्रीन और अन्य उपांतरित स्टार्च (उदाहरणार्थ पूर्व जिलेटिनीकृत या ऐस्ट्रीकृत स्टार्च) स्टार्च पर या डेकस्ट्रीन पर, या अन्य उपांतरित स्टार्च पर आधारित सरेस
69.	3506	निर्मित सरेस और अन्य निर्मित आसंजक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; सरेस या आसंजक के रूप में उपयोगके लिए उपयुक्त ऐसे उत्पाद, जो सरेस या आसंजक के रूप में फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं और जिनका शुद्ध भार 1 किलोग्राम से अधिक नहीं है
70.	3507	एन्जाईम; निर्मित एन्जाईम
71.	3601	नोदक चूर्ण
72.	3603	सुरक्षा फ्यूज ; अधिस्फोटी फ्यूज; आघात या अधिस्फोटी टोपियां ; प्रज्वालक, विद्युत अधिस्फोटक
73.	3605	दियासलाई(हस्त निर्मित दियासलाई से भिन्न [3605 00 10])
74.	3701	कागज, पेपर बोर्ड या टेक्सटाइल से भिन्न किसी सामग्री की चपटी सुग्राहीकृत, अनुद्घाषित फोटोचित्र प्लेटें और फिल्में ; चपटी ; सुग्राहीकृत, अनुद्घाषित तात्क्षणिक प्रिंट फिल्म ; चाहे पैक में है या नहीं (चिकित्सीय प्रयोग के लिए एक्सरे से भिन्न)
75.	3702	कागज, पेपर बोर्ड या टेक्सटाइल से भिन्न किसी सामग्री की सुग्राहीकृत, अनुद्घाषित फोटोचित्र फिल्म, रोल में ; सुग्राहीकृत, अनुद्घाषित तात्क्षणिक प्रिंट फिल्म, रोल में
76.	3703	फोटो चित्र कागज, पेपर बोर्ड या टेक्सटाइल, सुग्राहीकृत, अनुद्घाषित
77.	3704	फोटोचित्र प्लेटें, फिल्म कागज, पेपर बोर्ड और टेक्सटाइल, जो उद्घाषित हैं किंतु डेवलेप नहीं किए गए हैं
78.	3706	फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्में, एक्सपोज्ड और डेवेलपड की गई चलचित्र फिल्म, चाहे उनमें ध्वनि हैं या नहीं है, या जिनमें केवल ध्वनि है जो फीचर फिल्मों के लिए है
79.	3707	फोटोचित्र के उपयोग के लिए रासायनिक निर्मितियां (वार्निश, सरेस, आसंजक और वैसी ही निर्मितियों से भिन्न) ; फोटोचित्र के उपयोग के लिए अमिश्रित उत्पाद, जिन्हें मापित अंशों में रखा गया है या उपयोग किए जाने के लिए तैयार रूप में रखा गया है
80.	3801	कृत्रिम ग्रेफाइट, कोलाइडी या अधकोलाइडी ग्रेफाइट ; ग्रेफाइट या अन्य कार्बन के आधार वाली निर्मितियां, पेस्टों, ब्लाकों, प्लेटों के रूप में, या अन्य अर्ध विनिर्माण
81.	3802	सक्रियत कार्बन, सक्रियत प्राकृतिक खनिज उत्पाद ; जान्तव काजल, जिनके अंतर्गत भुक्तशेष जान्तव काजल है

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
82.	3803 00 00	टाल तेल, चाहे परिष्कृत है या नहीं
83.	3804	काष्ठ लुगदी के विनिर्माण के लिए अवशिष्ट लाई, चाहे सांद्रित, विशर्करित या रासायनिक रूप से उपचारित हैं या नहीं, जिसके अंतर्गत लिग्निन सल्फोनेट हैं
84.	3805	शंकुधारी काष्ठ के आसवन या अन्य उपचार द्वारा उत्पादित गोंद, काष्ठ या सल्फेट तारपीन और अन्य तारपीन तेल ; अपरिष्कृत डाइपेंटीन ; सल्फाइड तारपीन और अन्य अपरिष्कृत पैरासाइमीन ; चीड़ तेल जिसमें एल्फाटर्पिनोल् मुख्य संघटक के रूप में है
85.	3806	रोजिन और रेजिन अम्ल और उनके व्युत्पन्न ; रोजिन स्प्रिट और रोजिन तेल, रन गोंद
86.	3807	काष्ठ तार ; काष्ठ तार तेल ; काष्ठ क्रियोजोट ; काष्ठ नैपथा ; वनस्पति डामर ; किण्वक डामर और रोजिन, रेसिन अम्ल या वनस्पति डामर पर आधारित वैसी ही निर्मितियां
87.	3808	कीटनाशी, कृतकनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, अंकुरणरोधी उत्पाद और पादप वृद्धि विनियामक विसंक्रमक तथा वैसे ही उत्पाद
88.	3809	इस प्रकार के परिसज्जा कर्मक, रंगाई के त्वरण या रंजक पदार्थों के स्थरीकरण के लिए रंजक वाहक और अन्य उत्पादा तथा निर्मितियां (उदाहरणार्थ प्रसाधन और रंगबंधक) जिनका उपयोग वस्त्र, कागज, चमड़े या वैसे ही उद्योगों में किया जाता है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
89.	3810	धातु, पृष्ठ के लिए अम्लोपचारी निर्मितियां, सोल्डरन, ब्रेजन या वैल्लिंग के लिए गालक और अन्य सहायक निर्मितियां, सोल्डरन, ब्रेजन या वैल्लिंग के लिए चूर्ण और पेस्ट, जिसमें धातु और अन्य सामग्री अंतर्विष्ट हैं ; वैल्लिंग इलेक्ट्रोड या छड़ के लिए क्रोड या विलेप के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रकार की निर्मितियां
90.	3812	निर्मित रबड़त्वरक ; रबड़ या प्लास्टिक के लिए यौगिक प्लास्टिसाइजर, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; रबड़ या प्लास्टिक के लिए प्रतिआक्सीकरण निर्मितियां और अन्य यौगिक स्थायीकारक
91.	3815	अभिक्रिया सामारंभक, अभिक्रिया त्वरक और उत्प्रेरक निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट और सम्मिलित नहीं हैं
92.	3816	उच्चताप सह सीमेंट, मसाला कंक्रीट और वैसे ही घटक जो शीर्ष 3801 के उत्पादों से भिन्न हैं
93.	3817	मिश्रित ऐल्किलबेंजीन और मिश्रित ऐल्किलनेफथेलीन, उनसे भिन्न जो शीर्ष 2707 या 2902 में हैं
94.	3818	इलेक्ट्रानिकी में उपयोग के लिए मादित रासायनिक तत्व, जो डिस्क, वैफर या वैसे ही रूपों में है ; इलेक्ट्रानिकी में उपयोग के लिए मादित रासायनिक यौगिक (सिलिकान वैफर्स से भिन्न)
95.	3821	सूक्ष्म जीवों, (जिसमें वायरस और वैसे ही वस्तुएं सम्मिलित हैं) या पादप, मानव या पशु कोशिका के विकास के लिए तैयार संवर्धन माध्यम
96.	3823	औद्योगिक मोनोकार्बोक्सिलिक वसीय अम्ल ; परिष्करण से अम्ल तेल ; औद्योगिक वसीय एल्कोहल
97.	3824	ढलाईशाला, संच या क्रोड के लिए निर्मित बंधक ; रासायनिक या सहबद्ध उद्योगों के रासायनिक उत्पाद और निर्मितियां (जिनके अंतर्गत वे भी हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादोंके मिश्रण अंतर्विष्ट है) जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
98.	3825	रासायनिक या सहायक उद्योगों के अवशिष्ट उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; (नगरपालिक अपशिष्ट, मल अवमल और अन्य अपशिष्ट, जो इस अध्याय के टिप्पण 6 में

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		विनिर्दिष्ट हैं)
99.	3826	बायोडीजल और उसके मिश्रण, जिसमें पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से प्राप्त तेल नहीं है या भार से 70% से कम है
100.	3901 to 3913	सभी माल जैसे पालिमर्स, पालिसीटिल्स, अन्य पालिइथर्स, इपोकसाइड रेजिन, पालीकार्बोनेट्स, अल्काइड रेजिन, पालीएलाइन, अन्य पालिस्टर, पोलीमाइड्स, अमीनो-रेजिन, फिनोलिक रेजिन और पालीयुरेथ्रेन्स, सिलिकॉन्स ; पेट्रोलियम रेजिन, कौमेरोन-इंडेन रेजिन, पालीटरपेन्स, पालीसल्फाइड, पालीसल्फोन्स और अन्य उत्पाद, जो इस अध्याय के टिप्पण 3 में विनिर्दिष्ट हैं, अन्य जगह न तो विनिर्दिष्ट हैं न सम्मिलित हैं ; सेलुलोस और इसके रासायन व्युत्पन्न, अन्य जगह न तो विनिर्दिष्ट हैं न सम्मिलित हैं ; प्राकृतिक पालीमर्स (उदाहरण के लिए ऐलीजिनिक एसिड) और उपांतरित प्राकृतिक पालीमर्स (उदाहरण के लिए कठोर प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़ के रासायनिक व्युत्पन्न, अन्य जगह न तो विनिर्दिष्ट हैं न सम्मिलित हैं ; प्राथमिक रूप में
101.	3914	शीर्ष 3901 से 3913 के बहुलकों पर आधारित आयन-विनियामक, प्राथमिक रूप में
102.	3915	अपशिष्ट, कतरनों और स्क्रेप ; प्लास्टिक की
103.	3916	प्लास्टिक का एकल फिलामेंट, जिसकी कोई अनुप्रथ काट विमा 1 मिलीमीटर से अधिक है, छड़, याष्टि और प्रोफाइल आकार, चाहे पृष्ठ कर्मित है या नहीं किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है
104.	3917	प्लास्टिक की नलिका, पाइप और होज और उनके लिए फिटिंगे
105.	3919	प्लास्टिक की स्वतः आसंजक प्लेटें, चादरें, फिल्में, पर्णिकाएं, टेप, पट्टी और अन्य चपटे आकार, चाहे रोलों में है या नहीं
106.	3920	प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, चादरें, फिल्म पर्णिकाएं और पट्टी जो असेलुलर है और प्रवर्तित, पटलित, आलंबित या अन्य सामग्री के साथ वैसे ही संयोजित नहीं है
107.	3921	प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, चादरें, फिल्म पर्णिकाएं और पट्टी
108.	3923	माल के प्रवहण या पैकिंग के लिए प्लास्टिक की वस्तुएं, प्लास्टिक के डाट, ढक्कन, टेपियां और बंद करने के अन्य सामान
109.	3924	प्लास्टिक के खाने-पीने के बर्तन, रसोई के सामान, अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और स्वास्थ्य संबंधी और प्रसाधन वस्तुएं
110.	3925	प्लास्टिक के भवन निर्माण के सामान, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है
111.	3926	पीवीसी बेल्ट कन्वेयर, प्लास्टिक टारपोलिन
112.	4002	वैलाटा, गट्टा पार्चा, ग्वायल, चिकल और वैसी ही प्राकृतिक गोंद संश्लिष्ट रबड़ और तेलों से व्युत्पन्न फैक्टिस, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, चादरों या पट्टियों में, इस शीर्ष के किसी उत्पाद के साथ शीर्ष 2001 के किसी उत्पाद का मिश्रण, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, चादरों या पट्टियों में स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन रबड़ (बी आर) ; कार्बोक्सीलेटिड स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ ; (एक्स एस बी आर); लैटेक्स, आइसोब्यूटेन-आइसोप्रीन (ब्यूटाइल) रबड़ (आईआईआर), एथिलीन-प्रापिलीन असंयुग्मित-डाइन रबड़ (ई पी डी एम)
113.	4003	पुनः प्राप्त रबड़, प्राथमिक रूप में या प्लेटों, चादरों या पट्टियों में
114.	4004	रबड़ कठोर से भिन्न का अपशिष्ट, कतरन और स्क्रेप तथा उनसे प्राप्त चूर्ण या कणिकाएं
115.	4005	यौगिक रबड़, अवल्कनीकृत, प्राथमिक रूप में या प्लेटों, चादरों या पट्टियों में

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
116.	4006	अवलकनीकृत रबड़ के अन्य रूप (उदाहरणार्थ छड़ें, ट्यूब और प्रोफाइल आकार) और वस्तुएं (उदाहरणार्थ डिस्क और वलय)
117.	4007	वलकनीकृत रबड़ धागा और रज्जु, लेटेक्स रबड़ धागा से भिन्न
118.	4008	कठोर रबड़ से भिन्न वलकनीकृत रबड़ की प्लेटें, चादरें, पट्टियां, छड़ें और प्रोफाइल आकार
119.	4009	कठोर रबड़ से भिन्न वलकनीकृत रबड़ की नलिका, पाइप और होज, चाहे वे अपनी फिटिंगों (उदाहरणार्थ जोड़, एल्बो, फर्लेज) के साथ हैं या नहीं
120.	4010	वलकनीकृत रबड़ का संवाहक या संचारण पट्टा या पट्टा कपड़ा
121.	4011	टैक्टर के पिछले टायर और पिछले टायर की ट्यूब
122.	4014	कठोर रबड़ से भिन्न वलकनीकृत रबड़ की स्वच्छता या भेषजिक वस्तुएं (जिनके अंतर्गत टीट हैं) चाहे उनके साथ कठोर रबड़ की फिटिंग हैं या नहीं; जैसे गर्म जल की बोतलें, बर्फ के थैले [आच्छद गर्भ-निरोधी, रबड़ गर्भ-निरोधी, पुरुष (कंडोम)स रबड़ गर्भ-निरोधी महिला (तनपुट) जैसे ग्रैव टोपियां]
123.	4015	सभी प्रयोजनों के लिए कठोर रबड़ से भिन्न वलकनीकृत रबड़ की, परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के अपसाधन (जिनके अंतर्गत दस्ताने, मिटिन और मिट हैं) (सर्चिकल दस्तानों से भिन्न)
124.	4202	स्कूल सेसे और बस्ते, चमड़े के या संगठित चमड़े से भिन्न
125.	4202 12 10	प्रसाधन केस
126.	4202 22 10	कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री के हैंड बैग और शापिंग बैग
127.	4202 22 20	सूत के हस्त बैग और शापिंग बैग
128.	4202 22 30	जूट के हस्त बैग और शापिंग बैग
129.	4202 22 40	वैनिटी बैग
130.	4202 29 10	खपट्टी की चीजें या बैग के सामान को छोड़कर अन्य सामग्री के हस्त बैग
131.	4301	कच्चा फरदार चर्म (जिसके अंतर्गत शीर्ष, पुच्छ, पंजे और अन्य खंड या कतरन हैं, जो फर व्यवसायियों के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं), शीर्ष 4101, शीर्ष 4102 या शीर्ष 4103 की कच्ची खालों और चमड़ों और चमड़े से भिन्न
132.	4302	चर्म संस्कारित या प्रसारित फरदार चर्म (जिसके अंतर्गत शीर्ष, पुच्छ, पंजे और अन्य खंड या कतरन हैं) असमंजित या (अन्य सामग्रियों को जोड़े बिना) समंजित, उनसे भिन्न जो शीर्ष 4303 के अंतर्गत आते हैं
133.	4304	कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं
134.	4403	रुख काष्ठ
135.	4407	चीरी या छिली गई काष्ठ
136.	4408	वेनियर के लिए चादरें (जिसके अंतर्गत पटलित काष्ठ को तराश कर प्राप्त की गई वेनियर चादरें भी हैं), प्लाईवुड या अन्य समान प्रकार की पटलित काष्ठ और अन्य काष्ठ की चादरें जो संबाई में चीरे गए, तराशे गए या छाल ररहित हैं, चाहे समतलित, रेगमार्जित, जोड़े गए या सिरा-संधित हों या नहीं, जिनकी मोटाई 6 मिलीमीटर से अधिक नहीं है
137.	4409	काष्ठ (जिसके अंतर्गत सचावटी काष्ठ फर्स के लिए असमंजित पट्टियां और चित्रवल्लरी हैं) जिसका कोई किनारा, सिरा या फलक अनवरत आकारित (चिह्नित, खांचित, रिबेटित, निष्केणित, v-संधित, मनकित, सांचित, गोलाकारकृत या इसी प्रकार का) हैं चाहे समतलित, रेगमार्जित यचा सिरासंधित है या नहीं
138.	44 या अन्य अध्याय	रेजिज बांडेड वांस की पायदान बोर्ड, मध्य में बिना या विनियर सहित

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
139.	44 या अन्य अध्याय	बांस के फर्श टाइल
140.	4419	काष्ठ के खाने-पीने के वर्तन और रसोई के सामान
141.	4501	प्राकृतिक कार्क, अपरिष्कृत या मात्र निर्मित; अपशिष्ट कार्क; संदलित, कणकित या दलित कार्क
142.	4502	प्राकृतिक कार्क, डिबैकड या स्थूल रूप से वर्गाकारकृत या आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) ब्लाकों, प्लेटों चादरों या पट्टियों (जिसके अंतर्गत कार्क या डाट के लिए तीक्ष्ण किनारे वाले ब्लैक भी हैं)
143.	4503	प्राकृतिक कार्क की वस्तुएं जैसे कार्क और स्टापर, शटलकाक कार्क आधार
144.	4504	संपीडित कार्क (बंधक पदार्थ सहित या उसके बिना) और संपीडित कार्क की वस्तुएं
145.	4803	शौच या अनन उतक स्टाक, तौलिया या नैपकिन स्टाक और वैसा ही कागज जिसका उपयोग घरेलू या स्वच्छता प्रयोजन के लिए किया जाता है, सेलुलोस बैडिंग और सेलुलोस फाइबर के जाल, चाहे क्रेपित, व्याकुचित, समुद्रभूत, छिद्रित, पृष्ठ रंजित, पृष्ठ सज्जित या मुद्रित हैं या नहीं, रोलों या शीटों में
146.	4806 [4806 20 00, 4806 40 10 को छोड़कर]	वनस्पति पार्चमेंट, अनुरेखण कागज और अन्य कांचित पारदर्शी या अस्पारदर्शी कागज, रोलों या शीटों में (चिकनाई रोधी कागज, ग्लैसिंग कागज से भिन्न)
147.	4809	कार्बन कागज, स्वतः प्रतिलिपि कागज और अन्य प्रतिलिपि या अनुचित्रण कागज (जिसके अंतर्गत अनुलिपित्र स्टेन्सिल या आफसेटों प्लेटों के लिए विलेपित या संसेचित कागज हैं) चाहे मुद्रित हैं या नहीं, रोलों में या शीटों में
148.	4811	शीर्ष 4803, 4809 या 4810 में वर्णित प्रकार के माल से भिन्न कागज पेपर बोर्ड, सेलुलोसी बैडिंग और सेलुलोसी फाइबर के जाल, विलोपित, संसेचित, आच्छादिक, पृष्ठरंजित, पृष्ठ सज्जित या मुद्रित, जो रोलों या आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी हैं) शीटों में, किसी भी आकार में हैं (एसेप्टिक पैकेजिंग कागज से भिन्न)
149.	4812	कागज के लुगदी के फिल्टर ब्लाक, सिल्लियां और प्लेट
150.	4813	सिगरेट का कागज चाहे आमाप में या पुस्तिकाओं में नलिका के रूप में कर्तित है या नहीं
151.	4816	कार्बन कागज, स्वतः प्रतिलिपिकरण कागज और अन्य प्रतिलिपिकरण या अनुचित्रण कागज (उनसे भिन्न जो शीर्ष 4809 के अंतर्गत आते हैं) कागज की अनुलिपित्र, स्टेंसिल और आफसेट प्लेटें, चाहे वे बक्सों में रखी हैं या नहीं
152.	4817 [4817 30 को छोड़कर]	कागज या पेपर बोर्ड के लिफाफे, पत्र कार्ड, सादा पोस्ट कार्ड, पत्राचार कार्ड (कागज या पेपर बोर्ड के बाक्स, पाउच, लेखन संक्षिप्त संग्रह, थैली जिसमें कागज लेखन सामग्री का संकलन अंतर्विष्ट है)
153.	4818	शौच कागज और वैसा ही कागज, सेलुलोस वेडिंग या सेलुलोस फाइबर के जाल, उस प्रकार के जिनका उपयोग घरेलू या स्वच्छता प्रयोजनों के लिए किया जाता है, रोलों या ऐसी चौड़ाई के जो 36 सेंटीमीटर से अधिक न हो; या आकार अथवा मास में कर्तित, कागज की लुगदी, कागज, सेलुलोस बैडिंग या सेलुलोस फाइबर के जाल के रुमाल, निर्मल उतक, तौलिया, मेजपोश, सर्वियट, शिशु नेपकीन, टेम्पन, बिछावन और वैसी ही गृहस्थी, स्वच्छता या अस्पताल की वस्तुएं, परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन
154.	4820	कागज सा पेपर बोर्ड के रजिस्टर, लेखाबही, नोटबुक, आर्जर बुक, रसीद बुक, पत्र पैड, ज्ञापन पैड, डायरी और वैसी ही वस्तुएं, अभ्यास पुस्तिकाएं, स्याही सोख बैड, बंधक (लूज लीफ या अन्य) फोल्डर, फाइल कवर, बहुमुख कारबारी प्ररूप, अंतर पत्रित कार्बन सैट और लेखन सामग्री की अन्य वस्तुएं, कागज और पेपर बोर्ड का नमूनों के लिए या संग्रहणों के लिए एलबम और पुस्तिका आवरण (नोटबुक और अभ्यास पुस्तिका से भिन्न)
155.	4821	कागज या पेपर बोर्ड लेबल, सभी क्रकार, चाहे मुद्रित हैं या नहीं

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
156.	4822	कागज लुगदी, कागज या पेपर बपोर्ड के बोबिन, स्पूल, कोप और वैसे ही आलम्ब (चाहे छिद्रित या दृढीकृत हैं या नहीं)
157.	4823	अन्य कागज, पेपर बोर्ड, सेलुलोस बैडिंग और सेलुलोस फाइबर के जाल जो आमामप या आकृति कर्तित में हैं; कागजी लुगदी, कागज, पेपर बोर्ड, सेलुलोस बैडिंग या सेलुलोस फाइबर के जाल की अन्य वस्तुएं (कागज लुगदी से बनी गद्दी गुई, ब्रेली पेपर से भिन्न)
158.	5401	मानव निर्मित फिलामेंट का सिलाई का धागा, चाहे फुटकर विक्रय के लिए रखा गया है या नहीं
159.	5402, 5404, 5406	संश्लिष्ट फिलामेंट सूत जैसे नायलान, पालिस्टर, ऐक्रेलिक इत्यादि
160.	5403, 5405, 5406	सभी कृत्रिम फिलामेंट सूत जैसे विस्कोस रेयन, कुप्रामोनियम इत्यादि
161.	5501, 5502	संश्लिष्ट या कृत्रिम फिलामेंट टो
162.	5503, 5504, 5506, 5507	संश्लिष्ट या कृत्रिम स्टेपल फाइबर
163.	5505	मानव निर्मित फाइबर के अपशिष्ट
164.	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर का सिलाई धागा
165.	5509, 5510, 5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर का सूत
166.	6401	जलसह जूतादि, जिनके बाहरी तल्ले और ऊपर के भाग रबड़ या प्लास्टिक के हैं, जिनके ऊपर के भाग न तो तल्ले से जुड़े हैं और न ही सिलाई, रिबेट, कील, पेंच, प्लग लगाकर या वैसी ही प्रक्रियाओं से समंजित हैं
167.	6402	अन्य जूतादि जिनके बाहरी तल्ले और उपरला रबड़ या प्लास्टिक के हैं
168.	6403	ऐसे जूतादि जिनके बाहरी तल्ले रबड़, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रण चमड़े के हैं और उपरला चमड़े के हैं
169.	6404	ऐसे जूतादि जिनके बाहरी तल्ले रबड़, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रण चमड़े के हैं और उपरला टैक्सटाइल के हैं
170.	6405	अन्य जूतादि
171.	6406	जूतादि के भाग (जिनके अंतर्गत उपरला है याहे वह बाहरी तल्लों से भिन्न तल्लों से संलग्न हों या नहीं), निकाले जा सकने वाले पेटावे, ऐड़ी गद्दी और इसी प्रकार की वस्तुएं; गेटर, लेगिंग और उसी प्रकार की वस्तुएं, और उनके भाग
172.	6501	हैट प्ररूप, हैट ढांचे और फेलेट हुड जो न तो आकार में ब्लाकित है और न ही निर्मित बाढ़ सहित हैं; फेलेट के प्लैटुक्स और मानचोन (जिसके अंतर्गत स्लिट मानचोन भी है)
173.	6502	हैट आकार, जो संग्रथित हैं या किसी भी सामग्री की पट्टियों को समंजित करके बनाए गए हैं और न तो आकार में ब्लाकित हैं और न ही निर्मित बाढ़ सहित, न अस्तर लगे हैं और न झालर लगे हैं
174.	6504 00 00	हैट और सिर के अन्य पहनावे, जो संग्रथित हैं या किसी भी सामग्री की पट्टियों को समंजित करके बनाए गए हैं, उनमें चाहे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं
175.	6505	हैट और सिर के अन्य पहनावे, बुने हुए या क्रोशियाकृत या लैस, नमदे या अन्य टैक्सटाइल फैब्रिक से निर्मित, थान में (किंतु पट्टियों में नहीं), चाहे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं; किसी भी सामग्री के केश जाल; चाहे वे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं
176.	6506	सिर के अन्य पहनावे, चाहे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं
177.	6507	सिर के पहनावों के लिए शीर्ष पट्टियां, अस्तर, आच्छद, हैट आधार, हैट ढांचा, शिखर और चिबुकफीता

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
178.	6804	घर्षण, शाणन, पालिशकरण, चुइंग या कर्तन के लिए बिना ढांचे के पेषण प्रस्तर, घर्षण प्रस्तर, शाण चक्र और ऐसी ही वस्तुएं, हस्त शाणन या पालिशकरण प्रस्तर और उनके भाग, जो प्राकृतिक प्रस्तर के, संपिंडित प्राकृतिक या कृत्रिम अपघर्षकों के या चीनी मिट्टी के हैं, जिनमें अन्य सामग्रियों के भाग हैं या नहीं
179.	6805	कागज के, पेपर बोर्ड के या अन्य सामग्रियों की टेक्सटाइल सामग्री के आधार पर प्राकृतिक या कृत्रिम अपघर्षक पाउडर या कण, चाहे वे निश्चित आकार में कर्तित या सिले या अन्यथा बनाए गए हैं या नहीं
180.	6806	धातुमल ऊन, शेल ऊन और इसी प्रकार के खनिज ऊन अपशक्तित वर्मिक्यूलाइट, प्रसारित मृदा, फेनित धातुमल और ऐसी ही प्रसारित खनिज सामग्री, ताप रोधी, ध्वनि रोधी या ध्वनि अवशोषकों के मिश्रण और वस्तुएं, उनसे भिन्न जो शीर्ष 6811 या 6812 या अध्याय 69 की हैं
181.	6810	प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप
182.	6811	ऐस्बेस्टास सीमेंट की, सेलुलोस फाइबर- सीमेंट की वस्तुएं या वैसी ही
183.	6902	उच्चतापसह ईंटें, ब्लाक, टाइलें और वैसे ही उच्चतापसह चीनी मिट्टी के सन्निर्माण माल, उनसे भिन्न जो सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी के हैं
184.	6903	अन्य उच्चतापसह चीनी मिट्टी के (माल उदाहरणार्थ, भभका, मूसी, मफल, चंचु, प्लग, आलंब, खर्पर, नलिका, पाइप, आवरक और छड़ें), उनसे भिन्न जो सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी के हैं
185.	6906	साल्ट गलेज्ड स्टोन वेयर पाइप
186.	6911	पार्सिलेन या चाइना के खाने-पीना के वर्तन, रसोई के वर्तन, अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं
187.	6912	चीनी मिट्टी के खाने-पीने के वर्तन, रसोई के वर्तन, अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं, उनके भिन्न जो पार्सिलेन या चाइना की हैं [मिट्टी के घड़े और मृत्तिका क्ले से भिन्न]
188.	7001	भंग कांच और कांच के अन्य अपशिष्ट और स्क्रैप; स्थूल रूप में कांच
189.	7002	कांच गुलिका (शीर्ष 7018 के सूक्ष्मगोलक से भिन्न); छड़ या नलिका रूप में अक्रमित
190.	7010	कांच के कारबाय, बोटलें, फ्लास्क, जार, पौट, शीशियां, एम्पूल और अन्य आद्यान, उस प्रकार के जो माल को लाने-ले-जाने या पैक करने के काम आते हैं, कांच के परिरक्षण जारकांच से बने स्टापर, ढक्कन और अन्य संवरक
191.	7013	इस प्रकार के कांच का, जिसका उपयोग मेज, रसोईघर, प्रसाधन, कार्यालय आंतरिक सजावट या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता हो (उनके भिन्न जो शीर्ष 7010 या 7018 में हैं)
192.	7015	घड़ी या हाथ घड़ी के कांच और इसी प्रकार के कांच, सही न किए जा सकने या सही किए जा सकने वाले चश्मों के लिए कांच, घुमावदार, मुड़े हुए, खोखले या उसी प्रकार के, प्रकाशीय रूप से कर्मित न हों; खोखले या उसी प्रकार के, प्रकाशीय रूप से कर्मित न हों; खोखले कांच गोले और उनके टुकड़े, जो इस प्रकार के कांच के निर्माण में काम आते हैं
193.	7017	प्रयोगशाला, स्वच्छता या दवाई के लिए कांच से सामान चाहे वे क्रमांकित या अंशांकित हैं या नहीं
194.	7018	कांच के मनके, नकली मोती, नकली बहुमूल्य रत्न या कम मूल्यवान और वैसे ही कांच के छोटे सामान और उनकी वस्तुएं, जो नकली आभूषण से भिन्न हैं, कृत्रिमांग वस्तुओं से भिन्न कांच के नेत्र; लैम्प कर्मित कांच की लघु प्रतिमाएं और अन्य आभूषणनकली आभूषण से भिन्न; कांच के सूक्ष्मगोलक जिनका व्यास 1 मिलीमीटर से अधिक नहीं है
195.	7019	कांच फाइबर (जिनके अंतर्गत कांच ऊर्ण है) और उनकी वस्तुएं (उदाहरणार्थ सूत, व्यूतित फैब्रिक है)
196.	7201	कच्चा लोहा और स्पेगेलाइजेन कच्चा लोहा, ब्लाकों या अन्य प्राथमिक रूपों में
197.	7202	लौह मिश्रातु

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
198.	7203	लौह अयस्क के प्रत्यक्ष अपचयन द्वारा प्राप्त लौह उत्पाद और अन्य स्पंजी लौह-उत्पाद प्रपिंडकों, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में; लौह, जिनमें भार के आधार पर न्यूनतम शुद्धता 99.94 प्रतिशत है, प्रपिंडकों, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में
199.	7204	लौह अपशिष्ट और स्क्रेप; लौह या इस्पाद के पुनर्गलनशील स्क्रेप पिंड
200.	7205	कच्चे लौह, स्पीगेलाइजेन, लौह या इस्पाद की कणिकाएं और चूर्ण
201.	7206	लौह या अमिश्रातु इस्पात, पिंडों में या अन्य प्राथमिक रूपों में (शीर्ष 7203 का लौह छोड़कर)
202.	7207	लौह या अमिश्रातु इस्पात के अर्ध-परिसज्जित उत्पाद
203.	7208 से 7212	लौह या अमिश्रातु इस्पात के सभी सपाट बेल्लित उत्पाद
204.	7213 से 7215	लौह या अमिश्रातु इस्पात की शलाकाएं और छड़ें
205.	7216	लौह या अमिश्रातु इस्पात के ऐंगिल, आकार और सेक्शन
206.	7217	लौह या अमिश्रातु इस्पात के तार
207.	7218	स्टेनलेस इस्पात, पिंडों या अन्य प्राथमिक रूपों में; स्टेनलेस इस्पात के अर्धपरिसज्जित उत्पाद
208.	7219, 7220	स्टेनलेस इस्पात के सभी सपाट-बेल्लित उत्पाद
209.	7221, 7222	स्टेनलेस इस्पात की सभी शलाकाएं और छड़ें
210.	7223	स्टेनलेस इस्पात के तार
211.	7224	अन्य मिश्रातु इस्पात पिंडों या अन्य प्राथमिक रूपों में अन्य मिश्रातु इस्पात के अर्ध-परिसज्जित उत्पाद
212.	7225, 7226	अन्य मिश्रातु इस्पात के सपाट बेल्लित उत्पाद
213.	7227, 7228	अन्य मिश्रातु इस्पात की शलाकाएं और छड़ें
214.	7229	अन्य मिश्रातु इस्पात के तार
215.	7301	लौह या इस्पात की शीट पाइलिंग, चाहे प्रबेधित, छिद्रित या समायोजित तत्वों से बनाई गई है या नहीं; लौह या इस्पात के बेल्लित ऐंगिल, आकार और सेक्शन
216.	7302	लौह या इस्पात की रेल या ट्राम पथ निर्माण सामग्री, अर्थात् निम्नलिखित रेल पटरियां, चैक रेल पटरियां और रैक रेल पटरियां, स्विच फ्लक, त्रियक, फ्राग, प्वाइंट छड़ें और अन्य त्रियक खंड, स्लीपर (त्रियक बंध), फिश प्लेटें, कुर्सियां, कुर्सियों के वैज, तल पट्टी (बेस प्लेट) रेल क्लिप, बेड प्लेटें, बंध और रेल की पटरियों को जोड़ने या लगाने के लिए विशेष अन्य सामग्री
217.	7303	ढलवां लोहे की नलिकाएं, पाइपें और खोखले प्रोफाइल
218.	7304	लोहे (ढलवां लोहा से भिन्न) या इस्पात की सीवनहीन नलिकाएं, पाइपें और खोखले प्रोफाइल
219.	7305	लौह और इस्पात की अन्य नलिकाएं और पाइपें (उदाहरणार्थ, बेल्लित, रिबेटित या उसी रूप में बंद), आंतरिक और बाह्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट वाली, जिनका बाहरी व्यास 406.4 मिलीमीटर से अधिक है
220.	7306	लौह और इस्पात की अन्य नलिकाएं, पाइपें और खोखले (उदाहरणार्थ, विवृत सीवन, या बेल्लित, रिबेटित या उसी रूप में बंद)
221.	7307	लौह और इस्पात की अन्य नलिका या पाइप फिटिंगें (उदाहरणार्थ, युग्मक, एल्बों, स्लीव)
222.	7308	लौह और इस्पात की संरचनाएं (शीर्ष सं0 94.06 के पूर्व संविरचित निर्माण को छोड़कर) और संरचनाओं के भाग (उदाहरणार्थ, पुल और पुल-परिच्छेद, पाश द्वार, टावर जालक मस्तूल, छतें, छत ढांचे, दरवाजे और खिड़कियां और उनकी चौखटें तथा दरवाजों के लिए देहली, शटर,

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		बलयालम्ब, खम्बा और स्तंभ) ; लौह और इस्पात की प्लेटें, छड़ें, ऐंगित, आकार, सेक्शन, नलिकाएं और वैसी ही वस्तुएं, जो संरचनाओं में उपयोग के लिए निर्मित हैं [पारेषण टावरों से भिन्न]
223.	7309	किसी सामग्री (संपीडित या द्रवित गैस से भिन्न) के लिए लौह या इस्पात के कुंड, टंकियां, बेट और वैसी ही आधान, जिनकी धारिता 300 लिटर से अधिक है, चाहे आस्तरित या तापरोधित हैं या नहीं, किंतु यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं किए गए हैं
224.	7310	किसी अन्य सामग्री (संपीडित या द्रवित गैस से भिन्न) के लिए टंकी, वाल्व, ड्रम के बक्से और समरूप आधान, जिनकी धारिता 300 लिटर से अधिक है, चाहे आस्तरित या तापरोधित हैं या नहीं, किंतु जिनमें यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं किए गए हैं
225.	7311	संपीडित या द्रवित गैस के लिए लौह या इस्पात के आधान
226.	7312	लौह या इस्पात के गुंफित तार, रस्से, केबुल, संग्रथन पट्टा, उद्वंधन (सिलिंग) और वैसी ही वस्तुएं, जो विद्युत्रोधी नहीं हैं
227.	7313	लौह या इस्पात के कंटकित तार ; लौह या इस्पात के इस प्रकार के व्यावर्तित हूप या एकल चपटा तार, चाहे कंटकित है या नहीं, और ढीला व्यावर्तित दोहरा तार, जिसका उपयोग बाड़ लगाने के लिए किया जाता है
228.	7314	लौह या इस्पात के तार का कपड़ा (जिसके अंतर्गत अंतहीन पट्ट है), ग्रिल, जाली और बाड़, लौह या इस्पात की प्रसारित धातु
229.	7315	लौह या इस्पात की जंजीर और उसके पुर्जे, जो शीर्ष सं0 7315 20, 7315 81, 7315, 82, 7315 89, 7315 90 के अधीन आते हैं
230.	7316	लौह या इस्पात में ऐंकर, ग्रेपनेल्स और उसके पुर्जे
231.	7317	लौह या इस्पात की कील, विरंजी, आरेखन पिन, लहरदार कीलें, स्टेपल (शीर्ष सं0 8305 से भिन्न) और वैसी ही वस्तुएं, चाहे उनके शीर्ष अन्य सामग्री के हैं या नहीं, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी वस्तुएं नहीं हैं, जिनके शीर्ष ताम्र के हैं
232.	7318	लौह या इस्पात के पेंच, बोल्ट, नट, कोच-पेंच, पेंच हुक, रिबट, कोटर, कोटर पिन, वाशर (जिसके अंतर्गत कमानी वाशर है) और वैसी ही वस्तुएं
233.	7319	हाथ में उपयोग के लिए, लौह या इस्पात की सिलाई की सुइयां, बुनाई की सुइयां, सूआ, क्रोशिया हुक, कसीदाकारी स्टीलेट और वैसी ही वस्तुएं ; लौह या इस्पात के सेफ्टी पिनें और अन्य पिनें, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
234.	7320	लौह और इस्पात की स्प्रिंग, स्प्रिंग और पत्तियां
235.	7321	एल.पी.जी. स्टोव
236.	7323	लौह या इस्पात की ऊन ; पॉट स्कोर और खुरचन अथवा पालिस करने के पैड, दस्ताने और लौह या इस्पात के सदृश सामान
237.	7325	लौह या इस्पात की अन्य ढलवां वस्तुएं ; जैसे, चक्कियों के लिए पेषणगुलिका और वैसी ही वस्तुएं, पोत या यान के लिए रडर, मल जल या वैसी ही प्रणाली के लिए नाली के ढक्कन, प्लेट और फ्रेम
238.	7326	लौह और इस्पात की अन्य वस्तुएं, फोर्जित या स्टांपित, किंतु और कर्मित नहीं ; जैसे, चक्कियों के लिए पेषणगुलिका और वैसी ही वस्तुएं, आटोमोबाइल और अर्थमूविंग उपस्कर, लोह या

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		इस्पात तार की वस्तुएं, टायर वीड तार रिंग, जो साइकिल और साइकिल रिक्शा के टायर बनाने में उपयोग के लिए हैं, स्टील की बेल्ट रस्सी, मशीनरी बेल्ट के लिए बेल्टफास्टनर्स, मल, जल या वैसी ही प्रणाली के लिए नाली के ढक्कन, प्लेटें और फ्रेम, इलैमिल्ड लोहे की छड़ें (बर्तन और साइनबोर्ड को छोड़कर), स्टेनलैस स्टील की विनिर्मितायां (बर्तनों को छोड़कर), क्लैड धातु की वस्तुएं
239.	7401	ताम्र मैट ; सीमेंट ताम्र (अवक्षेपित ताम्र)
240.	7402	अपरिष्कृत ताम्र ; विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए ताम्र ऐनोड
241.	7403	परिष्कृत ताम्र और ताम्र मिश्रधातुएं, अनगढ़
242.	7404	ताम्र अपशिष्ट और स्क्रेप
243.	7405	ताम्र की प्रधान मिश्रधातुएं
244.	7406	ताम्र चूर्ण और पत्रक
245.	7407	ताम्र शलाकाएं, छड़े और प्रोफाइल
246.	7408	ताम्र तार
247.	7409	ताम्र प्लेटें, चादरें और पट्टियां, जिनकी मोटाई 0.12.5 मिलीमीटर से अधिक है
248.	7410	ताम्र पर्णिका
249.	7411	ताम्र नलिका और पाइप
250.	7412	ताम्र नलिका या पाइप फिटिंग (उदाहरणार्थ, युग्मक, एल्बो, स्लीव)
251.	7413	गुम्फित तार और केबल
252.	7415	ताम्र की या ताम्र शीर्ष वाली लौह या इस्पात की कीलें, विरंजी, आरेखण पिन, स्टैपिल (उनसे भिन्न, जो शीर्ष सं० 83.05 की है) और वैसी ही वस्तुएं ; ताम्र के पेच, बोल्ट, नट, पेंच, हुक, रिबेट, कोटर पिन, वाशर (जिसके अंतर्गत कमानी वाशर हैं) और वैसी ही वस्तुएं
253.	7419 91 00	धातु संचकन
254.	7501	निकेल मेट, निकेल आक्साइड सिंटर और निकेल धात्विकी के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद
255.	7502	अनगढ़ निकेल
256.	7503	निकेल अपशिष्ट और स्क्रेप
257.	7504	निकेल चूर्ण और पत्रक
258.	7505	निकेल शलाकाएं, छड़े, प्रोफाइल और तार
259.	7506	निकेल प्लेटें, चादरें, पट्टी और पर्णिका
260.	7507	निकेल नलिकाएं, पाइपें और नलिका या पाइप फिटिंगें (उदाहरणार्थ, युग्मक, एल्बो, स्लीव)
261.	7508	निकेल की अन्य वस्तुएं
262.	7601	ऐलुमिनियम मिश्रातु; जैसे पिंड, बिलेटें, तार-शलाकाएं, तार-छड़े
263.	7602	ऐलुमिनियम अपशिष्ट और स्क्रेप
264.	7603	ऐलुमिनियम चूर्ण और पत्रक
265.	7604	ऐलुमिनियम शलाकाएं, छड़े और प्रोफाइल

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
266.	7605	ऐलुमिनियम तार
267.	7606	ऐलुमिनियम प्लेटें, चदरें और पट्टी, जिनकी मोटाई 0.2 मिलीमीटर से अधिक है
268.	7607	ऐलुमिनियम पर्णिका (चाहे मुद्रित या कागज, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या वैसी ही पृष्ठन सामग्री से पृष्ठित है या नहीं) जिनकी मोटाई (पृष्ठक को छोड़कर) 0.2 मिलीमीटर से अधिक नहीं है
269.	7608	ऐलुमिनियम नलिकाएं और पाइपें
270.	7609	ऐलुमिनियम नलिका या पाइप फिटिंगें (उदाहरणार्थ, युग्मक, ऐल्बो, स्लीव)
271.	7610 (7610 10 00 से भिन्न)	ऐलुमिनियम संरचना (शीर्ष सं0 94.06 के पूर्व संविरचित निर्माण और 7610 10 00 के अधीन दरवाजों, खिड़कियों और उनके फ्रेम तथा दरवाजों के लिए चौखटों को छोड़कर) और संरचना के भाग (उदाहरणार्थ, पुल और पुल-परिच्छेद, टावर जालक मस्तूल, छतें, छत ढांचा, बलयालम्ब, खम्बा और स्तंभ) ; ऐलुमिनियम प्लेटें, छड़ें, प्रोफाइल नलिकाएं और वैसी ही वस्तुएं, जो संरचना में उपयोग के लिए तैयार की गई हैं
272.	7611	ऐलुमिनियम कुंड, टंकियां, बैट और वैसे ही आधान, किसी भी सामग्री के (संपीडित या द्रवित गैस से भिन्न), जिनकी धारिता 500 लिटर से अधिक है, चाहे अस्तारित या तापरोधित हैं या नहीं, किंतु जिनमें यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं हैं
273.	7612	ऐलुमिनियम कास्क, ड्रम, केन, बॉक्स, आदि
274.	7613	संपीडित या द्रवित गैस के लिए ऐलुमिनियम आधान
275.	7614	गुंफित तार और केबल
276.	7616	ऐलुमिनियम की अन्य वस्तुएं
277.	7801	अनगढ़ सीसा
278.	7802	सीसा अपशिष्ट और स्क्रेप
279.	7804	सीसा प्लेटें, चदरें, पट्टी और पर्णिका ; सीसा चूर्ण और पत्रक
280.	7806	सीसे की अन्य वस्तुएं (जिसके अंतर्गत सैनेटरी फिक्सचर और भारतीय सीसा सील है)
281.	7901	अनगढ़ जस्ता
282.	7902	जस्ता अपशिष्ट और स्क्रेप
283.	7903	जस्ता धूल, चूर्ण और पत्रक
284.	7904	जस्ता शलाकाएं, छड़े, प्रोफाइल और तार
285.	7905	जस्ता प्लेटें, चदरें, पट्टी और पर्णिका
286.	7907	जस्ता की अन्य वस्तुएं, जिसके अंतर्गत सैनेटरी फिक्सचर है
287.	8001	अनगढ़ टिन
288.	8002	टिन अपशिष्ट और स्क्रेप
289.	8003	टिन शलाकाएं, छड़े, प्रोफाइल और तार
290.	8007	टिन की अन्य वस्तुएं
291.	8101 to 8112	अन्य आधार धातुएं, अर्थात् टंगस्टेन, मालिब्डेनम, टैंटलम, मैंगनीशियम, कोबाल्ट मेट, और कोबाल्ट धात्विकी के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद, बिस्मथ, कैडमियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, एंटीमनी, मैंगनीज, बेरिलियम, क्रोमियम, जर्मोनियम, वनैडियम, गैलियम, हेफ़नियम, ईण्डीयुम,

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		नाइओबियम (कोलम्बियम), रेनीयाम और थालियम तथा उनकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप हैं
292.	8113	समेंट और उनकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप हैं
293.	8202	हस्त आरी ; सभी प्रकार के आरों के ब्लेड (जिनके अंतर्गत विदारण, खांचन या दंतहीन आरा ब्लेड हैं)
294.	8203	रेतियां और मोटी रेतियां, प्लास (जिसके अंतर्गत कर्तन प्लास है), सडसी, चिमटे, धातु समाकर्तित्र, पाइप कर्तित्र, बोल्ट प्रकर्तित्र, छिद्रण पंच और वैसे ही हस्त-औजार
295.	8204	हस्त प्रचालित पाना और रिंच (जिनके अंतर्गत बलाधूर्णामापी रिंच है, किंतु टेप रिंच नहीं है) ; अंतर परिवर्तनीय पाना साकेट, हथे वाले या बिना हथे वाले
296.	8205	हाथ के औजार (जिसके अंतर्गत कांच कर्तक हीरक है), जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; धमन लैंप ; वाक, शिकंजा और वैसे ही चीजें, उनसे भिन्न, जो मशीन औजारों या वाटर जेट कर्तन मशीनों के उपसाधन और उनके पुर्जे हैं ; एनविल ; सुबाह्य फोर्ज ; हस्त या पाद चालित शाणचक्र ढांचे सहित
297.	8206	शीर्ष सं0 8202 से 8205 में के दो या अधिक शीर्षों के औजार, जो खुदरा विक्रय के लिए सेट में रखे गए हैं
298.	8207	हाथ के औजारों के लिए, चाहे शक्ति चालित है या नहीं या मशीन औजारों के लिए (उदाहरणार्थ, निपीडन, स्टांपन, छिद्रण, टेंपन, चूड़ी बनाने, प्रवेधन, वेधन, ब्रोचन, भ्रमी कर्तन, खरादन या पेच कसने के लिए) अंतर-परिवर्तनीय औजार, चाहे उसके अंतर्गत धातु कर्षण या उत्सारण के लिए रूपदा है या नहीं और शैल प्रवेधन या भूवेधन औजार
299.	8208	मशीनों या यांत्रिक साधित्रों के लिए छुरी और कर्तन ब्लेड
300.	8209	औजारों के लिए समेंट की प्लेटें, यष्टि, अग्र और वैसे ही वस्तुएं, अनारूढ
301.	8210 00 00	हस्त प्रचालित यांत्रिक साधित्र, जिनका भार 10 किलोग्राम या उससे कम है और जिनका उपयोग भोजन या पेय को तैयार करने, अनुकूलित करने या परोसने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है
302.	8213 00 00	कैंची, दर्जी की कैंची और इसी प्रकार के समाकर्तित्र तथा उनके लिए ब्लेड्स
303.	8301	आधार धातु के वियोज्य ताले और ताले (चाबी, संयोजन या विद्युत प्रचालित) ; आधार धातु के खटके और खटकों सहित फ्रेम, जिनमें ताले बने हुए हैं ; पूर्वगामी वस्तुओं में से किन्हीं के लिए आधार धातु की चाबियां
304.	8306	आधार धातु की घंटियां, घंटे और वैसे ही वस्तुएं, जो विद्युत की नहीं हैं ; आधार धातु की लधु प्रतिमाएं और अन्य अलंकरण ; आधार धातु के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम ; आधार धातु के दर्पण
305.	8307	फिटिंग सहित या बिना आधार धातु की नम्य नलिका
306.	8308	आधार धातु के इस प्रकार के खटके, खटकों सहित फ्रेम, बकल, बकल-खटके, हुक, आंखें, अक्षिकाएं और वैसे ही वस्तुएं, जिनका उपयोग कड़ों, जूतादि, आभूषण, कलाई घड़ियां, पुस्तकें, सायबानों, हैंडबैगों, यात्रा की वस्तुओं, अन्य तैयार वस्तुओं, के लिए किया जाता है, आधार धातु के नलिकाकार या द्विशाखित रिबटें, आधार धातु के मनके और सलमें
307.	8309	आधार धातु की डाट, टोपियां और ढक्कन (जिनके अंतर्गत क्राउन कार्क पेच टोपियां और

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		निःस्रावी डारें है), बोटलों के कैप्सूल, चूड़ीदार बंग, बंग आच्छादक, सीलें तथा पैकिंग के अन्य उपसाधन
308.	8311	आधार धातु के या धातु कार्बाइड के तार, छड़े, नलिकाएं, प्लेटें, इलैक्ट्रोड और वैसे ही उत्पाद, जो एक प्रकार की विलेपित या गालक से क्रोडिड सामग्री है, जिनका प्रयोग धातु या धातु कार्बाइडों के सोल्डरन, ब्रेजन, वेल्डिंग या निक्षेपण के लिए किया जाता है ; संपीडित आधार धातु के चूर्ण की ऐसी तार और छड़े, जिनका प्रयोग धातु के फुहारण के लिए किया जाता है
309.	8401	नाभिकीय रिऐक्टर ; समस्थानिक पृथक्करण के लिए मशीनरी और साधित्र
310.	8402	भाप या अन्य वाष्प जनन बायलर (ऐसे केंद्रीय तापन तप्त जल बायलरों से भिन्न, जो निम्नदाब भाप के उत्पादन के लिए भी समर्थ है) ; अतिसत जल बायलर
311.	8403	केंद्रीय तापन बायलर, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 8402 के हैं
312.	8404	शीर्ष सं0 8402 या 8403 के बायलरों के साथ उपयोग के लिए सहायक संयंत्र (उदाहरणार्थ, मितोपयोजित्र, अतितापित्र, कज्जल अपसारित्र, गैस प्रापित्र) ; भाप या अन्य वाष्प शक्ति यूनितों के लिए संधारित्र
313.	8405	प्रोड्यूसर गैस या जल-गैस जनित्र, उनके शोधित्रों सहित या उसके बिना ; ऐसीटिलीन गैसजनित्र और वैसे ही जल प्रक्रम गैसजनित्र, उनके शोधित्रों सहित या उसके बिना
314.	8406	भाप टर्बाइन और अन्य वाष्प टर्बाइन
315.	8410	द्रवचालित टर्बाइन, जलचक्र और उनके नियामक
316.	8411	टर्बोजेट, टर्बो-नोदक और अन्य गैस टर्बाइन - टर्बोजेट
317.	8412	अन्य इंजन और मोटरें (टर्बोजेट, हाइड्रोलिक पावर इंजन और मोटरों, वातिल शक्ति इंजन और मोटरों से भिन्न अभिक्रिया इंजन, अन्य पुर्जे) [पवन टर्बाइन या इंजन से भिन्न]
318.	8416	द्रव ईंधन के लिए, न्यूर्जित ठोस ईंधन के लिए या गैस के लिए भ्राष्ट बर्नर, यांत्रिक स्टोकर, जिनके अंतर्गत यांत्रिक जालिका, यांत्रिक भस्म विसर्जक और वैसे ही साधित्र भी है
319.	8417	औद्योगिक या प्रयोगशाला भ्राष्ट और ओवन, जिसके अंतर्गत भस्मित्र भी हैं, जो बिजली से नहीं चलते हैं
320.	8419 20	चिकित्सा, शल्य क्रिया या प्रयोगशाला निर्जीवाणुकारक
321.	8420	कैलेन्डरिंग या अन्य बेल्लन मशीनें, उनसे भिन्न, जो धातु या कांच के लिए हैं और उनके सिलेंडर
322.	8421	अपकेंद्रित्र, जिसके अंतर्गत अपकेंद्री शुष्कित्र भी हैं ; द्रवों या गैसों के लिए फिल्टरन या शोधन मशीनरी और उपकरण
323.	8422 20 00, 8422 30 00, 8422 40 00, 8522 90 [8422 11 00, 8422 19 00 से भिन्न]	बोलतों या अन्य आधानों को साफ करने या सुखाने के लिए मशीनरी ; बोटलों, कैनों, बॉक्सों, थैलों या अन्य आधानों को भरने, बंद करने, सील करने के लिए मशीनरी या बोटलों, कैनों, बॉक्सों, थैलों या अन्य आधानों पर लेबल लगाने के लिए मशीनरी ; बोटलों, जारों, ट्यूबों और वैसे ही आधानों को कैप्सूल करने के मशीनरी ; पैक करने या आवृत्त करने की अन्य मशीनरी (जिसके अंतर्गत ताप-संकुच आवृत्त मशीनरी है) ; सुपेयों के वातन के लिए मशीनरी [व्यंजन पात्र धोवन मशीनों से भिन्न]
324.	8423	तोलन मशीनरी (जिसके अंतर्गत 5 सेंटीग्राम या अधिक सुग्राहिता की तुला नहीं है), जिसके

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		अंतर्गत भार-प्रचालित गणना या जांच मशीनें है ; सभी प्रकार की तोलन मशीन के बाट [विद्यत या इलैक्ट्रानिक तोलन मशीनरी से भिन्न]
325.	8424	द्रवों या चूर्णों के प्रक्षेपण, परिक्षेपण या फुहारन के लिए यांत्रिक साधित्र (चाहे हस्तप्रचालित है या नहीं) ; फुहारन और वैसे ही साधित्र ; भाप या बालूक्षेपण मशीनें और वैसे ही जैट प्रक्षेपण मशीनें [अग्निशामकों से भिन्न, चाहे आवेशित हैं या नहीं]
326.	8425	घिरनी टैकिल और लंघन उच्चालित्र से भिन्न उच्चालित, विंचें और कैपस्टन ; जैक
327.	8426	पोत डेरिक ; क्रेन, जिनके अंतर्गत केबिल क्रेन भी हैं ; चल उत्कर्ष ढांचा, सहपार्श्व बाहक और संकर्म ट्रक, जिसमें क्रेन फिट की गई है
328.	8431	पुर्जे, जो शीर्ष सं0 8425 से शीर्ष सं0 8430 तक की मशीनरी में पूर्णतः या मुख्यतः उपयोग के लिए उपयुक्त हैं
329.	8435	निवीडित्र, संदलित्र और वैसे ही मशीनरी, जिनका उपयोग वाइन साइडर, फल रस या वैसे ही सुपेयों के विनिर्माण में किया जाता है
330.	8438	औद्योगिक निर्मित या खाद्य या पेय के विनिर्माण के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, ऐसी मशीनरी से भिन्न, जो पशु या अवाष्पशील वनस्पति वसा या तेल के निष्कर्षण या निर्मित के लिए है
331.	8439	रेशेदार सेलुलोसी सामग्री की लुगदी बनाने के लिए या कागज या पेपरबोर्ड बनाने या परिसज्जित करने के लिए मशीनरी
332.	8440	जिल्दसाजी मशीनरी, जिसके अंतर्गत पुस्तक सीवन मशीन है
333.	8441	कागजी लुगदी, कागज या पेपरबोर्ड बनाने के लिए अन्य मशीनरी, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की कर्तन मशीनें हैं
334.	8442	मुद्रण ब्लाक, प्लेटें, वेलन और अन्य मुद्रण घटकों को तैयार करने या बनाने के लिए टाइप ढलाई और टाइप-सेटिंग मशीनरी, उपकरण और उपस्कर (शीर्ष सं0 8456 से शीर्ष सं0 8465 तक के मशीन औजारों से भिन्न) ; मुद्रणटाइप, ब्लाक, प्लेटें, वेलन और अन्य मुद्रण घटक ; मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार किए गए ब्लाक, प्लेटें, वेलन और लिथोमुद्रण प्रस्तर (उदाहरणार्थ, समतल, कणित या पालिशकृत)
335.	8443	शीर्ष सं0 84.42 के मुद्रण टाइप, ब्लाक, प्लेटें, सिलेंडर्स और अन्य मुद्रण संघटकों के माध्यम से मुद्रण के लिए उपयोग की गई मुद्रण मशीनरी ; प्रिंटर [उन मशीनों से भिन्न, जो मुद्रण, प्रतिलिप्यरण या फैक्स पारेषण के दो या अधिक कृत्यों का निष्पादन करती हैं] जो किसी स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी नेटवर्क प्रिंटर से जुड़ने में सक्षम है [प्रतिलिप्यरण मशीन, फैक्स मशीन से भिन्न] ; उनके पुर्जे और उपसाधन [प्रिंट शीर्ष संयोजन और इंक स्प्रे नोजल सहित या उसके बिना इंक कार्ट्रिज से भिन्न]
336.	8444	मानवनिर्मित टेक्सटाइल सामग्री के उत्सारण, कर्षण, संव्यूतन या कर्तन के लिए मशीनें
337.	8445	टेक्सटाइल फाइबर तैयार करने के लिए मशीनें ; कताई, द्विकरण या व्यावर्तन मशीनें और टेक्सटाइल सूत का उत्पादन करने के लिए अन्य मशीनरी ; टेक्सटाइल रीलन या आवलन (जिसके अंतर्गत बाना आवलन भी है) मशीनें और शीर्ष सं0 8446 या शीर्ष सं0 8447 की मशीनों पर उपयोग के लिए टेक्सटाइल सूत तैयार करने के मशीनें
338.	8446	व्यूतन मशीनें (करघा)

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
339.	8447	बुनाई मशीनें, टांका बंधन मशीनें और जिंप, सूत, टूल, लेस, कशीदा, ब्रेड या जाली बनाने के लिए मशीनें और मूर्धन मशीनें
340.	8448	शीर्ष सं० 84.44, 84.45, 84.46 या 84.47 की मशीनरी के साथ उपयोग के लिए सहायक मशीनरी (उदाहरणार्थ, डाबी, जैकर्ड, स्वचालित गतिरोधी, शटल परिवर्तनकारी यंत्रावली) ; इस शीर्ष की या शीर्ष सं० 8444, 8445, 8446 या 8447 की मशीनों के साथ उपयुक्त पुर्जे और उपसाधन (उदाहरणार्थ, तर्कु या तर्कु फ्लायर्स पृष्ठाधार, कंधे, उत्सारण निपिल, शटल, हील्ड और हील्ड-ड्रांचे, हौजरी सुइयां)
341.	8449	थान में या आकारों में नमदा या अब्यूतित के विनिर्माण या परिसज्जन के लिए मशीनरी, जिसके अंतर्गत फैल्ट-हैट बनाने वाली मशीनरी है ; हैटस बनाने के लिए ब्लाक
342.	8451	टैक्सटाइल सूत, फैब्रिक या टैक्सटाइल की निर्मित वस्तुओं के धावन, निर्मल, निष्पीडन, शुष्कन, ईस्त्रीकरण, निपीडन (जिसके अंतर्गत फ्यूजन प्रैस भी है), विरंजन, रंगाई, परिधान, विलेपन या संसेचन के लिए मशीनरी (शीर्ष सं० 8450 की मशीनों से भिन्न) और आधार फैब्रिक पर या फर्श की बिछायतों, जैसे कि लिनोनियन के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले अन्य आलम्ब पर पेस्ट लगाने के लिए मशीनें ; टैक्सटाइल फैब्रिक के रीलन, अरीलन, तहकरण, कर्तन या लहरिया कर्तन के लिए मशीनें
343.	8453	खाल, चर्म या चमड़े को तैयार करने, चर्म संस्करण या कर्मण के लिए जूतादि या खाल, चर्म या चमड़े की अन्य वस्तुओं को बनाने या उनकी मरम्मत के लिए मशीनरी, सिलाई मशीन से भिन्न
344.	8454	धात्विकी या धातु ढलाईशाला में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के परिवर्तित, करछी, पिंडसंच और संचकन मशीनें
345.	8455	धातु रोलिंग मिलें और उनके लिए रोल
346.	8456	सामग्री हटाकर, लेसर या अन्य प्रकाश या फोटोन किरण पुंज, पराध्वनिक, विद्युत विसर्जन, विद्युत रसायन, इलैक्ट्रान किरण पुंज, आयनिक किरण पुंज या प्लाज्मा आर्क प्रक्रिया द्वारा किसी सामग्री के कर्मण के लिए मशीन-औजार
347.	8457	धातु कर्मण के लिए मशीनन केंद्र, यूनिट सन्निर्माण (एकल केंद्र) और बहु केंद्र अंतरण मशीनें
348.	8458	धातु हटाने के लिए खराद (जिसके अंतर्गत वर्तन केंद्र है)
349.	8459	धातु हटाकर प्रवेधन, वेधन, भ्रमी कर्तन, चूड़ी बनाने या टेपन के लिए मशीन औजार (जिसके अंतर्गत वे-टाइप यूनिट हेड मशीनें हैं) शीर्ष सं० 8458 के खराद (जिसके अंतर्गत वर्तन केंद्र है) से भिन्न
350.	8460	घर्षण, प्रस्तर, अपघर्षक या पालिशकरण उत्पादों द्वारा धातु या समेट के विवरन, तीक्ष्णन, घर्षण, शाणन, प्रमार्जन, पालिशकरण या अन्यथा परिसज्जन के लिए मशीन औजार ; शीर्ष सं० 8461 की गियर कर्तन, गियर घर्षण या गियर परिसज्जन मशीन से भिन्न
351.	8461	समतल, आकारन, खांचन, ब्रोचिंग, गियर कर्तन, गियर घर्षण या गियर परिसज्जन, चिराई, कर्तन मशीन-औजार, और धातु, या समेट के अपसारण द्वारा कर्मकारी अन्य मशीन-औजार, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
352.	8462	फोर्जन, धनताडन या रूपदास्टापन द्वारा धातु कर्मण के लिए मशीन- औजार (जिसके अंतर्गत निपीडित्र है) ; बंकन, बलन, ऋजुकरण, सपाटन, समकर्तन, छिद्रणमा या खांचन द्वारा धातु कर्मण के लिए मशीन-औजार (जिसके अंतर्गत निपीडित्र है) ; कर्मण धातु या कार्बाइड के लिए

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		निपीडित्र, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है
353.	8463	सामग्री के अपसारण बिना कर्मण धातु, या समेट के लिए अन्य मशीन-औजार
354.	8464	प्रस्तर, चीनी मिट्टी, कंक्रीट, ऐस्बेस्टास सीमेंट या वैसी ही खनिज सामग्री के कर्मण या कांच के अतस कर्मण के लिए मशीन-औजार
355.	8465	काष्ठ, कार्क, हड्डी, कठोर रबड़, कठोर प्लास्टिक या वैसी ही कठोर सामग्रियों के कर्मण के लिए मशीन-औजार (जिसके अंतर्गत कीलन, स्टैपलन, गोंदन या अन्यथा समायोजन मशीनें भी है)
356.	8466	शीर्ष सं० 8456 से शीर्ष सं० 8465 तक की मशीनों के साथ पूर्णतः या प्रधानतः उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे या उपसाधन, जिनके अंतर्गत कृत्यक या औजार होल्डर, स्वतः खुलने वाले रूपदा शीर्ष, विभाजक शीर्ष, और मशीन-औजारों के लिए अन्य विशेष संलग्नक हैं ; हाथ से कार्य करने के किसी भी प्रकार के औजार के लिए औजार होल्डर
357.	8467	हाथ से कर्म के लिए औजार, वातिल, द्रवचालित या स्वतः पूर्ण वैद्युत या अवैद्युत मोटर सहित
358.	8468	सोल्डरन, ब्रेजन या वेल्डिंग मशीनरी और उपकरण, चाहे कर्तन करने में समर्थ हैं या नहीं, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं० 8512.5 के हैं ; गैस-प्रचालित पृष्ठ पायन मशीनें और साधित्र
359.	8470	परिकलन कृत्यों सहित परिकलन मशीनें और जेब-आकार का डाटा अभिलेखन, पुनरुत्पादन और प्रदर्शन मशीनें ; लेखा मशीनें, डाक टिकट प्रेकन मशीनें, टिकट-निर्गमन मशीनें और वैसी ही मशीनें, जिनमें परिकलन युक्ति लगी है ; कैश रजिस्टर
360.	8471	स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीनें और उनके यूनिट ; चुंबकीय या प्रकाशित रीडर, कूट लिखित रूप में डाटा मीडिया के लिए डाटा अनुलेखन मशीनें और ऐसे डाटा के प्रक्रमण के लिए मशीनें, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
361.	8472	छिद्रण या स्टेप्लिंग मशीनें (स्टेप्लर्स), पेंसिल तीक्ष्णन मशीनें
362.	8473	शीर्ष सं० 8470 से शीर्ष सं० 8472 तक की मशीनों के साथ पूर्णतः या प्रधानतया उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और उपसाधन (आच्छदों, वहन केशों और उसी प्रकार की वस्तुओं से भिन्न)
363.	8474	ठोस रूप में (जिसके अंतर्गत चूर्ण और लेप भी है), मिट्टी, प्रस्तर, अयस्क या अन्य खनिज पदार्थों की छंटाई, अनुवीक्षण, पृथक्करण, धावन, संदलन, पेषण, मिश्रण या मर्दन के लिए मशीनरी ; ठोस खनिज ईंधनों, चीनी मिट्टी के लेपों, अनठोरित सीमेंट, पलस्टर सामग्री या चूर्ण और लेप के रूप में अन्य खनिज उत्पादों के संपिडन, आकारन या संचन के लिए मशीनरी ; रेत के ढलाई सांचे बनाने के लिए मशीनें
364.	8475	विद्युत या इलेक्ट्रानिक लैपों, ट्यूबों या फ्लैश बल्बों को कांच के आवरण में समायोजित करने के लिए मशीनें ; कांच या कांच के सामान के विनिर्माण या तप्त कर्मण मशीनें
365.	8477	रबड़ या प्लास्टिक के कर्मण के लिए या इन सामग्रियों से उत्पादों के विनिर्माण के लिए मशीनें, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
366.	8479	मशीन और यांत्रिक साधित्र, जिनका व्यष्टिक कृत्य है और जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [विमानपत्तनों में उपयोग की गई किस्म से भिन्न यात्री बोर्डिंग पुल (8479 71 00) और अन्य (8479 79 00)]
367.	8480	धातु की ढलाई के लिए संचन बक्से ; संचन आधार ; संचन पैटर्न ; धातु, धातु कार्बाइड, कांच, खनिज सामग्रियों, रबड़ या प्लास्टिक के लिए संच (इंगट संच से भिन्न)
368.	8481	पादपों, बायलर कोशों, टंकियों, वैट या वैसी ही वस्तुओं के लिए टोटियां, कार्क, वाल्व और वैसे

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		ही साधित्र, जिसके अंतर्गत दाब न्यून वाल्व और ताप स्थैतिकतः नियंत्रित वाल्व हैं
369.	8482	बाल बेयरिंग या रोलन बेयरिंग
370.	8486	किसी किस्म के मशीन और साधित्र, जिनका पूर्णतः या प्रधानतया उपयोग अर्द्धचालक बाउलों या वैफरों, अर्द्धचालक युक्तियों, इलैक्ट्रानिकी एकीकृत परिपथों या समतल पैनल प्रदर्शकों के विनिर्माण के लिए किया जाता है ; इस अध्याय के टिप्पण 9(ग) में विनिर्दिष्ट मशीनें और साधित्र ; पुर्जे और उपसाधन
371.	8487	मशीनरी के पुर्जे, जिसमें वैद्युत कनेक्टर, इंसुलेटर, कुंडलियां, कनेक्ट, या अन्य वैद्युत अभिलक्षण अंतर्विष्ट नहीं है, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है
372.	8501	विद्युत मोटरें और जेनरेटर (जेनरेटर सेट को छोड़कर)
373.	8502	विद्युत जेनरेटर सेट और घूर्णी कन्वर्टर
374.	8503	शीर्ष सं० 8501 या शीर्ष सं० 8502 की मशीनों के साथ पूर्णतः या प्रधानतः उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे
375.	8504	ट्रांसफार्मर औद्योगिक इलैक्ट्रानिकी ; विद्युत ट्रांसफार्मर ; स्थैतिक कन्वर्टर (यू.पी.एस.)
376.	8505	विद्युत चुंबक, स्थायी चुंबक और चुंबकन के पश्चात् स्थायी चुंबक होने के लिए आशयित वस्तुएं, विद्युत चुंबकीय या स्थायी चुंबक चक, शिकंजा और बैसी ही धारण युक्तियां ; विद्युत चुंबकीय युग्मक, क्लच और आरोप, विद्युत चुंबकीय उत्कीर्षण शीर्ष
377.	8514	औद्योगिक या प्रयोगशाला विद्युत भ्राष्ट और भट्टी (जिसके अंतर्गत वे भी हैं, जो प्रेरण या परावैद्युत ऊर्जाक्षय द्वारा कार्य करते हैं) ; प्रेरण या परावैद्युत ऊर्जाक्षय द्वारा सामग्रियों के तापन के लिए अन्य औद्योगिक या प्रयोगशाला उपस्कर
378.	8515	विद्युत (जिसके अंतर्गत विद्युत तापित गैस भी है), लेसर या अन्य प्रकाश या फोटो किरणपुंज, पराश्रव्य, इलैक्ट्रान किरणपुंज, चुंबकीय स्पंद या प्लाज्मा आर्क सोल्डरन, ब्रेजिंग या वैल्विंग मशीनें और उपकरण, चाहे वे कर्तन में समर्थ हैं या नहीं ; धातुओं या समेट के तप्त फुहारन के लिए विद्युत मशीनें और उपकरण
379.	8517	टेलीफोन सेट ; ध्वनि, तस्वीर या अन्य डाटा, जिसके अंतर्गत तार या बेतार नेटवर्क (जैसे स्थानीय या व्यापक क्षेत्र नेटवर्क) में संचार के लिए साधित्र हैं, सहित पारेषण या प्राप्ति के लिए अन्य साधित्र, शीर्ष सं० 8443, 8525, 8527 या 8528 के पारेषण या प्राप्ति साधित्र से भिन्न
380.	8518	माइक्रोफोन और उनके स्टैन्ड ; लाउडस्पीकर, चाहे वे अपने आवेष्टनों में आरूढ़ हैं या नहीं [अपने आवेष्टनों में आरूढ़ एकल लाउडस्पीकर से भिन्न], हैडफोन और ईयरफोन, चाहे माइक्रोफोन के साथ संयोजित हैं या नहीं और सैट, जिनमें माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकर हैं ;
381.	8521	वीडियो अभिलेखन या पुनरुत्पादन साधित्र, चाहे उसमें वीडियो ट्यूबर लगा हो या नहीं
382.	8523	ध्वनि अभिलेखन या अन्य परिघटनाओं के अभिलेखन के लिए डिस्क, टैप, सोलिड-स्टेट गैर-वोलेटाइल भंडारण युक्तियां, "स्मार्ट कार्ड" और अन्य मीडिया, चाहे अभिलिखित हों या नहीं, जिसके अंतर्गत डिस्क के उत्पादन के लिए मैट्रिक्स और मास्टर हैं, किंतु अध्याय 37 के उत्पादों को छोड़कर,
383.	8525	क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.)

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
384.	8528	17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर, टेलीविजन (टी.वी.) के लिए सेट टॉप बॉक्स
385.	8532	विद्युत संधारित्र, स्थिर, परिवर्ती या समायोजनीय (पूर्व-निश्चित)
386.	8533	विद्युत प्रतिरोधक (जिसके अंतर्गत धारा नियंत्रक और विभवमापी हैं), ताप प्रतिरोधकों से भिन्न
387.	8534 00 00	मुद्रित परिपथ
388.	8535	विद्युत परिपथों के स्विचन या संरक्षण के लिए या विद्युत परिपथों तक या उनमें संबंधन के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरणार्थ, स्विच, फ्यूज, तड़ित निवर्तक, वोल्टता सीमक, प्रोत्कर्ष निरोधक, प्लग, जंक्शन बाक्स), जो 1,000 वोल्ट से अधिक वोल्टता के लिए हैं
389.	8538	शीर्ष सं० 8535, 8536 या 8537 के उपकरणों के साथ पूर्णतः या मुख्यतः उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे
390.	8539	विद्युत फिलामेंट या विसर्जन लैंप
391.	8540	तापायनिक, अतप्त कैथोड या फोटोकैथोड वाल्व और ट्यूबें (उदाहरणार्थ, निर्वात या वाष्प या गैस भारित वाल्व और ट्यूबें, पारद आर्क दिष्टकारी वाल्व और ट्यूबें, कैथोड-किरण ट्यूबें, टेलीविजन कैमरा ट्यूबें)
392.	8541	डायोड, ट्रांजिस्टर और वैसी ही अर्धचालक युक्तियां ; प्रकाश सुग्राही अर्धचालक युक्तियां ; प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल.ई.डी.) ; आरूढ पीजो-विद्युत क्रिस्टल
393.	8542	इलैक्ट्रानिकी एकीकृत परिपथ
394.	8543	ऐसी विद्युत मशीनें और साधित्र, जिनके विशेष कृत्य हैं और जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
395.	8544	वाइंडिंग तारें ; कोएक्सियल केबल ; प्रकाशीय फाइबर
396.	8545	कार्बन इलैक्ट्रोड
397.	8546	किसी भी सामग्री के विद्युतरोधी
398.	8548	प्राथमिक सैल के अपशिष्ट और स्क्रेप, प्राथमिक बैटरी और विद्युत संचायक, भुक्तशेष प्राथमिक सेल, भुक्तशेष प्राथमिक बैटरियां और भुक्तशेष विद्युत संचायक ; मशीनरी या उपकरण के विद्युत पुर्जे, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
399.	8609	आधान (जिसके अंतर्गत तरल पदार्थों के परिवहन के लिए आधान भी हैं) जो परिवहन के एक या अधिक साधनों द्वारा ले जाए जाने के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित और सुसज्जित हैं [जिसके अंतर्गत प्रशीतित आधान हैं]
400.	8703	निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कारें : क) भारत सरकार का भारी उद्योग विभाग के उप सचिव की पंक्ति से अनूयन कोई अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि उक्त माल दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य है ; और ख) कार का क्रेता एक ऐसा शपथ पत्र देता है कि वह उसके क्रय किए जाने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए कार का व्ययन नहीं करेगा ।
401.	8704	प्रशीतित मोटर यान
402.	8708	ट्रेक्टरों के निम्नलिखित पुर्जे, अर्थात् :-- क. ट्रेक्टर के पिछले पहियों के रीम,

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		<p>ख. ट्रैक्टर की सेंटर हाऊसिंग,</p> <p>ग. पारेषण के लिए ट्रैक्टर हाऊसिंग,</p> <p>घ. ट्रैक्टर सपोर्ट फ्रंट धुरा</p>
403.	8715	शिशु वाहक और उसके पुर्जे
404.	8801	गुब्बारे और डिरिजिबल, ग्लाइडर और अन्य गैर-शक्तिचालित वायुयान
405.	8804	पैराशूट (जिसके अंतर्गत डिरिजिबल पैराशूट और पैराग्लाइडर हैं) और रोटोशूट ; उसके पुर्जे और उसके उपसाधन तथा उसके पुर्जे हैं
406.	8805	वायुयान प्रमोचन गियर, डेक प्रगाही या वैसे ही गियर ; भूतल उड़ान प्रशिक्षक ; उसके पुर्जे
407.	8908 00 00	विभंजन के लिए जलयान और अन्य प्लवी संरचनाएं
408.	9001	प्रकाशिक फाइबर और प्रकाशिक फाइबर बंडल ; प्रकाशिक फाइबर केबल, उनसे भिन्न जो शीर्ष 8544 के हैं ; ध्रुवण सामग्री की चादरें और प्लेटें, किसी भी सामग्री के, प्रिज्म, दर्पण और अन्य प्रकाशिक अवयव, कांच ऐसे अवयवों से भिन्न जो प्रकाशिक रूप से कर्मित नहीं है
409.	9002	किसी भी सामग्री के, अरुढ़, लेंस प्रिज्म, दर्पण और अन्य प्रकाशिक अवयव, जो यंत्रों या उपकरणों, पुर्जे या उनकी फिटिंग है, कांच के ऐसे अवयवों से भिन्न जो प्रकाशिक रूप में कर्मित नहीं है (एनट्राकुलर लेंसों से भिन्न)
410.	9003	चश्मों, धूप के चश्मों या उसकी प्रकार की वस्तुओं के लिए फ्रेम और आरोपण और उनके पूर्जे
411.	9004	चश्मों, धूप के चश्मों और वैसे ही वस्तुएं, संशोधक, संरक्षक या अन्य
412.	9016	5 सेंटीग्राम या उससे अधिक सुग्राहिता की तुलाएं, बाटों सहित या उनके बिना (इलैक्ट्रिक या इलैक्ट्रॉनिक तुलाओं से भिन्न)
413.	9017	हाथ में उपयोग के लिए लंबाई मापने के लिए यंत्र, (उदाहरणार्थ मापन दंड और टेप, माइक्रोमीटर, केलिपर जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं)
414.	9024	मशीनें और साधित्र जो सामग्रियों (उदाहरणार्थ धातु, काष्ठ, टेक्सटाइल, कागज, प्लास्टिक) की कठोरता, प्रबलता, संपीड्यता, प्रत्यास्थता या अन्य यांत्रिक गुणों का परीक्षण करने के लिए है
415.	9025	उत्प्लव धनत्वमापी और वैसे ही प्लावी यंत्र, तापमापी, उल्तापमापी, वायुदाबमापी, आर्द्रतामापी, साइक्रोमीटर, चाहे अभिलेखनयुक्त या नहीं, इन यंत्रों का कोई समुच्चय
416.	9026	शीर्ष 9014, शीर्ष 9015, शीर्ष 9028 या शीर्ष 9032 जिसके अंतर्गत यंत्र और उपकरण को छोड़कर द्रवों या गैसों के प्रवाह, स्तर, दाब या अन्य परिवर्तनीयताओं को मापने या जांचने के लिए यंत्र और उपकरण (उदाहरणार्थ, प्रवाहमापी, स्तर गेज, दाबान्तरमापी, उष्मामापी)
417.	9027	भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए यंत्र और उपकरण (जैसे ध्रुवणमापी, अपवर्तनांक-मापी, स्पेक्ट्रममापी, गैस या धूम्र विश्लेषण उपकरण) ; श्यानता, संरध्रता, प्रसार, पृष्ठ तनाव या वैसे ही अन्य बातों को मापने या जांचने के लिए यंत्र और उपकरण ; उष्मा, ध्वनि या प्रकाश की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए यंत्र और उपकरण (जिनके अंतर्गत उदभासमापी भी है) ; माइक्रोटोम
418.	9028	गैस, द्रव या विद्युत प्रदाय अथवा उत्पादन मापी, जिसके अंतर्गत उनके लिए अंशांकन मापी भी हैं
419.	9029	घ्रूणन गणित्र, उत्पादन गणित्र, टैक्सी-मीटर, मीलमापी, पदगणित्र और वैसे ही वस्तुएं ; गति उपदर्शक और घ्रूणवेगमापी, उनसे भिन्न जो शीर्ष 9014 या शीर्ष 9015 के हैं ; स्ट्रोबोस्कोप

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
420.	9030	विद्युत की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए दोलनदर्शी, स्पेक्ट्रम विश्लेषक और अन्य यंत्र और साधित्र, जिनके अंतर्गत शीर्ष 90.28 के मापी नहीं हैं ; अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रे, अंतरिक्षी या अन्य अयनकारी विकिरणों को मापने या पहचानने के लिए यंत्र या उपकरण
421.	9031	ऐसे मापन जांच यंत्र, उपकरण और मशीनें जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; प्रोफाइल प्रेक्षपित्र
422.	9032	स्वचालित विनियमन या नियंत्रण यंत्र और साधित्र
423.	9033	अध्याय 90 के अंतर्गत आने वाली मशीनों, उपकरणों, यंत्रों, साधित्रों के लिए पुर्जे और उपसाधन (जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं)
424.	9103	घड़ी संचलन सहित बड़ी घड़ियां, जिनके अंतर्गत शीर्ष 9104 की बड़ी घड़ियां नहीं हैं
425.	9105	अन्य घड़ियां
426.	9109	घड़ियों के संचलन, पूर्ण और समंजित
427.	9114	अन्य घड़ियों के पुर्जे
428.	9110	संपूर्ण घड़ी या घड़ी के संचलन, असमंजित या भागतः समंजित (संचलन सेट) ; अपूर्ण घड़ी के संचलन, समंजित ; त्रुटिपूर्ण घड़ी के संचलन
429.	9112	घड़ियों के केस और उनके पुर्जे
430.	9301	रिवाल्वरों, पिस्तौलों से भिन्न सैन्य शस्त्र
431.	9303	अन्य अग्न्यायुध और वैसी ही युक्तियां, जिनका प्रचालन किसी विस्फोटक भरण को दागने से होता है (उदाहरणार्थ क्रीडा शाट गन, और राइफलें, नालमुखभरण अग्न्यायुध, वैरी पिस्तौल और वैसी ही अन्य युक्तियां, जो केवल संकेत प्रदीपक के प्रेक्षपण के लिए अभिकल्पित हैं, ब्लैक गोला-बारुद को दागने के लिए पिस्तौल और रिवाल्वर, कैप्टिववोल्ट हायूमन किलर, लाईन श्रोइंग गन)
432.	9304	अन्य आयुध (उदाहरणार्थ स्प्रिंग, वायु या गैस गन और पिस्तौल, ट्रेन्चन, उनसे भिन्न जो शीर्ष 9307 के हैं)
433.	9305	शीर्ष 9301 से शीर्ष 9304 तक की वस्तुओं के पुर्जे और उपसाधन
434.	9306	बम, ग्रेनेड, तारपीडो, सुरंगें, प्रक्षेपास्त्र और वैसी ही युद्ध सामग्री तथा उनके पुर्जे ; कारतूस और अन्य गोलाबारुद तथा प्रेक्षप्य और उसके पुर्जे, जिसे अंतर्गत शाट तथा कारतूस वाड भी हैं
435.	9307	तलवार, कटार, संगीन, भाला और वैसे ही आयुद्ध तथा उनके पुर्जे और उनके लिए म्यानें और उनके आवरण
436.	9402	चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंत चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय फर्नीचर (उदाहरणार्थ शल्य मेज, परीक्षण मेज, यांत्रिक फिटिंग सहित अस्पताल शैयाएं, दंत चिकित्सक की कुर्सियां) ; नाई की कुर्सियां और वैसी ही कुर्सियां, जिनमें धूर्णन के साथ-साथ अवनतन और उत्पापन, दोनों संचलन हैं ; पूर्वगामी वस्तुओं के साथ पुर्जे
437.	9403	बांस के फर्नीचर
438.	9404	कायर गद्दे, रुई के तकिये, गद्दे और रजाई
439.	9406	पूर्व संविरचित निर्माण
440.	9503	इलैक्ट्रानिक खिलौने जैसे ट्राइसाईकल, स्कूटर, पैडल कार इत्यादि (जिसके अंतर्गत उनके पुर्जे

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
		और उपसाधन भी है)
441.	9506	तरण ताल और पेडलन ताल
442.	9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29, 9606 30	बटन, प्लास्टिक या आधार धातु के, जो टेक्सटाइल सामग्री के अंतर्गत आच्छादित नहीं है, नारियल कवच के बटन, बटन संच
443.	9603 [9603 10 00 से भिन्न]	ब्रुश (जिनके अंतर्गत ऐसे ब्रुश भी हैं जो यंत्रों, साधित्रों या यानों के पुर्जे हैं) हस्तचालित यांत्रिक फर्श अपमार्जक, जिसमें मोटर नहीं लगी है, संमार्जक और पंख डस्टर ; ब्रुश या ब्रुश बनाने के लिए निर्मित गांठें और गुच्छे ; पेंट पैड और बेल्लन ; निष्पीडित्र (रोलर निष्पीडित्र से भिन्न) (हैंडिल के साथ या उसके बिना, झाड़ू और ब्रुश से भिन्न, जो टहनियों या अन्य वनस्पति सामग्री के साथ में बंधी हैं)
444.	9604 00 00	हस्त छन्नी और हस्त प्रचालनी
445.	9605	निजी प्रसाधन, सिलाई या जूते या कपड़े साफ करने के लिए यात्रा सेट
446.	9607	स्लाइड बंधक और उनके पुर्जे
447.	9608	फाउंटन लेखनी, स्टाइलोग्राफी लेखनी और अन्य लेखनी
448.	9610 00 00	बोर्ड, लेखन या आरेखन पृष्ठ सहित, चाहे चौखटयुक्त हैं या नहीं
449.	9612	टाइपराइटर के और वैसे ही रिबन, स्याही युक्त या छाप देने के लिए अन्यथा निर्मित, चाहे वे स्पूलों पर या काट्रिज में है या नहीं ; स्याही पैड, चाहे स्याही युक्त है या नहीं, बाक्स सहित या उसके बिना
450.	9620 00 00	एकलपाद, द्विपाद, त्रिपाद और समान वस्तुएं
451.	9801	<p>मशीनरी की सभी मदें, जिनके अंतर्गत प्राइम मूवर, यंत्र, उपकरण और साधित्र, नियंत्रण गियर और संचरण, उपस्कर, सहायक उपस्कर (जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो अनुसंधान और विकास प्रयोजनों, परीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण के लिए अपेक्षित हैं), और साथ ही सभी संघटक (चाहे परिसज्जित है या नहीं) या पूर्वोक्त मदों और उनके संघटकों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, जो किसी इकाई के आरंभिक स्थापना या किसी विद्यमान इकाई के सारभूत रूप से विस्तार के लिए अपेक्षित है, जो निम्नलिखित विनिर्दिष्ट :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) औद्योगिक संयंत्र, (2) सिंचाई परियोजना, (3) विद्युत परियोजना, (4) खनन परियोजना, (5) तेल या अन्य खनिजों की खोज परियोजना, और (6) ऐसी अन्य परियोजनाओं की, जिन्हें केंद्रीय सरकार, देश के आर्थिक विकासको ध्यान में रखते हुए, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित करें ; <p>और किसी यूनिट की प्रारंभिक स्थापना या किसी विद्यमान यूनिट के विस्तार के लिए अपेक्षित हैं ; और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट माल के मूल्य के 10 प्रतिशत से अनधिक फालतु पुर्जे, अन्य कच्ची सामग्री (जिसके अंतर्गत अर्धपरिसज्जित सामग्री है) या खपने वाले सामान, परंतु यह तब जब कि ऐसे फालतु पुर्जे, कच्ची सामग्री या खपने वाले सामान, पूर्वोक्त मद (1) से मद (6) में वर्णित संयंत्र या परियोजना के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं </p>

क्रम सं.	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
452.	9802	प्रयोगशाला रसायन
453.	कोई अध्याय	माल, जो अनुसूची 1, अनुसूची 2 या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं

अनुसूची IV – 14%

क्रम सं.	अध्याय / उपशीर्ष/शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का वर्णन
1.	1703	मोलेस
2.	1704	चुड़ंग गम/बबल गम और सफेद चॉकलेट, जिसमें कोको नहीं है
3.	1804	कोको मक्खन, वसा और तेल
4.	1805	कोको चूर्ण, जिसमें चीनी या कोई मधुरित पदार्थ न मिलाया गया हो
5.	1806	चॉकलेट और अन्य खादय निर्मितियां, जिनमें कोको अंतर्विष्ट है
6.	1901 90 [1901 10, 1901 20 00 से भिन्न]	माल्ट निष्कर्ष, आटा, दलिया, अवचूर्ण, स्टार्च या माल्ट निष्कर्ष की खाद्य निर्मितियां, जिनमें कोको चूर्ण नहीं है या पूर्णतया वसाहीन आधार पर संगणित भार के आधार पर कोको 40% कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, शीर्ष 0401 से 0404 के माल की खाद्य निर्मितियां, जिनमें कोको चूर्ण नहीं है या पूर्णतया वसाहीन आधार पर संगणित भार के आधार पर कोको 5% कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है [शिशुओं या छोटे बालकों के लिए निर्मितियों से भिन्न, जिन्हें खुदरा विक्रय के लिए रखा गया है और बेकरी के बर्तनों के निर्माण के लिए शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे]
7.	1905 32	वैफल्स और चाकलेट लेपित या चॉकलेट अंतर्विष्ट करने वाले वैफर्स
8.	2101 11, 2101 12 00	कॉफी के निष्कर्ष, सत् और सांद्र और इन निष्कर्षों सतों, या सांद्रों के आधार वाली या कॉफी के आधार वाली निर्मितियां
9.	2106	खाद्य निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् प्रोटीन सांद्र और संव्युतित प्रोटीन पदार्थ मिलाए गए सुरुचिकारक या रंगकारी पदार्थ अंतर्विष्ट करने वाले चीनी सिरप जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; लैक्टोज़ सिरप; ग्लूकोज़ सिरप और माल्टो डैक्सट्रीन सिरप, गैर अल्कोहाली पेयों को बनाने के लिए योगिक निर्मितिया, खाद्य सुरुचिकारक पदार्थ, पान के लिए चूर्ण, कस्टर्डचूर्ण
10.	2106 90 20	पान मसाला
11.	2202 90 90	अन्य गैर अल्कोहाली पेय
12.	2202 10	सभी माल [वातित जल से], जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरित पदार्थ या सुरुचिकारक अंतर्विष्ट हैं
13.	2401	अविनिर्मित तंबाकू, तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू पत्तों से भिन्न]
14.	2402	तंबाकू या तंबाकू विकल्पों के सिगार, चुरुट, सिगरीला और सिगरेट
15.	2403	अन्य विनिर्मित तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू विकल्प ; "समांगिकृत" या "पुनरचित:" तंबाकू ; तंबाकू निष्कर्ष और सत् [बीडी सहित]
16.	2515 12 20, 2515 12 90	संगमरमर और ट्रेवरटाइन, ब्लॉक से भिन्न
17.	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉक से भिन्न
18.	2523	पोर्टलैंड सीमेंट, एल्यूमिनी सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट और समान प्रकार के

		हाईड्रालिक सीमेंट, चाहे रंग या क्लींकर के रूप में हों अथवा नहीं
19.	2710	अवगैस
20.	3208	पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल और लेकर है] जो संप्लिशट बहुलक या रसायनिक रूप में उपांतरित प्राकृतिक बहुलक पर आधारित हैं और जो अजलीय माध्यम परिक्षेपित या विलीन है ; इस अध्याय के टिप्पण 4 में यथापरिभाषित घोल
21.	3209	पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल और लेकर है] जो संप्लिशट बहुलक या रसायनिक रूप में उपांतरित प्राकृतिक बहुलक पर आधारित हैं और जो अजलीय माध्यम परिक्षेपित या विलीन है ;
22.	3210	अन्यपेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल, लेकर और डिस्टेंपर हैं]; इस प्रकार के निर्मित जल वर्णक, जिनका उपयोग चमड़े की परिसज्जा के लिए किया जाता है
23.	3213	कलाकारों, विद्यार्थियों या साइनबोर्ड पेंटों के रंग, रूपांतरण आभाकारी, आमोद-प्रमोद रंग और वैसे ही पदार्थ जो टिक्कियां, ट्यूबों, जारों, बोतलों, पैनों या वैसे ही प्रारूपोंया पैकिंग में है
24.	3214	ग्लैजियर पुट्टी, प्ररोपण पुट्टी, रेसिन सीमेंट, संधिरोधी योगिक और अन्य मैस्टिक ; पेंटर भरक, भवन मुखों, भीतरी दिवारों, अंतस्त्रदों या वैसे ही वस्तुओं के लिए अन्य-उच्चतापसह पृष्ठन निर्मितियां
25.	3303	सुगंध सामग्री और प्रसाधन जल
26.	3304	सौंदर्य या रूप सज्जा निर्मितियां और त्वाचा की परिचर्या के लिए निर्मितियां (औषध द्रव्य से भिन्न) जिनके अंतर्गत धूप रोधक लेप या धूप टैनरोधी निर्मितियां हैं, नख प्रसाधन या पाद प्रसाधन निर्मितियां [काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, अल्टा से भिन्न]
27.	3305 [3305 9011] 3305 90 19 से भिन्न]	सभी माल, अर्थात् केशों पर उपयोग के लिए निर्मितियां जैसे शैम्पू ; स्थायी रूप से घुंघराला या सीधा करने वाली निर्मितियां; के केश लैकर ; ब्रिलियनटाइन(स्पिरिट युक्त); केश क्रीम, केश रंजक (प्राकृतिक , हर्बल या संप्लिष्ट) (केश तेल से भिन्न)
28.	3306 [3306 10 10, 3306 10 20 से भिन्न]	मुख या दांत स्वास्थ्य के लिए निर्मितियां, जिनके अंतर्गत दंत चूर्ण; दांतों के बीच सफाई करने के लिए प्रयुक्त धागा (दंत फ्लौस) पृथक खुदरा पैकजों में [चूर्ण या पेस्ट रूप में (दंत चूर्ण या दंत मंजन) डैंटीफ्राईसिस से भिन्न]
29.	3307	क्षौरपूर्व-, क्षौर या क्षौर पश्च निर्मितियां, शारीरिक गंध हारक, स्नान निर्मितियां, रोमहर और अन्य सुगंध सामग्री, श्रृंगार या प्रसाधन निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; निर्मित कक्ष गंध हारक चाहे सुगंधित या विसंक्रामक गुणधर्म वाली हैं या नहीं ; जैसे क्षौरपूर्व-, क्षौर या क्षौर पश्च निर्मितियां, क्षौर क्रीम, शारीरिक गंध हारक और पसीना रोधी
30.	3401 30	तरल या क्रीम के रूप में त्वचा धोने के लिए कार्बनिक पृष्ठ-सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जिन्हें फुटकर विक्रय के लिए रखा गया है चाहे उनमें साबुन हो अथवा नहीं, पेपर, वाडिंग, फैल्ट और अव्युतित, साबुन या डिटर्जेंट से युक्त, विलेपित या आच्छादित
31.	3402	कार्बनिक पृष्ठ-सक्रिय कर्मक (साबुन से भिन्न) , पृष्ठ-सक्रिय निर्मितिया, धावन निर्मितियां (जिनके अंतर्गत सहायक धावन निर्मितियां हैं) निर्मलन निर्मितियां, चाहे साबुन से युक्त हो या नहीं, शीर्ष 3401 की मदों से भिन्न
32.	3403	स्नेहक निर्मितियां (जिसके अंतर्गत स्नहकों पर आधारित कर्तन तेल निर्मितियां बोल्ट या नट विमोचन निर्मितियां, जंगरोधी या संक्षारणरोधी निर्मितियां औ संच विमोचन विनिर्मितियां हैं) और ऐसी निर्मितियां जिनका उपयोग टैक्सटाइल सामग्री, चमड़ा, फारदार चर्म या अन्य सामग्रियों के तेल या ग्रीस उपचार के लिए किया जाता है, किन्तु इनके अंतर्गत ऐसी निर्मितियां नहीं है जिनमें आधारी संघटकों के रूप में भार के आधार पर 70 प्रतिशत या अधिक पैट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल अंतर्विष्ट हैं

33.	3405	जूतादि, फर्निचर, फर्श, कोचवर्क, कांच या धातु के लिए पोलिश और क्रीम, अभिमार्जन पेस्ट और चूर्णतथा वैसी ही निर्मितियां (चाहे वे पेपर, वाडिंग, नमदा, अव्युतित, सैलूलर प्लास्टिक या सैलूलर रबर के रूप में हैं या नहीं, जो ऐसी निर्मितियों से संसेचित, विलेपित या अच्छादित हैं), जिनके अंतर्गत शीर्ष 3404 के मोम नहीं हैं
34.	3407	प्रतिरूपण पेस्ट, जिसके अंतर्गत बच्चों के आमोद प्रमोद के लिए रखे गए पेस्ट हैं
35.	3602	निर्मित विस्फोटक, नोदक चूर्ण से भिन्न ; जैसे की आद्योगिक विस्फोटक
36.	3604	आतिशबाजी, संकेत प्रदीपक, वर्षा राकेट, कुहासा संकेत और अन्य पाइरोटेकनिक वस्तुएं
37.	3606	फैरो-सिरियम और सभी रूपों में अन्य पाइरोफोरिक मिश्रातु ; इस अध्याय के टिप्पण 2 में यथाविनिर्दिष्ट ज्वलनशील सामग्री की वस्तुएं,जैसे कि आधानों में द्रव्य या द्रवीकृत गैस ईंधन,जिस प्रकार के ईंधन का उपयोग सिगरेट या वैसी ही लाइटों को भरने के लिए किया जाता है
38.	3811	खनिज तेलों (जिसके अंतर्गत गैसोलीन है) के लिए या वैसी ही प्रयोजनों के लिए खनिज तेल के रूप में उपयोग किए जाने वाले अन्य द्रव्यों के लिए अपस्फोटरोधी निर्मितियां, ऑक्सीकरण संदमक, गोंद संदमक,

		श्यानता वर्धक, संक्षारणरोधी निर्मितियां और अन्य निर्मित योज्यक
39.	3813	अग्निशामकों के लिए निर्मितियां और भरण ; भरित अग्निशामक ग्रेनेड
40.	3814	कार्बनिक संयुक्त विलायक और विरलक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; निर्मित पेंट या वार्निश अपसारक
41.	3819	हाइड्रालिक संचरण के लिए हाइड्रालिक ब्रेक तरल और अन्य निर्मित द्रव्य, जिनमें पेट्रोलियम तेल बिटुमिनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल नहीं हैं या भार के आधार पर 70 प्रतिशत से कम हैं
42.	3820	हिमीकरणरोधी निर्मितियां और निर्मित विहिमन तरल
43.	3918	प्लास्टिक की फर्श की बिछायतें, चाहे स्वः आसंजक हैं या नहीं, रालों में टाइलों के रूप ; प्लास्टिक के भित्ति या सीलिंग आच्छद
44.	3922	प्लास्टिक के बाथ, शावर बाथ, सिंक, वॉशबेसिन, बिडेट, शौचालय पैन, सीट और आच्छद, फलश करने के सिस्टर्न और वैसे ही स्वच्छता के समान
45.	3926 [3926 40 11, 3926 90 10 से भिन्न]	प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं और शीर्ष 3901 से 3914 तक की अन्य सामग्री की वस्तुएं [प्लास्टिक की चूड़ियों, पीवीसी बैल्ट कन्वेयर प्लास्टिक बीड और प्लास्टिक तिरपाल से भिन्न]
46.	4011	रबड़ के नए वातिल टायर [उनसे भिन्न, जिनका उपयोग बाईसाइकिल और साइकिल रिक्शा और तिपहिया शक्ति चालित साइकिल रिक्शा में किया जाता है; और ट्रैक्टर के पिछले टायर ट्यूब]
47.	4012	रबड़ के रिट्रीड किए गए या उपयोग किए गए टायर और फ्लैप
48.	4013	रबड़ की आंतरिक ट्यूबें [उनसे भिन्न, जिनका उपयोग बाईसाइकिल और साइकिल रिक्शा और तिपहिया शक्ति चालित साइकिल रिक्शा में किया जाता है; और ट्रैक्टर के पिछले टायर ट्यूब]
49.	4016 [4016 92 00 से भिन्न]	कठोर रबड़ से भिन्न वल्कनीकृत रबड़ की अन्य वस्तुएं (इरेजर से भिन्न)
50.	4017	सभी रूपों में कठोर रबड़ (उदाहरण के लिए इबोनाइट) जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्ट्रैप हैं ; कठोर रबड़ की वस्तुएं
51.	4201	किसी सामग्री की किसी प्राणी के लिए जीन साजी और साज (जिसके अंतर्गत प्रग्रह, डोरी, नीपैड, मुखपट्टा, जीन कपड़ा, जीन थैली, कुर्ते की कौट और वैसे ही वस्तुएं हैं)
52.	4202	चमड़े के प्लास्टिक शीट के, टैक्सटाइल सामग्री के, वल्करिकृत फाइबर के या पेपरबोर्ड के अथवा पूर्णतया या मुख्य रूप से ऐसी सामग्रियों से या कागज़ से आच्छादित ट्रंक, सूटकेस, वैनिटीकेस, एक्जिक्यूटिव केस, ब्रीफकेस, स्कूल सैचल, चश्माकेस, द्विनैत्रीकेस, कैमराकेस, वाद्ययंत्र

		केस, बंदूककेस, होल्सटर और वैसे ही आधान; यात्रा बैग,इंसूलेटिड, खाद्य और सुपेयबैग, प्रसाधन बैग, रकसैक, हैंडबैग, शॉपिंग बैग, वॉलेट, पर्स, नक्शाकेस, सिगरेट केस, तंबाकू पाउच, उपकरण बैग, क्रीडाबैग, बोतल केस, जेवरात बॉक्स, चूर्णबॉक्स, छुरी-कांटाकेस और वैसे ही आधान [चमड़े या संयोजन चमड़े से भिन्न स्कूल सेचल और बैगों से भिन्न कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री के, सूत के या जूट के प्रसाधन केस, हैंडबैग और शॉपिंग बैग, विकर संकर्म या टोकरी संकर्म को छोड़कर अन्य सामग्रियों के वैनिटी बैगों, हैंडबैगों से भिन्न]
53.	4203	लैदर या संयोजित चमड़े की परिधान की वस्तुएं और वस्त्र उपसाधन
54.	4205	चमड़े या संयोजित चमड़े की अन्य वस्तुएं
55.	4206	तांत (रेशमकीट तांत से भिन्न) की वर्क साजी, वस्ति या कंडरा की वस्तुएं
56.	4303	फरदार चर्म की परिधान की वस्तुएं और वस्त्र उपसाधन और अन्य वस्तुएं
57.	4304	कृत्रिम चर्म की वस्तुएं
58.	4410	काष्ठ या अन्य काष्ठ सामग्री के पार्टिकल बोर्ड, ओरिएन्टेड स्ट्रैंडबोर्ड (ओएसबी) और वैसे ही बोर्ड (उदहारण के लिए वैफर बोर्ड) चाहे वे रेज़िन या अन्य कार्बनिक बंधन पदार्थ से संपीडित हैं अथवा नहीं विनिर्दिष्ट बोर्डों से भिन्न
59.	4411	काष्ठ के फाइबर बोर्ड या अन्य काष्ठ सामग्री, चाहे वे रेज़िन या अन्य कार्बनिक पदार्थ से बंधित हैं अथवा नहीं विनिर्दिष्ट बोर्डों से भिन्न.
60.	4412	प्लाइवुड, पृष्ठावृत पैनल और वैसे ही पटलित काष्ठ
61.	4413	घनीकृत काष्ठ, ब्लॉकों, प्लेटों, स्ट्रिप या प्रोफाइल आकारों में
62.	4414	रंगचित्रों, फोटोचित्रों, दपर्ण या वैसे ही वस्तुओं के लिए काष्ठ की चौखटें
63.	4418	काष्ठ का राजगीर-योजकर्म, जिसके अंतर्गत सैलुलर काष्ठ पैनल, समंजित फर्श पैनल, छादन पट्टी और शेक हैं
64.	4421	काष्ठ पैविंग ब्लॉक, घनीकृत काष्ठ की वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग, जिनका उपयोग मेज़ और रसोई के बर्तनों के रूप में किया जाता है
65.	4814	भित्ति कागज़ और वैसे ही भित्ति आच्छादन ; कागज़ की खिड़की पारदर्शिता
66.	6702	कृत्रिम पुष्प, पर्णसमूह और फल तथा उनके भाग, कृत्रिम पुष्पों, पर्णसमूहों या फल से बनाई गई वस्तुएं
67.	6703	ऊन या अन्य प्राणी केश या अन्य टैक्सटाइल सामग्रिया, जिन्हें विगों

		या वैसी ही वस्तुओं को बनाने के लिए तैयार किया गया है
68.	6704	मानव केश या प्राणी रोम या टैक्सटाइल सामग्री की विग, नकली दाढ़ी, भोहें और पक्षम, स्विच और वैसी ही वस्तुएं ; मानव केश की वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
69.	6801	प्राकृतिक प्रस्तर (स्लेट के सिवाय) के सैंट, कर्बस्टोन और पट्टियां प्रस्तर
70.	6802	कर्मित संस्मारकीय या निर्माणी प्रस्तर (स्लेट के सिवाय) और उसकी वस्तुएं शीर्ष सं० 6801 के माल से भिन्न; प्राकृतिक प्रस्तर (जिसके अंतर्गत स्लेट भी हैं) की मोजाइक क्यूब और उसी प्रकार की वस्तुएं चाहे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं ; प्राकृतिक प्रस्तर (जिसके अंतर्गत स्लेट भी हैं) की कृत्रिम रूप से रंगी कणिकाएं, चिप्पियां और चूर्ण
71.	6803	कर्मित स्लेट और स्लेट की या संपिड़ित स्लेट की वस्तुएं
72.	6807	एस्फाल्ट या वैसी ही सामग्री की वस्तुएं (उदाहरणार्थ पेट्रोलियम बिटुमिन या कोलतार पिच)
73.	6808	वनस्पति फाइबर के, पुआल के या शेविंग प्रपट्ट, बोर्ड, टाइलें, ब्लॉक और वैसी ही वस्तुएं, काष्ठ के चिप्स, कर्ण बुरादा या अन्य अपशिष्ट जो सीमेंट, प्लास्टर या अन्य खनिज बंधकों से संपीड़ित हैं
74.	6809	प्लास्टर या प्लास्टर पर आधारित संमिश्रणों की वस्तुएं, जैसे बोर्ड, चादरें, पैनल, टाइल और वैसी ही वस्तुएं, जो अलंकृत नहीं हैं
75.	6810	सीमेंट, कांक्रिट या कृत्रिम प्रस्तर की वस्तुएं, चाहे प्रबलित हैं या नहीं ; जैसे टाइल पट्टियां प्रस्तर, ईंट और वैसी ही वस्तुएं; निर्माण ब्लॉक और ईंटें; सीमेंट की ईंटें, निर्माण या सिविल इंजिनियरी के लिए पूर्व संविरचित संरचनात्मक घटक, निर्माण या सिविल इंजिनियरी के लिए पूर्व संविरचित संरचनात्मक संघटक
76.	6812	संविरचित एस्बेस्टस फाइबर ; एस्बेस्टस के आधार सहित या एस्बेस्टस और मैगनिशियम कार्बोनेट के आधार सहित मिश्रण; ऐसे मिश्रणों की या एस्बेस्टस की वस्तुएं (उदाहरणार्थ धागा, व्युत्तित फैब्रिक, वस्त्र, सिर के पहनावे, जूतादि, गैसकिट) चाहे प्रबलित हैं या नहीं, शीर्ष 6811 या 6813 से भिन्न माल
77.	6813	ब्रैक के लिए, क्लचों के लिए या उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए घर्षण सामग्री और उसकी वस्तुएं (उदाहरणार्थ चादर, रोल, पट्टियां, खंड चक्रिका, वाशर, पैड) जो अनारूढ हैं, एस्बेस्टस, अन्य खनिज पदार्थ या सैलूलोस के आधार सहित हैं, चाहे टैक्सटाइल या अन्य सामग्री से संयुक्त हैं या नहीं

78.	6814	कर्मित अभ्रक और अभ्रक की वस्तुएं, जिनके अंतर्गत संपिड़ित या पुनःरचित अभ्रक है, चाहे वह कागज़, पेपर बोर्ड या अन्य सामग्री के समर्थन आधार पर है या नहीं
79.	6815	प्रस्तर या अन्य खनिज पदार्थों की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर की वस्तुएं और पीट की वस्तुएं हैं) जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
80.	6901	सिलिकामय जीवाशमी अवचूर्ण की (उदाहरणार्थ काजेलगुर, ट्रिपोलाइट या डायटोमाइट) या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी के ब्लॉक, टाइल और अन्य चीनी मिट्टी के माल
81.	6904	चीनी मिट्टी के फर्श ब्लॉक, आलंब भरक टाइलें और वैसी ही वस्तुएं
82.	6905	चिमनी पॉट, काउल, चिमनी-आस्तर, स्थापत्य अलंकरण और अन्य चीनी मिट्टी के संनिर्माण माल
83.	6906	चीनी मिट्टी के पाइप, संनाल, गटर और पाइप फिटिंगें
84.	6907	चीनी मिट्टी के फ्लैंग और पैविंग, हर्थ या भित्ति टाइलें ; चीनी मिट्टी के मोजाइक क्यूब और वैसी ही वस्तुएं चाहे वे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं ; फिनिशिंग सिरैमिक्स
85.	6909	प्रयोगशाला, रसायनिक या अन्य तकनीकी उपयोग के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन ; चीनी मिट्टी की द्रोणी, टब और वैसी ही घानी, जो उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग कृषि में किया जाता है; चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है
86.	6910	चीनी मिट्टी की होदी, धावन कुंडी, धावन कुंडी की पीठिका, बाथ वेडेट, पन क्लार्जेंट पैन, प्रधावन-होज, मूत्रदान और वैसी ही स्वच्छता फिक्सचर
87.	6913	लघु प्रतिमाएं और अन्य अलंकारी चीनी मिट्टी की वस्तुएं
88.	6914	अन्य चीनी मिट्टी की वस्तुएं
89.	7003	लवां कांच और वेल्लित कांच चादरों या प्रोफाइलों में, चाहे उनमें अवशोषक या परवर्ती या अपरावर्ती पतें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है
90.	7004	कर्षित कांच और धर्मित कांच, चादरों में, चाहे उनमें अवशोषक या परवर्ती या अपरावर्ती पतें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है
91.	7005	प्लव कांच और पृष्ठ घर्षित या पालिशकृत कांच, चादरों में, चाहे उनमें अवशोषक या परवर्ती या अपरावर्ती पतें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है
92.	7006 00 00	शीर्ष सं० 7003, 7004 या 7005 का कांच, बक, किनाराकर्मित,

		उत्कीर्णित, प्रवेधित, एनेमलित या अन्यथा कर्मित, किंतु जिसे अन्य सामग्रियों के साथ फ्रेम किया गया या लगाया गया नहीं है
93.	7007	सुरक्षा कांच, जिसमें चर्मकलित (पायित) या पटलित कांच है
94.	7008	कांच की बहुभित्ति रोधी इकाई
95.	7009	कांच के दर्पण, चाहे फ्रेम लगे हैं या नहीं, जिसके अंतर्गत पश्चदृश्य दर्पण है
96.	7011	विद्युत लैंपों, केथोड-किरण ट्यूबों या ऐसे ही सामान के लिए कांच के आवरण (जिसके अंतर्गत बल्ब और ट्यूब हैं), खुले, ओर उनके कांच के भाग बिना फिटिंग के
97.	7014	संकेतन कांच के सामान और कांच के प्रकाशीय अवयव (उनसे भिन्न, जो शीर्ष सं० 7015 के हैं) जो प्रकाशीय रूप से कर्मित नहीं हैं
98.	7016	निपिडित या संचित कांच के फर्शी ब्लॉक, सिल्लियां, ईटें, वर्ग, टाइलें या अन्य वस्तुएं; चाहे उनमें तार लगे हैं या नहीं, जो इस प्रकार की हैं जिनका उपयोग निर्माण या संनिर्माण के प्रयोजनों के लिए किया जाता है; जो डिजाइन या वैसे ही सजावटी प्रयोजनों के लिए कांचके धन और कांच के अन्य छोटे समान, चाहे वे पृष्ठक पर हैं या नहीं; सीसीयुक्त लाइटें और वैसे ही सामान; बहु सेलुलर या फोम कांच, ब्लॉकों, प्रपटों, प्लेटों, खोलों या वैसे ही रूपों में
99.	7020	कांच की अन्य वस्तुएं [लैंपों और लालटेन के लिए कांच के खोलों, किरोसिन बत्ती वाले लैंपों के लिए फाउंट, लैंपों और लालटेनों के लिए कांच की चिमनी]
100.	7321	स्टोव, [किरोसिन स्टोव और एलपीजी स्टोव से भिन्न] रेंज, गेटस, कुकर (जिसमें केन्द्रीय उष्मा के अनुषंगी बायलर भी हैं) बारबेक्यूस ; ब्रेजियर्स, गैस छल्ला, प्लेट गर्म करने वाली और समरूप कार्य व वस्तु और समरूप इलैक्ट्रिकल घरेलू वस्तुएं और पुर्जे, जो प्लेटें लौह या इस्पात की हैं
101.	7322	केन्द्रीयकृत उष्मण के लिए रेडिएटर, वैद्युत द्वारा उष्मित नहीं; और उनके लौह अथवा इस्पात के हिस्से पुर्जे; वायु उष्मक और उष्म वायु वितरक (इसमें ऐसे वितरक भी शामिल हैं जो ताजी वायु या कंडीशंड वायु का वितरण कर सकते हैं) जो कि वैद्युत द्वारा उष्मित नहीं हैं जिसमें मोटर चालित फेन अथवा ब्लोअर समाविष्ट हैं और उनके लौह अथवा इस्पात के हिस्से-पुर्जे
102.	7324	लौह या इस्पात के स्वच्छता के सामान और उनके पुर्जे
103.	7418	ताम्र के खानेपीने के बर्तनों से भिन्न अन्य माल अर्थात् स्वच्छता पात्र

		और उनके हिस्से पुर्जे
104.	7419	ताम्र की अन्य वस्तुएं [जिनके अंतर्गत शीर्ष 7419 10 के अधीन जंजीर और उसके हिस्से पुर्जे तथा शीर्ष 7419 99 के अधीन अन्य वस्तुएं हैं] किन्तु इनके अंतर्गत शीर्ष 7419 91 00 के अधीन धातु कास्टिंग नहीं है
105.	761010 00	दरवाजे, खिड़कियां और उनकी चौखटें तथा दरवाजों के लिए देहली
106.	7615	बर्तनों अर्थात् स्वच्छता संबंधी पात्रों और उनके हिस्से पुर्जों से भिन्न सभी माल
107.	8212	रेजर तथा रेजर ब्लेडस् (पट्टी में रेजर, ब्लेड, ब्लैक सहित)
108.	8214	कटलरी की अन्य वस्तुएं (उदाहरणार्थ, रोम प्रकृतित्र, मांस विक्रेता के या रसोई के विदारक, प्रकृतित्र और कीमाकरण छुरियां) नख प्रसाधन या पाद प्रसाधन सेट और यंत्र (जिसके अंतर्गत नखरेती है) [पेपर छुरियां, पेंसिल घड़ने वाले औजारों और उनके ब्लेडों से भिन्न]
109.	8302	आधार धातु के आरोपण, फिटिंगें और फर्नीचर, दरवाजों, सीढ़ियों, खिड़कियों, ब्लाइंडों, कोचवर्क, जीनसाजी, संदूखो, पेटियों, मंजूषा या वैसी ही वस्तुओं के लिए उपयुक्त ऐसी ही वस्तुएं, आधार धातु के हैट रैक, हैट खूंटी, ब्रेकेट और वैसे ही फिक्सचनारों, आधार धातु के आरोपण सहित चूल पहिया, आधार धातु के स्वचालित द्वारबंद
110.	8303	आधार धातु के कवचित या प्रबलित सेफ, तिजोरियां और तिजोरी कक्ष के लिए तिजोरी लाकर नकदी या विलेख बक्से और वैसी ही वस्तुएं
111.	8304	शीर्ष सं0 9403 के कार्यालय फर्नीचर से भिन्न आधार धातु की फाइल कैबिनेट, कार्डइंडेक्स कैबिनेट, पेपर ट्रे, पेपर-रेस्ट, पेन-ट्रे, कार्यालय स्टांप स्टैंड और वैसे ही कार्यालय या डैस्क उपस्कर
112.	8305	आधार धातु के लूज लीफ बंधकों या फाइलों के लिए फिटिंगें, पत्र क्लिपें, पत्र कोने, कागज़ क्लिपों, इंडेक्स टैग और वैसा ही कार्यालय की वस्तुएं ; आधार धातु के स्ट्रिपों में स्टेपिल (उदाहरणार्थ कार्यालयों, अपहोल्स्टरी, पैकेजिंग के लिए)
113.	8310	शीर्ष सं0 9405 की वस्तुओं के अलावा आधार धातु के हस्ताक्षर पट्ट, नाम पट्ट, पता पट्ट और वैसे ही पट्ट, संख्याएं, अक्षर और अन्य प्रतीक
114.	8407	स्फुलिंग प्रज्वलन पतर्यागामी या धुर्णी अंतर्दहन पिस्टन इंजन
115.	8408	संपीडन-प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्धडीजल इंजन)
116.	8409	शीर्ष 8407 या शीर्ष 8408 के इंजनों के साथ पूर्णतः या मुख्यतः उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे

117.	8413	ईंधन या स्नेहक के वितरण के लिए ऐसे प्ररूपी पंप, जिनका उपयोग भरण केन्द्र या गैराजों में किया जाता है [8413 11], अंतर्दहन पिस्टन इंजन के लिए ईंधन, स्नेहक या शीतलन माध्यम पंप [8413 30], कंक्रीट पंप [8413 40 00], अन्य घर्णी धनात्मक विस्थापन पंप [टैरिफ पद 8413 11 10 के अंतर्गत आने वाले हैंडपंपों से भिन्न]
118.	8414	वायु या निर्वात पंप, वायु या अन्य गैस संपीडित्र ओर पंखे; संवातन या पुनःचक्रण छत्रक जो पंखा युक्त है, चाहे उनमें फिल्टर फिट किए गए हैं या नहीं
119.	8415	वातानुकूलन मशीनें, जिनमें मोटर चालित पंखा तथा तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन के लिए अवयव समाविष्ट हैं, जिनके अंतर्गत ऐसी मशीनें भी हैं जिनमें आर्द्रता को पृथक रूप से विनियमित नहीं किया जा सकता है
120.	8418	प्रशीतित, हिमित्र और प्रशीतन या हिमकरण उपस्कर, बिजली से चलने वाले या अन्य; ताप पंप, शीष 8415 की वातानुकूलन मशीनों से भिन्न
121.	8419	भंडारण जल तापित्र, गैर इलैक्ट्रिक [8419 19](सौर जल तापित्र और प्रणाली से भिन्न) भाप वाले बर्तन, रिऐक्टरों, कालमों या टावरों या रसायन भंडारण टैंक [8419 89 10], ग्लास लाइंड उपस्कर [8419 89 20], आटोकलेब्स, खाद्य को पकाने या गर्म करने वालों से भिन्न, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [8419 89 30], पुनःचक्रित जल द्वारा सीधे शीतलन हेतु शीतलन टावर्स और उसी प्रकार के संयंत्र (पृथककरण दीवार सहित) [8419 89 40], प्लांट ग्रोथ चैंबर्स और रूम्स और टिशू कल्चर चैंबर्स और ऐसे कमरे जिनमें तापमान, आर्द्रता और प्रकाश नियंत्रित किया जा सकता है [8419 89 60], अर्धचालक युक्तियों के शीघ्र तापन के लिए साधित्र; अर्धचालक वेफर्स पर रासायनिक या भौतिक वाष्प निक्षेपण साधित्र; एलसीडी पदार्थों पर रासायनिक वाष्प निक्षेपण साधित्र [8419 89 70]; भाग [8419.90]
122.	8422	व्यंजन पात्र धोवन मशीनें, घरेलू प्रकार की [8422 11 00] और अन्य [8422 19 00]
123.	8423	इलैक्ट्रिक या इलैक्ट्रानिक तोलन मशीनरी (जिसके अंतर्गत 5 सेंटीग्राम या अधिक सुग्राहिता की तुला नहीं है) जिसके अंतर्गत भार-प्रचालित गणना या जांच मशीनें हैं, सभी प्रकार, की तोल मशीन, बाट
124.	8424	अग्निशामक
125.	8427	कांटा उत्कर्ष ट्रक; अन्य संकर्म ट्रक, जिनमें उत्कर्षण या प्रहस्त उपस्कर फिट किए गए हैं

126.	8428	अन्य उत्कर्ष, प्रहस्तन, लदाई या उतराई मशीनरी (उदाहरणार्थ उत्कर्षित्र, चलसोपान, प्रवहणित्र, टेलीफैरिक)
127.	8429	स्वनोदित बुलडोजर, ऐंगिल डोजर, ग्रेडर, समतलित्र, स्क्रैपर यांत्रिक शावल, उतखनित्र, शवल भरित्र, कुट्टन मशीनें और सड़क रोलर
128.	8430	मिट्टीखनिजों या अयस्कों के लिए अन्य चल, ग्रेडन, समतलन, स्क्रैपन, उतखनन, कुट्टन,संहनन, निष्कर्षण या वेधन मशीनरी; स्थूणा चालक और स्थूणा-निष्कर्षित; हिमहल और हिम-ब्लोअर
129.	8443	प्रिंटर जो मुद्रण, प्रतिलिपी लेने या फैसीमाइल संप्रेषण के कृत्यों में से एक या अधिक निष्पादन करते हैं, किसी स्वचालित प्रसंस्करण मशीन या किसी नेटवर्क प्रिंटर से जुड़ने की क्षमता रखते हैं ; प्रतिलिपि मशीनें; फैसीमाइल मशीनें ; स्याही कार्टरिज, मुद्रण शीर्ष संयोजन सहित या रहित और इंक स्प्रे नोज़ल
130.	8450	घरेलू या लॉन्ड्री प्रकार की धावन मशीनें, जिनके अंतर्गत वे मशीनें भी हैं, जो धावन और शुष्कन दोनों कार्य करती हैं
131.	8472	अन्य कार्यालय मशीनें (उदाहरणार्थ हेक्टोग्राफ या स्टैंसिल अनुलिपी मशीनें,पता लेखन मशीनें, स्वाचालित बैंक नोट वितरित्र, सिक्का छंटाई मशीनें, सिक्का गणना मशीनें या आवरण मशीनें) [ब्रेल टाइपराइटरों, इलैक्ट्रिक या गैर इलैक्ट्रिक, परफोरेटिंग या स्टेपल मशीनें (स्टेपलर), पेंसिल तीक्ष्णन मशीनों को छोड़कर]
132.	8476	स्वचालित माल-विक्रय मशीनें (उदाहरणार्थ डाक महसूल स्टांप, सिगरेट, खाद्य या सुपेय मशीनें), जिनके अंतर्गत मनी चेंजिंग मशीन भी हैं
133.	8478	तंबाकू निर्मित करने या बनाने के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
134.	8479	विमानमत्तनों में प्रयुक्त किसी प्रकार के यात्रियों के चढ़ने वाले पुल [8479 71 00] और अन्य [8479 79 00]
135.	8483	संचारण शाफ्ट (जिनके अंतर्गत कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट हैं) और क्रैंक; बेयरिंग कक्षिका और प्लेन शाफ्ट बेयरिंग, गियर और गियरिंग ; गोलिका या रोलर पेच, गियर बॉक्स और अन्य गति परिवर्तित जिनके अंतर्गत वलाघुर्ण संपरिवर्तित्र हैं; गतिपालकचक्रऔर घिर्नों, जिनके अंतर्गत घिर्नी ब्लॉक हैं, क्लच और शाफ्ट युग्मक (जिनके अंतर्गत सार्विक जोड़ हैं)
136.	8484	अन्य सामग्री के साथ संयोजित धातु शीटिंग के या धातु की दो या अधिक पर्तों के गेस्केट और वैसे ही जोड़; गेस्केट और वैसे ही जोड़ के सैट या प्रकीर्ण जिनकी संरचना एक समान नहीं है और जो थैलियों,

		लिफाफों या वैसे ही पैकिंग यांत्रिक सील में रखे गए हैं
137.	8504	स्थैतिक संपरिवर्तित्र (उदाहरणार्थ दिष्टकारी) और प्रेरक [(ट्रांसफार्मर औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स, विद्युत ट्रांसफार्मर ; और स्थैतिक संपरिवर्तित्र (यूपीएस) से भिन्न]
138.	8506	प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियां
139.	8507	विद्युत संचायक, जिसके अंतर्गत उसके पृथक् भी हैं, चाहे वे आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी हैं) हैं या नहीं,
140.	8508	निर्वात निर्मलित्र
141.	8509	विद्युत यांत्रिकी, घरेलू साधित्र, स्वतः पूर्ण विद्युत मोटर सहित, शीर्ष 8508 के निर्वात निर्मलित्रों से भिन्न
142.	8510	शेवर, केशप्रकर्तित्र और बाल सफाई साधित्र, स्वतः पूर्ण विद्युत मोटर सहित
143.	8511	इस प्रकार के विद्युत प्रज्वलन या प्रवर्तन उपस्कर, जिसका उपयोग स्फुलिंग प्रज्वलन या संपीडन प्रज्वलन अंतर्दहन इंजनों के लिए किया जाता है (उदाहरणार्थ प्रज्वलन मैग्नेटों, चुंबकीय डाइनेमों, प्रज्वलन कुंडलियां ; स्फुलिंग प्लग और दीप्ति प्लग, प्रवर्तक मोटरें) ; जनित्र (उदाहरणार्थ डाइनेमों, प्रत्यावर्तित्र) और इस प्रकार के कट आउट जिनका उपयोग ऐसे इंजनों के साथ-साथ किया जाता है
144.	8512	इस प्रकार के विद्युत प्रकाश या संकेतन उपस्कर (जिनके अंतर्गत शीर्ष सं० 8539 की वस्तुएं नहीं हैं) विंडस्क्रीन वाइपर, वितुषारित्र और विकुहारित्र, जिनका उपयोग साइकलों या मोटरयानों के लिए किया जाता है
145.	8513	सुबाह्य विद्युत लैंप, जो अपने ही ऊर्जा स्रोत (उदाहरणार्थ शुष्क बैटरियों, संचायकों, मैग्नेटों) से कार्य करने के लिए अभिकल्पित हैं, शीर्ष 8512 के प्रकाश उपस्कर से भिन्न
146.	8516	विद्युत तात्क्षणिक या भंडारण जल तापित्र और निमज्जन तापित्र विद्युत स्पेस तापन उपकरण और मृदा तापन उपकरण ; विद्युत तापीय केश प्रसाधन उपकरण (उदाहरणार्थ केश शुष्कित, केशवलयित्र, वलीयन टांग तापित्र) और हस्त शुष्कित्र; विद्युत मस्त्रण इस्त्री ; इसी प्रकार के अन्य तापीय साधित्र जिनका उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है, विद्युत तापमान प्रतिरोधित्र, उनसे भिन्न, जो शीर्ष 8545 के अंतर्गत आते हैं ।
147.	8517	आईएसडीएन प्रणाली [8517 69 10] आईएसडीएन टर्मिनल अनुकूलक [8517 69 20] एक्स 25 पैड्स [8517 69 40]

148.	8518	एकल लाउडस्पीकर, जो अपने आवेष्टनों में आरूढ़ हैं [8518 21 00], श्रवण आवृत्ति विद्युत प्रवर्धक [8518 40 00], विद्युत ध्वनि प्रवर्धक सेट [8518 50 00], पुर्जे [8518 90 00]
149.	8519	ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण
150.	8522	शीर्ष 8519 या 8521 के उपकरणों के साथ पूर्ण रूप से या प्रधानता उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और उपसाधन
151.	8525	रेडियो प्रसारण या टेलिविजन के लिए पारेषण उपस्कर, चाहे उसमें ग्रहण उपस्कर या ध्वनि अभिलेखन अथवा पुनरुत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं ; टेलिविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर (सीसी टीवी से भिन्न)
152.	8526	राडार उपकरण, रेडियो नौपरिवहन सहायक साधित्र और रेडियो सुदूर नियंत्रण उपकरण
153.	8527	रेडियो प्रसारण के लिए अभिग्रहण उपकरण, चाहे वे एक ही कक्षिका में ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण या घड़ी के साथ संयुक्त है या नहीं
154.	8528	मानीटर और प्रक्षेपित्र, जो टेलिविजन ग्रहण उपकरण के साथ सहयुक्त नहीं हैं, टेलिविजन के लिए ग्रहण उपकरण, चाहे वे रेडियो प्रसारण ग्राही या ध्वनि अथवा वीडियो अभिलेखन या पुनरुत्पादन के साथ सहयुक्त हैं या नहीं (17 इंच से अनधिक के कंप्यूटर मानीटरों से भिन्न)
155.	8529	पुर्जे, जो शीर्ष 8525 से 8528 तक के उपकरणों के साथ पूर्णतः या प्रधानतः उपयोग के लिए उपयुक्त हैं
156.	8530	रेल, ट्राम, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन संस्थापनों या विमान क्षेत्रों के लिए विद्युत संकेतन, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8608 के हैं)
157.	8531	विद्युत ध्वनि या दृश्य संकेतन उपकरण, (उदाहरणार्थ घंटियों, साइरन, सूचक पैनल, चोर या अग्नि संकेतन) उनसे भिन्न, जो शीर्ष 8512 या शीर्ष 8530 के अंतर्गत हैं
158.	8536	विद्युत परिपथों के स्विचन या संरक्षण के लिए विद्युत परिपथों तक या उनमें संबंधन के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरणार्थ स्विच रिले, फ्यूज, प्रोत्कर्ष निरोधक, प्लग, साकेट, लैंप होल्डर और अन्य संबंधन, जंक्शन बाक्स) जो एक हजार वोल्ट्स से अनधिक वोल्टता के लिए हैं, प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन
159.	8537	विद्युत नियंत्रण या विद्युत वितरण के लिए बोर्ड पैनल, कंसोल-कैबिनेट और अन्य आधार, जिनमें शीर्ष 8535 या 8536 के दो या

		अधिक साधित्र लगे हैं, जिनके अंतर्गत वे भी हैं, जिनमें अध्याय 90 के उपकरण या साधित्र समाविष्ट हैं और संख्या संबंधी नियंत्रण साधित्र, जो शीर्ष 8517 के स्वीचन साधित्र से भिन्न हैं
160.	8539	मुहरबंद किरण पुंज लैंप यूनिट और पराबैंगनी या अवरक्त लैंप (विद्युत फिलामेंट या विसंजन लैंप तथा एलईडी लैंपों से भिन्न), लैंप हैं
161.	8544	विद्युत्तरोधी (जिनके अंतर्गत इनेमलित या एनोडीकृत भी हैं) तार, केबल और अन्य विद्युत्तरोधी चालक, चाहे उनमें संबंधक फिट हैं या नहीं (आवलन तार ; समाक्ष केबल ; प्रकाशीय फाइबर से भिन्न)
162.	8545	ब्रुश (8545 20 00) और 8545 के अधीन माल (जिसके अंतर्गत आर्क लैंप कार्बन और बैटरी कार्बन भी हैं)
163.	8547	विद्युत्त मशीनों, साधित्रों, उपस्करों के लिए विद्युत्तरोधी फिटिंगें, जो ऐसी फिटिंगें हैं, जो पूर्णतः विद्युत्तरोधी सामग्री हैं, किन्तु जो केवल समंजन के प्रयोजन के लिए संचन के दौरान जोड़े गए धातु की किन्हीं लघु घटकों (उदाहरणार्थ चूड़ीदार लाकेट) के अतिरिक्त हैं, शीर्ष 8546 के विद्युत्त रोधी से भिन्न, विद्युत्तरोधी सामग्री से आस्तारित आधार धातु के विद्युत्त कंड्यून्नलिका और उसके जोड़
164.	8702	दस या उससे अधिक व्यक्तियों के, जिनके अंतर्गत चालक हैं, परिवहन के लिए मोटर यान
165.	8703	मोटर कारें और अन्य मोटरयान, जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए अभिकल्पित हैं (उनसे भिन्न, जो शीर्ष 8702 के अंतर्गत आते हैं) जिनके अंतर्गत स्टेशन वैगन और दौड़ कारें भी हैं (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कारों से भिन्न)
166.	8704	माल के परिवहन के लिए मोटरयान (प्रशीतित मोटरयानों से भिन्न)
167.	8705	विशिष्ट प्रयोजन मोटरयान उनसे भिन्न जो प्रधानता व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए अभिकल्पित हैं (उदाहरणार्थ ब्रेकडाउन लारियों, क्रेन, लारियों, अग्नि संबंधी यान, कंक्रीट मिक्सर लारियां, सड़क झाड़न लारियां, फुहारन लारियां, चल कर्मशालाएं, चल विकिरण यूनिटें)
168.	8706	चेसिस, जिनमें इंजन फिट किए गए हैं, शीर्ष 8701 से 8705 के मोटरयानों के लिए
169.	8707	बाडी (जिनके अंतर्गत कैब हैं) शीर्ष 8701 से 8705 तक मोटरयानों के लिए
170.	8708	शीर्ष 8701 से 8705 के मोटरयानों के पुर्जे और प्रसाधन (ट्रैक्टरों के विनिर्दिष्ट पुर्जों से भिन्न)
171.	8709	इस प्रकार के स्वतः नोदित संकर्म ट्रक, जिनमें उत्कर्षण या हस्तन

		उपस्कर फिट नहीं हैं, जिनका उपयोग कारखानों, भांडागारों, डाकक्षेत्रों या विमानपत्तनों में माल के कम दूरी के परिवहन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के ट्रैक्टरों, जिनका उपयोग रेल स्टेशन प्लेटफार्मों पर किया जाता है, पूर्वगामी यानों के पुर्जे
172.	8710	टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू यान, जिनमें मोटर लगी है, चाहे आयुध फिट किए गए हैं या नहीं, और ऐसे यानों के पुर्जे
173.	8711	मोटर साइकिलें (जिनके अंतर्गत मोपेड हैं, ऐसी साइकिलें, जिनमें सहायक मोटर फिट की गई हैं और साइड कार सहित या उसके बिना)
174.	8714	शीर्ष 8711 से 8713 के यानों के लिए पुर्जे और प्रसाधन
175.	8716	अनुयान या सेमी अनुयान, अन्य यान जो यंत्र नोदित नहीं हैं; उनके पुर्जे (कृषि प्रयोजनों के लिए स्वतः लदाई या स्वतः उतराई अनुयान और हस्तनोदित यान से भिन्न) (अर्थात् हस्तकाइस और वैसे ही यान) ; पशु द्वारा खींचे जाने वाले यान
176.	8802	निजी उपयोग के लिए वायुयान
177.	8903	मंनोरंजन या क्रीड़ा के लिए क्रीड़ा नौका और अन्य जलयान ; नौदौड़ नौका और डोंगी
178.	9004	गाग्गल्स
179.	9005	द्विनेत्री, एक नेत्री, अन्य प्रकाशिक दूरबीनों और उनके लिए आरोपण ; अन्य खगोलीय यंत्र और उनके लिए आरोपण किन्तु इसके अंतर्गत रेडियो खगोलीय यंत्र नहीं हैं
180.	9006	फोटोचित्र (चलचित्र कैमरे से भिन्न) फोटोचित्रण, क्षणदीप उपकरण और शीर्ष 8539 के विसर्जने लेंपों से भिन्न फ्लैश बल्ब
181.	9007	चलचित्र कैमरे और प्रक्षेपित्र, चाहे उनमें ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण है या नहीं
182.	9008	प्रतिबिंब प्रक्षेपित्र, चलचित्रिय से भिन्न ; फोटोचित्र (चलचित्रिय से भिन्न) विवर्धित्र और अपचायित्र
183.	9010	फोटोचित्र (जिसके अंतर्गत चलचित्र भी हैं) प्रयोगशालाओं के लिए साधित्र और उपस्कर, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; नेगटोस्कोप ; प्रक्षेपण स्क्रीन
184.	9011	संयुक्त प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो फोटोसूक्ष्म चित्रण, सिनेमा फोटो सूक्ष्म चित्रण या सूक्ष्म प्रक्षेपण के लिए हैं
185.	9012	प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से भिन्न सूक्ष्मदर्शी ; विवर्तन उपकरण
186.	9013	द्रव क्रिस्टल युक्तियां, जिनमें ऐसी वस्तुएं नहीं हैं जिनका उपबंध अन्य शीर्षों में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से किया गया है, लेसर डायोड से भिन्न

		लेसर ; ऐसे अन्य प्रकाशीय साधित्र और यंत्र, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
187.	9014	दिक् निर्धारण कंपास ; अन्य नौ परिवहन यंत्र और साधित्र
188.	9015	सर्वेक्षण (जिसके अंतर्गत प्रकाशचित्रीय सर्वेक्षण भी है), जलराशिक, समुद्रविज्ञानीय, जलविज्ञानीय, मौसमविज्ञानीय या भू-भौतिकीय यंत्र और साधित्र ; जिनके अंतर्गत कंपास नहीं है ; परासमापी
189.	9016	5 सेंटीग्राम या उससे अधिक सुग्राहिता की विद्युत या इलेक्ट्रानिक तुलाएं ; बाटों सहित या रहित हैं
190.	9022	उपकरण, जो एक्स किरण या एल्फा, बीटा, गामा विकिरणों के उपयोग पर आधारित है, जिसके अंतर्गत रेडियोग्राफी या रेडियो चिकित्सा उपकरण, एक्स रे ट्यूब और अन्य एक्स रे जनित्र, उच्च विभव जनित्र नियंत्रण पैनल और डेस्ट, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार मेजें, कुर्सियां और लाइट भी हैं
191.	9023	यंत्र, उपकरण और माडल, जो प्रदर्शन प्रयोजनों, (उदाहरणार्थ शिक्षा या प्रदर्शनी) के लिए अभिकल्पित हैं, अन्य उपयोगों के लिए अनुपयुक्त हैं
192.	9101	कलाई घड़ियां, जेब घड़ियां और अन्य घड़ियां, जिनके अंतर्गत ऐसी विराम घड़ियां भी हैं, जिनके केस बहुमूल्य धातु के या बहुमूल्य धातु से अधिपट्टित धातु के हैं
193.	9102	कलाई घड़ियां, जेब घड़ियां और अन्य घड़ियां, जिनके अंतर्गत विराम घड़ियां भी हैं, उनसे भिन्न, जो शीर्ष 9101 के अंतर्गत हैं
194.	9104	यंत्र पैनल, बड़ी घड़ियां और यानों, वायुयानों, अंतरिक्षयानों या जलयानों के लिए उसी प्रकार की बड़ी घड़ियां
195.	9106	दिन का समय, अभिलेखन साधित्र और समय के अंतरालों को मापने, अभिलिखित करने या अन्यथा उपदर्शित करने के लिए उपकरण, बड़ी घड़ियां या घड़ियों के संचलन तुल्य कालिक मोटर सहित (उदाहरणार्थ समय रजिस्ट्रिटर, समय अभिलेखित्र)
196.	9107	बड़ी घड़ियों या घड़ियों के संचलन सहित या तुल्यकालिक मोटर सहित टाइम स्विच
197.	9108	घड़ियों के संचलन, पूर्ण और समंजित
198.	9110	संपूर्ण घड़ी संचलन, असमंजित या भागतः समंजित (संचलन सेट) ; अपूर्ण घड़ी संचलन, समंजित ; स्थूल घड़ी संचलन
199.	9111	घड़ियों के केस और उनके पुर्जे
200.	9112	बड़ी घड़ियों से भिन्न के लिए केस तथा उनके पुर्जे
201.	9113	घड़ी का स्ट्रेप, घड़ी पट्टे और घड़ी ब्रेसलेट तथा उनके पुर्जे

202.	9114	अन्य घड़ियों के पुर्जे
203.	9201	पियानो, जिनके अंतर्गत स्वचालित पियानोंहैं, हार्पसीकार्ड और अन्य कुंजी फलक तंत्री यंत्र
204.	9202	अन्य तंत्री वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ गिटार, वायलिन, हार्प)
205.	9205	सुषिर वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ कुंजी पटल पाइप आर्गन, अकार्डियण, क्लेरिनेट, तुरही, मशकबीन) फेयर ग्राउंड आर्गन और यांत्रिक स्ट्रीट आर्गन से भिन्न
206.	9206 60 00	आद्यात वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ ड्रम, काष्टतरंग, झांझ, करताल, मैराक)
207.	9207	वाद्य यंत्र जिनकी ध्वनि विद्युत से उत्पादित की जाती है या प्रवर्धित की जानी चाहिए (उदाहरणार्थ आर्गन, गिटार, अकार्डियन)
208.	9208	संगीत पेटी, फेयर ग्राउंड आर्गन, यांत्रिकी स्ट्रीट आर्गन, यांत्रिकी सिंगिंग बर्ड, म्युजिकल सास या और अन्य वाद्य यंत्र, जो इस अध्याय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, सभी प्रकार के डिकाय काल ; सीटी, काल हार्न और मुख से बजाए जाने वाले अन्य ध्वनि संकेती यंत्र
209.	9209	वाद्य यंत्रों के पुर्जे (उदाहरणार्थ, संगीत पेटियों के लिए यंत्रावली) और उपसाधन (उदाहरणार्थ यांत्रिक यंत्रों के लिए कार्ड, डिस्क और रोल) ; सभी प्रकार के ताल मापित्र, द्विभुज और पिच पाइपें
210.	9302	रिवाल्वरों और पिस्तौलों, उनसे भिन्न जो शीर्ष 9303 या शीर्ष 9404 की हैं
211.	9401	सीटें (उनसे भिन्न जो शीर्ष 9402 की हैं) चाहे वे शैय्या में संपरिवर्तनीय हैं या नहीं, और उनके पुर्जे
212.	9403	अन्य फर्नीचर (बांस फर्नीचर से भिन्न) और उनके पुर्जे
213.	9404	गद्दे के आलम्ब, बिछाने की वस्तुएं और वैसे ही साज-सामान (उदाहरणार्थ गद्दे, रजाइयां, ईडर कोमलपिच्छ, गद्दियां, पफ और तकिए) जिनमें स्प्रिंग लगे हैं या जो किसी सामग्री से भारित या आंतरिक रूप से सज्जित हैं या कोशिकीय रबड़ अथवा प्लास्टिक के हैं, चाहे वे आच्छादित हैं या नहीं
214.	9405	लैंप और प्रकाश फिटिंगे, जिनके अंतर्गत सर्चलाइट और स्पाट लाइट और उनके पुर्जे भी हैं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; प्रदीप्त चिह्न प्रदीप्त नाम पट्ट और वैसे ही अन्य वस्तुएं जिनमें स्थायी रूप से लगे हुए प्रकाशस्रोत हैं और उनके पुर्जे, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं

215.	9504	वीडियो गेम कनसोल और मशीनें
216.	9505	उत्सव, कर्निवाल या अन्य मनोरंजन वस्तुएं, जिनके अंतर्गत इन्द्रजालिक कौशल और अनूठे परिहास भी हैं
217.	9506	सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स के लिए वस्तुएं और उपस्कर
218.	9508	चक्कर, झूले, निशानेबाजी, दीर्घाए और अन्य मेला स्थल (चल सर्कस और चल प्राणिशालाओं से भिन्न)
219.	9601	कर्मित हाथी दांत, अस्थि, कच्छापकवच, श्रृंग, श्रृंगा, प्रवाल, मुक्ता सीप और अन्य प्राणी नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत संचन से प्राप्त वस्तुएं भी हैं)
220.	9602	कर्मित वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों की वस्तुएं ; मोम की स्टीयरिन की, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन की या प्रतिरूपण पेस्टों की संचित या नक्काशीकृत वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, कर्मित, अकठोरकृत जिलेटिन (शीर्ष सं० 3503 की जिलेटिन को छोड़कर) और अकठोरकृत जिलेटिन की वस्तुएं
221.	9611	तारीख, मुद्रांकन या संख्यांकन स्टांप, और वैसी ही वस्तुएं (जिनके अंतर्गत लेबलों के मुद्रण या समुद्रभरण के लिए युक्तियां भी हैं) जो हस्तचालन के लिए अभिकल्पित हैं; हस्तचालित कम्पोजन स्टिक और ऐसी कम्पोजन स्टिकों को समावेशित करने वाले हस्तमुद्रण सेट
222.	9613	सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, चाहे यांत्रिक या वैद्युत हैं या नहीं और उनके पुर्जे, फिलंट और बत्ती से भिन्न
223.	9614	धूम्रपान पाइप (जिसके अंतर्गत पाइप बाउल भी हैं) और सिगार या सिगरेट धाक और उनके पुर्जे
224.	9616	इत्र फुहार और वैसे ही प्रसाधन फुहार और उनके धारक तथा शीर्ष, श्रृंगार या प्रसाधन निर्मितियों के उपयोग के लिए पाउडर-पफ और पैड
225.	9617	निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, केस सहित पूर्ण; उनके पुर्जे, कांच की अंतर्वस्तु से भिन्न
226.	9618	दर्जी की डमी और अन्य पुतले ; दुकान की खिड़की की सजावट के लिए उपयोग किए जाने वाले मानवचारी यंत्र और अन्य चेतन प्रदर्शन
227.	9804	वैयक्तिक उपयोग के लिए आशयित सभी शुल्क्य वस्तुएं
228.	-	राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत लाटरी स्पष्टीकरण 1--इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15 की उपधारा (5) के साथ पठित

		<p>संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के अधीन लाटरी की पूर्ति का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित कीमत का, इनमें से जो भी उच्चतर हो, 100/128 समझा जाएगा।</p> <p>स्पष्टीकरण 2--</p> <p>"राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी" से ऐसी कोई लाटरी अभिप्रेत है, जो आयोजक राज्य से भिन्न राज्य (राज्यों) में विक्रय किए जाने के लिए भी प्राधिकृत है;</p> <p>आयोजक राज्य का वही अर्थ है, जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में उसका है।</p>
--	--	---

अनुसूची V - 1.5%

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	मालों का वर्णन
1.	7101	मोती, प्राकृतिक या कल्चरी, चाहे कर्मित या श्रेणीकृत हैं या नहीं, किंतु गूथे आरुढ या जड़े नहीं हैं ; मोती, प्राकृतिक या कल्चरी, जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से गूथे गए हैं
2.	7102	हीरक, चाहे कर्मित है या नहीं, किंतु जो आरुढ या जड़े नहीं हैं (अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रुपित से भिन्न)
3.	7103	रत्न (हीरक से भिन्न) और उपरत्न, चाहे कर्मित या श्रेणीकृत हैं या नहीं, किंतु जो गूथे आरुढ या जड़े नहीं हैं ; अश्रेणीकृत रत्न (हीरक से भिन्न) और उप रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से गूथे गए हैं (अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित या स्थूल रूप से आकारित से भिन्न)
4.	7104	संश्लिष्ट या पुनसंनिर्मित रत्न या उप रत्न, चाहे कर्मित या श्रेणीकृत हैं या नहीं, किंतु जो गूथे आरुढ या जड़े नहीं हैं ; अश्रेणीकृत, संश्लिष्ट या पुनःसंनिर्मित रत्न, जो परिवहन की सुविधा की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से गूथे गए हैं (अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित या स्थूल रूप से आकारित से भिन्न)
5.	7105	प्राकृतिक या संश्लिष्ट रत्न या उप रत्न की धूलि और चूर्ण
6.	7106	रजत (जिसके अंतर्गत स्वर्ण या प्लेटिनम लेपित रजत है) अनगढ़ या अधविनिर्मित रूप में या चूर्ण रूप में

7.	7107	रजत से अधिपट्टित आधार धातु, जो अर्धविनिर्मित से भिन्न और कर्मित नहीं है
8.	7108	स्वर्ण (जिसके अंतर्गत प्लेटिनम से लेपित स्वर्ण है) अनगढ़ या अधविनिर्मित रूप में या चूर्ण रूप में
9.	7109	स्वर्ण से अधिपट्टित आधार धातु या रजत, जो अर्धविनिर्मित से भिन्न और कर्मित नहीं है
10.	7110	प्लेटिनम, अनगढ़ या अधविनिर्मित रूप में या चूर्ण रूप में
11.	7111	प्लेटिनम से अधिपट्टित आधार धातु, रजत या स्वर्ण, जो अर्धविनिर्मित से भिन्न और कर्मित नहीं है
12.	7112	बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से अधिपट्टित धातु का अपशिष्ट और स्क्रेप, अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप जिसमें बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु यौगिक इस प्रकार के हों कि जिनका उपयोग प्रधानतः बहुमूल्य धातु की पुनःप्राप्ति के लिए किया जाता है
13.	7113	बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से अधिपट्टित धातु के आभूषण की वस्तुएं और उनके भाग
14.	7114	स्वर्णकार या रजतकार के सामान की बहुमूल्य धातु के या बहुमूल्य धातु से अधिपट्टित धातु की वस्तुएं
15.	7115	बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से अधिपट्टित धातु की अन्य वस्तुएं
16.	7116	प्राकृतिक या कल्चरी मोती, रत्न या उपरत्न (प्राकृतिक, संश्लिष्ट या पुनःसन्निर्मित) रत्नों की वस्तुएं
17.	7117	नकली आभूषण
18.	7118	सिक्का

अनुसूची VI - 0.125%

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	मालों का वर्णन
1.	7102	हीरक, अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रूपित
2.	7103	रत्न (हीरक से भिन्न) और उप रत्न, अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित या स्थूल रूप से आकारित
3.	7104	संश्लिष्ट या पुनःनिर्मित रत्न या उप रत्न, अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित या स्थूल रूप से आकारित

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

- (i) “इकाई आधान” पद से कोई ऐसा पैकेज, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (उदाहरणार्थ टिन, केन बाक्स, जार, बोतल, थैला या कार्टन, ड्रम, बैरल या कनस्तर) अभिप्रेत है, जो ऐसे पूर्व अवधारित मात्रा या संख्या जो ऐसे पैकेज पर उपदर्शित की गई है, रखने के लिए डिजाइन किया गया है।
- (ii) “रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम” पद से ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, अर्थात् नाम या चिह्न जैसे संप्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर, आविष्कृत शब्द या लेख जिसका ऐसे विनिर्दिष्ट माल तथा उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन सहित या रहित ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के अनुक्रम में किसी संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिससे उसे उपदर्शित किया जा सके, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है, और जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।
- (iii) “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (iv) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No.1/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 710 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the Union territory tax of—

- (i) 2.5 per cent. in respect of goods specified in Schedule I,
- (ii) 6 per cent. in respect of goods specified in Schedule II,
- (iii) 9 per cent. in respect of goods specified in Schedule III,
- (iv) 14 per cent. in respect of goods specified in Schedule IV,
- (v) 1.5 per cent. in respect of goods specified in Schedule V, and
- (vi) 0.125 per cent. in respect of goods specified in Schedule VI

appended to this notification (hereinafter referred to as the said Schedules), that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedules, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedules.

Schedule I – 2.5%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	0303	Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
2.	0304	Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), frozen

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
3.	0305	Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption
4.	0306	Crustaceans, whether in shell or not, frozen, dried, salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption
5.	0307	Molluscs, whether in shell or not, frozen, dried, salted or in brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic invertebra other than crustaceans, fit for human consumption
6.	0308	Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not cooked before or during the smoking process: flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, fit for human consumption
7.	0401	Ultra High Temperature (UHT) milk
8.	0402	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, including skimmed milk powder, milk food for babies [other than condensed milk]
9.	0403	Cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa
10.	0404	Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included
11.	0406	Chena or paneer put up in unit container and bearing a registered brand name
12.	0408	Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
13.	0409	Natural honey, put up in unit container and bearing a registered brand name
14.	0410	Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included
15.	0502	Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.
16.	0504	Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.
17.	0505	Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers
18.	0507 [Except 050790]	Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.
19.	0508	Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.
20.	0510	Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
21.	0511	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption, other than semen including frozen semen.
22.	7	Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jaribooti and dry flower
23.	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
24.	0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption
25.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split [put up in unit container and bearing a registered brand name]
26.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets
27.	0801	Cashew nuts, whether or not shelled or peeled
28.	0802	Dried areca nuts, whether or not shelled or peeled
29.	0802	Dried chestnuts (singhada), whether or not shelled or peeled
30.	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled
31.	0806	Grapes, dried, and raisins
32.	0811	Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
33.	0812	Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption
34.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions
35.	0901	Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion [other than coffee beans not roasted]
36.	0902	Tea, whether or not flavoured [other than unprocessed green leaves of tea]
37.	0903	Maté
38.	0904	Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta
39.	0905	Vanilla
40.	0906	Cinnamon and cinnamon-tree flowers
41.	0907	Cloves (whole fruit, cloves and stems)
42.	0908	Nutmeg, mace and cardamoms
43.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries [other than of seed quality]
44.	0910 [other than 0910 11 10, 0910 30 10]	Ginger other than fresh ginger, saffron, turmeric (curcuma) other than fresh turmeric, thyme, bay leaves, curry and other spices
45.	10	All goods i.e. cereals, put up in unit container and bearing a registered brand name
46.	1001	Wheat and meslin put up in unit container and bearing a registered brand name
47.	1002	Rye put up in unit container and bearing a registered brand name

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
48.	1003	Barley put up in unit container and bearing a registered brand name
49.	1004	Oats put up in unit container and bearing a registered brand name
50.	1005	Maize (corn) put up in unit container and bearing a registered brand name
51.	1006	Rice put up in unit container and bearing a registered brand name
52.	1007	Grain sorghum put up in unit container and bearing a registered brand name
53.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi] put up in unit container and bearing a registered brand name
54.	1101	Wheat or meslin flour put up in unit container and bearing a registered brand name.
55.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin i.e. maize (corn) flour, Rye flour, etc. put up in unit container and bearing a registered brand name
56.	1103	Cereal groats, meal and pellets, including suji and dalia, put up in unit container and bearing a registered brand name
57.	1104	Cereal grains otherwise worked (for example, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground [other than hulled cereal grains]
58.	1105	Meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes put up in unit container and bearing a registered brand name
59.	1106	Meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal 1106 10 10 and guar gum refined split 1106 10 90], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8, put up in unit container and bearing a registered brand name
60.	1106 10 10	Guar meal
61.	1106 10 90	Guar gum refined split
62.	1109 00 00	Wheat gluten, whether or not dried
63.	12	All goods other than of seed quality
64.	1201	Soya beans, whether or not broken other than of seed quality.
65.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken other than of seed quality.
66.	1203	Copra other than of seed quality
67.	1204	Linseed, whether or not broken other than of seed quality.
68.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken other than of seed quality.
69.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken other than of seed quality
70.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamustinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, other than of seed quality
71.	1208	Flour and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard
72.	1210	Hop cones, dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin
73.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered
74.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, frozen or dried,

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichoriumintybussativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included
75.	1301	Natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) [other than lac and shellac]
76.	1301	Compounded asafoetida commonly known as heeng
77.	1401	Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark)
78.	1404 [other than 1404 90 10, 1404 90 40, 1404 90 50]	Vegetable products not elsewhere specified or included such as cotton linters, Cotton linters, Soap nuts, Hard seeds, pips, hulls and nuts, of a kind used primarily for carving, coconut shell, unworked, Rudraksha seeds [other than bidi wrapper leaves (tendu), betel leaves, Indian katha]
79.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
80.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
81.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
82.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
83.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
84.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
85.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
86.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
87.	1515	Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
88.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
89.	1517	Edible mixtures or preparations of vegetable fats or vegetable oils or of fractions of different vegetable fats or vegetable oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
90.	1518	Vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516
91.	1701	Beet sugar, cane sugar, khandsari sugar
92.	1702	Palmyra sugar
93.	1801	Cocoa beans whole or broken, raw or roasted
94.	1802	Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
95.	1803	Cocoa paste whether or not de-fatted
96.	1901 20 00	Mixes and doughs for the preparation of bread, pastry and other baker's wares
97.	1902	Seviyan (vermicelli)

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
98.	1903	Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms. (sabudana)
99.	1905	Pizza bread
100.	1905 40 00	Rusks, toasted bread and similar toasted products
101.	2106 90	Sweetmeats
102.	2201 90 10	Ice and snow
103.	2301	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves
104.	2303	Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets
105.	2304	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake]
106.	2305	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake]
107.	2306	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake]
108.	2307	Wine lees; argol
109.	2401	Tobacco leaves
110.	2502	Unroasted iron pyrites.
111.	2503 [except 2503 00 10]	Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur [other than sulphur recovered as by-product in refining of crude oil]
112.	2504	Natural graphite.
113.	2505	Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26.
114.	2506	Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
115.	2507	Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined.
116.	2508	Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths.
117.	2509	Chalk.
118.	2510	Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk.
119.	2511	Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 2816.
120.	2512	Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less.
121.	2513	Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated.
122.	2514	Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
123.	2515 [Except 2515 12 10, 2515 12 20, 2515 12 90]	Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster [other than marble and travertine]
124.	2516 [Except 2516 11 00, 2516 12 00]	Porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
125.	2516 11 00	Granite crude or roughly trimmed
126.	2517	Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; grenules cheeping and powder of stones heading 2515 or 2516 whether or not heat treated.
127.	2518	Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix. 2518 10 dolomite, Not calcined or sintered
128.	2519	Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure.
129.	2520	Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders.
130.	2521	Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.
131.	2522	Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825.
132.	2524	Asbestos
133.	2525	Mica, including splitting; mica waste.
134.	2526	Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc.
135.	2528	Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85% of H ₃ BO ₃
136.	2529	Feldspar; leucite, nepheline and nepheline syenite; fluorspar.
137.	2530	Mineral substances not elsewhere specified or included.
138.	26 [other than 2619, 2620, 2621]	All ores and concentrates [other than slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel; slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel) containing metals, arsenic or their compounds; other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		of municipal waste]
139.	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites
140.	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
141.	2603	Copper ores and concentrates.
142.	2604	Nickel ores and concentrates.
143.	2605	Cobalt ores and concentrates.
144.	2606	Aluminium ores and concentrates.
145.	2607	Lead ores and concentrates.
146.	2608	Zinc ores and concentrates.
147.	2609	Tin ores and concentrates.
148.	2610	Chromium ores and concentrates.
149.	2611	Tungsten ores and concentrates.
150.	2612	Uranium or thorium ores and concentrates.
151.	2613	Molybdenum ores and concentrates.
152.	2614	Titanium ores and concentrates.
153.	2615	Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates.
154.	2616	Precious metal ores and concentrates.
155.	2617	Other ores and concentrates
156.	2618	Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel
157.	27	Bio-gas
158.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
159.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
160.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated
161.	2704	Coke and semi coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon
162.	2705	Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
163.	2706	Tar distilled from coal, from lignite or from peat
164.	2710	Kerosene PDS
165.	2711 12 00, 2711 13 00, 2710 19 00	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers or to non-domestic exempted category (NDEC) customers by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited.
166.	28	Thorium oxalate
167.	28	Enriched KBF ₄ (enriched potassium fluoborate)
168.	28	Enriched elemental boron
169.	28	Nuclear fuel
170.	2805 11	Nuclear grade sodium

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
171.	2845	Heavy water and other nuclear fuels
172.	2853	Compressed air
173.	30	Insulin
174.	3002, 3006	Animal or Human Blood Vaccines
175.	30	Diagnostic kits for detection of all types of hepatitis
176.	30	Desferrioxamine injection or deferiprone
177.	30	Cyclosporin
178.	30	Medicaments (including veterinary medicaments) used in bio-chemic systems and not bearing a brand name
179.	30	Oral re-hydration salts
180.	30	Drugs or medicines including their salts and esters and diagnostic test kits, specified in List 1 appended to this Schedule
181.	30	Formulations manufactured from the bulk drugs specified in List 2 appended to this Schedule
182.	3101	All goods i.e. animal or vegetable fertilisers or organic fertilisers put up in unit containers and bearing a brand name
183.	32	Wattle extract, quebracho extract, chestnut extract
184.	3202	Enzymatic preparations for pre-tanning
185.	3307 41 00	Agarbatti
186.	3402	Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil
187.	3605 00 10	Handmade safety matches Explanation.— For the purposes of this entry, handmade matches mean matches, in or in relation to the manufacture of which, none of the following processes is ordinarily carried on with the aid of power, namely: - (i) frame filling; (ii) dipping of splints in the composition for match heads; (iii) filling of boxes with matches; (iv) pasting of labels on match boxes, veneers or cardboards; (v) packaging
188.	4001	Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip
189.	4016	Toy balloons made of natural rubber latex
190.	4011, 4013	Pneumatic tyres or inner tubes, of rubber, of a kind used on / in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws
191.	4016	Erasers
192.	4101	Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
193.	4102	Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
194.	4103	Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
195.	4104	Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared
196.	4105	Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared
197.	4106	Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared
198.	4401	Wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
199.	4801	Newsprint, in rolls or sheets
200.	4823	Kites
201.	4901	Brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets
202.	5004 to 5006	Silk yarn
203.	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste
204.	5104	Garneted stock of wool or of fine or coarse animal hair, shoddy wool
205.	5105	Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed
206.	5106 to 5110	Yarn of wool or of animal hair
207.	5111 to 5113	Woven fabrics of wool or of animal hair
208.	5201 to 5203	Cotton and Cotton waste
209.	5204	Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale
210.	5205 to 5207	Cotton yarn [other than khadi yarn]
211.	5208 to 5212	Woven fabrics of cotton
212.	5301	All goods i.e. flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garneted stock)
213.	5302	True hemp (<i>Cannabis sativa</i> L), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garneted stock)
214.	5303	All goods i.e. textile bast fibres [other than jute fibres, raw or processed but not spun]; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garneted stock)
215.	5305 to 5308	All goods [other than coconut coir fibre] including yarn of flax, jute, other textile bast fibres, other vegetable textile fibres; paper yarn
216.	5309 to 5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres, paper yarn
217.	5407, 5408	Woven fabrics of manmade textile materials
218.	5512 to 5516	Woven fabrics of manmade staple fibres
219.	5705	Coir mats, matting and floor covering
220.	5809, 5810	Embroidery or zari articles, that is to say, - imi, zari, kasab, saima, dabka, chumki, gotasitara, naqsi, kora, glass beads, badla, glzal
221.	60	Knitted or crocheted fabrics [All goods]
222.	61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs. 1000 per piece

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
223.	62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs. 1000 per piece
224.	63	Other made up textile articles, sets, worn clothing and worn textile articles and rags, of sale value not exceeding Rs. 1000 per piece
225.	64	Footwear having a retail sale price not exceeding Rs.500 per pair, provided that such retail sale price is indelibly marked or embossed on the footwear itself.
226.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
227.	6904 10 00	Building bricks
228.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles
229.	7018	Glass beads.
230.	84	Pawan Chakki that is Air Based Atta Chakki
231.	8413, 8413 91	Hand pumps and parts thereof
232.	8419 19	Solar water heater and system
233.	8437	Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables other than farm type machinery and parts thereof
234.	84 or 85	Following renewable energy devices & parts for their manufacture (a) Bio-gas plant (b) Solar power based devices (c) Solar power generating system (d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG) (e) Waste to energy plants / devices (f) Solar lantern / solar lamp (g) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants
235.	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators
236.	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel-electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof
237.	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604
238.	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, testing coaches and track inspection vehicles)
239.	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)
240.	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
241.	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof
242.	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		foregoing
243.	8713	Carriages for disabled persons, whether or not motorised or otherwise mechanically propelled
244.	8802	Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes), other than those for personal use.
245.	8803	Parts of goods of heading 8802
246.	8901	Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar vessels for the transport of persons or goods
247.	8902	Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products
248.	8904	Tugs and pusher craft
249.	8905	Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function; floating docks; floating or submersible drilling or production platforms
250.	8906	Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats
251.	8907	Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landing-stages, buoys and beacons)
252.	Any chapter	Parts of goods of headings 8901, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907
253.	90	Coronary stents and coronary stent systems for use with cardiac catheters
254.	90 or any other Chapter	Artificial kidney
255.	90 or 84	Disposable sterilized dialyzer or micro barrier of artificial kidney
256.	90 or any other Chapter	Parts of the following goods, namely:- (i) Crutches; (ii) Wheel chairs; (iii) Walking frames; (iv) Tricycles; (v) Brailers; and (vi) Artificial limbs
257.	90 or any other Chapter	Assistive devices, rehabilitation aids and other goods for disabled, specified in List 3 appended to this Schedule
258.	9405 50 31	Kerosene pressure lantern
259.	9405 91 00, 9405 92 00 or 9405 99 00	Parts of kerosene pressure lanterns including gas mantles
260.	9603 10 00	Broomsticks
261.	9704	Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 4907
262.	9705	Numismatic coins
263.	9804	Drugs or medicines including their salts and esters and diagnostic test kits specified at S.No.180 above and Formulations specified at S.No.181 above, intended for personal use.

List 1 [See S.No.180 of the Schedule I]

- (1) Amikacin
- (2) Amphotericin-B
- (3) Amrinone
- (4) Aprotinin
- (5) Baclofen
- (6) Bleomycin
- (7) Busulphan
- (8) BCG vaccine, Iopromide, Iotrolan
- (9) Chlorambucil
- (10) Chorionic Gonadotrophin
- (11) Clindamycin
- (12) Cyclophosphamide
- (13) Dactinomycin
- (14) Daunorubicin
- (15) Desferrioxamine
- (16) Dimercaprol
- (17) Disopyramide phosphate
- (18) Dopamine
- (19) Eptifibatide
- (20) Glucagon
- (21) Hydroxyurea
- (22) Isoprenaline
- (23) Isoflurane
- (24) Lactulose
- (25) Lomustine
- (26) Latanoprost
- (27) Melphalan
- (28) Mesna
- (29) Methotrexate
- (30) MMR (Measles, mumps and rubella) vaccine
- (31) Mustin Hydrochloride
- (32) Pancuronium Bromide
- (33) Praziquantel
- (34) Protamine
- (35) Quinidine
- (36) Sodium Cromoglycate spin caps and cartridges
- (37) Sodium Hyaluronatesterile 1% and 1.4% solution
- (38) Somatostatin
- (39) Strontium Chloride (85Sr.)
- (40) Thioguanine
- (41) Tobramycin
- (42) TetanusImmunoglobulin
- (43) Typhoid Vaccines:
 - a. VI Antigen of Salmonella Typhi, and
 - b. Ty21a cells and attenuated non-pathogenic strains of S.Typhi
- (44) Tretinoin
- (45) Tribavirin / Ribavirin
- (46) Urokinase
- (47) Ursodeoxycholic Acid
- (48) Vancomycin
- (49) Vasopressin
- (50) Vecuronium Bromide
- (51) Zidovudine
- (52) 5-Fluorouracil
- (53) Pegulated Liposomal Doxorubicin Hydrochloride injection
- (54) Ketoanalogue preparation of essential amino acids
- (55) Pergolide
- (56) Kit for bedside assay of Troponin-T
- (57) Solution for storing, transporting, flushing donor organs for transplant
- (58) Miltefosine

- (59) Milrinone Lactate
- (60) Methoxy Isobutyle Isonitrile (MIBI)
- (61) Haemophilus Influenzae Type b Vaccine
- (62) Mycophenolate Sodium
- (63) Verteporfin
- (64) Daclizumab
- (65) Ganciclovir
- (66) Drotrecoginalfa (activated)
- (67) Eptacogalfa activated recombinant coagulation factor VIIa
- (68) Muromonab CD3
- (69) Japanese encephalitis vaccine
- (70) Valganciclovir
- (71) Low molecular weight heparin
- (72) Efavirenz
- (73) Emtricitabine;
- (74) Azathioprine;
- (75) Antinomycin D;
- (76) Cytosine Arabinoside (Cytarabine);
- (77) Vinblastine Sulphate
- (78) Vincristine;
- (79) Eurocollins Solution;
- (80) Everolimus tablets/dispersible tablets;
- (81) Poractant alfa
- (82) Troponin-I whole blood test kit;
- (83) Blower/mister kit for beating heart surgery;
- (84) Fluoro Enzyme Immunoassay Diagnostic kits.
- (85) Tablet Telbivudine
- (86) Injection Exenatide
- (87) DTaP-IPV-Hibor PRP-T combined Vaccine
- (88) Pneumococcal-7 Valent Conjugate Vaccine(Diphtheria CRM197 Protein)
- (89) Injection Thyrotropin Alfa
- (90) Injection Omalizumab.
- (91) Abatacept
- (92) Daptomycin
- (93) Entacevir
- (94) Fondaparinux Sodium
- (95) Influenza Vaccine
- (96) Ixabepilone
- (97) Lapatinib
- (98) Pegaptanib Sodium injection
- (99) Sunitinib Malate
- (100) Tocilizumab
- (101) Agalsidase Beta
- (102) Anidulafungin
- (103) Capsfungin acetate
- (104) Desflurane USP
- (105) Heamostatic Matrix with Gelatin and human Thrombin
- (106) Imiglucerase
- (107) Maraviroc
- (108) Radiographic contrast media (Sodium and Meglumine ioxitalamate, Iobitridol and Sodium and meglumine ioxaglate)
- (109) Sorafenib tosylate
- (110) Varenciline tartrate
- (111) 90 Yttrium
- (112) Nilotinib
- (113) Pneumococcal acchride Conjugate vaccine adsorbed 13-valent suspension for injection
- (114) Micafungin sodium for injection
- (115) Bevacizumab
- (116) Raltegravir potassium
- (117) Rotavirus Vaccine (Live Oral Pentavalent)
- (118) Pneumococcal Polysaccharide Vaccine
- (119) Temeirolimus Concentrate for infusion for injection

- (120) Natalizumab
- (121) Octreotide
- (122) Somatropin
- (123) Aurothiomalate Sodium
- (124) Asparaginase
- (125) Agglutinating Sera
- (126) Anti-Diphtheria Normal Human Immunoglobulin
- (127) Anti-human lymphocyte immunoglobulin IV
- (128) Anti-human thymocyte immunoglobulin IV
- (129) Anti-Pertussis Normal Human Immunoglobulin
- (130) Anti-Plague serum
- (131) Anti-Pseudomonas Normal Human Immunoglobulin
- (132) Basiliximab
- (133) Beractant Intra-tracheal Suspension
- (134) Blood group sera
- (135) Botulinum Toxin Type A
- (136) Burn therapy dressing soaked in gel
- (137) Bovine Thrombin for invitro test for diagnosis in Haemorrhagic disorders
- (138) Bovine Albumin
- (139) Bretyleum Tossylate
- (140) Calcium Disodium Edetate
- (141) Carmustine
- (142) Cesium Tubes
- (143) Calcium folinate
- (144) Cholestyramine
- (145) Christmas Factor Concentrate (Coagulation factor IX prothrombin complex concentrate)
- (146) Cobalt-60
- (147) Corticotrophin
- (148) Cyanamide
- (149) Diagnostic Agent for Detection of Hepatitis B Antigen
- (150) Diagnostic kits for detection of HIV antibodies
- (151) Diphtheria Antitoxin sera
- (152) Diazoxide
- (153) Edrophonium
- (154) Enzyme linked Immunoabsorbent Assay kits [ELISA KITS]
- (155) Epirubicin
- (156) Fibrinogen
- (157) Floxuridine
- (158) Flucytosin
- (159) Flecainide
- (160) Fludarabine Phosphate
- (161) Foetal Bovine Serum (FBS)
- (162) Gadolinium DTPA Dimeglumine
- (163) Gallium Citrate
- (164) Gasgangrene Anti-Toxin Serum
- (165) Goserlin Acetate
- (166) Hepatitis B Immunoglobulin
- (167) Hexamethylmelamine
- (168) Hydralazine
- (169) Idarubicine
- (170) Idoxuridine
- (171) Immuno assay kit for blood Fibrinogen degradation product for direct estimation for diagnostic test in D.I.C.
- (172) Inactivated rabies vaccine [Human diploid cell]
- (173) Inactivated rabies vaccine [Vero-cell]
- (174) Intravenous amino acids
- (175) Intravenous Fat Emulsion
- (176) Iopamidol
- (177) Iohexol
 - a. Indium(III) inbleomycin
 - b. Indium113 Sterile generator and elution accessories
 - c. Indium113 in brain scanning kit
 - d. Indium113 in liver scanning kit

-
- (178) Iscador, CLIA diagnostic kits
(179) Levodopa with benserazine
(180) Lenograstim
(181) Meningococcal A and C combined vaccine with diluant solvent
(182) Methicillin
(183) Metrizamide Inj with diluant
(184) Monocomponent insulins
(185) Mycophenolate Mofetil
(186) Normal Human plasma
(187) Normal Human immunoglobulin
(188) Nuclear magnetic resonance contrast agent
(189) Normal Human serum Albumin
(190) Penicillamine
(191) Pentamidine
(192) Penicillinase
(193) Poliomyelitis vaccine (inactivated and live)
(194) Potassium Aminobenzoate
(195) Porcine Insulin Zinc Suspension
(196) Prednimustine
(197) Porcine and Bovine insulin
(198) Purified Chick Embryo Cell Rabies Vaccine
(199) Pyridostigmine
(200) Pneumocystis carinii F kits
(201) Prostaglandin E1 (PGE1)
(202) Radio-immunoassay kit for hormones (T3, T4, TSH Insulin, Glucogen, Growth Hormone, Cortisol, L. H., FSH and Digoxin)
(203) Radioisotope TI 201
 (a) Rabbit brains thromboplastin for PT test
 (b) Reagent for PT tests
 (c) Human Thrombin for TT tests
(204) Rabies immune globulin of equine origin
(205) Sevoflurane
(206) Recuronium Bromide
(207) Septopal beads and chains
(208) Sodium Arsenate
(209) Freeze Dried Form of Human Follicle Stimulating and Luteinising Hormones
(210) Solution of Nucleotides and Nucliosides
(211) Specific Desensitizing Vaccine
(212) Sterile Absorbable Haemostat for control of surgical vessel bleeding
(213) Strontium SR-89 Chloride
(214) Suxamethonium Chloride
(215) Selenium-75
(216) Teicoplanin
(217) Tetrofosmin
(218) Ticarcillin
(219) Tranexamic Acid
(220) Tocainide
(221) Tri-iodothyronine
(222) Triethylene Tetramine
(223) Thrombokinase
(224) Teniposide
(225) Trans-1-diamino cyclohexane Oxalatoplatinum
(226) Ticarcillin Disodium and Potassium Clavulanate combination
(227) Vindesin Sulphate
(228) X-ray diagnostic agents, the following:-
 a. Propylidone
 b. Ethyliodophenylundecylate
 c. Iodipammide methyl glucamine
 d. Lipidollutra fluid
 e. Patentblue
 f. Zalcitabine
(229) Zoledronic Acid

(230) Anti-Haemophilic Factors Concentrate (VIII and IX)

List 2 [See S.No.181 of the Schedule I]

- (1) Streptomycin
- (2) Isoniazid
- (3) Thiacetazone
- (4) Ethambutol
- (5) Sodium PAS
- (6) Pyrazinamide
- (7) Dapsone
- (8) Clo- fazamine
- (9) Tetracycline Hydrochloride
- (10) Pilocarpine
- (11) Hydrocortisone
- (12) Idoxuridine
- (13) Acetazolamide
- (14) Atro- pine
- (15) Homatropn
- (16) Chloroquine
- (17) Amodiaquine
- (18) Quinine
- (19) Pyrimethamine
- (20) Sulfametho pyrezine
- (21) Diethyl Carbamazine
- (22) Arteether or formulation of artemisinin.

List 3 [See S.No.257 of the Schedule I]

- (A)
 - (1) Braille writers and braille writing instruments
 - (2) Hand writing equipment Braille Frames, Slates, Writing Guides, Script Writing Guides, Styli, Braille Erasers
 - (3) Canes, Electronic aids like the Sonic Guide
 - (4) Optical, Environmental Sensors
 - (5) Arithmetic aids like the Taylor Frame (arithmetic and algebra types), Cubarythm, Speaking or Braille calculator
 - (6) Geometrical aids like combined Graph and Mathematical Demonstration Board, Braille Protractors, Scales, Com- passes and Spar Wheels
 - (7) Electronic measuring equipment, such as calipers, micrometers, comparators, gauges, gauge blocks
 - (8) Levels, Rules, Rulers and Yardsticks
 - (9) Drafting, Drawing aids, tactile displays
 - (10) Specially adapted clocks and watches
- (B)
 - (1) Orthopaedic appliances falling under heading No. 90.21 of the First Schedule
 - (2) Wheel chairs falling under heading No. 87.13 of the First Schedule
- (C) Artificial electronic larynx and spares thereof
- (D) Artificial electronic ear (Cochlear implant)
- (E)
 - (1) Talking books (in the form of cassettes, discs or other sound reproductions) and large-print books, braille embossers, talking calculators, talking thermometers
 - (2) Equipment for the mechanical or the computerized production of braille and recorded material such as braille computer terminals and displays, electronic braille, transfer and pressing machines and stereo typing machines
 - (3) Braille paper
 - (4) All tangible appliances including articles, instruments, apparatus, specially designed for use by the blind
 - (5) Aids for improving mobility of the blind such as electronic orientation and obstacle detectbn appliance and white canes
 - (6) Technical aids for education, rehabilitation, vocational training and employment of the blind such as Braille typewriters, braille watches, teaching and learning aids, games and other instruments and vocational aids specifically adapted for use of the blind
 - (7) Assistive listening devices, audiometers
 - (8) External catheters, special jelly cushions to prevent bed sores, stair lift, urine collection bags
 - (9) Instruments and implants for severely physically handicapped patients and joints replacement and spinal instru- ments and implants including bone cement.

Schedule II – 6%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	01012100, 010129	Live horses
2.	0202	Meat of bovine animals, frozen and put up in unit containers
3.	0203	Meat of swine, frozen and put up in unit containers
4.	0204	Meat of sheep or goats, frozen and put up in unit containers
5.	0205	Meat of horses, asses, mules or hinnies, frozen and put up in unit containers
6.	0206	Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, frozen and put up in unit containers
7.	0207	Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, frozen and put up in unit containers
8.	0208	Other meat and edible meat offal, frozen and put up in unit containers
9.	0209	Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, frozen and put up in unit containers
10.	0209	Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, salted, in brine, dried or smoked, put up in unit containers
11.	0210	Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked put up in unit containers; edible flours and meals of meat or meat offal put up in unit containers
12.	0405	Butter and other fats (i.e. ghee, butter oil, etc.) and oils derived from milk; dairy spreads
13.	0406	Cheese
14.	0801	Brazil nuts, dried, whether or not shelled or peeled
15.	0802	Other nuts, dried, whether or not shelled or peeled, such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus</i> spp.), walnuts, Chestnuts (<i>Castanea</i> spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola</i> spp.) [other than dried areca nuts]
16.	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried
17.	0813	Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of Chapter 8
18.	1108	Starches; inulin
19.	1501	Pig fats (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503
20.	1502	Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503
21.	1503	Lard stearin, lard oil, oleo stearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared
22.	1504	Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified
23.	1505	Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin)
24.	1506	Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified
25.	1516	Animal fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
26.	1517	Edible mixtures or preparations of animal fats or animal oils or of fractions of different animal fats or animal oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
27.	1518	Animal fats and animal oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included
28.	1601	Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products
29.	1602	Other prepared or preserved meat, meat offal or blood
30.	1603	Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
31.	1604	Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs
32.	1605	Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
33.	2001	Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid
34.	2002	Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
35.	2003	Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
36.	2004	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006
37.	2005	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006
38.	2006	Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)
39.	2007	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
40.	2008	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included; such as Ground-nuts, Cashew nut, roasted, salted or roasted and salted, Other roasted nuts and seeds, squash of Mango, Lemon, Orange, Pineapple or other fruits
41.	2009	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
42.	2101 30	Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
43.	2102	Yeasts and prepared baking powders
44.	2103 [other than 2103 90 10, 2103 90 30, 2103 90 40]	Sauces and preparations therefor [other than Curry paste; mayonnaise and salad dressings; mixed condiments and mixed seasoning
45.	2106	Texturised vegetable proteins (soya bari) and Bari made of pulses including mungodi
46.	2106 90	Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
47.	2202 90 10	Soya milk drinks
48.	2202 90 20	Fruit pulp or fruit juice based drinks
49.	2202 90 90	Tender coconut water put up in unit container and bearing a registered brand name
50.	2202 90 30	Beverages containing milk
51.	2515 12 10	Marble and travertine blocks
52.	2516	Granite blocks
53.	28	Anaesthetics
54.	28	Potassium Iodate
55.	28	Steam
56.	28	Micronutrients, which are covered under serial number 1(f) of Schedule 1, Part (A) of the Fertilizer Control Order, 1985 and are manufactured by the manufacturers which are registered under the Fertilizer Control Order, 1985
57.	2801 20	Iodine
58.	2847	Medicinal grade hydrogen peroxide
59.	29	Gibberellic acid
60.	3001	Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included
61.	3002	Animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products
62.	3003	Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale, including Ayurvedic, Unani, Siddha, homoeopathic or Bio-chemic systems medicaments
63.	3004	Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale, including Ayurvedic, Unani, homoeopathic siddha or Bio-chemic systems medicaments, put up for retail sale
64.	3005	Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes
65.	3006	Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter [i.e. Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials (including sterile absorbable surgical or dental yarns) and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics; sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable; Waste pharmaceuticals] [other than contraceptives]
66.	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
67.	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		be used as fertilizers
68.	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
69.	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
70.	3215	Fountain pen ink
71.	3215	Ball pen ink
72.	3306 10 10	Tooth powder
73.	3307 41 00	Odoriferous preparations which operate by burning [other than agarbattis]
74.	29, 30, 3302	Following goods namely:- a. Menthol and menthol crystals, b. Peppermint (Mentha Oil), c. Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO), d. De-mentholised oil (DMO), e. Spearmint oil, f. Mentha piperita oil
75.	3406	Candles, tapers and the like
76.	3701	Photographic plates and film for x-ray for medical use
77.	3705	Photographic plates and films, exposed and developed, other than cinematographic film
78.	3706	Photographic plates and films, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track, other than feature films.
79.	3818	Silicon wafers
80.	3822	All diagnostic kits and reagents
81.	3926	Feeding bottles
82.	3926	Plastic beads
83.	4007	Latex Rubber Thread
84.	4014	Nipples of feeding bottles
85.	4015	Surgical rubber gloves or medical examination rubber gloves
86.	4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
87.	4112	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114
88.	4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
89.	4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		laminated leather; metallised leather
90.	4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour
91.	4203	Gloves specially designed for use in sports
92.	44 or any Chapter	<p>The following goods, namely: —</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cement Bonded Particle Board; b. Jute Particle Board; c. Rice Husk Board; d. Glass-fibre Reinforced Gypsum Board (GRG) e. Sisal-fibre Boards; f. Bagasse Board; and g. Cotton Stalk Particle Board h. Particle/fibre board manufactured from agricultural crop residues
93.	4404	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like
94.	4405	Wood wool; wood flour
95.	4406	Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood
96.	4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm [for match splints]
97.	4415	Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood
98.	4416	Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves
99.	4417	Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood
100.	4420	Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94
101.	4421	Other articles of wood; such as clothes hangers, Spools, cops, bobbins, sewing thread reels and the like of turned wood for various textile machinery, Match splints, Pencil slats, Parts of wood, namely oars, paddles and rudders for ships, boats and other similar floating structures, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware [other than Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware]
102.	4501	Natural cork, raw or simply prepared
103.	4601	Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips; plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, bound together in parallel strands or woven, in sheet form, whether or not being finished articles (for example, mats matting, screens) of vegetable materials such as of Bamboo, of rattan,

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		of Other Vegetable materials
104.	4602	Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials or made up from goods of heading 4601; articles of loofah
105.	4701	Mechanical wood pulp
106.	4702	Chemical wood pulp, dissolving grades
107.	4703	Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades
108.	4704	Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades
109.	4705	Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes
110.	4706	Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material
111.	4707	Recovered (waste and scrap) paper or paperboard
112.	4802	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; hand-made paper and paperboard
113.	4804	Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803
114.	4805	Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in Note 3 to this Chapter
115.	4806 20 00	Greaseproof papers
116.	4806 40 10	Glassine papers
117.	4807	Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets
118.	4808	Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 4803
119.	4810	Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets of any size
120.	4811	Aseptic packaging paper
121.	4817 30	Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery
122.	4819	Cartons, boxes and cases of corrugated paper or paper board
123.	4820	Exercise book, graph book, & laboratory note book and notebooks
124.	4823	Paper pulp moulded trays
125.	48	Paper splints for matches, whether or not waxed, Asphaltic roofing sheets
126.	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated
127.	4906 00 00	Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
128.	4907	Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title
129.	4908	Transfers (decalcomanias)
130.	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings
131.	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks
132.	4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs; such as Trade advertising material, Commercial catalogues and the like, printed Posters, Commercial catalogues, Printed inlay cards, Pictures, designs and photographs, Plan and drawings for architectural engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes reproduced with the aid of computer or any other devices
133.	5601	Wadding of textile materials and articles thereof; such as Absorbent cotton wool
134.	5602	Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated
135.	5603	Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated
136.	5604	Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics
137.	5605	Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal; such as Real zari thread (gold) and silver thread, combined with textile thread), Imitation zari thread
138.	5606	Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn
139.	5607	Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics
140.	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
141.	5609	Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included
142.	5701	Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up
143.	5702	Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs
144.	5703	Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up
145.	5704	Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up
146.	5705	Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up; such as Mats and mattings including Bath Mats, where cotton predominates by weight, of Handloom, Cotton Rugs of handloom
147.	5801	Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806
148.	5802	Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703
149.	5803	Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
150.	5804	Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006
151.	5805	Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up
152.	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)
153.	5807	Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered
154.	5808	Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles
155.	5809	Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included; such as Zari borders [other than Embroidery or zari articles, that is to say,- imi, zari, kasab, saima, dabka, chumki, gota sitara, naqsi, kora, glass beads, badla, glzal]
156.	5810	Embroidery in the piece, in strips or in motifs, Embroidered badges, motifs and the like [other than Embroidery or zari articles, that is to say,- imi, zari, kasab, saima, dabka, chumki, gota sitara, naqsi, kora, glass beads, badla, glzal]
157.	5811	Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 5810
158.	5901	Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations
159.	5902	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon
160.	5903	Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902
161.	5904	Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape
162.	5905	Textile wall coverings
163.	5906	Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902
164.	5907	Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like
165.	5908	Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated
166.	5909	Textile hose piping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials
167.	5910	Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material
168.	5911	Textile products and articles, for technical uses, specified in Note 7 to this Chapter; such as Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams); Bolting cloth, whether or Not made up; Felt for cotton textile industries, woven; Woven textiles felt, whether or not impregnated or coated, of a kind commonly used in other machines, Cotton fabrics and articles used in machinery and plant, Jute fabrics and articles used in machinery or plant, Textile fabrics of metalised yarn of a kind commonly used in paper making or other machinery, Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair, Paper maker's felt, woven, Gaskets, washers, polishing discs and other machinery parts of textile articles
169.	61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted, of sale value exceeding Rs. 1000 per piece
170.	62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, of sale value exceeding Rs. 1000 per piece
171.	63	Other made up textile articles, sets, worn clothing and worn textile articles and rags, of sale value exceeding Rs. 1000 per piece
172.	6601	Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)
173.	6602	Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like
174.	6603	Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 6602
175.	6701	Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 0505 and worked quills and scapes)
176.	68	Sand lime bricks
177.	6815	Fly ash bricks and fly ash blocks
178.	7015 10	Glasses for corrective spectacles and flint buttons
179.	7020	Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns
180.	7310 or 7326	Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes, pencil sharpeners
181.	7317	Animal shoe nails
182.	7319	Sewing needles
183.	7321	Kerosene burners, kerosene stoves and wood burning stoves of iron or steel
184.	7323	Table, kitchen or other household articles of iron & steel; Utensils
185.	7418	Table, kitchen or other household articles of copper; Utensils
186.	7615	Table, kitchen or other household articles of aluminium; Utensils
187.	8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208, and blades therefor
188.	8214	Paper knives, Pencil sharpeners and blades therefor
189.	8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware
190.	8401	Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors
191.	8408	Fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
192.	8413	Power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
193.	8414 20 10	Bicycle pumps
194.	8414 20 20	Other hand pumps
195.	8414 90 12	Parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps
196.	8432	Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers
197.	8433	Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437
198.	8434	Milking machines and dairy machinery
199.	8436	Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders
200.	8452	Sewing machines
201.	8479	Composting Machines
202.	8517	Telephones for cellular networks or for other wireless networks
203.	85	Parts for manufacture of Telephones for cellular networks or for other wireless networks
204.	8525 60	Two-way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramilitary forces etc.
205.	8539	LED lamps
206.	87	Electrically operated vehicles, including two and three wheeled electric motor vehicles
207.	8701	Tractors (except road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc)
208.	8712	Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised
209.	8714	Parts and accessories of bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised, of 8712
210.	8716 20 00	Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes
211.	8716 80	Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles
212.	90 or any other Chapter	Blood glucose monitoring system (Glucometer) and test strips
213.	90 or any other Chapter	Patent Ductus Arteriosus / Atrial Septal Defect occlusion device
214.	9001	Contact lenses; Spectacle lenses
215.	9002	Intraocular lens
216.	9004	Spectacles, corrective
217.	9017 20	Drawing and marking out instruments; Mathematical calculating instruments; pantographs; Other drawing or marking out instruments
218.	9018	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments
219.	9019	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		other therapeutic respiration apparatus
220.	9020	Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters
221.	9021	Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts of the body
222.	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examinations or treatment tables, chairs and the light
223.	9404	Coir products [except coir mattresses]
224.	9404	Products wholly made of quilted textile materials
225.	9405, 9405 50 31	Hurricane lanterns, Kerosene lamp / pressure lantern, petromax, glass chimney, and parts thereof
226.	9405	LED lights or fixtures including LED lamps
227.	9405	LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)
228.	9503	Toys like tricycles, scooters, pedal cars etc. (including parts and accessories thereof) [other than electronic toys]
229.	9504	Playing cards, chess board, carom board and other board games, like ludo, etc. [other than Video game consoles and Machines]
230.	9506	Sports goods other than articles and equipments for general physical exercise
231.	9507	Fishing rods, fishing hooks, and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy "birds" (other than those of heading 9208) and similar hunting or shooting requisites
232.	9608	Pens [other than Fountain pens, stylograph pens]
233.	9608, 9609	Pencils (including propelling or sliding pencils), crayons, pastels, drawing charcoals and tailor's chalk
234.	9615	Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the like, other than those of heading 8516, and parts thereof
235.	9619	Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles, of any material
236.	9701	Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative plaques
237.	9702	Original engravings, prints and lithographs
238.	9703	Original sculptures and statuary, in any material
239.	9705	Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, paleontological, ethnographic or numismatic interest [other than numismatic coins]
240.	9706	Antiques of an age exceeding one hundred years
241.	9804	Other Drugs and medicines intended for personal use
242.	-	Lottery run by State Governments <i>Explanation 1.</i> - For the purposes of this entry, value of supply of lottery under sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 read with

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		<p>section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) shall be deemed to be 100/112 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher.</p> <p><i>Explanation 2.-</i></p> <p>(1) "Lottery run by State Governments" means a lottery not allowed to be sold in any state other than the organising state.</p> <p>(2) Organising state has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.</p>

Schedule III – 9%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	0402 91 10, 0402 99 20	Condensed milk
2.	1107	Malt, whether or not roasted
3.	1302	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products.
4.	1404 90 10	Bidi wrapper leaves (tendu)
5.	1404 90 50	Indian katha
6.	1517 10	All goods i.e. Margarine, Linoxyn
7.	1520 00 00	Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes
8.	1521	Vegetable waxes (other than triglycerides), Beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured
9.	1522	Degras, residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
10.	1701 91, 1701 99	All goods, including refined sugar containing added flavouring or colouring matter, sugar cubes
11.	1702	Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel [other than palmyra sugar and Palmyra jaggery]
12.	1704	Sugar confectionery (excluding white chocolate and bubble / chewing gum) [other than bura, batasha]
13.	1901	Preparations suitable for infants or young children, put up for retail sale
14.	1902	Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared
15.	1904 [other than 1904 10 20]	All goods i.e. Corn flakes, bulgar wheat, prepared foods obtained from cereal flakes [other than Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki]
16.	1905 [other than 1905 32 11, 1905 90 40]	All goods i.e. Waffles and wafers other than coated with chocolate or containing chocolate; biscuits; Pastries and cakes [other than pizza bread, Waffles and wafers coated with chocolate or containing chocolate, papad, bread]
17.	2101 20	All goods i.e Extracts, essences and concentrates of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate
18.	2103 90 10	Curry paste
19.	2103 90 30	Mayonnaise and salad dressings
20.	2103 90 40	Mixed condiments and mixed seasoning

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
21.	2104	Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations
22.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa
23.	2106	All kinds of food mixes including instant food mixes, soft drink concentrates, Sharbat, Betel nut product known as "Supari", Sterilized or pasteurized millstone, ready to eat packaged food and milk containing edible nuts with sugar or other ingredients, Diabetic foods; [other than Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form]
24.	2201	Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured
25.	2207	Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength
26.	2209	Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid
27.	2503 00 10	Sulphur recovered as by-product in refining of crude oil
28.	2619	Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel
29.	2620	Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel) containing metals, arsenic or their compounds
30.	2621	Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste
31.	2707	Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, such as Benzole (benzene), Toluole (toluene), Xylole (xylenes), Naphthelene
32.	2708	Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars
33.	2710	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than petroleum crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils; [other than Avgas and Kerosene PDS and other than petrol, Diesel and ATF, not in GST]
34.	2711	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, such as Propane, Butanes, Ethylene, propylene, butylene and butadiene [Other than Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers or to non-domestic exempted category (NDEC) customers by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited]
35.	2712	Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured
36.	2713	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
37.	2714	Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks
38.	2715	Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)
39.	28	All inorganic chemicals [other than those specified in the Schedule for exempted goods or other Rate Schedules for goods]
40.	29	All organic chemicals other than giberellic acid
41.	30	Nicotine polacrilex gum
42.	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
43.	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, which are clearly not to be used as fertilizers
44.	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, which are clearly not to be used as fertilizers
45.	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, which are

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		clearly not to be used as fertilizers
46.	3201	Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives (other than Wattle extract, quebracho extract, chestnut extract)
47.	3202	Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances (other than Enzymatic preparations for pre-tanning)
48.	3203	Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin
49.	3204	Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined
50.	3205	Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colour lakes
51.	3206	Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of heading 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined
52.	3207	Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours, vitrifiable enamels, glazes, engobes (slips), liquid lustres, and other similar preparations of a kind used in ceramic, enamelling or glass industry
53.	3211 00 00	Prepared driers
54.	3212	Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale
55.	3215	Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid (Fountain pen ink and Ball pen ink)
56.	3301	Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils; such as essential oils of citrus fruit, essential oils other than those of citrus fruit such as Eucalyptus oil, etc., Flavouring essences all types (including those for liquors), Attars of all kinds in fixed oil bases
57.	3302	Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages; such as Synthetic perfumery compounds [other than Menthol and menthol crystals, Peppermint (Mentha Oil), Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO), De-mentholised oil (DMO), Spearmint oil, Mentha piperita oil]
58.	3304 20 00	Kajal pencil sticks
59.	3305 9011, 3305 90 19	Hair oil
60.	3306 10 20	Dentifrices - Toothpaste
61.	3401 [except 340130]	Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap
62.	3404	Artificial waxes and prepared waxes
63.	3407	Preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)
64.	3501	Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues
65.	3502	Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80% whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives
66.	3503	Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		origin, excluding casein glues of heading 3501
67.	3504	Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed; including Isolated soya protein
68.	3505	Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches
69.	3506	Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg
70.	3507	Enzymes, prepared enzymes
71.	3601	Propellant powders
72.	3603	Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators
73.	3605	Matches (other than handmade safety matches [3605 00 10])
74.	3701	Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs; such as Instant print film, Cinematographic film (other than for x-ray for Medical use)
75.	3702	Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed
76.	3703	Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed
77.	3704	Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed
78.	3706	Photographic plates and films, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track, for feature films
79.	3707	Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use
80.	3801	Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures
81.	3802	Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black
82.	3803 00 00	Tall oil, whether or not refined
83.	3804	Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates
84.	3805	Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent
85.	3806	Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums
86.	3807	Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch
87.	3808	Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products
88.	3809	Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included
89.	3810	Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods
90.	3812	Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics.; such as Vulcanizing agents for rubber
91.	3815	Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included
92.	3816	Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 3801

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
93.	3817	Mixed alkylbenzenes and mixed alkyl-naphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902
94.	3818	Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics [other than silicon wafers]
95.	3821	Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells
96.	3823	Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining; industrial fatty alcohols
97.	3824	Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included
98.	3825	Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; [except municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter.]
99.	3826	Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals
100.	3901 to 3913	All goods i.e. polymers; Polyacetals, other polyethers, epoxide resins, polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters, other polyesters; polyamides; Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes; silicones; Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included; Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included; Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included; in primary forms
101.	3914	Ion exchangers based on polymers of headings 3901 to 3913, in primary forms
102.	3915	Waste, parings and scrap, of plastics
103.	3916	Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics
104.	3917	Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor, of plastics
105.	3919	Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls
106.	3920	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials
107.	3921	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics
108.	3923	Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics
109.	3924	Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics
110.	3925	Builder's wares of plastics, not elsewhere specified
111.	3926	PVC Belt Conveyor, Plastic Tarpaulin
112.	4002	Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip; such as Latex, styrene butadiene rubber, butadiene rubber (BR), Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR), Ethylene-propylene-Non-conjugated diene rubber (EPDM)
113.	4003	Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip
114.	4004	Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom
115.	4005	Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip
116.	4006	Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber
117.	4007	Vulcanised rubber thread and cord, other than latex rubber thread
118.	4008	Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber
119.	4009	Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges)
120.	4010	Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
121.	4011	Rear Tractor tyres and rear tractor tyre tubes
122.	4014	Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber; such as Hot water bottles, Ice bags [other than Sheath contraceptives, Rubber contraceptives, male (condoms), Rubber contraceptives, female (diaphragms), such as cervical caps]
123.	4015	Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber [other than Surgical gloves]
124.	4202	School satchels and bags other than of leather or composition leather
125.	4202 12 10	Toilet cases
126.	4202 22 10	Hand bags and shopping bags, of artificial plastic material
127.	4202 22 20	Hand bags and shopping bags, of cotton
128.	4202 22 30	Hand bags and shopping bags, of jute
129.	4202 22 40	Vanity bags
130.	4202 29 10	Handbags of other materials excluding wicker work or basket work
131.	4301	Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103.
132.	4302	Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303
133.	4304	Artificial fur and articles thereof
134.	4403	Wood in the rough
135.	4407	Wood sawn or chipped
136.	4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm [other than for match splints]
137.	4409	Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, v-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
138.	44 or any Chapter	Resin bonded bamboo mat board, with or without veneer in between
139.	44 or any Chapter	Bamboo flooring tiles
140.	4419	Tableware and Kitchenware of wood
141.	4501	Waste cork; crushed, granulated or ground cork
142.	4502	Natural cork, debarked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)
143.	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
144.	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork
145.	4803	Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets
146.	4806 [Except 4806 20 00, 4806 40 10]	Vegetable parchment, tracing papers and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets (other than greaseproof paper, glassine paper)
147.	4809	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets
148.	4811	Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810 [Other than aseptic packaging paper]
149.	4812	Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp
150.	4813	Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
151.	4816	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		in boxes
152.	4817 [Except 4817 30]	Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; [other than boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery including writing blocks]
153.	4818	Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, table cloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, or paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres
154.	4820	Registers, account books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; and book covers, of paper or paperboard [other than note books and exercise books]
155.	4821	Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed
156.	4822	Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened)
157.	4823	Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres [other than paper pulp moulded trays, Braille paper]
158.	5401	Sewing thread of manmade filaments, whether or not put up for retail sale
159.	5402, 5404, 5406	All synthetic filament yarn such as nylon, polyester, acrylic, etc.
160.	5403, 5405, 5406	All artificial filament yarn such as viscose rayon, Cuprammonium, etc.
161.	5501, 5502	Synthetic or artificial filament tow
162.	5503, 5504, 5506, 5507	Synthetic or artificial staple fibres
163.	5505	Waste of manmade fibres
164.	5508	Sewing thread of manmade staple fibres
165.	5509, 5510, 5511	Yarn of manmade staple fibres
166.	6401	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes
167.	6402	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics
168.	6403	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather
169.	6404	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials
170.	6405	Other footwear
171.	6406	Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof
172.	6501	Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt
173.	6502	Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed
174.	6504 00 00	Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed
175.	6505	Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed
176.	6506	Other headgear, whether or not lined or trimmed
177.	6507	Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear
178.	6804	Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials
179.	6805	Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up
180.	6806	Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or chapter 69
181.	6810	Pre cast Concrete Pipes
182.	6811	Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like
183.	6902	Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths
184.	6903	Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths
185.	6906	Salt Glazed Stone Ware Pipes
186.	6911	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china
187.	6912	Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china [other than Earthen pot and clay lamps]
188.	7001	Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the mass
189.	7002	Glass in balls (other than microspheres of heading 70.18), rods or tubes, unworked
190.	7010	Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass
191.	7013	Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)
192.	7015	Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses
193.	7017	Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated
194.	7018	Imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter
195.	7019	Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven fabrics)
196.	7201	Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms
197.	7202	Ferro-alloys
198.	7203	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms
199.	7204	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel
200.	7205	Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel
201.	7206	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 7203)
202.	7207	Semi-finished products of iron or non-alloy steel
203.	7208 to 7212	All flat-rolled products of iron or non-alloy steel
204.	7213 to 7215	All bars and rods, of iron or non-alloy steel
205.	7216	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel
206.	7217	Wire of iron or non-alloy steel
207.	7218	Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel
208.	7219, 7220	All flat-rolled products of stainless steel
209.	7221, 7222	All bars and rods, of stainless steel
210.	7223	Wire of stainless steel

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
211.	7224	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel
212.	7225, 7226	All flat-rolled products of other alloy steel
213.	7227, 7228	All bars and rods of other alloy steel.
214.	7229	Wire of other alloy steel
215.	7301	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel
216.	7302	Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails
217.	7303	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron
218.	7304	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel
219.	7305	Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel
220.	7306	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel
221.	7307	Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel
222.	7308	Structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, doors and windows and their frames and thresholds for doors, and shutters, balustrades, pillars, and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, section, tubes and the like, prepared for using structures, of iron or steel [other than transmission towers]
223.	7309	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
224.	7310	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
225.	7311	Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel
226.	7312	Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated
227.	7313	Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel
228.	7314	Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel
229.	7315	Chain and parts thereof, of iron or steel falling under 7315 20, 7315 81, 7315, 82, 7315 89, 7315 90
230.	7316	Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel
231.	7317	Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper
232.	7318	Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel
233.	7319	Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included
234.	7320	Springs and leaves for springs, of iron and steel
235.	7321	LPG stoves
236.	7323	Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel
237.	7325	Other cast articles of iron or steel; such as Grinding balls and similar articles for mills, Rudders for ships or boats, Drain covers, Plates and frames for sewage water or similar system

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
238.	7326	Other articles of iron and steel, forged or stamped, but not further worked; such as Grinding balls and similar articles for mills, articles for automobiles and Earth moving implements, articles of iron or steel Wire, Tyre bead wire rings intended for use in the manufacture of tyres for cycles and cycle-rickshaws, Belt lacing of steel, Belt fasteners for machinery belts, Brain covers, plates, and frames for sewages, water or similar system, Enamelled iron ware (excluding utensil & sign board), Manufactures of stainless steel (excluding utensils), Articles of clad metal
239.	7401	Copper mattes; cement copper (precipitated copper)
240.	7402	Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining
241.	7403	Refined copper and copper alloys, unwrought
242.	7404	Copper waste and scrap
243.	7405	Master alloys of copper
244.	7406	Copper powders and flakes
245.	7407	Copper bars, rods and profiles
246.	7408	Copper wire
247.	7409	Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.12.5 mm
248.	7410	Copper foils
249.	7411	Copper tubes and pipes
250.	7412	Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
251.	7413	Stranded wires and cables
252.	7415	Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper
253.	7419 91 00	Metal castings
254.	7501	Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy
255.	7502	Unwrought nickel
256.	7503	Nickel waste and scrap
257.	7504	Nickel powders and flakes
258.	7505	Nickel bars, rods, profiles and wire
259.	7506	Nickel plates, sheets, strip and foil
260.	7507	Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
261.	7508	Other articles of nickel
262.	7601	Aluminium alloys; such as Ingots, Billets, Wire-bars, Wire-rods
263.	7602	Aluminium waste and scrap
264.	7603	Aluminium powders and flakes
265.	7604	Aluminium bars, rods and profiles
266.	7605	Aluminium wire
267.	7606	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm
268.	7607	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm
269.	7608	Aluminium tubes and pipes
270.	7609	Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
271.	7610 [Except 7610 10 00]	Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06 and doors, windows and their frames and thresholds for doors under 7610 10 00) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures
272.	7611	Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
273.	7612	Aluminium casks, drums, cans, boxes, etc.
274.	7613	Aluminium containers for compressed or liquefied gas
275.	7614	Stranded wires and cables

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
276.	7616	Other articles of aluminium
277.	7801	Unwrought lead
278.	7802	Lead waste and scrap
279.	7804	Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes
280.	7806	Other articles of lead (including sanitary fixtures and Indian lead seals)
281.	7901	Unwrought zinc
282.	7902	Zinc waste and scrap
283.	7903	Zinc dust, powders and flakes
284.	7904	Zinc bars, rods, profiles and wire
285.	7905	Zinc plates, sheets, strip and foil
286.	7907	Other articles of zinc including sanitary fixtures
287.	8001	Unwrought tin
288.	8002	Tin waste and scrap
289.	8003	Tin bars, rods, profiles and wire
290.	8007	Other articles of tin
291.	8101 to 8112	Other base metals, namely, Tungsten, Molybdenum, Tantalum, Magnesium, Cobalt mattes, and other intermediate products of cobalt metallurgy, Bismuth, Cadmium, Titanium, Zirconium, Antimony, Manganese, Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium, and articles thereof, including waste and scrap
292.	8113	Cermets and articles thereof, including waste and scrap
293.	8202	Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw blades)
294.	8203	Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal cutting shears, pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools
295.	8204	Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles
296.	8205	Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified or included; blow lamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of, machine-tools or water-jet cutting machines; anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with frameworks
297.	8206	Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale
298.	8207	Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools
299.	8208	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances
300.	8209	Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets
301.	8210 00 00	Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drink
302.	8213 00 00	Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades therefor
303.	8301	Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal
304.	8306	Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal
305.	8307	Flexible tubing of base metal, with or without fittings
306.	8308	Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist watches, books, awnings, leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal
307.	8309	Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal
308.	8311	Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying
309.	8401	Nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopes separation
310.	8402	Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers
311.	8403	Central heating boilers other than those of heading 8402
312.	8404	Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, super-heaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units
313.	8405	Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers
314.	8406	Steam turbines and other vapour turbines
315.	8410	Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor
316.	8411	Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines - turbo-jets
317.	8412	Other engines and motors (Reaction engines other than turbo jets, Hydraulic power engines and motors, Pneumatic power engines and motors, other, parts) [other than wind turbine or engine]
318.	8416	Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances
319.	8417	Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non-electric
320.	8419 20	Medical, surgical or laboratory sterilisers
321.	8420	Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor
322.	8421	Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases
323.	8422 20 00, 8422 30 00, 8422 40 00, 8522 90 [other than 8422 11 00, 8422 19 00]	Machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages [other than dish washing machines]
324.	8423	Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 centigrams or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds [other than electric or electronic weighing machinery]
325.	8424	Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines [other than fire extinguishers, whether or not charged]
326.	8425	Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks
327.	8426	Ship's derricks; cranes including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane
328.	8431	Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430
329.	8435	Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages
330.	8438	Machinery, not specified or included elsewhere in this Chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or oils
331.	8439	Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard
332.	8440	Book-binding machinery, including book-sewing machines
333.	8441	Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds
334.	8442	Machinery, apparatus and equipment (other than the machines of headings 8456 to 8465) for preparing or making plates, printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		polished)
335.	8443	Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 84.42; Printers [other than machines which perform two or more of the functions of printing, copying or facsimile transmission] capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network printers [other than copying machines, facsimile machines]; parts and accessories thereof [other than ink cartridges with or without print head assembly and ink spray nozzle]
336.	8444	Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials
337.	8445	Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447
338.	8446	Weaving machines (looms)
339.	8447	Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
340.	8448	Auxiliary machinery for use with machines of heading 84.44, 84.45, 84.46 or 84.47 (for example, dobbies, Jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, spindles and spindles flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald frames, hosiery needles)
341.	8449	Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats
342.	8451	Machinery (other than machines of heading 8450) for washing, cleaning, wringing, drying, ironing, pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made up textile articles and machines for applying the paste to the base fabric or other support used in the manufacture of floor covering such as linoleum; machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics
343.	8453	Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines
344.	8454	Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries
345.	8455	Metal-rolling mills and rolls therefor
346.	8456	Machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes
347.	8457	Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal
348.	8458	Lathes (including turning centres) for removing metal
349.	8459	Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458
350.	8460	Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal, or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461
351.	8461	Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included
352.	8462	Machine-tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine-tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above
353.	8463	Other machine-tools for working metal, or cermets, without removing material
354.	8464	Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		materials or for cold working glass
355.	8465	Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials
356.	8466	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456 to 8465 including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for the machines; tool holders for any type of tool, for working in the hand
357.	8467	Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor
358.	8468	Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8512.5; gas-operated surface tempering machines and appliances
359.	8470	Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers
360.	8471	Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included
361.	8472	Perforating or stapling machines (staplers), pencil sharpening machines
362.	8473	Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8470 to 8472
363.	8474	Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand
364.	8475	Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware
365.	8477	Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this Chapter
366.	8479	Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter [other than Passenger boarding bridges of a kind used in airports (8479 71 00) and other (8479 79 00)]
367.	8480	Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics
368.	8481	Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves
369.	8482	Ball bearing, Roller Bearings
370.	8486	Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in Note 9 (C) to this Chapter; parts and accessories
371.	8487	Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features not specified or included elsewhere in this chapter
372.	8501	Electric motors and generators (excluding generating sets)
373.	8502	Electric generating sets and rotary converters
374.	8503	Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 or 8502
375.	8504	Transformers Industrial Electronics; Electrical Transformer; Static Convertors (UPS)
376.	8505	Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic couplings, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads
377.	8514	Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
378.	8515	Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photo beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets
379.	8517	Telephone sets; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 8443, 8525, 8527 or 8528
380.	8518	Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures [other than single loudspeakers, mounted in their enclosures]; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers;
381.	8521	Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner
382.	8523	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37
383.	8525	Closed-circuit television (CCTV)
384.	8528	Computer monitors not exceeding 17 inches, Set top Box for Television (TV)
385.	8532	Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set)
386.	8533	Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors
387.	8534 00 00	Printed Circuits
388.	8535	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1,000 volts
389.	8538	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8535, 8536 or 8537
390.	8539	Electrical Filaments or discharge lamps
391.	8540	Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes)
392.	8541	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices; photosensitive semi-conductor devices; light-emitting diodes (LED); mounted piezo-electric crystals
393.	8542	Electronic integrated circuits
394.	8543	Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter
395.	8544	Winding Wires; Coaxial cables; Optical Fiber
396.	8545	Carbon electrodes
397.	8546	Electrical insulators of any material
398.	8548	Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter
399.	8609	Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport [including refrigerated containers]
400.	8703	Cars for physically handicapped persons, subject to the following conditions: a) an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods are capable of being used by the physically handicapped persons; and b) the buyer of the car gives an affidavit that he shall not dispose of the car for a period of five years after its purchase.
401.	8704	Refrigerated motor vehicles
402.	8708	Following parts of tractors namely: a. Rear Tractor wheel rim, b. tractor centre housing,

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		c. tractor housing transmission, d. tractor support front axle
403.	8715	Baby carriages and parts thereof
404.	8801	Balloons and dirigibles, gliders and other non-powered aircraft
405.	8804	Parachutes (including dirigible parachutes and paragliders) and rotachutes; parts thereof and accessories thereto and parts thereof
406.	8805	Aircraft launching gear, deck arrestor or similar gear; ground flying trainers and parts thereof
407.	8908 00 00	Vessels and other floating structures for breaking up
408.	9001	Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarising material; prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked
409.	9002	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked [other than intraocular lens]
410.	9003	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof
411.	9004	Spectacles [other than corrective]; goggles and the like, corrective, protective or other
412.	9016	Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights [other than electric or electronic balances]
413.	9017	Instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in the chapter
414.	9024	Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)
415.	9025	Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments
416.	9026	Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032
417.	9027	Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes
418.	9028	Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor
419.	9029	Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes
420.	9030	Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 90.28; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiations
421.	9031	Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this Chapter; profile projectors
422.	9032	Automatic regulating or controlling instruments and apparatus
423.	9033	Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this Chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90
424.	9103	Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104
425.	9105	Other clocks
426.	9109	Clock movements, complete and assembled
427.	9114	Other clock parts
428.	9110	Complete clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete clock movements, assembled; rough clock movements

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
429.	9112	Clock cases, and parts thereof
430.	9301	Military weapons other than revolvers, pistols
431.	9303	Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive-bolt humane killers, line-throwing guns)
432.	9304	Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 9307
433.	9305	Parts and accessories of articles of headings 9301 to 9304
434.	9306	Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads
435.	9307	Swords, cut lasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths therefor
436.	9402	Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles
437.	9403	Bamboo furniture
438.	9404	Coir mattresses, cotton pillows, mattress and quilts
439.	9406	Prefabricated buildings
440.	9503	Electronic Toys like tricycles, scooters, pedal cars etc. (including parts and accessories thereof)
441.	9506	Swimming pools and padding pools
442.	9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29, 9606 30	Buttons, of plastics not covered with the textile material, of base metals, buttons of coconut shell, button blanks
443.	9603 [other than 9603 10 00]	Brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles), hand operated mechanical floor sweepers, not motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other than roller squeegees) [other than brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles]
444.	9604 00 00	Hand sieves and hand riddles
445.	9605	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning
446.	9607	Slide fasteners and parts thereof
447.	9608	Fountain pens, stylograph pens and other pens
448.	9610 00 00	Boards, with writing or drawing surface, whether or not framed
449.	9612	Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes
450.	9620 00 00	Monopods, bipods, tripods and similar articles
451.	9801	All items of machinery including prime movers, instruments, apparatus and appliances, control gear and transmission equipment, auxiliary equipment (including those required for research and development purposes, testing and quality control), as well as all components (whether finished or not) or raw materials for the manufacture of the aforesaid items and their components, required for the initial setting up of a unit, or the substantial expansion of an existing unit, of a specified: (1) industrial plant, (2) irrigation project, (3) power project, (4) mining project, (5) project for the exploration for oil or other minerals, and (6) such other projects as the Central Government may, having regard to the economic development of the country notify in the Official Gazette in this behalf;

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		and spare parts, other raw materials (including semi-finished materials of consumable stores) not exceeding 10% of the value of the goods specified above, provided that such spare parts, raw materials or consumable stores are essential for the maintenance of the plant or project mentioned in (1) to (6) above.
452.	9802	Laboratory chemicals
453.	Any Chapter	Goods which are not specified in Schedule I, II, IV, V or VI

Schedule IV – 14%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	1703	Molasses
2.	1704	Chewing gum / bubble gum and white chocolate, not containing cocoa
3.	1804	Cocoa butter, fat and oil
4.	1805	Cocoa powder, not containing added sugar or sweetening matter
5.	1806	Chocolates and other food preparations containing cocoa
6.	1901 90 [other than 1901 10, 1901 20 00]	Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis not elsewhere specified or included [other than preparations for infants or young children, put up for retail sale and mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 1905]
7.	1905 32	Waffles and wafers coated with chocolate or containing chocolate
8.	2101 11, 2101 12 00	Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee
9.	2106	Food preparations not elsewhere specified or included i.e. Protein concentrates and textured protein substances, Sugar-syrups containing added flavouring or colouring matter, not elsewhere specified or included; lactose syrup; glucose syrup and malto dextrine syrup, Compound preparations for making non-alcoholic beverages, Food flavouring material, Churna for pan, Custard powder
10.	2106 90 20	Pan masala
11.	2202 90 90	Other non-alcoholic beverages
12.	2202 10	All goods [including aerated waters], containing added sugar or other sweetening matter or flavoured
13.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
14.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
15.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenised" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences [including biris]
16.	2515 12 20, 2515 12 90	Marble and travertine, other than blocks
17.	2516 12 00	Granite, other than blocks
18.	2523	Portland cement, aluminous cement, slag cement, super sulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
19.	2710	Avgas
20.	3208	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter
21.	3209	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium
22.	3210	Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather
23.	3213	Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings
24.	3214	Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like
25.	3303	Perfumes and toilet waters
26.	3304	Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations [other than kajal, Kumkum, Bindi, Sindur, Alta]
27.	3305 [other than 3305 9011, 3305 90 19]	All goods, i.e. preparations for use on the hair such as Shampoos; Preparations for permanent waving or straightening; Hair lacquers; Brilliantines (spirituous); Hair cream, Hair dyes (natural, herbal or synthetic) [other than Hair oil]
28.	3306 [other than 3306 10 10, 3306 10 20]	Preparations for oral or dental hygiene, including and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages [other than dentifrices in powder or paste form (tooth powder or toothpaste)]
29.	3307	Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties; such as Pre-shave, shaving or after-shave Preparations, Shaving cream, Personal deodorants and antiperspirants
30.	3401 30	Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent
31.	3402	Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401
32.	3403	Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
33.	3405	Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404
34.	3407	Modelling pastes, including those put up for children's amusement
35.	3602	Prepared explosives, other than propellant powders; such as Industrial explosives
36.	3604	Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
37.	3606	Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in Note 2 to this Chapter; such as liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters
38.	3811	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils
39.	3813	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades
40.	3814	Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers
41.	3819	Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
42.	3820	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids
43.	3918	Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics
44.	3922	Baths, shower baths, sinks, wash basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware of plastics
45.	3926 [other than 3926 40 11, 3926 90 10]	Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 [other than bangles of plastic, PVC Belt Conveyor, plastic beads and plastic tarpaulins]
46.	4011	New pneumatic tyres, of rubber [other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; and Rear Tractor tyres]
47.	4012	Retreaded or used tyres and flaps
48.	4013	Inner tubes of rubber [other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; and Rear Tractor tyre tubes]
49.	4016 [other than 4016 92 00]	Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber (other than erasers)
50.	4017	Hard rubber (for example ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber
51.	4201	Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material
52.	4202	Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper [other than School satchels and bags other than of leather or composition leather, Toilet cases, Hand bags and shopping bags, of artificial plastic material, of cotton, or of jute, Vanity bags, Handbags of other materials excluding wicker work or basket work]
53.	4203	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather
54.	4205	Other articles of leather or of composition leather
55.	4206	Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
56.	4303	Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin
57.	4304	Articles of artificial fur
58.	4410	Particle board, Oriented Strand Board (OSB) and similar board (for example, wafer board) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances, other than specified boards
59.	4411	Fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances, other than specified boards
60.	4412	Plywood, veneered panels and similar laminated wood
61.	4413	Densified wood, in blocks, plates, strips, or profile shapes
62.	4414	Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects
63.	4418	Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes
64.	4421	Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware
65.	4814	Wall paper and similar wall coverings; window transparencies of paper
66.	6702	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit
67.	6703	Wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like
68.	6704	Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included
69.	6801	Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate)
70.	6802	Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate); of marble, travertine and alabaster, of Granite, of Other calcareous stone
71.	6803	Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate
72.	6807	Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch)
73.	6808	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders
74.	6809	Articles of plaster or of compositions based on plaster; such as Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented
75.	6810	Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced; such as Tiles, flagstones, bricks and similar articles, Building blocks and bricks, Cement bricks, Prefabricated structural components for Building or civil engineering, Prefabricated structural components for building or civil engineering
76.	6812	Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813
77.	6813	Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textiles or other materials
78.	6814	Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials
79.	6815	Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included
80.	6901	Blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths
81.	6904	Ceramic flooring blocks, support or filler tiles and the like
82.	6905	Chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods
83.	6906	Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings
84.	6907	Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing; finishing ceramics
85.	6909	Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods
86.	6910	Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures
87.	6913	Statuettes and other ornamental ceramic articles
88.	6914	Other ceramic articles
89.	7003	Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
90.	7004	Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
91.	7005	Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
92.	7006 00 00	Glass of heading 70.03, 70.04 or 70.05, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials
93.	7007	Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass
94.	7008	Multiple-walled insulating units of glass
95.	7009	Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors
96.	7011	Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like
97.	7014	Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 7015), not optically worked
98.	7016	Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multi-cellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms
99.	7020	Other articles of glass [other than Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns]
100.	7321	Stoves [other than kerosene stove and LPG stoves], ranges, grates, cookers (including

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel
101.	7322	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel
102.	7324	Sanitary ware and parts thereof of iron and steel
103.	7418	All goods other than utensils i.e. sanitary ware and parts thereof of copper
104.	7419	Other articles of copper [including chain and parts thereof under 7419 10 and other articles under 7419 99] but not including metal castings under 7419 91 00
105.	7610 10 00	Doors, windows and their frames and thresholds for doors
106.	7615	All goods other than utensils i.e. sanitary ware and parts thereof
107.	8212	Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)
108.	8214	Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives,); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files) [other than paper knives, pencil sharpeners and blades thereof]
109.	8302	Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal; automatic door closers of base metal
110.	8303	Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal
111.	8304	Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading 9403
112.	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal
113.	8310	Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal, excluding those of heading 9405
114.	8407	Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engine
115.	8408	Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)
116.	8409	Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408
117.	8413	Pumps for dispensing fuel or lubricants of the type used in filling stations or garages [8413 11], Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines [8413 30], concrete pumps [8413 40 00], other rotary positive displacement pumps [8413 60], [other than hand pumps falling under tariff item 8413 11 10]
118.	8414	Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters
119.	8415	Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated
120.	8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other;

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415
121.	8419	Storage water heaters, non-electric [8419 19] (other than solar water heater and system), Pressure vessels, reactors, columns or towers or chemical storage tanks [8419 89 10], Glass lined equipment [8419 89 20], Auto claves other than for cooking or heating food, not elsewhere specified or included [8419 89 30], Cooling towers and similar plants for direct cooling (without a separating wall) by means of recirculated water [8419 89 40], Plant growth chambers and rooms and tissue culture chambers and rooms having temperature, humidity or light control [8419 89 60], Apparatus for rapid heating of semi-conductor devices, apparatus for chemical or physical vapour deposition on semiconductor wafers; apparatus for chemical vapour deposition on LCD substratus [8419 89 70]; parts [8419 90]
122.	8422	Dish washing machines, household [8422 11 00] and other [8422 19 00]
123.	8423	Electric or electronic weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 centigrams or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds
124.	8424	Fire extinguishers
125.	8427	Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment
126.	8428	Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)
127.	8429	Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers
128.	8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers
129.	8443	Printers which perform two or more of the functions of printing, copying or facsimile transmission, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network printers; copying machines, facsimile machines; ink cartridges with or without print head assembly and ink spray nozzle
130.	8450	Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry
131.	8472	Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines [other than Braille typewriters, electric or non-electric, Perforating or stapling machines (staplers), pencil sharpening machines])
132.	8476	Automatic goods-vending machines (for example, postage stamps, cigarette, food or beverage machines), including money changing machines
133.	8478	Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter
134.	8479	Passenger boarding bridges of a kind used in airports [8479 71 00] and other [8479 79 00]
135.	8483	Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)
136.	8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
137.	8504	Static converters (for example, rectifiers) and inductors [other than Transformers Industrial Electronics; Electrical Transformer; Static Convertors (UPS)]
138.	8506	Primary cells and primary batteries
139.	8507	Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square)
140.	8508	Vacuum cleaners
141.	8509	Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 8508
142.	8510	Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor
143.	8511	Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines
144.	8512	Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 8539), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles
145.	8513	Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading 8512
146.	8516	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electrothermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading 8545
147.	8517	ISDN System [8517 69 10], ISDN Terminal Adaptor [8517 69 20], X 25 Pads [8517 69 40]
148.	8518	Single loudspeakers, mounted in their enclosures [8518 21 00], Audio-frequency electric amplifiers [8518 40 00], Electric sound amplifier sets [8518 50 00], Parts [8518 90 00]
149.	8519	Sound recording or reproducing apparatus
150.	8522	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 or 8521
151.	8525	Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video cameras recorders [other than CCTV]
152.	8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
153.	8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock
154.	8528	Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receiver or sound or video recording or reproducing apparatus [other than computer monitors not exceeding 17 inches]
155.	8529	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528
156.	8530	Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads,

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading 8608)
157.	8531	Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 8512 or 8530
158.	8536	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 volts : connectors for optical fibres optical fibres, bundles or cables
159.	8537	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517
160.	8539	Sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps [other than Electric filament or discharge lamps and LED lamps]
161.	8544	Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors [other than Winding Wires; Coaxial cables; Optical Fiber]
162.	8545	Brushes [8545 20 00] and goods under 8545 (including arc lamp carbon and battery carbon)
163.	8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for the purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material
164.	8702	Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver
165.	8703	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars [other than Cars for physically handicapped persons]
166.	8704	Motor vehicles for the transport of goods [other than Refrigerated motor vehicles]
167.	8705	Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological unit)
168.	8706	Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
169.	8707	Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
170.	8708	Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705 [other than specified parts of tractors]
171.	8709	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles
172.	8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles
173.	8711	Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
174.	8714	Parts and accessories of vehicles of headings 8711 and 8713
175.	8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof [other than Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes, and Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles]
176.	8802	Aircrafts for personal use
177.	8903	Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes
178.	9004	Goggles
179.	9005	Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; other astronomical instruments and mountings therefor, but not including instruments for radio-astronomy
180.	9006	Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 8539
181.	9007	Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus
182.	9008	Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers
183.	9010	Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or included elsewhere in this Chapter; negatoscopes; projection screens
184.	9011	Compound optical microscopes, including those for photomicrography cinephotomicrography or microprojection
185.	9012	Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus
186.	9013	Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter
187.	9014	Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances
188.	9015	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders
189.	9016	Electric or electronic balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights
190.	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, for \ including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examinations or treatment tables, chairs and the light
191.	9023	Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses
192.	9101	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal
193.	9102	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop watches, other than those of heading 9101
194.	9104	Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels
195.	9106	Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with synchronous motor (for example, time registers, time-recorders)

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
196.	9107	Time switches with clock or watch movement or with synchronous motor
197.	9108	Watch movements, complete and assembled
198.	9110	Complete watch movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch movements, assembled; rough watch movements
199.	9111	Watch cases and parts thereof
200.	9112	Cases for other than clocks, and parts thereof
201.	9113	Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof
202.	9114	Other watch parts
203.	9201	Pianos, including automatic pianos; harpsi-chords and other keyboard stringed instruments
204.	9202	Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps)
205.	9205	Wind musical instruments (for example, keyboard pipe organs, accordions, clarinets, trumpets, bagpipes), other than fairground organs and mechanical street organs
206.	9206 00 00	Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbols, castanets, maracas)
207.	9207	Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
208.	9208	Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound signalling instruments
209.	9209	Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for example, cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical instruments; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds
210.	9302	Revolvers and pistols, other than those of heading 9303 or 9304
211.	9401	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds, and parts thereof
212.	9403	Other furniture [other than bamboo furniture] and parts thereof
213.	9404	Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered
214.	9405	Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included
215.	9504	Video games consoles and Machines
216.	9505	Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes
217.	9506	Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics
218.	9508	Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements; [other than travelling circuses and travelling menageries]
219.	9601	Worked ivory, bone, tortoise-shell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and other animal carving material, and articles of these materials (including articles obtained by

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		moulding)
220.	9602	Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 3503) and articles of unhardened gelatin
221.	9611	Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks
222.	9613	Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints and wicks
223.	9614	Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts thereof
224.	9616	Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations
225.	9617	Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof other than glass inners
226.	9618	Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays, used for shop window dressing
227.	9804	All dutiable articles intended for personal use
228.	-	<p>Lottery authorized by State Governments</p> <p>Explanation 1.- For the purposes of this entry, value of supply of lottery under sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher.</p> <p>Explanation 2.-</p> <p>(1) "Lottery authorized by State Governments" means a lottery which is authorized to be sold in State(s) other than the organising state also.</p> <p>(2) Organising state has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010</p>

Schedule V – 1.5%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7101	Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport
2.	7102	Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set [other than Non-Industrial

S. No.	Chapter / Heading / Sub- heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		Unworked or simply sawn, cleaved or bruted]
3.	7103	Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport [other than Unworked or simply sawn or roughly shaped]
4.	7104	Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport [other than Unworked or simply sawn or roughly shaped]
5.	7105	Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones
6.	7106	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7.	7107	Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured
8.	7108	Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
9.	7109	Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured
10.	7110	Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
11.	7111	Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured
12.	7112	Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal.
13.	7113	Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
14.	7114	Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
15.	7115	Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
16.	7116	Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)
17.	7117	Imitation jewellery
18.	7118	Coin

Schedule VI – 0.125%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Diamonds, non-industrial unworked or simply sawn, cleaved or bruted
2.	7103	Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped
3.	7104	Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped

Explanation. – For the purposes of this Schedule,-

(i) The phrase “unit container” means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package.

(ii) The phrase “registered brand name” means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person, and which is registered under the Trade Marks Act, 1999.

(iii) “Tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(iv) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F.No.354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy .

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 711 (अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, माल की राज्य के भीतर पूर्तियों पर, जिनका वर्णन इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र कर से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

क्रम सं.	अध्याय शीर्ष/उपशीर्ष टैरिफ मद	माल का विवरण
1.	0101	जीवित, गधे, खच्चर और हिन्नी
2.	0102	जीवित गोकुलीय प्राणी
3.	0103	जीवित सुअर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरे
5.	0105	जीवित कुक्कुट अर्थात् गैलस घरेलू जाति के मुर्गे, बतख, हंस, टर्की और गिनि मुर्गे
6.	0106	अन्य जीवित प्राणी जैसे स्तनपायी, पक्षी, कीट
7.	0201	गोकुलीय प्राणी का मांस, ताजा और द्रुतशीतित
8.	0202	गोकुलीय प्राणी का मांस, हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
9.	0203	सुअर का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
10.	0204	भेड़ या बकरे का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
11.	0205	अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का मांस ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
12.	0206	गोकुलीय प्राणी, सुअर, भेड़, बकरे, अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी के खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
13.	0207	शीर्ष अवशिष्ट खाद्य और मांस का टुकुकु के 0105, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
14.	0208	अन्य मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
15.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या निष्कर्षित, ताजा, द्रुतशीतित, हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
16.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या निष्कर्षित, लवणित, लवण जल में रखा शुष्कित या धूमित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा

		हुआ है]
17.	0210	मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, लवणित, लवण, जल में रखा, शुष्कित या धूमित, मांस या मांस अवशिष्ट, से भिन्न इकाई आधान में रखे जाएंगे
18.	3	मछलीबीज, झींगा/झींगी बीज जो पृसंस्कृत, संसाधित या हिमशीतित अवस्था में हैं या नहीं [अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले ऐसे मालों से भिन्न, जिन पर 2.5 प्रतिशत कर लागू हैं]
19.	0301	जीवित मछली
20.	0302	मछली, ताज़ी या द्रुतशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष 0304 के मछली कतले और अन्य मछली मांस नहीं है
21.	0304	मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे टुकड़े किया गया या नहीं), ताज़ी या द्रुतशीतित
22.	0306	क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, जीवित, ताज़ी या द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया कवच युक्त, जो भापन या जल में उबालकर पकाई गई है, जीवित, ताज़ी या द्रुतशीतित
23.	0307	मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं जीवित, ताज़ी, द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित
24.	0308	क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित
25.	0401	अल्ट्रा उच्च तापमान (यूएचटी) दूध को छोड़कर ताज़ा दूध और पास्तुरीकृत दूध, जिसके अंतर्गत पृथक दूध, दूध और क्रीम हैं, जो सांद्रित नहीं है या जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य नहीं हैं।
26.	0403	दही; लस्सी छाछ
27.	0406	छैना या पनीर, उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो
28.	0407	पक्षियों के अंडे कवच युक्त, ताजे, परिरक्षित या पकाए हुए
29.	0409	इकाई आधान में रखे गए से भिन्न, प्राकृतिक मधु जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो
30.	0501	मानव केश, अकर्मित, चाहे धुले या अभिमार्जित हैं या नहीं ; मानव केश के अपशिष्ट
31.	0506	सभी माल अर्थात् हड्डियां और सींग क्रोड जो अकर्मित, निर्वसीकृत, केवल निर्मित) आकार में आकर्तित) अम्लोपचारित या अजिलेटिवीकृत हैं, इन उत्पादों का चूर्ण और अपशिष्ट
32.	0507 90	सभी माल अर्थात् खुर अवचूर्ण; सींग अवचूर्ण; खुर, नखर, नख, और चोंच ; मृगशश्रृंग; आदि
33.	0511	शुक्र जिसके अंतर्गत हिमशीतित शुक्र भी है
34.	6	जीवित वृक्ष और अन्य पौधे, कंद, जड़ें और वैसी ही चीज़ें ; कर्तित पुष्प और अलंकृत पर्ण समूह
35.	0701	आलू ताजे या द्रुतशीतित
36.	0702	टमाटर ताजे या द्रुतशीतित
37.	0703	प्याज, शैलट, लहसुन, लीक और अन्य लशुनी वनस्पतियां ; ताज़ी या द्रुतशीतित
38.	0704	बंदगोभी, फूलगोभी, कोहलरबी, केल और उसी प्रकार के खाद्य ब्रेसिका, ताजे या द्रुतशीतित
39.	0705	लेट्यूस (लैक्टूका सैटाइवा) और कासनी (साइकोरियम सभी जातियां), ताजे या द्रुतशीतित
40.	0706	गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, सेलसिफी, सेलेरिएक मूली और वैसी ही खाद्य जड़ें ताज़ी या द्रुतशीतित

41.	0707	खीरादि और घेरकिन, ताजे या द्रुतशीतित
42.	0708	कवचयुक्त या कवचरहित फलीदार वनस्पतियां, ताजी या द्रुतशीतित
43.	0709	अन्य वनस्पतियां, ताजी या द्रुतशीतित
44.	0712	शुष्क वनस्पतियां जो साबुत, कर्तित, कतरी गई या चूर्णित हैं, किन्तु और निर्मित नहीं हैं
45.	0713	शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं
46.	0714	मेनिओक, अरारुट, सेलद, जेरूसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़े और कंद जिनमें स्टार्च या इनूलिन की मात्रा अधिक है ताजे या द्रुतशीतित ; साबुदाने कापिथ
47.	0801	नारियल, ताजे या शुष्कित चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं
48.	0801	ब्राजील नटनहीं या हैं छिलकारहित या कवचयुक्त चाहे ताजे ,
49.	0802	अन्य दृढ फल ताजे, जैसे कि बादाम, हेज़लनट या फिलबर्ट, कोरिअस सभी प्रजातियां), अखरोट, चेस्टनट (कास्टानिया सभी जातियां), एरिका नटस् ताजे चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं
50.	0803	केले, जिसके अंतर्गत कदली भी है, ताजे या शुष्कित
51.	0804	छुहारा, अंजीर, अनानास, एवोकेडोज, अमरूद, आम और मेंगोस्टीम, ताजे
52.	0805	निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मँडारिन, (जिसे अंतर्गतटेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं) ; क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे हि निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पामलोस भी है, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोलम) और लाइम (निम्बुकुलआरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), ताजे
53.	0806	अंगूर, ताजे
54.	0807	तरबूजादि (जिसके अंतर्गत तरबूज है) और पपीते, ताजे
55.	0808	सेब, नाशपती और क्विन्स, ताजे
56.	0809	खुमानी, चैरी, आडु (जिसके अंतर्गत शफतालू हैं), आलू बुखारा और स्लो, ताजे
57.	0810	अन्य फल जैसे की स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगनबेरी, काली सफेद या लाल किशमिश तथा गूज़बेरी, करोंदा, बिलबेरी, और वैक्सीनियम वंश के अन्य फल, कीवी फल, ड्यूरियन्स, पर्सिमोन्स, अनार, इमली, सपोटा, (चीकू), शरीफा (अटा), बोर, लीची, ताजे
58.	0814	निम्बुकुल फल या तरबूजादि (जिसके अंतर्गत तरबूज भी हैं) के छिलके, ताजे
59.	9	बीज किस्म के सभी माल
60.	0901	काँफी बीन्स, अभर्जित
61.	0902	चाय की अप्रसंस्करित हरी पत्तियां
62.	0909	सौंफ, बेडियन, बड़ी सौंफ, धनिया, सफेद जीरा या काला जीरा के बीज, हपुषा बेरी (की बीज क्वालिटी)
63.	0910 11 10	ताजी अदरक, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
64.	0910 30 10	ताजी हल्दी, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
65.	1001	गेहूं और मेसलीन [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
66.	1002	राई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड

		नाम है]
67.	1003	जौ [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
68.	1004	जई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
69.	1005	मक्का (कार्ना) [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
70.	1006	चावल [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
71.	1007	ज्वारादि [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
72.	1008	कुट्टु, मिलेट और कैनेरी बीज ; अन्य धान्य जैसे ज्वार, बाजरा, रागी [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
73.	1101	गेहूं या मेसलीन का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
74.	1102	गेहूं या मेसलीन के आटे से भिन्न, धान्य आटा [मक्का (कार्ना), आटा राई आटा, आदि] [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
75.	1103	धान्य, दलिया, अवचूर्ण और गुटिका [उनसे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
76.	1104	धान्य दाना, तुष निकाले गए
77.	1105	आलू का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
78.	1106	शीर्ष 0713 के शुष्कित फलीदार वनस्पतियों (दालों) का आटा [1106 10 10 के गवार अवचूर्ण और 1106 10 90 के गवार गोंद परिष्कृत से भिन्न], साबूदाने या 0714 शीर्ष की जड़ोंया कंदों या अध्याय 8 के उत्पादों अर्थात् हल्दी, सिंगाड़े का आटा, आम का आटा आदि [उससे भिन्न जिसे किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
79.	12	बीज क्वालिटी के सभी माल
80.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटी है अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
81.	1202	मूंगफली, जो भर्जित अन्यथा पकाई गई नहीं है, चाहे कवच रहित या टूटी हुई अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
82.	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
83.	1205	तोरिया या कोल्जा बीज, चाहे टूटे हैं अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
84.	1206	सूर्यमुखी के बीज चाहे टूटे हैं अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
85.	1207	अन्य तिलहन और तेलोत्पादक फल (अर्थात् ताड़फल और गिरी, विनौले, एरंड के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुंभम (करथोमस टिंकटोरियस) बीज, खसखस बीज,

		एजाम्स, आमगुठली, नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटे हों अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
86.	1209	बीज, फल और किसी प्रकार के बीजाणू, जो बोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं
87.	1210	हाप कोन, ताजे
88.	1211	उस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग (जिसके अंतर्गत बीज और फल भी हैं), जिनका उपयोग मुख्यतः सुगंध सामग्री, फार्मेसी में या कीटनाशी, फफूंदनाशी के लिए या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ताजे या द्रुतशीतित
89.	1212	लोकस्ट फलियां, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजे या द्रुतशीतित
90.	1213	धान्य पुआल और भूसी, अनिर्मित चाहे काटी हुई, दलित, दावित या गुटिका के रूप में है अथवा नहीं
91.	1214	स्वीडन का शलजम, मंगोल्ड, चारे की जड़ें, सूखी घास, रिजका (फाअल्फा), क्लोवर, सेनफोइन, हरा चारा काले, ल्यूपिन, वैचिस और वैसे ही हरा चारा उत्पाद, चाहे वे गुटिका के रूप में हैं या नहीं
92.	1301	लाख और शल्क लाख
93.	40 90 1404	पान के पत्ते
94.	1701 या 1702	सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़ (गुड़) और पालमिरा गुड़ सम्मिलित है
95.	1904	फुला हुआ चावल, जो सामान्यतः मुरी के नाम से ज्ञात है, सपाटित या कुटा हुआ चावल, जो सामान्यतः च्यूडा के नाम से ज्ञात है सूखा चावल, जो सामान्यतः खोई के नाम से ज्ञात है, सूखा धान या चीनी अथवा गुड़ से विलेपित चावल, जो सामान्यतः मुर्की के नाम से ज्ञात है,
96.	1905	पापड़, चाहे किसी नाम से ज्ञात हो, सिवाय तब के जब उसे उपभोग के लिए दिए जाते हैं
97.	1905	डबल रोटी (ब्रांडीकृतया अन्यथा) सिवाय तब के जब उसे उपभोग के लिए और पिज्जा ब्रेड के रूप में रखा जाता है।
98.	2106	मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों जैसे धार्मिक स्थानों पर दिया जाने वाला प्रसाद
99.	2201	जल [वातित, खनिज, शुद्धीकृत, आसवित, चिकित्सीय, आयनिक, बैटरी, विखनिजीकृत और सीलबंद आधानों में विक्रय किए जाने वाले जल से भिन्न]
100.	2201	गैर अल्कोहाली टोडी, नीरा, जिसके अंतर्गत खजूर और पाम नीरा भी है
101.	90 90 2202	युनिट आधान में रखे हुए और रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम वाले मृदु नारियल जल से भिन्न
102.	2302, 2304 , 2305, 2306 , 2308, 2309	जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी हैं, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक
103.	00 00 2716	विद्युतीय ऊर्जा
104.	2501	नमक, सभी किस्मों के [2501]
105.	2835	भारतीय मानक विनिर्देश संख्या 5470:2002 के अनुरूप पशु खाद्य ग्रेड का डाईकैलशियम फास्फेट (डीसीपी)
106.	3002	मानव रक्त और उसके संघटक
107.	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
108.	3101	सभी माल और आर्गेनिक खाद [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
109.	3304	काजल [काजल पैसिल स्टिकों से भिन्न], कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता

110.	3825	नगर पालिक अपशिष्ट, मल स्लज, नैदानिक अपशिष्ट
111.	3926	प्लास्टिक चूड़ियां
112.	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
113.	4401	जलावन काष्ठ, ईंधन काष्ठ
114.	4402	काष्ठ चारकोल (जिसके अंतर्गत कोष या दृढफल चारकोल भी है), चाहे वह संपीडित है अथवा नहीं
115.	4802/4907	न्यायिक, न्यायेतर स्टांप पेपर, न्यायालय फीस स्टांप, जब उनका सरकारी खजाने या सरकार द्वारा प्राधिकृत विक्रताओं द्वारा विक्रय किया जाए
116.	4817/4907	डाक संबंधी मर्दे जैसे सरकार द्वारा विक्रीत लिफाफे, पोस्टकार्ड आदि
117.	48/4907	रुपये के नोट, जब उनका विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाए
118.	4907	चैक, खुली हुई या पुस्तक रूप में
119.	4901	मुद्रित पुस्तकें, जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें भी हैं
120.	4902	समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नियत कालिक पत्रिकाएं, चाहे चित्रनिरूपित हों अथवा नहीं या चाहे उनमें विज्ञापन सामग्री हो अथवा नहीं
121.	4903	बालकोंके लिए चित्र, ड्राइंग या रंगकारी पुस्तकें
122.	4905	सभी प्रकार के मानचित्र और जलराशिक या वैसे ही चार्ट, जिनके अंतर्गत एटलस, दीवार मानचित्र, स्थलाकृतिक रेखांक और ग्लोब हैं, मुद्रित
123.	5001	रेशम कीट रखना, कोया
124.	5002	अपरिष्कृत रेशम
125.	5003	रेशम अपशिष्ट
126.	5101	ऊन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है
127.	5102	सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है
128.	5103	ऊन या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट
129.	52	गांधी टोपी
130.	52	खादी सूत
131.	5303	जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युत्तित नहीं
132.	5305	नारियल, कयर रेशे
133.	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
134.	6703	मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित
135.	40 00 6912	मिट्टी के बर्तन और मृत्तिका लैंप
136.	7018	कांच की चूड़ियां, (सिवाय के चूड़ियों बनी से धातु बहुमूल्य)
137.	8201	मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के औजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार, जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है
138.	8445	अंबर चरखा
139.	8446	हथकरघा (मशीन तनव्यू)
140.	8802 60 00	अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण

		यान
141.	8803	शीर्ष सं. 8801 के माल के पुर्जे
142.	9021	श्रवण सहायिकी
143.	92	देशीहस्तनिर्मित वाद्य यंत्र
144.	9603	सरकंडें और फूल बहारी झाड़ू से बने मोढ़े
145.	9609	स्लेट पैसिलें और चाक स्टिक
146.	9610 00 00	स्लेटें
147.	9803	यात्री सामान
148.	अन्य अध्याय	<p>पूजा सामग्री, अर्थात् --:</p> <p>(i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य (गाय के गोबर, देशी घी दूध और दही का मिश्रण) ;</p> <p>(ii) पवित्रधागा (जो सामान्यतः यज्ञोपवीत के नाम से ज्ञात है) ;</p> <p>(iii) लकड़ी की खड़ाऊं ;</p> <p>(iv) पंचामृत ;</p> <p>(v) धार्मिक संस्थाओंद्वारा विक्रीत भभूति ;</p> <p>(vi) अब्रांड़ीकृत शहद [प्रस्तावित जी.सी.टी. शून्य] ;</p> <p>(vii) दीये के लिए बाती ;</p> <p>(viii) रोली ;</p> <p>(ix) कलावा (रक्षासूत्र) ;</p> <p>(x) चंदन टीका।</p>
149.	-	राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा लाटरी का पूर्ति, इस शर्त के अधीन कि ऐसी लाटरी की पूर्ति पर, जब इसकी पूर्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को की जाती है, समुचित, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर भुगता है।

स्पष्टीकरण— इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए,—

(i) “इकाई आधान” पद से कोई ऐसा पैकेज, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (उदाहरणार्थ टिन, केन बाक्स, जार, बोतल, थैला या कार्टन, ड्रम, बैरल या कनस्तर) अभिप्रेत है, जो ऐसे पूर्व अवधारित मात्रा या संख्या जो ऐसे पैकेज पर उपदर्शित की गई है, रखने के लिए डिजाइन किया गया है।

(ii) “रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम” पद से ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, अर्थात् नाम या चिह्न जैसे संप्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर, आविष्कृत शब्द या लेख जिसका ऐसे विनिर्दिष्ट माल तथा उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन सहित या रहित ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के अनुक्रम में किसी संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिससे उसे उपदर्शित किया जा सके, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है, और जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

(iii) “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(iv) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 2/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 711 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Schedule appended to this notification, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, from the whole of the Union territory tax as leviable thereon under section 7 of the Union Territory Good and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017).

SCHEDULE

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101	Live asses, mules and hinnies
2.	0102	Live bovine animals
3.	0103	Live swine
4.	0104	Live sheep and goats
5.	0105	Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.
6.	0106	Other live animal such as Mammals, Birds, Insects
7.	0201	Meat of bovine animals, fresh and chilled.
8.	0202	Meat of bovine animals frozen [other than frozen and put up in unit container]
9.	0203	Meat of swine, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
10.	0204	Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
11.	0205	Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
12.	0206	Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
13.	0207	Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
14.	0208	Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
15.	0209	Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
16.	0209	Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, salted, in brine, dried or smoked [other than put up in unit containers]
17.	0210	Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal, other than put up in unit containers
18.	3	Fish seeds, prawn / shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 2.5%]
19.	0301	Live fish.
20.	0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
21.	0304	Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh or chilled.
22.	0306	Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh or chilled; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water live, fresh or chilled.
23.	0307	Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled.
24.	0308	Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled.
25.	0401	Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, excluding Ultra High Temperature (UHT) milk
26.	0403	Curd; Lassi; Butter milk
27.	0406	Chena or paneer, other than put up in unit containers and bearing a registered brand name;
28.	0407	Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
29.	0409	Natural honey, other than put up in unit container and bearing a registered brand name
30.	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair
31.	0506	All goods i.e. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products
32.	0507 90	All goods i.e. Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; etc.
33.	0511	Semen including frozen semen
34.	6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
35.	0701	Potatoes, fresh or chilled.
36.	0702	Tomatoes, fresh or chilled.
37.	0703	Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.
38.	0704	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
39.	0705	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>) and chicory (<i>Cichorium spp.</i>), fresh or chilled.
40.	0706	Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.
41.	0707	Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.
42.	0708	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
43.	0709	Other vegetables, fresh or chilled.
44.	0712	Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.
45.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split.
46.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled; sago pith.
47.	0801	Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
48.	0801	Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
49.	0802	Other nuts, Other nuts, <u>fresh</u> such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus spp.</i>), walnuts, Chestnuts (<i>Castanea spp.</i>), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola spp.</i>), Areca nuts, fresh, whether or not shelled or peeled

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
50.	0803	Bananas, including plantains, fresh or dried
51.	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh.
52.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh.
53.	0806	Grapes, fresh
54.	0807	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh.
55.	0808	Apples, pears and quinces, fresh.
56.	0809	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.
57.	0810	Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium, Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh.
58.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh.
59.	9	All goods of seed quality
60.	0901	Coffee beans, not roasted
61.	0902	Unprocessed green leaves of tea
62.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries [of seed quality]
63.	0910 11 10	Fresh ginger, other than in processed form
64.	0910 30 10	Fresh turmeric, other than in processed form
65.	1001	Wheat and meslin [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
66.	1002	Rye [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
67.	1003	Barley [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
68.	1004	Oats [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
69.	1005	Maize (corn) [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
70.	1006	Rice [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
71.	1007	Grain sorghum [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
72.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi] [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
73.	1101	Wheat or meslin flour [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name].
74.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin, [maize (corn) flour, Rye flour, etc.] [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
75.	1103	Cereal groats, meal and pellets [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
76.	1104	Cereal grains hulled
77.	1105	Flour, of potatoes [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
78.	1106	Flour, of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal 1106 10 10 and guar gum refined split 1106 10 90], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 i.e. of tamarind, of singoda, mango flour, etc. [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
79.	12	All goods of seed quality
80.	1201	Soya beans, whether or not broken, of seed quality.

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
81.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality.
82.	1204	Linseed, whether or not broken, of seed quality.
83.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality.
84.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality.
85.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality.
86.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.
87.	1210	Hop cones, fresh.
88.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled.
89.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled.
90.	1213	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
91.	1214	Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets.
92.	1301	Lac and Shellac
93.	1404 90 40	Betel leaves
94.	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur) and Palmyra Jaggery
95.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki
96.	1905	Pappad, by whatever name it is known, except when served for consumption
97.	1905	Bread (branded or otherwise), <u>except</u> when served for consumption and pizza bread
98.	2106	Prasadam supplied by religious places like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, etc.
99.	2201	Water [other than aerated, mineral, purified, distilled, medicinal, ionic, battery, demineralized and water sold in sealed container]
100.	2201	Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera
101.	2202 90 90	Tender coconut water other than put up in unit container and bearing a registered brand name
102.	2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake
103.	2501	Salt, all types
104.	2716 00 00	Electrical energy
105.	2835	Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002
106.	3002	Human Blood and its components
107.	3006	All types of contraceptives
108.	3101	All goods and organic manure [other than put up in unit containers and bearing a registered brand name]
109.	3304	Kajal [other than kajal pencil sticks], Kumkum, Bindi, Sindur, Alta
110.	3825	Municipal waste, sewage sludge, clinical waste
111.	3926	Plastic bangles

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
112.	4014	Condoms and contraceptives
113.	4401	Firewood or fuel wood
114.	4402	Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
115.	4802 / 4907	Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the Government Treasuries or Vendors authorized by the Government
116.	4817 / 4907	Postal items, like envelope, Post card etc., sold by Government
117.	48 / 4907	Rupee notes when sold to the Reserve Bank of India
118.	4907	Cheques, loose or in book form
119.	4901	Printed books, including Braille books
120.	4902	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material
121.	4903	Children's picture, drawing or colouring books
122.	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed
123.	5001	Silkworm laying, cocoon
124.	5002	Raw silk
125.	5003	Silk waste
126.	5101	Wool, not carded or combed
127.	5102	Fine or coarse animal hair, not carded or combed
128.	5103	Waste of wool or of fine or coarse animal hair
129.	52	Gandhi Topi
130.	52	Khadi yarn
131.	5303	Jute fibres, raw or processed but not spun
132.	5305	Coconut, coir fibre
133.	63	Indian National Flag
134.	6703	Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked
135.	6912 00 40	Earthen pot and clay lamps
136.	7018	Glass bangles (except those made from precious metals)
137.	8201	Agricultural implements manually operated or animal driven i.e. Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry.
138.	8445	Amber charkha
139.	8446	Handloom [weaving machinery]
140.	8802 60 00	Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
141.	8803	Parts of goods of heading 8801
142.	9021	Hearing aids
143.	92	Indigenous handmade musical instruments
144.	9603	Muddhas made of sarkanda and phool bahari jhadoo
145.	9609	Slate pencils and chalk sticks
146.	9610 00 00	Slates
147.	9803	Passenger baggage
148.	Any chapter	Puja samagri namely,- (i) Rudraksha, rudraksha mala, tulsi kanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd); (ii) Sacred thread (commonly known as yagnopavit);

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		(iii) Wooden khadau; (iv) Panchamrit, (v) Vibhuti sold by religious institutions, (vi) Unbranded honey [proposed GST Nil] (vii) Wick for diya. (viii) Roli (ix) Kalava (Raksha sutra) (x) Chandan tika
149.	-	Supply of lottery by any person other than State Government, Union Territory or Local authority subject to the condition that the supply of such lottery has suffered appropriate central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case may be, when supplied by State Government, Union Territory or local authority, as the case may be, to the lottery distributor or selling agent appointed by the State Government, Union Territory or local authority, as the case may be.

Explanation.- For the purposes of this Schedule,-

(i) The phrase “unit container” means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package.

(ii) The phrase “registered brand name” means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person, and which is registered under the Trade Marks Act, 1999.

(iii) “Tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(iv) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 3/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 712 (अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक

है, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे माल की राज्य के भीतर पूर्ति को, जिसका वर्णन इस अधिसूचना से संलग्न सुसंगत सूची के साथ पठित नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आती है, पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिसूचना से उपाबद्ध सुसंगत शर्तों के अधीन रहते हुए, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 के अधीन उन पर उदग्रहणीय उतने संघ राज्यक्षेत्र कर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।

सारणी

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोई अध्याय	निम्नलिखित के संबंध में अपेक्षित इस सारणी से उपाबद्ध सूची में विनिर्दिष्ट माल : (1) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस निगम या ऑयल इंडिया लिमिटेड को नामांकन के आधार पर मंजूर की गई पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या (2) विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या (3) नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या (4) सीमांत फील्ड नीति (एमएफपी) के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या (5) कोयला संस्तर मिथेन नीति के अधीन प्रारंभ किए गए कोयला संस्तर संबंधी प्रचालन।	2.5%	1

उपाबंध

शर्त सं.	शर्त
1.	यदि,-- (क) माल की पूर्ति निम्नलिखित को की जाती है :-- (i) तेल और प्राकृतिक गैस निगम या आयल इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है) या अनुज्ञप्तिधारी का उप संविदाकार और नामांकन के आधार पर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई, यथास्थिति, पेट्रोल खोज अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अधीन आरंभ की जाने वाली पेट्रोल संक्रियाओं के संबंध में प्रत्येक मामले में ; या

(ii) किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों, विदेशी कंपनी या कंपनियों या भारतीय कंपनी या कंपनियों और विदेशी कंपनी या कंपनियों के संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संविदाकार” कहा गया है) या संविदाकार का उप संविदाकार और भारत सरकार के साथ संविदा के अधीन की जाने वाली पेट्रोल संक्रियाओं के संबंध में प्रत्येक मामले में ; या

(iii) किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों, विदेशी कंपनी या कंपनियों या भारतीय कंपनी या कंपनियों और विदेशी कंपनी या कंपनियों के संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संविदाकार” कहा गया है) या ऐसी कंपनी या कंपनियों या ऐसे संघ का उप संविदाकार, यथास्थिति, 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन या 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् कोयला संस्तर मिथेन नीति के निबंधनानुसार या 14 अक्तूबर, 2015 को या उसके पश्चात् सीमांत क्षेत्र नीति के निबंधनानुसार भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर की गई संविदा के अधीन आरंभ की जाने वाली, यथास्थिति, पेट्रोल संक्रियाओं या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों के प्रत्येक मामले में ;

(ख) जहां माल की बाहरी पूर्ति का प्राप्तिकर्ता,—

(i) एक अनुज्ञप्तिधारी है, वह, माल की बाहरी पूर्ति के समय, यथास्थिति, केंद्रीय कर उपायुक्त या केंद्रीय कर सहायक आयुक्त या राज्य कर उपायुक्त या राज्य कर सहायक आयुक्त को, जिनकी माल के पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता है, निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि माल, खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है;

(ii) एक संविदाकार है, वह, माल की बाहरी पूर्ति के समय, यथास्थिति, केंद्रीय कर उपायुक्त या केंद्रीय कर सहायक आयुक्त या राज्य कर उपायुक्त या राज्य कर सहायक आयुक्त को, जिनकी माल के पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता है, निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि माल, निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :—

(क) उस खंड में निर्दिष्ट संविदा के अधीन खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाएं, या

(ख) यथास्थिति, नई खोज अनुज्ञापन नीति या कोयला संस्तर मिथेन नीति या सीमांत क्षेत्र नीति के अधीन हस्ताक्षर की गई संविदा के अधीन खंड (क) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों ;

(ग) जहां माल की बाहरी पूर्ति का प्राप्तिकर्ता, कोई उप संविदाकार है, वहां वह माल की बाहरी पूर्ति के समय, यथास्थिति, केंद्रीय कर उपायुक्त या केंद्रीय कर सहायक आयुक्त या राज्य कर उपायुक्त या राज्य कर सहायक आयुक्त को, जिनकी माल के पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता है, निम्नलिखित प्रस्तुत करता है,—

(i) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि माल, निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :—

(क) उस उपखंड में निर्दिष्ट, यथास्थिति, अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अधीन, खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाएं, और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अंतर्विष्ट हो, या

(ख) उस उपखंड में निर्दिष्ट, यथास्थिति, संविदा के अधीन, खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाएं, और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अंतर्विष्ट हो, या (ग) यथास्थिति, नई खोज अनुज्ञापन नीति या कोयला संस्तर मिथेन नीति या सीमांत क्षेत्र नीति के अधीन हस्ताक्षर की गई संविदा के अधीन खंड (क) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अंतर्विष्ट हो ;

(ii) इस आशय का शपथपत्र कि ऐसा उप संविदाकार, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या संविदाकार का वास्तविक उप संविदाकार है ;

(iii) यथास्थिति, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या संविदाकार से ऐसे किसी कर, जुर्माना या शास्ति, जो संदेय हो सके, का संदाय करने के लिए उसे आबद्ध करने का वचन, यदि इस प्रविष्टि की किसी शर्त का, यथास्थिति, ऐसे उप संविदाकार या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या संविदाकार द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है ।

(घ) जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी के किसी उप संविदाकार या संविदाकार या संविदाकार के किसी उप संविदाकार को इस प्रकार पूर्ति किया गया माल, अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य संविदाकार या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के उप संविदाकार या संविदाकार के किसी अन्य उप संविदाकार या किसी अन्य संविदाकार या ऐसे संविदाकार के उप संविदाकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है) को अंतरित किए जाने की वांछा की जाती है, वहां ऐसा अंतरिती ऐसे अंतरण के समय, यथास्थिति, उपायुक्त केन्द्रीय कर या सहायक आयुक्त केन्द्रीय कर या उप-आयुक्त राज्य कर या सहायक आयुक्त राज्य कर को, जिनकी अधिकारिता में ऐसा अंतरिती है, निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-

(i) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि उक्त माल, अंतरिती के नाम में अंतरित किया जाए और उक्त माल निम्नलिखित आरंभ की जाने वाली पेट्रोल संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है :-

(A) खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोल खोज या खनन पट्टे ; या

(B) खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट संविदा के अधीन आरंभ की जाने वाली पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन ; या

(C) खंड (क) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट संविदा के अधीन आरंभ की जाने वाली, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालन ।

(ii) अंतरिती से इस प्रविष्टि की सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए वचन, जिसके अंतर्गत यह भी है कि वह ऐसे किसी कर, जुर्माना या शास्ति, जो संदेय हो सके, का वहां संदाय करेगा यदि इस प्रविष्टि की शर्त का उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, जहां वह अनुज्ञप्तिधारी/ संविदाकार है, या अंतरिती के अनुज्ञप्तिधारी/संविदाकार द्वारा, वहां ऐसा अंतरिती एक उप संविदाकार है ।

(iii) कोई प्रमाणपत्र,--

(A) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन के आधार पर जारी की गई कोई पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की दशा में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी की ओर से अंतरिती द्वारा किए गए ऐसे मालों के अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया

गया है,

(B) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के बीच या भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संघ के बीच हुई संविदा की दशा में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि, यथास्थिति, ऐसी विदेशी कंपनी या कंपनियों की ओर से अंतरिती द्वारा किए गए ऐसे मालों के अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है:

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसा अंतरिती कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां है।

(ड) जहां इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का निस्तारण किया जाना है, यथास्थिति, माल की बाहरी पूर्ति का प्राप्तिकर्ता या अन्तरिती, कर जो संदेय किया जा सकेगा लेकिन यहां अन्तर्विष्ट छूट के लिए ऐसे माल के ह्रास मूल्य पर इस शर्त के अध्यक्षीन कि आयातकर्ता या अन्तरिती, यथास्थिति, उपायुक्त केंद्रीय कर या सहायक आयुक्त केंद्रीय कर या उपायुक्त राज्य कर या सहायक आयुक्त राज्य कर को, यथास्थिति, जो पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता रखता हो, को महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र कि उक्त माल पेट्रोलियम प्रचालनों या कोयला बैड मिथेन प्रचालनों के लिए अधिक समय तक अपेक्षित नहीं है, प्रस्तुत करेगा और माल का ह्रास मूल्य, माल के समाशोधन की तारीख से वर्ष के प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए नीचे यथाविनिर्दिष्ट ऋजु रेखा प्रणाली द्वारा संगणित प्रतिशत विन्दुओं द्वारा कम आयात के समय पर माल के मूल मूल्य के बराबर होगा, अर्थात् :--

70 प्रतिशत की अधिकतम के अधीन रहते हुए

- (i) प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत की दर;
- (ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत की दर;
- (iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत की दर; और
- (iv) चौथे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 2 प्रतिशत की दर।

सूची (सारणी का क्र.सं. 1 देखें)

- (1) भूकंपीय उपस्कर और साधित्र, अपेक्षित यान, जिनके अंतर्गत उपस्कर को वहन करने के लिए यान भी हैं ; भूकंपीय सर्वेक्षण जलयान, भूमंडलीय अवस्थिति प्रणाली और भूकंपीय कार्य के लिए अपेक्षित अन्य सामग्री या तट पर और अपतट क्रियाकलापों के लिए भूभौतिक और भूरासायनिक सर्वेक्षण के अन्य प्रकार।
- (2) सभी प्रकार के वेधन साज-सामान, जैकप साज-सामान, निमज्जनी साज-सामान, अर्द्ध निमज्जनी साज-सामान, वेधन पोत, वेधन नौकाएं, शाट-होल वेधन साज-सामान, गतिशील साज-सामान, वर्क ओवर साज-सामान, जो विभिन्न उपकरणों और वेधन संक्रियाओं के लिए अन्य वेधन उपस्करों से मिलकर बना है और चिपटाकारक यूनितों, हाइड्रोलिक वर्कओवर यूनितों, स्वःउत्तोलन वर्कओवर प्लेटफार्मों, सुदूर प्रचालित जलयान (आरओवी) के लिए अपेक्षित अन्य वेधन उपस्कर।
- (3) हेलिकाप्टर जिनके अंतर्गत समंजक/पुर्जे भी हैं।
- (4) पेट्रोलियम संक्रियाओं की सहायता करने के लिए सभी प्रकार के समुद्री जलयान, जिनके अंतर्गत कार्य नाव, नौकाएं, कार्यदल नौकाएं, कर्ष, लंगर संभालने वाले जलयान, साधारण नौकाएं और प्रदाय नौकाएं भी हैं, समुद्री पोत उपस्कर, जिसके अंतर्गत वाटर मेकर, डीपी प्रणाली और निमज्जन प्रणाली भी है।
- (5) निमज्जनकारी, जोड़ने वाली, लट्टे बनाने वाली उत्पादन परीक्षण अनुरूपण और पंक सेवाएं, तेल क्षेत्र संबद्ध प्रयोगशाला, उपस्कर जलाशय इंजीनियरी, भूगर्भीय उपस्कर, दिशासूचक वेधन, अनुरूपण, क्वाएल ट्यूबिंग यूनितों, ड्रिल स्टेम टेस्टिंग (डीएसटी) आंकड़ा अर्जन और प्रसंस्करण तथा ठोक पदार्थ नियंत्रण, मच्छली पकड़ना,

- तेल क्षेत्र संक्रियाओं या कोयला संस्तर क्षेत्र मिथेन संबंधी प्रचालनों में अधोच्छिद्र पुनः प्रापण से यथा संबद्ध, पाइप निरीक्षक, जिसके अंतर्गत अविध्वंशीय परीक्षण, कोरिंग ग्रेवल पैक, तेल /गैस/सीबीएम कुओं, जिनके अंतर्गत वायर लाइन और अधोच्छिद्र उपस्कर भी हैं, जैसी विशेषीकृत सेवाओं के लिए सभी प्रकार के उपस्कर/यूनिट ।
- (6) सभी प्रकार के वेष्टन पाइप वेधन पाइप, उत्पादन नलिकाकरण, पप ज्वाइंट्स, कनेक्शन, कपलिंग, केली, क्रास ओवर्स और स्वैग, ड्राई पाइप ।
- (7) सभी प्रकार के वेधन बर्मी, जिनके अंतर्गत नोजल, भंजक और संबद्ध औजार ।
- (8) सभी प्रकार के तेल क्षेत्र रसायन या कोयला संस्तर मिथेन रसायन, जिनके अंतर्गत पेट्रोलियम या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों में प्रयुक्त सिंथेटिक उत्पाद भी हैं, तेल क्षेत्र सीमेंट और सीमेंट योजक, जो तेल या गैस के वेधन, उत्पादन और परिवहन के लिए अपेक्षित हैं ।
- (9) तेल, गैस या सीबीएम तथा जल अंतर्वेशन के लिए प्रक्रिया, उत्पादन और कुएं प्लेटफार्म/संस्थापन जिनके अंतर्गत प्लेटफार्म/संस्थापन और प्रक्रिया उपस्कर, टरबाइनों, पंपों, जनित्रों, संपीडकों, प्राइम मूवरों, वाटर मेकरों, फिल्टरों जैसी अपेक्षित प्लेटफार्मों/संस्थापनों के भागरूप होने वाली मर्दें भी हैं और प्लेटफार्मों/संस्थापनों के लिए अपेक्षित फिल्टर करने के उपस्कर, टेलीमीटरी, दूरसंचार, सुदूर नियंत्रण और अन्य सामग्री ।
- (10) प्रभार लाइनों तथा ट्रंक पाइप लाइन जिनके अंतर्गत भार विलेपन और आवरण भी है, के लिए लाइन पाइपें ।
- (11) डेरिक नौकाएं, मोबाइल और स्थायी क्रेनों, खाई खोदक, पाइप बिछाने वाली नौकाएं, स्थोरा नौकाएं और प्लेटफार्मों के संनिर्माण/संस्थापन और पाइप लाइनों के बिछाने में अपेक्षित वैसी ही वस्तुएं ।
- (12) एकल पल्व, नौबंध प्रणाली, नौबंध रज्जु, फिटिंगें जैसे जंजीर, शैकल, संयोजन समुद्री हौजों और तेल भंडारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले तेल टैंकर तथा संबद्ध उपस्कर, तेल के भंडारण के लिए प्रयुक्त टैंक, संघनित्र, कोयला संस्तर मिथेन, जल, गाद, रसायन और संबद्ध सामग्री ।
- (13) प्रदूषण नियंत्रण, अग्नि रोक, अग्निशमन, अवशेष राफ्ट, जीवित, अग्नि और गैस भेदित उपस्कर, जिसके अंतर्गत एच2एस मानीटरी उपस्कर भी हैं, जैसी सुरक्षा मर्दों के लिए अपेक्षित पूर्णतः सज्जित जलयानों और अन्य यूनिटों/उपस्करों के सभी प्रकार ।
- (14) मोबाइल तथा रोक से मढ़े हुए पाइप बिछाना, पाइप का परीक्षण और पाइप निरीक्षण उपस्कर ।
- (15) सभी प्रकार के वाल्व, जिनके अंतर्गत उच्च दाब के वाल्व भी हैं ।
- (16) पेट्रोलियम या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों के लिए अपेक्षित संसूचना उपस्कर, जिनके अंतर्गत संश्लिष्ट वीएचएफ वायु और वीएचएफ बहुल चैनल सेट/वेएचएफ समुद्री बहुल चैनल सेट भी हैं ।
- (17) गैर दिशात्मक रेडियों अंतरस्थतः सुरक्षित वाकी-टाकी बोधक ईपीआई आरवी, इलेक्ट्रानिक व्यष्टिक सुरक्षा युक्तियां, जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक पहुंच नियंत्रण प्रणाली भी है ।
- (18) विशेषीकृत एंटीना प्रणाली, रेडियो टर्मिनलों पर सिम्पलेक्स टेलेक्स, चैनल सूक्ष्म तरंग प्रणाली, परीक्षण और माप उपस्कर ।
- (19) एक्स-बैंड राडार ट्रांसपोंडर, क्षेत्र निगरानी प्रणाली।
- (20) सामान्य गहराई बिन्दु (सीडीपी) केबल, लागिंग केबल, संयोजित्र, जियो फोन रस्सियां, छिद्रण उपस्कर और विस्फोटक।
- (21) वालहेड और क्रिसमस वृक्ष जिसके अंतर्गत वाल्व, चोक, हेड स्पूल, हैंगर्स और एक्च्यूएटर्स, चिक्सन्स और उच्च दाब हौजों, बंद पैनलों जैसे नम्य संयोजन भी हैं ।
- (22) कैथोडिक संरक्षण प्रणालियां, जिनके अंतर्गत ऐनोड भी हैं ।
- (23) पेट्रोलियम और कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों के लिए अपेक्षित तकनीकी आरेखण, मानचित्र, साहित्य, डाटाटेप, संक्रियात्मक और अनुरक्षण विषयक मैनुअल ।

- (24) इस सूची में विनिर्दिष्ट माल के चलाने, मरम्मत करने या उसके अनुरक्षण के लिए उप-समंजक, औजार, साधित्र, भंडार, पुर्जे, सामग्री, प्रदाय, उपभोग वस्तुएं।

स्पष्टीकरण—

- (1) इस अधिसूचना में, “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 3/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 712 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below read with relevant List appended hereto and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the Union territory tax leviable thereon under section 7 of the Union Territory Good and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table and subject to the relevant conditions annexed to this notification, as specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid.

TABLE

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Any Chapter	Goods specified in the List annexed to this Table required in connection with: (1) Petroleum operations undertaken under petroleum exploration licenses or mining leases, granted by the Government of India or any State Government to the Oil and Natural Gas Corporation or Oil India Limited on nomination basis, or (2) Petroleum operations undertaken under specified contracts, or (3) Petroleum operations undertaken under specified contracts under the New Exploration Licensing Policy, or (4) Petroleum operations undertaken under specified contracts under the Marginal Field Policy (MFP), or (5) Coal bed methane operations undertaken under specified contracts under the Coal Bed Methane	2.5%	1

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Policy.		

ANNEXURE

Condition No.	Conditions
1.	<p>If,-</p> <p>(a) the goods are supplied to,-</p> <p>(i) the Oil and Natural Gas Corporation or Oil India Limited (hereinafter referred to as the "licensee") or a sub-contractor of the licensee and in each case in connection with petroleum operations to be undertaken under petroleum exploration licenses or mining leases, as the case may be, granted by the Government of India or any State Government on nomination basis; or</p> <p>(ii) an Indian Company or Companies, a Foreign Company or Companies, or a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies (hereinafter referred to as the "contractor") or a sub-contractor of the contractor and in each case in connection with petroleum operations to be undertaken under a contract with the Government of India; or</p> <p>(iii) an Indian Company or Companies, a Foreign Company or Companies, or a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies (hereinafter referred to as the "contractor") or a sub-contractor of such Company or Companies or such consortium and in each case in connection with petroleum operations or coal bed methane operations, as the case may be, to be undertaken under a contract signed with the Government of India, on or after the 1st day of April, 1998, under the New Exploration Licensing Policy, or on or after the 1st day of April 2001 in terms of the Coal Bed Methane Policy, or on or after the 14th day of October, 2015 in terms of the Marginal Field Policy, as the case may be;</p> <p>(b) where the recipient of outward supply of goods,-</p> <p>(i) is a licensee, he produces to the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, at the time of outward supply of goods, the following, namely, a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the goods are required for petroleum operations referred to in sub-clause (i) of clause (a);</p> <p>(ii) is a contractor, he produces to the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, at the time of outward supply of goods, a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the goods are required for</p> <p>(A) petroleum operations referred to in sub-clause (ii) of clause (a) under the contract referred to in that sub-clause, or</p> <p>(B) petroleum operations or coal bed methane operations referred to in sub-clause (iii) of clause (a), as the case may be, under a contract signed under the New Exploration Licensing Policy or the Coal Bed Methane Policy or the Marginal Field Policy, as the case may be;</p> <p>(c) where the recipient of outward supply of goods is a sub-contractor, he produces to the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, at the time of outward supply, the following, namely :-</p> <p>(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to</p>

the effect that the goods are required for :-

- (A) petroleum operations referred to in sub-clause (i) of clause (a) under the licenses or mining leases, as the case may be, referred to in that sub-clause and containing the name of such sub-contractor, or
 - (B) petroleum operations referred to in sub-clause (ii) of clause (a) under the contract referred to in that sub-clause and containing, the name of such sub- contractor, or
 - (C) petroleum operations or coal bed methane operations, as the case may be, referred to in sub- clause (iii) of clause (a) under a contract signed under the New Exploration Licensing Policy or the Coal Bed Methane Policy or the Marginal Field Policy, as the case may be, and containing the name of such sub-contractor;
- (ii) an affidavit to the effect that such sub-contractor is a bonafide sub-contractor of the licensee or lessee or contractor, as the case may be;
- (iii) an undertaking from such licensee or lessee or contractor, as the case may be, binding him to pay any tax, fine or penalty that may become payable, if any of the conditions of this entry are not complied with by such sub-contractor or licensee or lessee or contractor, as the case may be;
- (d) where the goods so supplied to the licensee or a sub-contractor of the licensee, or the contractor or a sub-contractor of the contractor are sought to be transferred to another sub-contractor of the licensee or another licensee or a sub- contractor of such licensee, or another sub-contractor of the contractor or another contractor or a subcontractor of such contractor (hereinafter referred to as the “transferee”), such transferee produces to the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over such transferee, at the time of such transfer, the following, namely:-
- (i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods may be transferred in the name of the transferee and that the said goods are required for petroleum operations to be undertaken under :-
 - (A) petroleum exploration or mining leases referred to in sub-clause (i) of clause (a), or
 - (B) petroleum operations to be undertaken under a contract referred to in sub-clause (ii) of clause (a), or
 - (C) petroleum operations or coal bed methane operations, as the case may be, to be undertaken under a contract referred to in sub-clause (iii) of clause (a)
 - (ii) undertaking from the transferee to comply with all the conditions of this entry, including that he shall pay tax, fine or penalty that may become payable, if any of the conditions of this entry are not complied with by himself, where he is the licensee/ contractor or by the licensee/ contractor of the transferee where such transferee is a sub-contractor;
 - (iii) a certificate,-
 - (A) in the case of a petroleum exploration license or mining lease, as the case may be, granted by the Government of India or any State Government on nomination basis, that no foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods undertaken by the transferee on behalf of the licensee or lessee, as the case may be;
 - (B) in the case of a contract entered into by the Government of India and a Foreign Company or Companies or, the Government of India and a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies, that no foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods undertaken by the transferee on behalf of the Foreign Company or Companies, as the case may be:
 Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply if such transferee is an Indian Company or Companies.
- (e) where the goods so supplied are sought to be disposed of, the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, may pay the tax which would have been payable but for the exemption contained herein, on the depreciated value of such goods

	<p>subject to the condition that the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, produces before the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods are no longer required for the petroleum operations or coal bed methane operations, and the depreciated value of the goods shall be equal to the original value of the goods at the time of import reduced by the percentage points calculated by straight line method as specified below for each quarter of a year or part thereof from the date of clearance of the goods, namely:-</p> <p>(i) for each quarter in the first year at the rate of 4 per cent.;</p> <p>(ii) for each quarter in the second year at the rate of 3 per cent.;</p> <p>(iii) for each quarter in the third year at the rate of 2.5 per cent.; and</p> <p>(iv) for each quarter in the fourth year and subsequent years at the rate of 2 per cent., subject to the maximum of 70 per cent.</p>
--	--

List

[See S.No.1 of the Table]

- (1) Land Seismic Survey Equipment and accessories, requisite vehicles including those for carrying the equipment, seismic survey vessels, global positioning system and accessories, and other materials required for seismic work or other types of Geophysical and Geochemical surveys for onshore and offshore activities.
- (2) All types of drilling rigs, jackup rigs, submersible rigs, semi-submersible rigs, drill ships, drilling barges, shot-hole drilling rigs, mobile rigs, workover rigs consisting of various equipment and other drilling equipment required for drilling operations, snubbing units, hydraulic workover units, self-elevating workover platforms, Remote Operated Vessel (ROV).
- (3) Helicopters including assemblies/parts.
- (4) All types of marine vessels to support petroleum operations including work boats, barges, crew boats, tugs, anchor handling vessels, lay barges and supply boats, marine ship equipment including water maker, DP system and Diving system.
- (5) All types of equipment/ units for specialised services like diving, cementing, logging, casing repair, production testing, simulation and mud services, oil field related lab equipment, reservoir engineering, geological equipment, directional drilling, stimulation, Coil Tubing units, Drill Stem Testing (DST), data acquisition and processing, solids control, fishing (as related to downhole retrieval in oil field operations or coal bed methane operations), well control, blowout prevention(BOP), pipe inspection including Non Destructive Testing, coring, gravel pack, well completion and workover for oil/gas/CBM wells including wireline and downhole equipment.
- (6) All types of casing pipes, drill pipes, production tubing, pup joints, connections, coupling, kelly, cross overs and swages, Drive Pipes.
- (7) All types of drilling bits, including nozzles, breakers and related tools.
- (8) All types of oil field chemicals or coal bed methane chemicals including synthetic products used in petroleum or coal bed methane operations, oil well cement and cement additives, required for drilling, production and transportation of oil or gas.
- (9) Process, production and well platforms/ installation for oil, gas or CBM and water injection including items forming part of the platforms/ installation and equipment required like process equipment,

- turbines, pumps, generators, compressors, primemovers, water makers, filters and filtering equipment, telemetry, telecommunication, tele-control and other material required for platforms/ installations.
- (10) Line pipes for flow lines and trunk pipelines including weight-coating and wrapping.
 - (11) Derrick barges, Mobile and stationary cranes, trenchers, pipelay barges, cargo barges and the like required in the construction/ installation of platforms and laying of pipelines.
 - (12) Single buoy mooring systems, mooring ropes, fittings like chains, shackles, couplings marine hoses and oil tankers to be used for oil storage and connected equipment, Tanks used for storage of oil, condensate, coal bed methane, water, mud, chemicals and related materials.
 - (13) All types of fully equipped vessels and other units /equipment required for pollution control, fire prevention, fire fighting, safety items like Survival Craft, Life Raft, fire and gas detection equipment, including H2S monitoring equipment.
 - (14) Mobile and skid mounted pipe laying, pipe testing and pipe inspection equipment.
 - (15) All types of valves including high pressure valves.
 - (16) Communication equipment required for petroleum or coal bed methane operations including synthesized VHF Aero and VHF multi channel sets/ VHF marine multi channel sets.
 - (17) Non-directional radio beacons, intrinsically safe walkie-talkies, directional finders, EPIRV, electronic individual security devices including electronic access control system.
 - (18) Specialized antenna system, simplex telex over radio terminals, channel micro wave systems, test and measurement equipment.
 - (19) X-band radar transponders, area surveillance system.
 - (20) Common depth point (CDP) cable, logging cable, connectors, geo-phone strings, perforation equipment and explosives
 - (21) Wellhead and Christmas trees, including valves, chokes, heads spools, hangers and actuators, flexible connections like chicksons and high pressure hoses, shut down panels.
 - (22) Cathodic Protection Systems including anodes.
 - (23) Technical drawings, maps, literature, data tapes, Operational and Maintenance Manuals required for petroleum or coal bed methane operations.
 - (24) Sub-assemblies, tools, accessories, stores, spares, materials, supplies, consumables for running, repairing or maintenance of the goods specified in this List.

Explanation. –

- (1) In this notification, “tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
 - (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]
MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 4/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 713 (अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे माल की पूर्ति को विनिर्दिष्ट करती है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आती है और जिसकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है तथा जिसकी बाबत एकीकृत कर स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे माल की राज्य के भीतर पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदत्त किया जाएगा और उक्त अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण	माल का पूर्तिकार	पूर्ति का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	काजू, जिनका छिलका नहीं निकाला गया है या जिन्हें छिला नहीं गया है	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
2.	1404 90 10	बीड़ी लपेटने वाले पत्ते (तेन्दू)	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
3.	2401	तंबाकू के पत्ते	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
4.	5004 से 5006	रेशम सूत	कोई व्यक्ति, जो रेशम सूत की पूर्ति के लिए कच्चे रेशम या रेशम कीट कोया से रेशम सूत का विनिर्माण करता है	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
5.	-	लाटरी की पूर्ति	राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कोई स्थानीय प्राधिकारी	लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता। स्पष्टीकरण,— इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता का वही अर्थ है, जो उनका लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन बनाए गए लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के खंड (ग) में है।

स्पष्टीकरण –

- (1) इस सारणी में, “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 4/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 713 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the supply of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, made by the person as specified in the corresponding entry in column (4), in respect of which the Union territory tax shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the intra-state supply of such goods as specified in the corresponding entry in column (5) and all the provisions of the said Act shall apply to such recipient, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of supply of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	Cashew nuts, not shelled or peeled	Agriculturist	Any registered person
2.	1404 90 10	Bidi wrapper leaves (tendu)	Agriculturist	Any registered person
3.	2401	Tobacco leaves	Agriculturist	Any registered person
4.	5004 to 5006	Silk yarn	Any person who manufactures silk yarn from raw silk or silk worm cocoons for supply of silk yarn	Any registered person
5.	-	Supply of lottery.	State Government, Union Territory or any local authority	Lottery distributor or selling agent. <i>Explanation.</i> - For the purposes of this entry, lottery distributor or selling agent has the same meaning as assigned to it in clause (c) of Rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010, made under the provisions of sub section 1 of section 11 of the Lotteries (Regulations) Act, 1998 (17 of 1998).

Explanation.—

(1) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading or chapter, as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 5/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 714 (अ).—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, माल जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट हैं, के अधीन आने वाले, जिनकी बाबत अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा जहां प्रत्यय ऐसे माल, (शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदाय से भिन्न) की जावक पूर्ति पर कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर होने के कारण संचयित किया जा चुका है, अधिसूचित करती है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	5007	रेशन या रेशम अपशिष्ट के व्यूतित फैब्रिक
2.	5111 to 5113	धूनित ऊन के या धूनित सूक्ष्म प्राणी रोम के व्यूतित फैब्रिक
3.	5208 to 5212	कपास के व्यूतित फैब्रिक
4.	5309 to 5311	अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर सूत, कागजी सूत
5.	5407, 5408	मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री का व्यूतित फैब्रिक
6.	5512 to 5516	मानव निर्मित स्टैपिल फाइबर का व्यूतित फैब्रिक
7.	60	बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक (सभी माल)
8.	8601	रेल लोकोमोटिव, जो विद्युत के बाह्य स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा शक्ति है
9.	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव; लोकोमोटिव टेंडर जैसे डीजल विद्युत लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर
10.	8603	स्वतः नोदित या ट्राम कोच, वैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 के हैं
11.	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतः नोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ कर्मशालाएं क्रेनें, बेलास्ट टैंपर, ट्रेकलाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षण यान)
12.	8605	रेल या ट्राम यात्री कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं सामान वैन, टाकघर कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेल या ट्राम कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8604 के हैं)
13.	8606	रेल या ट्राम माल वैन और वैगन, जो स्वतः नोदित नहीं हैं

14.	8607	रेल या ट्राम लोकोमोटिव या चल-स्टाक के पुर्जे बोगियां, बिसल-बोगिया, धुरी और पहिए और उनके पुर्जे
15.	8608	रेल या ट्राम पथ फिक्सचर और फिटिंग; रेलों, ट्रामों, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्गों, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन संस्थापनों या विमान-क्षेत्रों के यांत्रिक (जिसके अंतर्गत विद्युत यांत्रिक भी हैं) संकेतन सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर, पूर्वगामियों के पुर्जे

स्पष्टीकरण –

(1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय अभिप्रेत है।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम जिसमें खंड और अध्याय टिप्पण तथा प्रथम अनुसूची के साधारण व्याख्यात्मक टिप्पण, जहां तक संभव हो, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 5/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 714 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, heading, sub-heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in respect of which no refund of unutilised input tax credit shall be allowed, where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on the output supplies of such goods (other than nil rated or fully exempt supplies).

TABLE

Sl. No.	Tariff item, heading, sub-heading or Chapter	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste
2.	5111 to 5113	Woven fabrics of wool or of animal hair
3.	5208 to 5212	Woven fabrics of cotton
4.	5309 to 5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres, paper yarn
5.	5407, 5408	Woven fabrics of manmade textile materials
6.	5512 to 5516	Woven fabrics of manmade staple fibres
7.	60	Knitted or crocheted fabrics [All goods]
8.	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators
9.	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel-electric locomotives, Steam

		locomotives and tenders thereof
10.	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604
11.	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, testing coaches and track inspection vehicles)
12.	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)
13.	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
14.	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof
15.	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing

Explanation. –

(1) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading or chapter, as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 6/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 7715 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीएसडी कहा गया है) को, ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो इसके द्वारा ऐसे माल की सीएसडी कैंटीन की यूनिट रन कैंटीन या सीएसडी कैंटीन के प्राधिकृत उपभोक्ताओं के लिए ऐसे माल की पश्चातवर्ती पूर्ति के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा प्राप्त माल की सभी आवक पूर्ति पर संदत्त लागू केन्द्रीय माल और सेवाकर के पचास प्रतिशत के प्रतिदाय के दावे को करने का हकदार होगा, विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 6/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 715 (E).— In exercise of the powers conferred by section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with section 55 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the Canteen Stores Department (hereinafter referred to as the CSD), under the Ministry of Defence, as a person who shall be entitled to claim a refund of fifty per cent. of the applicable Union Territory Tax paid by it on the inward supplies of goods received by it for the purposes of subsequent supply of such goods to the Unit Run Canteens of the CSD or to the authorized customers of the CSD.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 7/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 716 (अ).—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, माल की आवक पूर्ति पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट हैं, के अधीन आने वाले, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 के अधीन उन पर उदग्रहणीय संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र कर से छूट प्रदान करती है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	कोई अध्याय	सीएसडी द्वारा यूनिट रन कैंटीन को माल की पूर्ति।
2.	कोई अध्याय	सीएसडी द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति।
3.	कोई अध्याय	यूनिट रन कैंटीन द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति।

स्पष्टीकरण—

- (1) इस अधिसूचना में, “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
 - (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 7/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 716 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts, the inward supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), from the whole of the Union Territory Tax as leviable thereon under section 7 of the Union Territory Good and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of supply of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	Any chapter	The supply of goods by the CSD to the Unit Run Canteens
2.	Any chapter	The supply of goods by the CSD to the authorized customers
3.	Any chapter	The supply of goods by the Unit Run Canteens to the authorized customers

Explanation. –

(1) In this notification, “tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 8/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि.717(अ).—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों की, राज्य के भीतर पूर्ति को उक्त संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उदग्रहणीय संघ राज्यक्षेत्र कर से छूट प्रदान करती है :

परंतु उक्त छूट वहां लागू नहीं होगी, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का समग्र मूल्य, ऐसे किसी या सभी पूर्तिकारों से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है या नहीं हैं, एक दिन में पांच हजार रुपए से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 8/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 717 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods or services or both received by a registered person from any supplier, who is not registered, from the whole of the Union Territory Tax leviable thereon under sub-section (4) of section 7 of the said Union Territory Goods and Services Tax Act:

Provided that the said exemption shall not be applicable where the aggregate value of such supplies of goods or service or both received by a registered person from any or all the suppliers, who is or are not registered, exceeds five thousand rupees in a day.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 9/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 718 (अ)—केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी कटौतीकर्ता द्वारा, जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 51 के अधीन राज्य के भीतर माल या सेवा या दोनों की पूर्ति पर किसी पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र कर से, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है कि कटौतीकर्ता उक्त केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 24 के उपखंड (vi) के साथ पठित उक्त संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के अधीन अन्यथा रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 9/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 718 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods or services or both received by a deductor under section 51 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), from any supplier, who is not registered, from the whole of the Union Territory Tax leviable thereon under sub-section (4) of section 7 of the said Union Territory Goods and Services Tax Act, subject to the condition that the deductor is not liable to be registered otherwise than under sub-clause (vi) of section 24 of the said Central Goods and Services Tax Act read with section 21 of the said Union Territory Goods and Services Tax Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 10/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 719 (अ)--केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो पुराने माल का क्रय और विक्रय करता है और जो केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 32 के उपनियम (5) के अधीन यथा-अवधारित पुराने माल की ऐसी जावक पूर्ति के मूल्य पर एकीकृत कर का संदाय करता है, जो कि ऐसे पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पुराने माल की अंतरराज्यिक पूर्तियां प्राप्त करता है, उक्त संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र कर से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 10/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 719 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of second hand goods received by a registered person, dealing in buying and selling of second hand goods and who pays the Union Territory Tax on the value of outward supply of such second hand goods as determined under sub-rule (5) of rule 32 of the Central Goods and Services tax Rules, 2017, from any supplier, who is not registered, from the whole of the Union Territory Tax leviable thereon under sub-section (4) of section 7 of the Union Territory Good and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.नि. 720 (अ)—केन्द्रीय सरकार, माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट उपकर की दर को अधिसूचित करती है, जो ऐसे माल, जिनका वर्णन स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं, के राज्य के भीतर पूर्तियों या अंतरराज्यिक पूर्तियों पर उदग्रहित किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम सं.	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन	माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2106 90 20	पान मसाला	60%
2.	2202 10 10	वातित जल	12%
3.	2202 10 20	नींबू रस	12%
4.	2202 10 90	अन्य	12%
5.	2401	अविनिर्मित तंबाकू (लाइम ट्यूब के बिना) - जो ब्रांड नाम वाले हैं	71%
6.	2401	अविनिर्मित तंबाकू (लाइम ट्यूब सहित) - जो ब्रांड नाम वाले हैं	65%
7.	2401 30 00	तम्बाकू उच्छिष्ट - जो ब्रांड नाम वाले हैं	61%
8.	2402 10 10	सिगार और चुरट	21% या 4170 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
9.	2402 10 20	सिगरीला	21% या 4170 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
10.	2402 20 10	65 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न तंबाकू वाली सिगरेट	5% + 1591 रुपए प्रति हजार
11.	2402 20 20	65 मिलीमीटर से अधिक किंतु 75 मिलीमीटर से अनधिक की लंबाई फिल्टर वाली सिगरेट से भिन्न तंबाकू वाली सिगरेट	5% + 2876 रुपए प्रति हजार
12.	2402 20 30	65 मिलीमीटर से अनधिक की लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई, जो 11 मिलीमीटर है या उसकी वास्तविक लंबाई जो भी अधिक हो)	5% + 1591 रुपए प्रति हजार
13.	2402 20 40	65 मिलीमीटर से अधिक किंतु 70 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लंबाई सम्मिलित है, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई, इसमें से जो भी अनधिक हो)	5% + 2126 रुपए प्रति हजार
14.	2402 20 50	70 मिलीमीटर से अधिक किंतु 75 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लंबाई सम्मिलित है, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई, इसमें से जो भी अनधिक हो)	5% + 2876 रुपए प्रति हजार
15.	2402 20 90	अन्य तंबाकू वाली सिगरेट	5% या 4170 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
16.	2402 90 10	तंबाकू अनुकल्प की सिगरेट	Rs.4006 रुपए प्रति हजार
17.	2402 90 20	तंबाकू अनुकल्प की सिगरीला	12.5% या 4006 रुपए प्रति हजार, जो

क्रम सं.	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन	माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
			भी अधिक हो
18.	2402 90 90	अन्य	12.5% या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
19.	2403 11 10	'हुक्का' या 'गुडकू' तंबाकू, जो ब्रांड नाम वाले हैं	72%
20.	2403 11 10	धूमपान 'हुक्का' या 'चिलम', जो सामान्यतः 'हुक्का' या 'गुडकू', जो ब्रांड नाम वाले नहीं हैं, के लिए उपयोग किया गया तंबाकू	17%
21.	2403 11 90	अन्य जल पाइप धूमपान तंबाकू, जो ब्रांड नाम वाले नहीं हैं	11%
22.	2403 19 10	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूमपान मिश्रण बीड़ी	290%
23.	2403 19 90	अन्य धूमपान तंबाकू, जो ब्रांड नाम वाले हैं	49%
24.	2403 19 90	अन्य धूमपान तंबाकू, जो ब्रांड नाम वाले नहीं हैं	11%
25.	2403 91 00	"समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तंबाकू, जो ब्रांड नाम वाले हैं	72%
26.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (लाइम ट्यूब के बिना)	160%
27.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (लाइम ट्यूब सहित)	142%
28.	2403 99 10	फिल्टर खैनी	160%
29.	2403 99 20	चबाने वाले तंबाकू वाली विनिर्मितियां	72%
30.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू	160%
31.	2403 99 40	नस्वार	72%
32.	2403 99 50	नस्वार वाली विनिर्मितियां	72%
33.	2403 99 60	तंबाकू, निष्कर्ष और सत्व, जो ब्रांड नाम वाले हैं	72%
34.	2403 99 60	तंबाकू, निष्कर्ष और सत्व, जो ब्रांड नाम वाले नहीं हैं	65%
35.	2403 99 70	कटा हुआ तंबाकू	20%
36.	2403 99 90	पान मसाला, जिसमें तंबाकू 'गुटखा' है	204%
37.	2403 99 90	तंबाकू 'गुटखा' वाले पान मसाला से भिन्न सभी माल, जो ब्रांड नाम वाले हैं	96%
38.	2403 99 90	तंबाकू 'गुटखा' वाले पान मसाला से भिन्न सभी माल, जो ब्रांड नाम वाले नहीं हैं	89%
39.	2701	कोयला ; कोयले से विनिर्मित इष्टिका, अण्डाभ और इसी प्रकार के ठोस ईंधन	400 रुपए प्रति टन
40.	2702	लिग्नाइट चाहे संपिंडित है या नहीं, जैट को छोड़कर	400 रुपए प्रति टन
41.	2703	पीट (जिसके अंतर्गत पीट लीटर भी है) चाहे संपिंडित है या नहीं	400 रुपए प्रति टन
42.	8702 10	दस या उससे अधिक व्यक्तियों के, जिनके अंतर्गत चालक भी है, परिवहन के लिए मोटर यान	15%
43.	8703	मोटर यान, जो ऐसे मोटर यानों के विनिर्माणकारी कारखाने से	कुछ नहीं

क्रम सं.	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन	माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
		एंबुलेंस के लिए आवश्यक फिटमेंट, फर्नीचर और उपसाधन से सम्यकतः फिट की गई एंबुलेंस के रूप में पूर्ण है	
44.	8703 10 10, 8703 80	विद्युत रूप से प्रचालित यान, जिनके अंतर्गत तीन पहिया यान विद्युत मोटर यान भी है	कुछ नहीं
45.	8703	तीन पहिया यान	कुछ नहीं
46.	8703	निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कारें : क) भारत सरकार का भारी उद्योग विभाग के उप सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि उक्त माल दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य है ; और ख) कार का क्रेता एक ऐसा शपथ पत्र देता है कि वह उसके क्रय किए जाने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए कार का व्ययन नहीं करेगा ।	कुछ नहीं
47.	8703 40, 8703 50,	निम्नलिखित यान, जिनमें दोनों स्फुलिंग प्रज्ज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटरें क) एंबुलेंस के रूप में निकासी किए गए मोटर यान, जिनमें ऐसे मोटर यानों के विनिर्माणकारी कारखाने से किसी एंबुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटमेंट, फर्नीचर और उपसाधन सम्यकतः फिट किए गए हैं ख) तीन पहिया यान ग) 1200सीसी से अनधिक धारिता के इंजन वाले मोटर यान और 4000 मिलिमीटर से अनधिक लंबाई वाले मोटर यान स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान का विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।	कुछ नहीं
48.	8703 60, 8703 70	निम्नलिखित यान, जिनमें दोनों स्फुलिंग प्रज्ज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन [डीजल- या अर्ध डीजल] और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटरें : क) मोटर यान, जो ऐसे मोटर यानों के विनिर्माणकारी कारखाने से एंबुलेंस के लिए आवश्यक फिटमेंट, फर्नीचर और उपसाधन से सम्यकतः फिट की गई एंबुलेंस के रूप में पूर्ण है ख) तीन पहिया यान ग) 1500सीसी से अनधिक धारिता के इंजन वाले मोटर यान और 4000 मिलिमीटर से अनधिक लंबाई वाले मोटर यान स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान का विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।	कुछ नहीं

क्रम सं.	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन	माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
49.	8703	ईंधन शेल प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन यान और जिनकी लंबाई 4000 मिलीमीटर से अनधिक है। स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान का विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।	NIL
50.	8703 21 या 8703 22	पेट्रोल, द्रवित पेट्रोल गैस (एलपीजी) या संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) से 1200 सीसी से अनधिक की धारिता वाला और 4000 एमएम से अनधिक लंबाई वाले इंजन के मोटर यान। स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान का विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।	1%
51.	8703 31	1500 सीसी से अनधिक की धारिता वाला और 4000 एमएम से अनधिक लंबाई वाले डीजल चालित मोटर यान। स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान का विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।	3%
52.	8703	उपरोक्त क्रम सं. 43 से क्रम सं. 51 पर उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	15%
53.	8711	350 सीसी से अधिक धारिता वाले इंजन की मोटर साइकिल	3%
54.	8802	अन्य वायुयान (उदाहरणार्थ, हेलीकाप्टर, विमान), वैयक्तिक उपयोग के लिए	3%
55.	8903	यान और अन्य जलयान, जो मनोरंजन या क्रीडा के लिए है	3%
56.	कोई भी अध्याय	उपरोक्त क्रम सं. 1 से क्रम सं. 55 पर उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	कुछ नहीं

स्पष्टीकरण-

- (1) इस अनुसूची में, "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।
- (3) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "ब्रांड नाम" पद से ब्रांड नाम या व्यापार नाम, चाहे रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, अभिप्रेत है, अर्थात् नाम या चिह्न जैसे संप्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर, आविष्कृत शब्द या लेख, जिसका ऐसे विनिर्दिष्ट माल तथा उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन सहित या रहित ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के अनुक्रम में किसी संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिससे उसे उपदर्शित किया जा सके, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 1/2017-Compensation Cess (Rate)

G.S.R.720 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of cess as specified in column (4) of the Schedule appended to this notification, that shall be levied on the intra-State supplies or inter-State supplies of such goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods	Rate of goods and services tax compensation cess
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2106 90 20	Pan-masala	60%
2.	2202 10 10	Aerated waters	12%
3.	2202 10 20	Lemonade	12%
4.	2202 10 90	Others	12%
5.	2401	Unmanufactured tobacco (without lime tube) – bearing a brand name	71%
6.	2401	Unmanufactured tobacco (with lime tube) – bearing a brand name	65%
7.	2401 30 00	Tobacco refuse, bearing a brand name	61%
8.	2402 10 10	Cigar and cheroots	21% or Rs. 4170 per thousand, whichever is higher
9.	2402 10 20	Cigarillos	21% or Rs. 4170 per thousand, whichever is higher
10.	2402 20 10	Cigarettes containing tobacco other than filter cigarettes, of length not exceeding 65 millimetres	5% + Rs.1591 per thousand
11.	2402 20 20	Cigarettes containing tobacco other than filter cigarettes, of length exceeding 65 millimetres but not exceeding 75 millimetres	5% + Rs.2876 per thousand
12.	2402 20 30	Filter cigarettes of length (including the length of the filter, the length of filter being 11 millimetres or its actual length, whichever is more) not exceeding 65 millimetres	5% + Rs.1591 per thousand
13.	2402 20 40	Filter cigarettes of length (including the length of the filter, the length of filter being 11 millimetres or its actual length, whichever is more) exceeding 65 millimetres but not exceeding 70 millimetres	5% + Rs.2126 per thousand
14.	2402 20 50	Filter cigarettes of length (including the length of the filter, the length of filter being 11 millimetres or its actual length, whichever is more) exceeding 70 millimetres but not exceeding 75 millimetres	5% + Rs.2876 per thousand
15.	2402 20 90	Other cigarettes containing tobacco	5% + Rs.4170 per thousand
16.	2402 90 10	Cigarettes of tobacco substitutes	Rs.4006 per

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods	Rate of goods and services tax compensation cess
(1)	(2)	(3)	(4)
			thousand
17.	2402 90 20	Cigarillos of tobacco substitutes	12.5% or Rs. 4,006 per thousand whichever is higher
18.	2402 90 90	Other	12.5% or Rs. 4,006 per thousand whichever is higher
19.	2403 11 10	'Hookah' or 'gudaku' tobacco bearing a brand name	72%
20.	2403 11 10	Tobacco used for smoking 'hookah' or 'chilam' commonly known as 'hookah' tobacco or 'gudaku' not bearing a brand name	17%
21.	2403 11 90	Other water pipe smoking tobacco not bearing a brand name.	11%
22.	2403 19 10	Smoking mixtures for pipes and cigarettes	290%
23.	2403 19 90	Other smoking tobacco bearing a brand name	49%
24.	2403 19 90	Other smoking tobacco not bearing a brand name	11%
25.	2403 91 00	"Homogenised" or "reconstituted" tobacco, bearing a brand name	72%
26.	2403 99 10	Chewing tobacco (without lime tube)	160%
27.	2403 99 10	Chewing tobacco (with lime tube)	142%
28.	2403 99 10	Filter khaini	160%
29.	2403 99 20	Preparations containing chewing tobacco	72%
30.	2403 99 30	Jarda scented tobacco	160%
31.	2403 99 40	Snuff	72%
32.	2403 99 50	Preparations containing snuff	72%
33.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence bearing a brand name	72%
34.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence not bearing a brand name	65%
35.	2403 99 70	Cut tobacco	20%
36.	2403 99 90	Pan masala containing tobacco 'Gutkha'	204%
37.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', bearing a brand name	96%
38.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', not bearing a brand name	89%
39.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal.	Rs.400 per tonne
40.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet	Rs.400 per tonne
41.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated	Rs.400 per tonne
42.	8702 10	Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver	15%
43.	8703	Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles	NIL
44.	8703 10 10, 8703 80	Electrically operated vehicles, including three wheeled electric motor vehicles.	NIL
45.	8703	Three wheeled vehicles	NIL
46.	8703	Cars for physically handicapped persons, subject to the following conditions: a) an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods are capable of being used by the physically handicapped persons; and b) the buyer of the car gives an affidavit that he shall not dispose of the car for a period of five years after its purchase.	NIL
47.	8703 40, 8703 50,	Following Vehicles, with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion;	NIL

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods	Rate of goods and services tax compensation cess
(1)	(2)	(3)	(4)
		a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles b) Three wheeled vehicles c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm. Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	
48.	8703 60, 8703 70	Following Vehicles, with both compression -ignition internal combustion piston engine [diesel-or semi diesel) and electric motor as motors for propulsion; a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles b) Three wheeled vehicles c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm. Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	NIL
49.	8703	Hydrogen vehicles based on fuel cell tech and of length not exceeding 4000 mm. Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	NIL
50.	8703 21 or 8703 22	Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven motor vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm. Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	1%
51.	8703 31	Diesel driven motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm. Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	3%
52.	8703	All goods other than those mentioned at S. Nos. 43 to 51 above	15%
53.	8711	Motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc.	3%
54.	8802	Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes), for personal use.	3%
55.	8903	Yacht and other vessels for pleasure or sports	3%
56.	Any chapter	All goods other than those mentioned at S. Nos. 1 to 55 above	Nil

Explanation.—

(1) In this Schedule, “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

(3) For the purposes of this notification, the phrase “brand name” means brand name or trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or

writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.